पाठ्यक्रम समिति

प्रो0 गिरिजा पाण्डे
निदेशक ,समाज विज्ञान विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल

प्रो0 आर0 पी0 द्विवेदी
महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी

डा0 आर0 के0 सिंह
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

पाठ्यक्रम संयोजन एवं संपादन

डा0 नीरजा सिंह
सहायक प्राध्यापक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल

इकाई लेखन

प्रो0 ए0 एन0 सिंह
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

डा0 संजय
महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी

डा0 सुषमा मिश्रा
सहायक प्राध्यापक
डी0 ए0 वी0 कालेज
वाराणसी

डा0 नीरजा सिंह
एकेडमिक एशोसियेट
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल

कॉपीराइट : @ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविदयालय

ISBN No.-978-93-84432-94-9

प्रकाशक : कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविदयालय, हल्द्वानी 263139**(नैनीताल)**

mail : studies@uou.ac.in

इस सामग्री के किसी भी अंश को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविदयालय,हल्द्वानी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अथवा मिमियोग्राफ चक्रमुद्रण द्वारा या अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है |

मुद्रक : उत्तरायण प्रकाशन ,हल्द्वानी,नैनीताल

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी

MSW-07

सामाजिक समूह कार्य
Social Group Work

खण्ड – 1

इकाई 1	सामाजिक समूह कार्य : एक परिचय Social Group Work : an Introduction	पृष्ठ – 1–16
इकाई 2	सामूहिक समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास Historical Development of Social Group Work	पृष्ठ – 17–37
इकाई 3	सामाजिक सामूहिक कार्य के सिद्धान्त एवं निपुणताएं Theories and Skills in Social Group Work	पृष्ठ –38–53

खण्ड – 2

इकाई 4	स्वःसमूह कार्य के सिद्धान्त एवं मूल्य Theories and Values in Self Group Work	पृष्ठ – 54–61
इकाई 5	सामाजिक समूह कार्य के प्रारूप Models of Social Group Work	पृष्ठ – 62–73
इकाई 6	सामूहिक समाज कार्य : कार्यक्रम नियोजन एवं विकास Social Group Work:Programme Planning and Development	पृष्ठ–74–95

खण्ड – 3

इकाई 7	सामूहिक प्रकियाएं	पृष्ठ – 96–119

Social Processes

इकाई 8 सामाजिक समूह कार्य एवं समाज कार्य की अन्य प्रणालियों में अन्तःसम्बन्ध पृष्ठ – 120–140
Inter-relation between Methods of Social Group Work and Social Work

इकाई 9 सामूहिक समाज सेवाकार्य में अभिलेखन एवं पर्यवेक्षण पृष्ठ – 141–158
Recording and Supervision in Social Group Work

खण्ड – 4

इकाई 10 सामाजिक समूह कार्य में समूह पृष्ठ – 159–186
Group in Social Group Work

इकाई 11 सामाजिक समूह कार्य में टीम बिल्डिंग पृष्ठ – 187–199
Team Building in Social Group Work

इकाई 12 सामाजिक समूह कार्य में संस्था की भूमिका पृष्ठ – 200–214
Role of Agency in Social Group Work

इकाई 1

सामाजिक समूह कार्य : एक परिचय

Social Group Work: an Introduction

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य
1.1 परिचय
1.4 सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य
1.5 सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य का उद्देश्य
1.8 सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य का विकास
1.9 व्यावसायिक सामूहिक सेवाकार्य का विकास
1.10 सामाजिक सामूहिक कार्य के प्रारूप
1.15 सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य का समाजकार्य से सम्बन्ध
1.16 सार संक्षेप
1.17 अभ्यास प्रश्न
1.18 पारिभाषिक शब्दावली
1.19 सन्दर्भ ग्रन्थः

1.0 उद्देश्य

1. सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य की अवधारणा तथा उसके विकास के विषय में जान सकेगे।
2. सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य के उद्देष्य के विषय मे जान सकेगें।
3. सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य के मूल तत्व को समझ पायेगे।
4. सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य के समाजकार्य से सम्बन्ध के विषय में जान सकेगें।

1.1 परिचय

जहॉ सामाजिकता ने मनुष्य को अस्तित्व प्रदान किया है वही पर दरिद्रता, निर्धनता, बेरोजगारी, स्वास्थ, विचलन, सामायोजन सम्बन्धी समस्याओं का विकास हुआ। जिसके फलस्वरूप समाज अनेक प्रकार के सुरक्षात्मक कदम उठायें। सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य द्वारा सामाजिक जीवन–धारा में भाग लेने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाली व्यक्ति को सम्बन्ध सम्बन्धी समस्याओं को सामूहिक प्रक्रिया के प्रभावकारी प्रयोग द्वारा रोका जाता है। इसके अन्तर्गत सामूहिक सम्बन्धों का स्रोत और निर्देशित प्रयोग करके समूह के सदस्यों के व्यक्तित्व की सीमा व मानवीय सम्पर्को में वृद्वि की जाती है। इसके द्वारा समूह के सदस्यों की शिक्षा, विकास तथा सांस्कृतिक समृद्वि और समुह में व्यक्तिगत सम्पर्को के माध्यम से व्यक्ति में विकास और सामाजिक सामायोजन

की प्राप्ति की सम्भावनाओं पर बल दिया जाता है। सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य में सहायता एवं परिवर्तन का माध्यम समूह एवं सामूहिक अनुभव होते है।

1. सामूहिक सेवा कार्य का अर्थ

उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर सामूहिक सेवा कार्य के अर्थ पर प्रकाश डाला जा सकता है।

1. वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, सिद्धान्तों एवं कुशलता पर आधारित प्रणाली।
2. समूह मे व्यक्ति पर बल।
3. किसी कल्याणकारी संस्था के तत्वावधान मे किया जाता है।
4. व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है।
5. सेवा सम्बन्धी क्रिया कलाप में समूह स्वयं एक उपकरण होता है।
6. इससे प्रशिक्षित कार्यकर्ता कार्यक्रमों सम्बन्धी क्रियाकलापों में समूह के अन्दर अन्तःक्रियाओ का मार्गदर्शन करने में अपने ज्ञान नियुक्ता व अनुभव को प्रयोग करता है।
7. सामूहिक सेवाकार्य के अन्तर्गत समूह मे व्यक्ति व समुदाय के अंश स्वरूप समूह केन्द्र बिन्दु होता है।
8. सामूहिक सेवाकार्य अभ्यास में केन्द्रिय या मूल तत्व सामूहिक सम्बन्धों को सचेत व निर्देशित प्रयोग है।

इस प्रकार ट्रेकर ने समस्त समाजकार्य का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति को माना है। यह व्यक्ति समूह और समूह के अन्य सदस्यों से सम्बद्व होता है।

सामूहिक कार्य समूह के माध्यम से व्यक्ति की सहायता करता है। समूह द्वारा ही व्यक्ति में शारीरिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को उत्पन्न कर समायोजन के योग्य बनाया जाता हैं। सामाजिक सामूहिक कार्य को व्यवस्थित ढ़ंग से समझने के लिए हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को उल्लेख कर रहे है।

न्यूज टेट्र (1935) – ''स्वैच्छिक संघ द्वारा व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक समायोजन पर बल देते हुऐ तथा एक साधन के रूप इस संघ का उपयोग सामाजिक इच्छित उददे्श्यों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रक्रिया के रूप मे सामूहिक कार्य को परिभाषित किया जा सकता है।''

क्वायल, ग्रेस (1939) – ''सामाजिक सामूहिक कार्य का उददे्श्य सामूहिक स्थितियों में व्यक्तियो की अन्तः क्रियाओं द्वारा व्यक्तियों का विकास करना तथा ऐसी सामूहिक स्थितियों को उत्पन्न करना जिससे समान उद्देश्यों के लिए एकीकृत, सहयोगिक सामूहिक क्रिया हो सके।''

विल्सन एण्ड राइलैण्ड (1949) – ''सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य एक प्रक्रिया और एक प्रणाली है, जिसके द्वारा सामूहिक जीवन एक कार्यकर्त्ता द्वारा प्रभावित होता है जो समूह की परस्पर सग्बन्धी प्रक्रिया को उद्देश्य प्राप्ति के लिए सचेत रूप से निदेर्शित करता है। जिससे प्रजातान्त्रिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।''

हैमिल्टन (1949) – '' सामाजिक सामूहिक कार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है, जो नेतृत्व की योग्यता और सहकारिता के विकास से उतनी ही सम्बन्धित है, जितनी सामाजिक उद्देश्य के लिए सामूहिक अभिरूचियों के निर्माण से है।''

कर्ले, आड्म (1950) – '' सामूहिक कार्य के एक पक्ष के रूप मे, सामूहिक सेवा कार्य का उद्देश्य, समूह के अपने सदस्यों के व्यक्तित्व परिधि का विस्तार करना और उनके मानवीय सम्पर्को को बढ़ाना है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम् से व्यक्ति के अन्दर ऐसी क्षमताओं का निमोर्चन किया जाता है, जो उसके अन्य व्यक्तियों के साथ सम्पर्क बढ़ने की ओर निदेर्शित होती है।''

ट्रैकर – ''सामाजिक सामूहिक कार्य एक प्रणाली है। जिसके द्वारा व्यक्तियों की सामाजिक संस्थाओं के अन्तर्गत समूहों में एक कार्यकर्त्ता द्वारा सहायता की जाती है। यह कार्यकर्त्ता कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं में व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध प्रक्रिया का मार्ग दर्शन करता हैः जिससे वे एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित कर सके और वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायिक विकास की दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के अनुसार विकास के सुअवसरों को अनुभव कर सकें।''

कोनोप्का – सामाजिक सामूहिक कार्य समाजकार्य की एक प्रणाली है जो व्यक्तियों की सामाजिक कार्यात्मकता बढ़ाने मे सहायता प्रदान करती है, उददेश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक समस्याओं की ओर प्रभावकारी ढ़ंग से सुलझानें मे सहायता प्रदान करती है।''

परिभाषाओं का विश्लेषण –

1.4 परिभाषाओं का विश्लेषणः न्यूज ट्रेट्टर ने अपनी परिभाषा में सामूहिक कार्य को एक शिक्षात्मक प्रक्रिया बताया है। उन्होने कहा कि स्वैच्छिक संघ ही इस दिशा में काम करते है। परन्तु सामूहिक कार्य केवल शिक्षात्मक कार्य ही नही है बल्कि इसके द्वारा सेवा प्रदान की जाती हैं। यह कार्य केवल स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ही नही होता है बल्कि दोनो प्रकार के संगठन स्वैच्छिक तथा सार्वजनिक सामूहिक कार्य प्रणाली को उपयोग करते हैं।

हैमिल्टन के विचार अपने समय के सभी विद्वानों के विचारों से भिन्न है। उनका विचार है कि सामूहिक कार्य एक मनो सामाजिक प्रक्रिया है अर्थात इसके द्वारा व्यक्ति को मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से दोनो प्रकार से प्रभावित किया जाता है। यह सामाजिक उददेश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक अभिरूचियों के विकास का प्रयत्न करता है। साथ ही साथ उनके नेतृत्व एवं सहकारिता की भावना के विकास पर बल देता है।

ट्रैकर ने सामाजिक सामूहिक कार्य की सबसे उपर्युक्त परिभाषा दी है उनकी परिभाषा को हम पॉच भागों में विभाजित कर विश्लेषित कर सकते है।

प्रथम भाग में सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य को एक प्रणाली या पद्वति कहा गया है। अर्थात एक विशेष प्रणाली द्वारा योजना बद्व व सुव्यवस्थित कार्यक्रम से समूह को सेवा प्रदान की जाती है इसमे सेवा प्रदान करने के दौरान वैज्ञानिक ज्ञान, समूह बोध सिद्वान्त एवं कौशल का समावेश होता है।

द्वितीय भाग में व्यक्ति, समूह, समुदाय एवं सामाजिक संस्था के परिवेशों पर बल दिया गया हैं। चूकि सामूहिक कार्यकर्त्ता किसी समूह मे व्यक्ति के साथ किसी संस्था में कार्य करता है अतः व्यक्ति, समूह एवं समुदाय की आवश्यकता तथा क्षमता तथा संस्था के उददेश्य व स्थान आदि का स्पष्ट ज्ञान व बोध होना चाहिए।

तीसरे भाग में ट्रेकर मार्गदर्शन की बात करते है। सामूहिक कार्यकर्त्ता स्वीकृति, वैयक्तिकरण, कार्यक्रम एवं उददेश्य निर्धारण में समूह की सहायता, प्रेरणा व निदेर्शन, संगठन तथा साधनों के उपयोग पर आधारित सम्बन्धों द्वारा समूह का मार्गदर्शन करता है।

चौथे भाग में कार्यक्रम नियोजन पर बल दिया गया है। कार्यक्रम का रूप किसी एक व्यक्ति का नही वरन् सम्पूर्ण समूह का होता है। नियोजन के पश्चात् कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं कार्य विभाजन किया जाता है। इसमें सदस्यों की की क्षमता, आवश्यकता व सक्रियता पर ध्यान दिया जाता है। समूह में निर्णय लेने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। इसमे सदस्य भाग लेते है और उनकी क्षमता व आवश्यकता का योगदान होता हैं। उत्तरदायित्व, प्राप्तियॉ, आत्म प्रेरणा समायोजन आदि के द्वारा अन्तः क्रिया का वास्तविक बोध होता है।

पाचवॉ भाग व्यक्ति, समूह और समुदाय के विकास से सम्बन्धित है। ट्रेकर ने बताया कि व्यक्ति एवं समह के व्यवहार में इस प्रकार सुपरिवर्तन लाना है कि प्रजातान्त्रिंक सिद्धान्तों जैसे समानता स्वतन्त्रता, सौहार्द्र, व्यक्ति का आदर, व्यक्ति की योग्यता में विश्वास कर्त्तव्य एवं अधिकार, व्यक्ति की आत्म विकास की क्षमता के विष्वास और इस सम्बन्ध मे अवसर प्रदान करने में विश्वास किया जाता है।

1.5 सामूहिक कार्य का उद्देश्य

सामूहिक कार्य का उद्देश्य समूह द्वारा व्यक्तियों मे आत्मविश्वास आत्म निर्भरता एवं आत्मनिर्देशन का विकास करना है। सामाजिक कार्यकर्ता व्यथ्तयों मे सामजस्य को बढ़ाने और सामूहिक उत्तरदायित्व एवं चेतना का विकास करने में सहायता देता है। सामूहिक कार्य द्वारा व्यक्तियों में इस प्रकार की चेतना उत्पन्न की जाती है तथा क्षमता का विकास किया जाता है जिससे वे समूह और समुदायों के कियाकलापों में, जिसके वे अंग है, बुद्धिमतापूर्वक भाग ले सकते हैं उन्हे अपनी इच्छाओं, आकाक्षाओं, भावनाओं, संधियों आदि की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है।

1.5.1 विभिन्न विद्वानो द्वारा सामूहिक कार्य के उद्देश्यः

ग्रेस, क्वायलः– 1. व्यक्तियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर प्रदान करना।

2. व्यक्ति को अन्य व्यक्तियो, समूहों और समुदाय से समायोजन प्राप्त करने मे सहायता देना।

3. समाज के विकास हेतु व्यक्तियों को प्रेरित करना।

4. व्यक्तियों को अपने अधिकारों, सीमाओ और योग्यताओं के साथ–2 अन्य व्यक्तियों के अधिकारों, योग्यताओं एवं अन्तरों को पहचानने मे सहायता देना।

मेहताः– 1. परिपक्वता प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की सहायता करना।

2. पूरक, सांवेगिक तथा सामाजिक खुराक प्रदान करना।
3. नागरिकता तथा जनतांत्रिक भागीकरण को बढ़ावा देना।
4. असमायोजन व वैयक्तिक तथा सामाजिक विघटन उपचार करना।

विल्सन, तथा राइलैण्डः– 1. समूह के माध्यम से व्यक्तियों के सावेगिक संतुलन को बनाना तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना।
2. समह की उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना जो आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक जनतंन्त्र के लिए आवश्यक है।

ट्रेकरः– 1. मानव व्यक्तित्व का सम्भव उच्चतम विकास करना।
2. जनंतान्त्रिक आदर्शो के प्रति समर्पित तथा अनुरक्त।

फिलिप्सः– सदस्यों का समाजीकरण करना।

कोनोष्काः– सामूहिक अनुभव द्वारा सामाजिक कार्यात्मकता में बृद्धि करना।

1.5.2 उद्देश्यों का वर्णन

1. जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति करनाः– सामूहिक कार्य का प्रारम्भ आर्थिक समस्याओं का समाधान करने से हुआ है। परन्तु कालक्रम के साथ–2 यह अनुभव किया गया कि आर्थिक आवश्यकता का समाधान सभी समस्याओ का समाधान नही है। स्वीकृति, प्रेम, भागीकरण, सामूहिक अनुभव, सुरक्षा आदि ऐसी आवश्यकताएं है जिनको भी पूरा करना आवश्यक है इस आधार पर अनेक संस्थाओं का विकास हुआ जिन्होने इन आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य प्रारम्भ किया। आज सामूहिक कार्यकर्ता समूह में व्यक्तियों को एकत्रित करके उनके एकाकीपन कीसमस्या का समाधान करता है, भागीकरण को प्रोत्साहन देता है तथा सुरक्षा की भावना का विकास करता हैं

2. सदस्यों को महत्व प्रदान करनाः– आधुनिक युग में भौतिकवादी युग होने के कारयण व्यक्ति का कोई महत्व ने होकर धन, मशीन तथा यन्त्रों को महत्व हो गया है। इसके कारण व्यक्ति में निराशा तथा हीनता के लक्षण अधिक प्रकट होने लगे है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसका कुछ महत्व हो तथा समाज में सम्मान हों यदि हम मानव विकास के स्तरों को सूक्ष्म अवलोकन करें तो ऐसा कोई भी सतर नही है जहॉ पर व्यक्ति अपना सम्मान प्राप्त करने की इच्छा ने रखता हो। सामूहिक कार्यकर्ता समूह के सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है तथा उन्हें उचित स्थान व स्वीकृति देता है।

3. सांमजस्य स्थापित करने की शक्ति का विकास करना व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सामंजस्य प्राप्त करने की होती है। व्यक्ति इससे जीवन रक्षा के अवसर प्राप्त करता है। तथा बाह्य पर्यावरण को समझ कर अपनी आवश्यकताओुं की संन्तुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक अनेकानेक समस्यायें उसकों घेरे रहती है। और समायोजन स्थापित करने के लिए बाह्य करती है। सामूहिक कार्यकर्ता सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्ति की सामंजस्य स्थापित करने की कुशलता प्रदान करता है। व्यक्ति में शासन करने, वास्तविक स्थिति को अस्वीकार करने की, उत्तरदायित्व पूरा न करने की।

1.2 सामूहिक सेवाकार्य का विकास (Development of Group Work)

सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य समाजकार्य की दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में सेटलमेंट हाउस आन्दोलन से हुई आरम्भ में इस आन्दोलन का उद्देश्य असहाय व्यक्तियों के लिए शिक्षा और मनोरेजन के साधन उपलब्ध कराना था सेटलमेन्ट हाउस आन्दोलन ने गृह–अभाव अस्वच्छ वातावरण, एवं न्यून पारिश्रमिक की समस्या को सुलझाने के लिए सामाजिक सुधार का प्रयास किया। सेटलमेन्ट हाउसेज में व्यक्तियों के समूहों की सहायता की जाती थी। पृथक–2 व्यक्तियों की व्यक्तिगत समस्याओं पर इनमें ध्यान नही दिया जाता था क्योकि उसके लिए अन्य संस्थायें थी।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ मे स्काउट्स और इसी प्रकार के अन्य समूह लड़कों एवं लड़कियों के लिए बने। इन समूहों ने केवल अभावग्रस्त समूहों की ओर ही ध्यान नही दिया बल्कि वे मध्य एवं उच्च आर्थिक वर्ग के बच्चों की रूचि भी अपनी ओर आकर्षित करने लगे। बढ़ते हुऐ औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के कारण वैयक्तिक सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने एवं अपनत्व की भावना या हम की भावना के विकास की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। इन दो कारकों ने सामूहिक कार्य की प्रणलियों एवं उद्देश्यों मे परिवर्तन कर दिया।

विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विकास ने यह बात स्पष्ट कर दी कि व्यक्तित्व विकास के लिए व्यक्ति की सामूहिक जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि आवश्यक है। यह समझा जाने लगा कि व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए आश्यक है कि व्यक्ति में सामूहिक जीवन में भाग लेने, अपनत्व की भावना का अनुभव करने, अन्य व्यक्तियों के साथ परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने, मतभेदों को सहनशीलता की दृष्टि से देखने तथा सामान्य कार्यक्रमों में भाग लेने और समूह के हितों और अपने हितों में अनुरूपता उत्पन्न करने की योग्यता हो। इस विचारधारा ने सामूहिक सेवाकार्य को एक महत्वपूर्ण (Tool) साधन बना दिया। सामूहिक सेवाकार्य अब केवल निर्धन व्यक्तियों को लिए ही नही था अपितु मध्य एवं उच्च वर्ग के व्यक्ति भी इससे लाभावित्त हुए। सामूहिक सेवाकार्य में सामूहिक क्रियाओं द्वारा व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास किया जाता है।

स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. सामाजिक सामूहिक कार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है उक्त परिभाषा किसकी है–

1. ग्रेस क्वायल 2. फ्रीडलैण्डर
3. हैमिल्टन 4. ट्रैकर

2. समूह कार्य का मूल उद्देश्य है–
1. व्यक्तित्व विकास 2. समस्या समाधान
3. पुनः समायोजन 4. उपचार

3. समूह कार्य है–

1. कार्यक्रम जनसंचार माध्यम
2. पारस्परिक कार्य की प्रक्रिया
3. लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की विधि
4. मनोरंजन का एक प्रकार

1.2.1 व्यावसायिक सामूहिक कार्य का विकास (Development of Professional Group work)

सन् 1935 मे सामूहिक कार्यकताओं मे व्यावसायिक चेतना जागृत हुई इस वर्ष समाज कार्य की राष्ट्रीय कान्फ्रेंस में सामाजिक सामूहिक कार्य को एक भाग के रूप में अलग से एक अनुभाग बनाया गया इसी वर्ष सोशल वर्क ईयर बुक में सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य पर अलग से एक खण्ड के रूप में कई लेख प्रकाशित किये गये। इन दो कार्यो से सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य व्यावसायिक समाजकार्य का एक अंग बना। सन् 1935 मे सामूहिक कार्य के उद्देश्यों को एक लेख के रूप मे समाजकार्य की राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स मे प्रस्तुत किया गया। ''स्वैच्छिक संघ द्वारा व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक समायोजन पर बल देते हुये तथा एक साधन के रूप में इस संघ का उपयोग सामाजिक इच्छित उद्देष्यों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रक्रिया के रूप में समूह कार्य को परिभाषित किया जा सकता है।'' "Group work may be defined as an Educational Process emphasizing the development and social adjustment of an Individual through ?voluntary association and the use of this association as a means of furthering socially desirable ends".

सन् 1937 मे ग्रेस क्वायल ने लिखा कि ''सामाजिक सामूहिक कार्य का उद्देश्य सामूहिक स्थितियों में व्यक्तियों की पारस्परिक क्रिया द्वारा व्यक्तियों का विकास करना तथा ऐसी सामूहिक स्थितियों को उत्पन्न करना जिससे समान उद्देश्यों के लिए एकीकृत, सहयोगिक, सामूहिक क्रिया हो सकें।'' " Social group work aims at the development pf persons through the interplay of personalities in Group- situations and at the creation of such group situations as provide for integrated Cooperative group action for common ends".

हार्टफोर्ड का विचार है कि समूह कार्य के तीन प्रमुख क्षेत्र थे–
1. व्यक्ति का मनुष्य के रूप में विकास तथा सामाजिक समायोजन करना।
2. ज्ञान तथा निपुणता में वृद्धि द्वारा व्यक्तियों की रूचि में बढ़ोत्तरी करना।
3. समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।

सन् 1940–50 के बीच सिगमण्ड फ्रायड का मनोविश्लेषण का प्रभाव समूह कार्य व्यवहार में आया। इस कारण यह समझा जाने लगा कि सामाजिक अकार्यात्मकता (Social disfunctioning) का कारण सांवेगिक सघर्ष है। अतः अचेतन से महत्व दिया जाने लगा जिससे समूहकार्य संवेगिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के साथ काम करने लगा। द्वितीय विश्वयुद्ध ने चिकित्सकीय तथा मनोचिकित्सकीय समूह कार्य को जन्म दिया।

1.2.2 सामाजिक सामूहिक कार्य के प्रारूप

सन् 1950 के बाद से समूह कार्य की स्थिति में काफी परिवर्तन आये है। सामाजिक बौद्विक, आर्थिक, प्रौद्योगिक परिवर्तनों ने समूह कार्य व्यवहार को प्रभावित किया हैं। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समूहकार्य के तीन प्रारूप (models) तैयार किये है:–

1. उपचारात्मक प्रारूप (Rededial Model) विटंर
2. परस्परात्मक प्रारूप (Reciprocal Model) स्क्दारत
3. विकासात्मक प्रारूप (Developmental Model) बेरस्टीन

सामाजिक सामूहिक कार्य सामूहिक क्रियाओं द्वारा रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विकास ने यह सिद्व कर दिया है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति की सामूहिक जीवन सम्बन्धी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की सन्तुष्टि आवश्यक होती है जहॉ एक ओन सामूहिक भागीकरण व्यक्ति के लिए आवश्यक होता हे वही दूसरी ओर भागीकरण से समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सामूहिक जीवन में भाग लेने, अपनत्व की भावना का अनुभव करने, अन्य वयक्तियों से परस्पर समबन्ध सथापित करने, मतभेदों को निपटाने तथा अपने हितों को समूह के हितो को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नियोजित तथा संचालित करने की योग्यता होनी चाहिए। सामूहिक कार्य द्वारा इन विशेषताओं तथा योग्यताओं का विकास किया जाता है।

सामूहिक जीवन का आधार सामाजिक सम्बन्ध है। मान्टैग्यू ने यह विचार स्पष्ट किया कि सामाजिक सम्बन्धों का तरीका जैविकीय निरन्तरता पर आधारित है। जिस प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से सामाजिक अभिलाषा भी उत्पन्न होती है। जीव के प्रकोष्ठ एक दूसरे से उत्पन्न होते है उनके लिए और किसी प्रकार से उत्पन्न होना सम्भव नही हैं प्रत्येक प्रकोष्ठ अपनी कार्य प्रक्रिया के ठीक होने के लिए दूसरे प्रकोष्ठों की अन्तः क्रिया पर निर्भर है। अर्थात प्रत्येक अवयव सम्पूर्ण में कार्य करता हैं। सामाजिक अभिलाषा भी उसका अंग है। यह मनुष्य का प्रवृत्तियात्मक गुण है। जिसे उसने जैविकीय वृद्धि प्रक्रिया से तथा उसकी दृढ़ता से प्राप्त किया है। अतः सामूहिक जीवन व्यक्ति के लिए उतना महत्वपूर्ण है जितना उसकी भौतिक आवश्यकतायें महत्वपूर्ण है।

1.6 सामूहिक सेवाकार्य के अंग (तत्व)

सामाजिक सेवाकार्य एक प्रणाली है जिसके द्वारा कार्यकर्त्ता व्यक्ति को समूह के माध्यम से किसी संस्था अथवा सामुदायिक केन्द्र में सेवा प्रदान करता है, जिससे उसके

व्यक्तित्व का सन्तमुलित विकसा संभव होता है। इस प्रकार सामूहिक सेवाकार्य की तीन अंग निम्न है।

1.6.1 कार्यकर्ता

सामाजिक सामूहिक कार्य में कार्यकर्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है। जो उस समूह का सदस्य नही होता है। जिसके साथ वह कार्य करता है। इस कार्यकर्ता में कुछ निपुणतायें होती है, जा व्यक्तियों की संधियों, व्यवहारों तथा भावनाओ के ज्ञान पर आधिरित होती है। उससे समूह के साथ कार्य करने की क्षमता होती है। तथा सामूहिक स्थिति से निपटने की शक्ति एवं सहनशीलता होती है। उसका उद्देश्य समूह को आत्म निर्देशित तथा आत्म सेंचालित करना होता है तथा वह ऐसे उपाय करता है जिसे समूह का नियंत्रण समूह–सदस्यों के हाथ में रहता है वह सामूहिक अनफभव द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन एवं विकास लाता है। कार्यकर्ता की निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

1. सामुदायिक स्थापना।
2. संस्था के कार्य तथा उद्देश्य।
3. संस्था के कार्यक्रम तथा सुविधायें।
4. समूह की विशेषतायें।
5. सदस्यों की संधियॉ आवश्यकतायें तथा योग्यतायें।
6. अपनी स्वंय की निपुणतायें तथा क्षमतायें।
7. समूह की कार्यकर्ता से सहायता प्राप्त करने की इच्छा।

सामूहिक कार्यकर्ता अपनी संवाओं द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति की स्पष्ट विकास तथा उन्नति के लिए अवसर प्रदान करता है। तथा व्यक्ति के सामान्य निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता हैं। सामाजिक सम्बन्धों को आधार मानकर शिक्षात्मक तथा विकासात्मक क्रियायों का आयोजन व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए करता है।

1.6.2 समूह

सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता अपने कार्य का प्रारम्भ समूह साथ काय्र करता है। और ससमूह के माध्यम से ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है, वह व्यक्ति को समूह के सदस्य के रूप में जानता है तथा विशेषताओं को पहचानता है। समूह एक आवष्यक साधन तथा यन्त्र होता है, जिसको उपयोग में लाकर सदस्य अपनी उद्देष्यों की पूर्ति करते है। जिस प्रकार का समूह होता है कार्यकर्ता को उसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। सामान्य गति से काम करने के लिए समूह सदस्यों में कुछ सीमा तक संधियों, उद्देश्यों, बौद्धिक स्तर, आयु तथा पसन्दो मे समानता होनी आवश्यक होती है। इसी समानता पर यह निश्चित होता है कि सदस्य समूह में समान अवसर कहॉ तक पा सकेगें तथा कहा तक उद्देश्य पूर्ण तथा सप्रगाढ सम्बन्ध स्थापित हो सकेगां समूह तथा कार्यकर्ता सामाजिक मनोरंजन तथा शिक्षात्मक क्रियाओं को सदस्यों के साथ सम्पन्न करते तथा इसके द्वारा वे निपुणताओं का विकास करते है। लेकिन सामूहिक कार्य इस बात में विश्वास रखता है कि समूह का कार्य कनपुणता

प्राप्त करना नही है बल्कि प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सदस्य का समूह में अच्छी प्रकार से समायोजन करना है। व्यक्ति समूह के माध्यम से अनेक प्रकार के समूह अनुभवों को प्राप्त करता है, जो उसके लिए आवश्यक होते हैं समूह द्वारा वह मित्रों तथा संधियों का भाव सदस्यों में उत्पन्न करता है, जिससे सदस्यों की महत्पपूर्ण आवश्यकता है ''मित्रों के साथ रहने की'' पूर्ति होती है। वे माता पिता के नियंत्रण से अलग होकर अन्य लोगों के सामाजस्य करना सीखते है, तथा निपुणता व विशेषीकरण प्राप्त करते है, स्वीकृती की इच्छा पूरी होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति के विकास के लिए समूह आवश्यक होता है।

1.6.3 अभिकरण (संस्था)

सामाजिक सामूहिक कार्य में संस्था का विशेष महत्व होता है क्योकि सामूहिक कार्य की उत्पत्ति ही संस्थाओं के माध्यम से हुई है। संस्था की प्रकृति एवं कार्य कार्यकर्ता की भूमिका को निश्चित करता है। सामूहिक कार्यकर्ता अपनी निपुणताओं का उपयोग एजेन्सी के प्रतिनिधि के रूप में करता है। क्योकि समुदाय एजेन्सी के महत्व को समझता है तथा कार्य करने की स्वीकृति देता है। अतः कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है कि वह संस्था के कार्यो से भलीभांति परिचित हो। समूह के साथ कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यकर्ता को संस्था की निम्न बातों को भली भॉति समझना चाहिए।

1. कार्यकर्ता को संस्था के उद्देश्यों तथा कार्यो का ज्ञान होना चाहिए अपनी रूचियों की उन कार्यो से तुलना करके कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
2. संस्था की सामान्य विशेषताओं से अवगत होना तथा उसके कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए।
3. उसकों इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार संस्था समूह की सहायता करती है तथा सहायता के क्या–2 साधन व श्रोत है।
4. संस्था में सामूहिक संबन्ध स्थापना की दशाओं का ज्ञान होना चाहिए।
5. संस्था के कर्मचारियों से अपने सम्बन्ध के प्रकारें की जानकारी होनी चाहिए ।
6. उसको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी संस्थायें तथा समूह कितने है जिनमें किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को सन्दर्भित किया जा सकता है।
7. संस्था द्वारा समूह के मूल्यांकन की पद्वति का ज्ञान होना चाहिए।

सामाजिक संस्था के माध्यम से ही समूह सदस्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करते है तथा विकास की ओर बढते है। वे संस्थायें व्यक्तियों व समूहों की कुछठ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है तथा उनका प्रतिनिधित्व करती है।

1.7 सामाजिक सामूहिक कार्य का समाजकार्य से सम्बन्ध

सामूहिक कार्य सामाजिक कार्य की एक प्रणाली के रूप में सामूहिक क्रियाओं द्वारा व्यक्तियों में रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विकास ने यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति की सामूहिक जीवन सम्बन्धी इच्छाओं एवं

आवश्यकताओं की संन्तुष्टि आवश्यक होती है। जहॉ एक ओर सामूहिक भागीकरण व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है वही दूसरी ओर भागीकरण से समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सामूहिक जीवन में भाग लेने, अपनत्व की भावना का अनुभव करना, अन्य व्यक्तियों से परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने, मतभदों को निपटाने तथा अपने हितों तथा समूह के हितों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नियोजित तथा संचालित करने की योग्यता होनी चाहिए।

समाजकार्य एक व्यवसायिक सेवा है जिसका आधार मानव सम्बन्धों के ज्ञान व सम्बन्धों की निपुणता पर है और जिसका सम्बन्ध आभ्यान्तर वैयक्तिक अथवा आन्तर वैयक्तिक समायोजन सम्बन्धी समस्याओं से है जो अपूर्ण वैयक्तिक सामूहिक और सामुदायिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति समूह तथा समुदायों को विकसित, उन्नत तथा समृद्ध करना है।

सामाजकार्य के उद्देश्यों की पूर्ति उसकी विभिन्न प्रणालियों द्वारा की जाती है जिनमें वैयक्तिक सेवाकार्य सामूहिक सेवाकार्य तथा सामुदायिक संगठन मुख्य है। यहॉ हम सामूहिक संवाकार्य से इनको अर्न्तसम्बन्धों की विवेचना करेंगें।

1. उद्देश्य के आधार पर सम्बन्ध

समाजकार्य की सभी विधियों का उद्देश्य लगभग समान है। सभी विधियों का उद्देश्य व्यक्ति की अधिक से अधिक सहायता करना है, जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान करके तथा विकास की गति में बृद्धि ला सकें सामूहिक कार्य में कार्यकर्ता व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से करता है। यद्यपि सामूहिक क्र में केन्द्र बिन्दु समूह होता हे परन्तु व्यक्ति के हितों का पूरा ध्यान रखाजाता है। आवश्यकता पड़ने पर वैयक्तिक सेवाकार्य की सहायता ली जाती है। इसी प्रकार वैयक्तिक सेवाकार्य तथा सामुदायिक संगठन का उद्देश्य भी व्यक्ति की सहायता करना हे जिसे वह अपना विकास तथा उन्नति स्वयंकर सके। इस प्रकार हम देखते है कि अन्ततोंगत्वा इन विधियों का उद्देश्य वयक्ति की इस प्रकार सहायता करना है जिससे वह स्वयं समर्थ हो सके। कार्यकर्ता तो केवल उसकी आवश्यकता के अनुकूल सहायता करता है।

2. सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्ध

समाजकार्य की प्रणालियों मे लगभग समान सिद्धान्तों का उपयोग होता मूलरूप से इनमें मानवतावादी सिद्धान्त कार्य करता है। वैयक्तिक कार्य सेवार्थी समान्य व्यक्ति होता है वह किसी प्रकार की हीन भावना से नही देखा जाता है। कार्यकर्ता उसे आदर एवं प्रतिष्ठा देता है और आत्म सम्मान का बोध कराता है वह सम्बन्ध स्थापनाा पर जोर देता है और उसी के अनुसार उपचार योजना तैयार करता है। सेवार्थी स्वयं उपचार योजना में कार्यरत रहता है सामूहिक कार्य में भी समूह की इच्छा से कार्य किया जाता है समूह सदस्य प्रथम चरण से लेकर अन्तिम चरण तक महत्पूर्ण होते है। समूह में होने वानी समस्त अन्तः कियाये जैसे समूह निर्माण, उद्देश्यों का निर्धारण, कार्य प्रणाली, कार्यक्रम नियोजन एवं निर्धारण, संचालन, नेतृत्व तथा निर्णय आदि सदस्यों द्वारा ही प्रेरित होते है। कार्यकर्ता बस बाह्य निर्देशन करता है। सामुदायिक संगठन में भी लगभग इन्ही सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति और समूह की तरह समुदाय

को उसी स्थिति में स्वीकार किया जाता है जिस स्थिति में वह होता है। समुदाय की उपयुक्तता के अनुसार के साथ–साथ कार्य किया जाता है सहायता कार्य इस आधार पर होता है कि समुदाय स्वयं अपनी समस्या का हल करने में समर्थ हो सके।

3. प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्ध

सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य, वैयक्तिक सेवाकार्य तथा सामुदायिक संगठन प्रणालियों में यह प्रयत्न किया जाता है कि व्यक्ति समूह तथा समुदाय स्वयं अपनी समस्याओं के निराकरण में समर्थ हो सके। आत्म विश्वास की भावना का विकास हो तथा शक्ति में बृद्धि हों वैक्तिक सेवाकार्य में व्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है व्यक्ति स्वयं कार्यकर्ता के समक्ष अपनी समस्या का निरूपण करता है तथा सहायता की इच्छा प्रकट करता है। कार्यकर्ता वार्तालाप के माध्यम से सेवार्थी की समस्या को समझता है तथा उपचार और निदान प्रक्रिया संचालित करता है। सा0 कार्य में कार्यकर्ता या तो स्वयं समूह का निर्माण करता है अथवा पहले से संगठित समूह के साथ कार्य करता है वह समूह को अधिकार देता है कि वही कार्यक्रम का क्रियान्वयन करे तथा अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त करे वह केवल अन्तःक्रिया का निर्देशन तथा मूल्याकन करता हैं सामुदायिक संगठन में पूरे सदस्यों के हितों के लिए कार्य होता है। कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक आधार के स्थान पर समाजशास्त्रीय आधार को अधिक महत्व देता है।

4. प्रत्यय के आधार पर सम्बन्ध

वैयक्तिक सेवाकार्य तथा सामुदायिक संगठन में लगभग समान प्रत्यय होते है। कार्यकर्त्ता इन विधियों में विभिन्न रूपों से कार्य करता है ज बवह देखता है कि व्यक्ति समूह या समुदाय स्वयं उचित कदम नही उठा सकते तो वह अधिनायक या सत्तावादी हो जाता है तथा अन्य उसके आदेशों का पालन करते है कभी–2 वह स्वयं आदर्श बन जाता है और व्यक्ति साधनों को पहचान नही पाते है। वह समूह में भाग लेने तथा कुशलताओं तथा अभिवृत्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है तथा सामंजस्य स्थापित करने में साहयोग प्रदान करता है। समूह या समुदाय के साथ कार्य करते हुए वैयक्तिक सम्बन्ध भी बनाये रखता है।

5. व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर सम्बन्ध

समाजकार्य के सिद्धान्तों में व्यक्ति के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है सबसे पहले व्यक्ति के विषय में सम्पूर्ण इतिहास प्राप्त किया जाता है तथा समस्या का निदान वैयक्तिक अध्ययन के आधार पर किया जाता है वैयक्तिक सेवाकार्य में कार्यकर्ता सेवार्थी के जीवन से सम्बन्द्ध समसत घटनाओं का अभिलेखन करता है उसने के अनुसार उपचार प्रक्रिया अपनाता है। सामूहिक कार्य में यद्यपि कार्यकर्ता का ध्यान समूह पर केन्द्रित होता हैं परन्तु वह वैयक्तिकरण का सिद्धान्त अवश्य अपनाता है। प्रत्येक सदस्य की आदतो, रूचियों, मनोवृत्तियों आदि का ज्ञान रखता है सामुदायिक संगठन में व्यक्ति विशेष के विषय में जानकारी रखना कठिन होता है लेकिन कार्यकर्ता समूह के माध्यम से कोशिष करता है। वह वैयक्तिक सम्पर्क भी रखता है।

6. कार्य की रूप रेखा निश्चित करने के आधार पर सम्बन्ध

समाजकार्य की तरह इसमें यह विशेषता है कि कोई भी कार्य सेवार्थी पर दबाव डालकर नही कराया जाता। वे जिस प्रकार और जैसा कार्य करने की इच्छा रखतें है वैसे ही कार्य किया जाता है वैयक्तिक सेवाकार्य में सेवार्थी को अपना रास्ता उपाय तथा उपचार के चुनाव की पूरी छूट होती है यद्यपि कार्यकर्ता सम्पूर्ण विवरण तथा उपचार प्रकिया प्रस्तुत करता है सामूहिक कार्य में भी समूह सदस्य स्वर्य कार्यक्रम का चुनाव करते तथा निर्णय में भाग लेते है। सामुदायिक संगठन में कार्यकर्त्ता केवल छिपी समस्याओं को प्रस्तुत करता है और सम्भव उपायों को स्पस्ट करता है। और इसे समुदाय पर छोड़ देता है कि समस्या समाधान का कौन सा तरीका उसे पसन्द है।

7. कार्यक्रम के विकास के आधार पर सम्बन्ध

सामाजकार्य मे कोई भी कार्यक्रम पहले से निष्चित नही किया जाता है। जब समूह में अन्तःक्रिया का संचार हाता है वो कार्यक्रम स्वतः उत्पन्न हो जाते है। वैयक्तिक सेवाकार्य में प्रथमतः सेवार्थी तथा कार्यकर्ता के मध्य सम्बन्ध स्थापित होता है। फिर अन्तःक्रिया का संचार होता है और तब कार्यत्मक उपचार का रास्ता तैयार होता है। सामूहिक सेवाकार्य मे पहल कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है फिर कार्यक्रम का विकास होता है।

1.8 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य क्या है। इस पर प्रकाश डाला गया है। सामाजिक सा0 सेवाकार्य की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाये तथा उनका वर्णन किया गया है। इसके क्रमशः विकास को समझाया गया है सा0 सा0 सेवाकार्य के तत्वों जैसे सामाजिक कार्यकर्त्ता, समूह तथा संस्था के विषय मे लिखा गया है। सा0 सामूहिक सेवाकार्य के उद्देश्य विद्वानो द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य तथा उद्देश्यो का वर्णन किया गया है। सा0 सेवाकार्य का समाजकार्य से क्या सम्बन्ध है इस पर विस्तृत विवेचन है।

अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य की अवधारणा स्पस्ट करत हुऐ इसकी परिभाषा लिखिये ?
2. सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य के उद्देश्यों का वर्णन करं?
3. सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य के तत्वों पर टिप्पणी लिखे?
4. सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य का समाजकार्य से सम्बन्ध स्पष्ट करें?

1.10 पारिभाषिक शब्दावली

Development - विकास
Group work - समूहकार्य
Aims - लक्ष्य
Personatities - व्यक्तित्व
Essential - जीवनोपयोगी
Importance - महत्व

Adjustment	- सामांजस्य
Model	- प्रारूप
Intrigrated	- एकीकृत
Remedial	- परिभाषा
Agency	- संस्था
Social worker	- सामाजिक कार्यकर्ता

1.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

मिश्रा, पी0डी0	:सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, 1992।
शास्त्री, ए.एस.इनाम	:व्यावसायिक समाजकार्य, गुलसी पब्लिकेशन, वाराणसी 1998।
पाण्डेय, तेजस्कर	:समाजकार्य, जुबली फाउडेशन, लखनऊ 2003।
जोसेफ, हेलेन	:सोशल वर्क कद ग्रप्स 'ए लिटरेचर रिब्यू', इण्यिन जर्नल आफ सोशल वर्क 1997।
द्विवेदी, मनीष	:समाजकार्य, अनामिका प्रकाशन, इलाहाबाद 2008।

इकाई –2

सामूहिक समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास

Historical Development of Social Group Work

इकाई की रूपरेखा
2.1 उद्देश्य
2.2 परिचय
2.3 सामूहिक समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास
2.3.1 सामूहिक कार्य का विकास
2.3.2 अमेरिका में सामूहिक समाज कार्य का विकास
2.3.3 भारत में सामूहिक समाज कार्य का विकास
2.4 सार संक्षेप
2.5 अभ्यास प्रश्न
2.6 पारिभाषिक शब्दावली
2.7 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

2.1 उद्देश्य

इस इकाई के द्वारा आपः–

- सामूहिक समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास के विषय में जान सकेगें।
- सामूहिक कार्य का विकास के विषय में जान सकेगें।
- अमेरिका में सामूहिक समाज कार्य का विकास के विषय में जान सकेगें।
- भारत में सामूहिक समाज कार्य का विकास के विषय में जान सकेगें।

2.2 परिचय

सामाजिक सामूहिक कार्य समाज कार्य की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को मनोरंजन प्रदान करना तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और सामंजस्य सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करके विकास एवं उन्नति करना है। दुनियाँ में इस प्रकार के कार्य बहुत दिनों से होते आये हैं। परन्तु व्यावसायिक समाज कार्य के रूप में सामूहिक समाज कार्य का विकास अधिक समय पहले नहीं हुआ। इसका स्वरूप पहले दान पद्धति थी जिसके द्वारा व्यक्तियों की सहायता की जाती थी। इस प्रकार के कार्यों का आधार धर्म था। व्यक्ति धर्म की भावना से प्रेरित होकर लोगों की सहायता करता था। पुरोहित लोग विधवाओं, असहायों, अनाथों तथा रोग–ग्रस्त लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करते थे। गरीबी एवं असहायों की कठिनाइयों को दूर करना तथा अन्य समस्याओं का समाधान करना इसाइयों का आवश्यक कर्तव्य माना जाने लगा था। इस प्रकार व्यक्तियों के संतोष एवं सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए धार्मिक संस्थानों ने सांस्कृतिक एवं नैतिक कार्यों का विकास किया।

प्रारम्भ में क्लेश, दुःख, गरीबी तथा अन्य समस्याओं के लिए ईसाई लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। परन्तु मध्यकाल में यह कार्य पादरी करने लगे। वृद्धों, गरीबों तथा रोगियों के लिए आश्रमों एवं संस्थाओं की स्थापना की गयी। गाई डी मान्टेपेलियर्स (Guy De Montepelliers) ने हास्पिटलर्स (Hospitallers) की तथा सेंट फ्रैंसिस डि एसिसी ने (Saint Francis de Assisi) फ्रैंसिस कैन्स (Francis Cans) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य निर्धन, अपाहिजों, पीड़ितों को शिक्षा देना तथा रोगियों की चिकित्सीय सहायता तथा निराश्रितों को आश्रय देना था। मठ, विहार तथा आश्रम, जहाँ पर दान देने की व्यवस्था थी, वे अस्पताल बन गए। ये स्थान बीमार, वृद्ध, अनाथ, बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों की सेवा शुश्रूषा का प्रबन्ध करते थे।

सोलहवीं शताब्दी के सुधार काल में भिक्षावृत्ति को रोकने का प्रयास किया गया तथा सामान्य दान पेटियों (Common Chests) की स्थापना की गयी। 1523 ई0 में ज्यूरिख तथा स्विटजरलैंड में अलरिक ज्वीगली ने सहायता के लिए प्रभावकारी योजना प्रस्तुत की। अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी असहाय परिवारों की सामाजिक दशाओं को सुधारने में पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हुई। जुअन लुई वाईव्ज पहले वैज्ञानिक थे जिन्होने इस ओर अपना ध्यान वैज्ञानिक ढंग से समस्या सुलझाने में आकर्षित किया। उन्होने डी सववेन्शन पायरम के नाम से कार्यक्रम बनाया। उन्होने इस कार्यक्रम द्वारा भिक्षावृत्ति के स्थान पर व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण तथा पुनर्निवेशन पर जोर दिया। वृद्ध तथा अर्योय व्यक्तियों को भिक्षागृह में रखने का सुझाव दिया। इनकी विधियों का प्रयोग कुछ समय पश्चात् सन् 1788 में हैम्बर्ग में शुरू हुआ।

प्रो0 बुश ने भी इस प्रकार की योजना बनाकर शहर को 60 क्वार्टरों में विभाजित किया। प्रत्येक क्वार्टर में समान संख्या में निर्धन परिवार थे। प्रत्येक समिति में तीन नागरिक थे जो बिना किसी पैसे के अपनी सेवाएँ प्रदान करते थे। ये समितियाँ सेनेट द्वारा नियुक्त की गयी थीं जो जिला स्तर पर व्यक्तिगत भिक्षुओं की खोज करने और उनको सहायता देने का कार्य करती थी। इन समितियों की संख्या 60 थी जो अन्य कार्यों के साथ ही साथ प्रत्येक परिवार की नैतिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में भी जाँच करती थी। औद्योगिक पाठषालाओं में लोगों को औद्योगिक शिक्षा दी जाती थी।

1790 ई0 में म्यूनिख में इसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ हुआ। बवेरियन (Bavarian) ने एक सैनिक कर्मषाला की स्थापना की जिसमें उन समर्थ भिक्षुकों को रखा जो सेना के कपड़े तैयार करते थे। जिला स्तर की ऐच्छिक समितियों के सहयोग से पुष्ट शरीर वाले भिक्षुओं को इस कर्मशाला में भर्ती किया गया। सन् 1853 ई0 में एल्वरफेल्ड शहर में भी इसी प्रकार की योजना चलाई गयी। इन समितियों के कार्यकर्ता उन्हीं क्वार्टरों में रहते थे जिनमें गरीब तथा असहाय रहते थे। वे उनकी स्थितियों का अवलोकन करते थे तथा सामाजिक व आर्थिक सहायता प्रदान करते थे।

फ्रांस के श्रेष्ठ सुधारक विन्सेन्ट डि पाल ने इस दिशा में अकथनीय प्रयास किया। उन्होने अपना सारा जीवन गरीबों, भिक्षुकों, कैदियों के परिवारों की दशा सुधारने में अर्पित किया तथा अपने प्रयास द्वारा अनेक अस्पतालों, विधवा आश्रमों तथा अनाथालयों

की स्थापना में सहायता की। फादर विंसेन्ट ने 1633 में 'भिक्षा की लड़कियाँ' नामक संघ की स्थापना की जिनमें महिलाएँ भिक्षा का कार्य करती थीं तथा साथ ही साथ गरीबों की सेवा करती थीं। आगे चलकर ये महिलाएँ ही समाज कल्याण की अग्रणी बन गयी।

2.3.1 इंग्लैण्ड में सामूहिक कार्य का विकास

इंग्लैण्ड में भी अन्य यूरोपीय देशों की भाँति गरीबों की देख–रेख का कार्य चर्च करते थे। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर लोग असहायों, अंधों, लँगड़ों तथा असमर्थो की सहायता करते थे। 15वीं शताब्दी में बहुत से मठ, अस्पताल तथा अनाथालय बन गए जो गरीबों तथा भिक्षुओं को खाना, कपड़ा तथा शरण देते थें। परन्तु उनको स्वावलम्बी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। सर्वप्रथम 1531 में हेनरी अष्टम ने इस दिशा में रचनात्मक कार्य किया। उन्होंने स्टैट्यूट ऑफ हेनरी VIII पास किया। इस कानून के द्वारा महापालिका अध्यक्ष, न्यायाधीश वृद्धों एवं निर्धनों के प्रार्थना–पत्रों की जाँच करते थे, असमर्थों को पंजीकृत करते थे तथा भिक्षा माँगने का लाइसेन्स देते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि गरीबों की जिम्मेदारी का एहसास जनता करने लगी।

सन् 1536 ई0 में इंग्लिश सरकार ने निर्धनों को पंजीकृत कराके उनकी चर्च द्वारा सहायता करने, पुष्ट शरीर वाले भिक्षुओं को काम करने के लिए बाध्य करने तथा 5 से 15 वर्ष के आलसी बच्चों का अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु प्रथम योजना बनाई। अंतिम रूप से सन् 1572 ई0 में यह कानून बनाया गया कि सरकार ऐसे व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करेगी जो स्वंय अपनी सहायता करने में असमर्थ होगें। 1576 ई0 में सुधारगृह (House of Correction) स्थापित हुए जहाँ पर गरीबों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। सन् 1601 ई0 में एलिजाबेथ का धनहीनों के प्रति कानून बना जिसके आधार पर वृद्धों, गरीबों, असहायों आदि की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया। यह प्रबंध काफी दिनों तक चलता रहा।

सन् 1834 ई0 में इस निर्धन कानून के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तथा सुधार कानून बनाया गया। रिपोर्ट में सिफारिश थी कि–

(1) स्पीनहमलैण्ड तरीके के अंतर्गत दी जाने वाली ''आंशिक सहायता'' का उन्मूलन किया जाय।

(2) सहायता चाहने वाले सभी समर्थ प्रार्थियों को कार्यग्रहों में रखा जाय।

(3) केवल रोगी, वृद्ध, अशक्त एवं नवजात शिशुओं वाली विधवाओं को ही ''बाह्य सहायता'' प्रदान की जाय।

(4) विभिन्न पेरिशों के सहायता संबंधी प्रशासन को ''निर्धन कानून संघ''(Poor Law Union) के रूप में समन्वित किया जाये।

(5) निर्धन सहायता प्राप्त करने वालो की स्थिति समुदाय में निम्न वेतन पाने वाले मजदूरों की तुलना में निम्न घोषित की जाय।

(6) नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीय परिषद् की स्थापना की जाय।

अतः 14 अगस्त, सन् 1834 ई0 को नवीन गरीब कानून (The New Poor Law) बना। परन्तु इसके द्वारा भी विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। एडविक चडविक ने इस निर्धन कानून आयोग के सदस्य होने के बावजूद भी उसके प्रति असंतोष प्रकट किया। अतः आयोग के स्थान पर परिषद् का गठन किया गया और एडविक चडविक इसके महाआयुक्त बनाए गए। उन्होने निर्धनता के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया तथा सामाजिक सुधार के प्रभावशील साधनों की खोज की। निर्धन कानून आयुक्तों ने अपने अन्वेषण में पाया कि निम्न वर्ग में संक्रामक रोगों का एक प्रमुख कारण अकिंचनता है। आवास एवं रहन सहन की अस्वस्थ दशाओं तथा कुपोषण की समस्या के कारण निर्धन लोग बीमार हो जाते हैं।

आवास गृहों की कमी के कारण कई लोग एक पलंग पर सोते हैं जिससे बाल अपराध, लड़ाई झगड़ा, अनैतिकता तथा छुआछूत की बीमारी बढ़ती है। पीने के पानी तथा शौच की उचित व्यवस्था न होने के कारण वे बीमारी के शिकार होते है। इस प्रकार चडविक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वास्थ्य के प्रति अपना ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने संक्रामक रोगों से बचने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जिससे निःशुल्क टीके लगने लगे। पार्कों तथा बगीचों के बनने में रूचि दिखाई। उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप सन् 1848 ई0 में जनस्वास्थ्य ऐक्ट (The Public Health Act) की स्थापना हुई और चडविक उसके सदस्य बने।

औद्योगिक उन्नति के साथ–साथ समाज में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई और इनके निराकरण के लिए चार्टिस्ट, क्रिश्चियन, सोशलिस्ट तथा श्रम संघों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। सन् 1844 ई0 में चार्टिस्टों ने पहला सहकारी भंडार खोला जिसके मालिक श्रमिक ही थे। राबर्ट ओवन ने परीक्षण किया कि अच्छी मजदूरी एवं उत्तम कार्य–दशाओं के होने से श्रमिक अधिक मेहनत से कार्य करते हैं। अतः उन्होंने आदर्श औद्योगिक समुदाय (Ideal Industrial Community) की स्थापना की। यहाँ पर वाटिकाएँ थीं, खेलकूद का प्रबंध था, क्रीड़ा स्थल थे, मनोविनोद के लिए साधन थे तथा कम कीमत पर वस्तुएँ मिलती थीं। इस प्रयास के उपरान्त अन्य नगरों में भी इसी प्रकार के प्रयास किए गए।

चार्टिस्ट की शक्ति मे कमी होने पर 1848 में क्रिश्चन सोशलिस्ट फ्रेडरिक डेन्सन मारिस, चार्ल्स किंग्स्ले तथा जे0 एम0 लुडलो के निर्देशन में मजदूरों की शैक्षिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक दशाओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। श्रमिकों के लिए रात्रि पाठशालाएँ खोली गयीं। कैनन सेमुअल, अगस्टस वारनेट 1973 ई0 में लंदन के हाइट चैपल स्थित सेंट जूड गिरजाघर के उस क्षेत्र में रहने लगे जिसमें निर्धन रहते थे। वे उसके पादरी बने। वारनेट ने पाया कि हाइट चैपल के 8000 निवासियों में अधिकांश बेकार, अपाहिज तथा रोगी हैं। वे दुर्गन्ध युक्त मकानों में रहते हैं तथा उनकी बहुत ही निम्न दशा है। वारनेट आक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में गए तथा उनको वहाँ की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को इनके वैयक्तिक अध्ययन तथा शिक्षा सम्बन्धी सहायता देने के लिए आमंत्रित किया। उनके प्रयास से

हाइट चैपल में विश्व का प्रथम व्यवस्था गृह बना। इस व्यवस्था गृह के तीन मुख्य उद्देश्य थेः–

(1) निर्धनों का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास
(2) निर्धनों की दशा एवं सामाजिक सुधार की अत्यन्त आवश्यकता के सम्बन्ध में छात्रों तथा व्यवस्थागृह के अन्य निवासियों को जानकारी देना, तथा
(3) सामाजिक तथा स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण और सामाजिक विधि निर्माण में व्यापक हितों की सामान्य जाग्रति उत्पन्न करना। इसका उद्दश्य पढ़ाने के अतिरिक्त, सांस्कृतिक प्रभाव भी डालना था। अतः भाषण तथा वाद विवाद गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था।

सामाजिक वैयक्तिक समाज कार्य तथा सामूहिक समाज कार्य लगभग समान परिस्थितियों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैण्ड और अमेरिका में विकसित हुआ। चैरिटी आरगेनाइजेशन सोसाइटी (Charity Organization Society) ने सामूहिक कार्य के विकास में एक विशेष भूमिका अदा की। जान एडम्स हिल तथा डिवाइन आदि ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने मानव की विशेष आवश्यकताओं तथा सामाजिक दशाओं की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। उन सामाजिक समस्याओं को दूर करने पर बल दिया जो सामाजिक वातावरण से उत्पन्न होती थी। उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों का विकास किया जिनसे व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। परन्तु जैसे–जैसे समस्याएँ गम्भीर होती गयीं सामाजिक संगठनों ने भी सेवाओं के रूप में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। समूहों की सहायता एक संगठित आधार पर की जाने लगी तथा समस्याओं के निराकरण के उपाय खोजे गए। खाली समय के लिए अनेक क्रियाओं तथा शिक्षात्मक कार्यक्रमों का नियोजन प्रारंभ हुआ। जेविश सेन्टर आन्दोलन 1954 ई में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम 1874 ई0 में तथा सेटेलमेन्ट हाउसेज 1886 ई0 में आरंभ हुआ।

सन् 1844 ई0 में जार्ज विलियम्स नामक वस्त्र विक्रेता ने युवकों तथा युवतियों को ईसाई जीवन पद्धति पर चलने की प्रेरणा दी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युवक पुरुष ईसाई संघ (Young Men Christian Association) की स्थापना की। सन् 1860 ई0 में एक चर्च महिला समूह ''डैस अवे क्लब'' की स्थापना कनेक्टीकट में की गयी। इस क्लब में बालकों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य, नाटकीय क्रियाएँ तथा मनोविनोद का पूरा–पूरा प्रबंध था। यह क्लब बच्चों को भाग लेने का समान अवसर प्रदान करता था। इस क्लब के साथ ही साथ अन्य क्लबों की स्थापना बच्चों की दशा सुधारने के उद्देश्य से की गयी। गंदी बस्तियों तथा असामाजिक वातावरण में रहने वाले बच्चे इन क्लबों में जाकर खेलकूद एवं मनोविनोद करते थे। इसके साथ ही साथ वे हस्तकला का कार्य भी सीखते थे।

यद्यपि सामाजिक सामूहिक कार्य 20 वीं शताब्दी में व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवेश कर सका परन्तु इस विधि का आधार बहुत पहले ही चुना जा चुका था। सामाजिक सामूहिक कार्य के सिद्वांत, प्रविधियाँ साधन इत्यादि बहुत से समूहों तथा संघों में दिन

प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग में लाए जाते थे। मित्र समितियाँ (Friendly Societies) युवा संगठन (Youth Organisations), जीर्ण विद्यालय (Ragged Schools) तथा सेटलमेन्ट ऐसे समूह थे। चैरिटी आर्गेनाइजेशन सोसाइटी के दो मुख्य उद्देश्य एवं पक्ष थे। एक पक्ष वैयक्तीकरण (Indiuidualization) तथा सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य (Social Case Work) पर जोर देता था तथा समाजीकरण व सामुदायिक संगठन (Socialization and Community-development) पर दूसरा पक्ष निर्भर था। निर्धनता का कारण एक तो व्यक्तिगत कमियाँ तथा दूसरे सामाजिक बुराइयाँ थी। इस विचारधारा ने फ्रेन्डली विजिटर्स (Friendly Visitors) तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया। सन् 1893 में सोरेडिच कमेटी (Shoreditch Committee) की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मिस एच0 डेन्डी ने सेवार्थी के पूर्व इतिहास तथा सामाजिक कारक, जो उसके व्यवहार को प्रभावित करते है, जानने पर बल देते हुए कहा है कि व्यक्ति को साधारण इकाई के रूप में जानने पर बल देते हुए कहा है कि व्यक्ति का साधारण इकाई के रूप में उपचार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी के दो कार्य तथा क्षेत्र स्पष्ट हो गए। इन दोनों पक्षों तथा क्षेत्रों पर समान रूप से बल देना आवश्यक समझा जाने लगा। व्यक्ति की वैयक्तिक रूप से सहायता इसलिए आवश्यक थी जिससे कि वह अपनी समस्याओं का निवारण कर सके। दूसरी ओर समाज की उन बुराइयों को दूर करना था जिनसे वैयक्तिक ह्रास तथा व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता था। इस प्रकार सामूहिक प्रयत्न का कार्य आवश्यक समझा जाने लगा।

प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (First Annual Report) में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि जिला समितियों (District Committees) के दिन–प्रति–दिन के अनुभव ने यह स्पष्ट किया है कि स्वास्थ दशाओं के सुधार, उत्प्रवास (Emigration) शिक्षा, प्रोविडेन्ट सोसाइटीज, गरीबों के रहने की दशाओं में सुधार तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर अति शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः सोसाइटी ने वैयक्तिक सेवा कार्य के साथ सामाजिक दशाओं के सुधार के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया। सन् 1886 ई0 में स्वच्छता सहायता समिति (Sanitary Aid Committee) की स्थापना संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए की गयी। गृहों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया।

कुछ समय उपरान्त स्कूल चिल्ड्रेन्स केअर कमेटी (School Childresn Care Committee) तथा ट्यूबरक्लोसिस डिस्पेन्सरी (Tuberculosis Dispensary) की स्थापना की गयी। अंधों तथा मानसिक मंदित बालकों की ओर भी सोसाइटी ने अपना ध्यान आकृष्ट किया। इस प्रकार सोसाइटी ने मेडिकल चैरिटी के सुधार आन्दोलन की नींव डाली। सन् 1895 ई0 में मिस स्टेवार्ट (Stewart) ने हास्पिटल सोशल सर्विस का प्रारम्भ किया।

कैनेन वारनेट तथा अक्टाविया हिल (Canon Barnett and Octavia Hill) आदि विद्वानों ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि व्यक्ति बाह्य कारकों से प्रभावित होता है और यदि उसकी वास्तविक रूप से सहायता करना है तो न केवल उन सामाजिक ताकतों को जानना होगा जो प्रभावशाली है बल्कि व्यक्ति की

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामुदायिक साधनों का समुचित उपयोग करना होगा। इस धारणा ने सामाजिक क्रिया का क्षेत्र विकसित किया।

चैरिटी आर्गनाइजेशन सोसाइटी के अतिरिक्त अन्य समूह, समितियाँ, संघ तथा क्लब जो कि सामूहिक कार्य प्रतिक्रया का उपयोग करते थे। सोसाइटी फार पैरोकियल मिशन विमेन (Society for Parochial mission Women) ने निर्धन वर्ग की माताओं की स्वास्थ्य दशा सुधारने का कार्य प्रारम्भ किया।

डोवागर काउन्टी, गर्ले फ्रेन्डली सोसाइटी, मेट्रोपोलियन एसोसिएशन, यूथ एसोसिएशन इत्यादि संगठनों ने सामूहिक कार्य पर विशेष जोर दिया। सन् 1850 ई0 तक अनेक युवक क्लबों की स्थापना की गयी। युवक संघों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं एवं संघों ने भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा पारस्परिक सहायता की भावना के विकास के लिए प्रयत्न किया। इसी प्रकार सन्डे स्कूल तथा जीर्ण स्कूल (Sundary School and Ragged School) ने सामाजिक कार्यकर्ताओं में ज्ञान के विकास का प्रयत्न किया। मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर विशेष रूप से जोर दिया गया। जीर्ण स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल करना था। इनमें समाज कार्य सेवाओं का उपयोग किया जाता था तथा इन्हें सम्बन्धित शिक्षा दी जाती थी।

उपरिलखित संघों, समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के अतिरिक्त मुख्य रूप से सामाजिक सामूहिक कार्य के विकास में सेटलमेन्ट संस्था ने विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम सेटलमेन्ट टायनबी हाल (Toynbee Hall) कैनन बारनेट (Canon Barnett) द्वारा सन् 1884 ई0 में स्थापित किया गया। कुछ ही वर्षो में अन्य वेथनाल ग्रीन में आक्सफोर्ड हाउस, साउथवार्क में वीमेन्स यूनिवर्सिटी सेटलमेन्ट, केनिंग टाउन में मान्सफील्ड हाउस आदि की स्थापना की गयी।

सन् 1903 ई0 तक अनेक सेटलमेन्ट स्थापित हो चुके थे। इस संस्था का उद्देश्य पड़ोस के लोगो का सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक उत्थान करना था। यद्यपि इन सेटलमेन्ट का आधार धार्मिक तथा साम्प्रदायिक था परन्तु कभी–कभी इस आधार को इनके संस्थापकों ने बहिष्कृत किया। इनका मुख्य उद्देश्य श्रद्धाजनक सम्बन्ध (Solemn Sense of Relationship) बनाना था।

कुछ समय उपरान्त यह अनुभव किया गया कि वर्गों में अंतर को उस समय तक कम नहीं किया जा सकता है तब तक कि शिक्षित तथा सम्पन्न व्यक्ति गरीबों की दशाओं का उनके स्थान पर जाकर अवलोकन नहीं करेंगे। डब्ल्यू मोरे इडे (W. Moore Ede) ने 1896 ई0 ने सेटलमेन्ट आन्दोलन का दर्शन प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चर्च को नगर जीवन की सामाजिक समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंदन के पश्चिमी किनारे के लोगों को सहायता देने के लिए मिशनरीज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। पश्चिमी किनारे के रहने वाले लोग पूर्व में रहने वाले लोगों के पास जायँ और उनकी कार्यविधि, रहन सहन तथा जीवन पद्धति को समझें। इस प्रकार वे स्वयं सहायता करने के लिए बाध्य हो जायेंगे।

जब सेटलमेन्ट का उद्देश्य अमेरिका की तरह निश्चित हुआ तो पड़ोस का तात्पर्य विस्तृत होकर पड़ोस तथा सामुदायिक कल्याण के सभी पक्षों को ग्रहण किया गया। उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा मनोरंजन के साधन, निवास स्थान में सुधार, औद्योगिक श्रम आदि पक्षों को भी कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। कैनन वारनेट ने सेटलमेन्ट के लिए उन सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया जो आगे चलकर समाज कार्य की सभी प्रणालियों के आधारभूत सिद्धांत माने जाने लगे। उन्होंने व्यक्ति के महत्व को, मान, सम्बन्ध, आत्म निश्चय (Worth, integrity, dignity, relationship and self determination) पर बल दिया। उनका विचार था कि व्यक्ति की आन्तरिक शक्ति को समूह माध्यम द्वारा सबल बनाया जा सकता है, क्योंकि समूह में सहयोग, विचारों का आदान प्रदान, स्पर्धा इत्यादि कारक उपस्थित रहते है। उन्होंने सेटलमेन्ट के वार्डन के लिए वही योग्यता निर्धारित की जो कि एक सामूहिक समाज कार्यकर्ता में आज होनी चाहिए। कैनन की विचारधारा को आधार मान कर ही सामूहिक समाज कार्य पद्धति का आधुनिक रूप से विकास सम्भव हो सका।

2.3.2 अमेरिका में सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास

सामूहिक समाज कार्य वैयक्तिक सेवा कार्य की तरह ही सामुदायिक संगठन की भाँति समाज कार्य की एक आधारभूत प्रणाली मानी जाती है। अन्य प्रणालियों से इसमें अंतर केवल इतना है कि सामूहिक कार्यकर्ता समूह अनुभव में सामाजिक सम्बन्धों को साधन बनाकर व्यक्ति का विकास करता है। अमेरिका में सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास पिछले 50 वर्षों में ही हुआ। प्रारम्भ में इसका स्वरूप केवल मनोरंजनात्मक क्रियाएँ थी। मनोरंजन व खाली समय (Leisure time) की क्रियाओं के विकास के फलस्वरूप उनमें परिवर्तन होकर सामूहिक समाज कार्य का रूप प्रकट हुआ। ये संगठन तथा संस्थाएँ बहुत पहले से ही संगठित थीं तथा सेवा कार्य कर रही थीं। उनके उद्देश्यों में धीरे–धीरे परिवर्तन आता गया। आज इन संगठनों के कार्यक्रमों को साधारणतया चार भागों में विभाजित कर सकते हैं:–

(1) वे कार्यक्रम जिनके द्वारा पूर्णरूपेण मनोरंजन तथा शिक्षात्मक क्रियाओं को सम्पन्न किया जाता है।

(2) उन क्रियाओं को मनोरंजन तथा शिक्षात्मक क्रियाओं के द्वारा सम्पन्न करना जिनसे व्यक्ति का व्यवहार एवं सामाजिक मनोवृत्ति प्रभावित होती है।

(3) अन्य मूल उद्देश्यों के साथ संगठन की मनोरंजन एवं शिक्षा सम्बन्धी क्रियाएँ द्वितीयक होती है।

(4) शारीरिक, मानसिक तथा सांवेगिक व्याधियों के उपचार के लिए मनोरंजन तथा शिक्षात्मक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है।

प्रथम प्रकार के कार्यक्रमों में वे क्रियाएँ आती है जो समूह को पूर्णरूपेण शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करती है। इनमें प्रौढ़ षिक्षा, विद्यालय तथा विश्व विद्यालय प्रसार सेवाएँ, क्लब्स, सेटलमेन्ट्स, कैम्प्स, वाई0 एम0 सी0 ए0 तथा डब्ल्यू0 सी0 ए0 इत्यादि प्रमुख है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मनोरंजन तथा ऐच्छिक शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं

की आवश्यकता महसूस हुई और बीसवीं शताब्दी तक अनेक प्रकार की सेवाओं का प्रादुर्भाव हुआ। सन् 1866 ई0 में प्रथम बाल खेल मैदान (First Children's Play ground) बना। इसका महत्व इतना अधिक समझा गया कि सन् 1885 ई0 में राष्ट्रीय स्तर पर इस ओर प्रयास प्रारम्भ हुआ। सम्पूर्ण देश में धीरे–धीरे मनोरंजन के महत्व के प्रति जाग्रति आई। शारीरिक शिक्षा आन्दोलन (Physical Education Movement) ने और भी मनोरंजन के महत्व को स्पष्ट कर दिया। धीरे–धीरे यह स्वीकार किया जाने लगा कि मनोरंजन न केवल बच्चों तथा युवकों के लि बल्कि प्रत्येक आयु के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है।

आगे चलकर इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत न केवल खेल–कूद एवं शारीरिक क्रियाओं को सम्मिलित किया गया बल्कि मनोरंजनात्मक, कला, संगीत, अभिनय, नृत्य, क्रैफ्ट्स तथा अन्य प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया। इन कार्यक्रमों की आवश्यकता न केवल कम सुविधाओं वाले (Under Privileged) गृहों में महसूस हुई बल्कि सभी सामाजिक व आर्थिक स्तरों के लिए सामान्य रूप से आवश्यक हो गयी।

19वीं शताब्दी के मध्य ही प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया गया। सन् 1870 तथा सन् 1880 ई0 के मध्य प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन चला। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा अजायबघरों में शिक्षा सम्बन्धी सेवाएँ तथा विश्वविद्यालय प्रसार सेवाएँ प्रारम्भ हुईं। प्रौढ़ शिक्षा संघ स्थापित हुए और प्रौढ़–अशिक्षा को दूर करने के प्रयास प्रारम्भ हुए। ईसाईघरों ने इस कार्यक्रम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रयास करना प्रारम्भ किया। परन्तु इन सभी संस्थाओं का मूल उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करना था।

दूसरे प्रकार के संगठनों का कार्य मनोरंजनात्मक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्रियाओं द्वारा व्यवहार को आशातीत प्रभावित करना है। यह दो रूप से सम्पन्न होता है। किशोरों (9 से 17 वर्ष) के लिए कार्यक्रम को चरित्र निर्माण के रूप में तथा युवकों के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास करने के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवकों में रचनात्मक क्रियाओं का विकास करना तथा निश्चित सामाजिक मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व विकसित करना है। इस दिशा में अमेरिकन यूथ कमीशन तथा ह्वाइट हाउस कॉन्फरेन्स आन चिल्ड्रेन इन डिमोक्रैसी (1940) ने प्रभावकारी कदम उठाने की सलाह दी। सन् 1875 ई0 में तथा 1895 ई0 के मध्य प्रत्येक बड़े प्रोटेस्टेंन्ट समुदाय ने अपना युवक कार्यक्रम संगठित किया। इपवर्थ लीप, द किंग्स डाटर्स, द बैप्टिस्ट यूथ, तथा प्यूपिल्स यूनियन्स ने युवक कार्यक्रमों को चर्च के उद्देश्यों के साथ सम्मिलित किया। जेविष, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंन्ट तीनो धार्मिक संगठनों ने चर्चा के अन्तर्गत युवा कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया।

धार्मिक भावनाओं के विकास के साथ–साथ चरित्र निर्माण के लिए ब्वायज स्काउट, गर्ल्स स्काउट, कैम्प फायर गर्ल्स, 4 एच0 क्लब्स तथा अन्य समान संगठनों का विकास हुआ। सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के लिए इन संस्थाओं का भी उपयोग किया गया। युवकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के महत्व को चर्चा तथा अन्य सामाजिक

संस्थाओं ने स्पष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। इस बात पर जोर दिया गया कि व्यक्ति का समुदाय तथा सामाजिक परिस्थितियों से अटूट सम्बन्ध है।

तीसरे प्रकार के वे संगठन हैं जिनका विकास मनोरंजन तथा शिक्षा के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करना है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक संस्थाओं के लिए मनोरंजन कार्यक्रम, श्रमिक संघों, राजनैतिक पार्टियों तथा राजनैतिक संगठनों को मनोरंजन प्रदान करना है। जहाँ पर सदस्य एक उद्देश्य के लिए एकत्रित होते है वहाँ ये कार्यक्रम अधिक प्रभावकारी होते है। इसके द्वारा उनमें प्रगाढ़ अन्तःसंबंध का संचार होता है। अन्य स्थानों पर मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का उपयोग सदस्यों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने तथा संगठित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा देना होता है परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न होती है। सदस्यों की रूचियों, मनोवृत्तियों, तथा व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमेरिकन यूथ कांग्रेस इसी प्रकार की संस्था है।

चौथे प्रकार के वे संगठन हैं जिनमें मनोरंजन का उपयोग उपचार के रूप में किया जाता है। सामूहिक कार्य का वह एक विकसित क्षेत्र है। इन कार्यक्रमों को व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सांवेगिक व्याधियों से मुक्ति दिलाने या प्रभाव को कम करने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। हृदय रोगी, सांवेगिक तनाव ग्रस्त बच्चे, मानसिक रोगी, बाल अपराधी आदि रोगियों के साथ मनोरंजन उपचार के रूप में प्रयोग होता है। अस्पतालों में इसके महत्व को दिनों दिन अधिकाधिक स्वीकार किया जाने लगा है। आन्तरिक संघर्षों को कम करने के लिए तथा मानसिक मंदित बालकों के उपचार के लिए भी इसका उपयोग होता है। संगीत, ड्रामा, नृत्य तथा खेल द्वारा उपचार क्रिया सम्पन्न होती है। तदुपरान्त सामूहिक सम्बन्धों का उपयोग उपचारार्थ किया जाता है।

सन् 1866 ई0 में अमरीका के बोस्टन शहर में लूक्रिटिया वोयड ने प्रथम युवा महिला क्रिश्चियन संघ (Y.W.C.A.) की स्थापना की। ग्रेस डाज ने दूसरा युवा महिला क्रिश्चियन संघ न्ययार्क में सन् 1867 ई0 में स्थापित किया। इस संस्था ने देश के अन्य भागों से आयी हुई लड़कियों के लिए, जो कारखानों व अन्य स्थानों में कार्य करती थीं, स्वच्छ एवं कम कीमत पर आवास तथा सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के साधनों को प्रदान करना प्रारम्भ किया क्योंकि आवास की एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी कारण न्यूयार्क में इस संघ द्वारा आवास गृहों की स्थापना की गयी। संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थापना गृहों ने सामूहिक क्रियाओं, शिक्षा तथा मनोरंजन पर काफी जोर दिया तथा एक नए सामाजिक वातावरण का प्रादुर्भाव हुआ।

प्रथम अवस्थापना गृह स्टैटन कोइट द्वारा स्थापित किया गया तथा अन्य गृहों को हल जेन एडमस, एलेन स्टार, ग्रेहम टेलर आदि ने 1889 ई0 में शिकागो में स्थापित किया। इन अवस्थापन गृहों का लक्ष्य एवं उद्देश्य गरीबों एवं आश्रितों के लिए भौतिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं में विकास के साथ–साथ अधिकार हीन, मूढ़, शोषित, अशिक्षित, कमजोर तथा बाहर से आने वालों का सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक सुधार करना था। इन गृहों ने व्यक्तियों में आत्म विश्वास एवं प्रतिष्ठा का

विकास करने का काफी प्रयत्न किया। स्थानीय कर्मचारियों ने साथ ही साथ रहने एवं कार्य करने की व्यवस्था द्वारा पड़ोस में शिक्षा, संस्कृति, एवं ज्ञान का विस्तार किया। लोग क्रिया–कलापों के माध्यम से पड़ोस से परिचित होते थे। उनमें प्रेम–भाव का संचार होता था, मित्रता बढ़ती थी तथा सहृदयता का विकास होता था। इन गृहों ने घनी एवं गंदी बस्तियों में रहने वालों में मानवीय समानता एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया तथा बिना किसी भेदभाव के, रंग, जाति, धर्म का विचार किए बिना निर्धनों, निर्बल, पीड़ितों को समान अवसर प्रदान किए। उन्होंने आपस में भेदभाव, घृणा तथा ईर्ष्या को दूर करने की भरसक कोशिश की।

अवस्थापना गृहों में कम विशेषाधिकार लोगों के बच्चों के सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए अनेक उपाय एवं कार्यक्रम थे। उनके लिए क्लब थे, किंडर गार्टन थे, क्रीड़ास्थल थे। पाठयक्रमों में प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, हस्तकला, श्रम संबंध, वाद विवाद आदि विषय थे। ये संस्थाएँ सामंजस्य पर अधिक जोर देती थीं तथा बाहर से आने वालों की सामंजस्य सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करती थीं। बालको, किशोरों तथा प्रौढ़ों के साथ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती थीं। दूसरे अनौपचारिक समूह आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी सांस्कृतिक तथा प्रशिक्षणात्मक कार्यों को करते थे। न्यूयार्क में सर्वप्रथम युवक जनों तथा प्रौढ़ों को मनोरंजनात्मक क्रियाओं के लिए विद्यालय क्रीड़ास्थलों तथा उनकी सुविधाओं के उपयोग के लिए अनुमति दी गयी।

सन् 1911 ई0 तक इतने अवस्थापना गृह बने कि केन्द्रीय संचालन संघ की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इन संगठनों का दर्शन, उद्देश्य तथा विधियाँ समान थीं। परन्तु ये संगठन समूह की विशेष आवश्यकताओं पर आधारित थे। अतः सन् 1911 ई0 में नेशनल फेडरेशन ऑफ सेटलमेन्ट् की स्थापना इन संगठनों में सम्बन्ध एवं समरूपता बनाए रखने के लिए की गयी।

सन् 1896 ई0 में प्रथम बाल क्लब (Boy's club) की स्थापना की गयी। सन् 1906 ई0 तक अनेक क्लबों का निर्माण हुआ और सलाह तथा सहयोग के लिए राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। सन् 1910 में सर बेडेन पावेल द्वारा अमरीकी बाल स्काउट संघ का संगठन किया गया। सन् 1912 में लड़कियों के लिए समान संगठन जूलियट लॉ द्वारा बनाया गया। जिसका नाम बालिका गाइड रखा गया। कैम्प फायर गर्ल्स का गठन सन् 1918 में डा0 लूथर गुलिक के नेतृत्व में हुआ जिसका उद्देश्य दृश्य दर्शन, पैदल सैर, खेल, गाना, मनोविनोद, प्रयोगशाला, विचार विमर्श, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना था।

अब अमरीकी कनिष्ठ रेड क्रास में लगभग 20 मिलियन स्कूली बच्चे शामिल है जो सभी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेते है। ग्रामीण युवकों के लिए अमरीकी कृषि विभाग द्वारा फोर–एच क्लब गृह कौशल तथा सांस्कृतिक जीवन के विकास में सहायता करते हैं।

इन सभी संगठनों के उद्देश्य निर्धन पड़ोस के बच्चों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना है। मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का विकास अधिकांशतः प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य हुआ। समाज कार्य में मनोरंजन के विशेष महत्व को

देखकर ही सामूहिक समाज कार्य का प्रारम्भ किया गया क्योंकि मनोबल को ऊँचा उठाने में मनोरंजनात्मक क्रियाएँ अपना विशेष महत्व रखती हैं। यह महत्व उस समय विशेष रूप से समझा गया जब सैनिक संगठनों में प्रथम विश्व युद्ध के समय वाई. एम. सी. ए. तथा साल्वेशन आर्मी को भी नियुक्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध तक इनकी सेवाओं का मूल्य इतना बढ़ गया कि मनोरंजनात्मक तथा खाली समय की क्रियाएँ सैनिक अधिकारियों द्वारा ही सम्पन्न की जाने लगी। सन् 1930 में मनोरंजन कार्यक्रम रिलीफ का कार्य करने लगे क्योंकि अवसाद (Depression) का समय था और मनोरंजन कार्यक्रम कर्मचारियों के अवसाद को खत्म करने में काफी सहयोगी थे।

मनोरंजन क्रियाओं के विकास के साथ–साथ निपुणताओं में भी वृद्धि हुई तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के नियोजन एवं संगठन पर जोर दिया जाने लगा। मनोरंजन नेताओं के प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर जोर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के फलस्वरूप खाली समय की क्रियाओं को बहुत बल मिला। ये क्रियाएँ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ीं। बाद में सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने अन्तर्सम्बन्धों पर विशेष जोर दिया। यहाँ से समूह का विशिष्ट अर्थ समझा जाने लगा तथा अनुसंधान का पथ खुला। कुछ समय उपरान्त उन्नतशील शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि का उपयोग आरम्भ हुआ। शिष्यों ने किसी एक कार्य में लगकर सीखने की पद्वति प्रारंभ की और समान क्रियाओं में भाग लेना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से लोग क्या करते हैं के स्थान पर कैसे करते हैं समझा जाने लगा। फलतः प्रक्रिया का महत्व बढ़ता गया।

मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वालों ने अनुभव किया कि सामाजिक अनुभवों का व्यक्ति के व्यक्तित्व, मूल्य, मनोवृत्ति, भावनाओं तथा व्यवहार आदि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि समूह का व्यक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अतः समूह तथा व्यक्ति दोनों का महत्व समझा जाने लगा और दोनों को शिक्षा में समान महत्व दिया गया। उपर्युक्त अनुभव के फलस्वरूप सामूहिक कार्य को वैज्ञानिक आधार तथा दर्शन प्रणाली प्राप्त हुई। वैयक्तिक कार्य के प्रारंभ के साथ–साथ इस बात को भी अनुभव किया गया कि कुछ सेवार्थियों को समूह अनुभव की अत्यन्त आवश्यकता होती है। अतः सामूहिक कार्य के महत्व पर जोर दिया जाने लगा।

इस प्रकार सामूहिक कार्य का विकास जन मनोरंजन, शिक्षा तथा समाज कार्य के क्षेत्र में हुआ। अधिक समय तक सामूहिक कार्य के कार्यकर्ता उपर्युक्त किसी एक क्षेत्र से वास्तविक संबंध रखते थे। अतः काफी समय तक भ्रम बना रहा कि तीन क्षेत्रों में किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व व्यावसायिक सामूहिक कार्य को करना है। सन् 1935 ई0 में प्रथम बार समूह कार्य अनुभव, जो कि नेशनल कान्फरेन्स आफ सोशल वर्क था, अलग संगठित हुआ। इसने सामूहिक कार्य के विकास में बहुत योगदान दिया और समाज कार्य के लिए सामूहिक कार्य को एक आवश्यक प्रणाली बताया। उसके पश्चात् अमेरिकन एसोसिएशन फार द स्टडी आफ ग्रुप वर्क को संगठित किया गया। इसके लगभग वे ही सदस्य थे जो कि नैशनल कान्फरेन्स आफ सोशल वर्क में थे। परन्तु यह किसी भी प्रकार से व्यावसायिक संघ नहीं था। इसमें कोई भी व्यक्ति जो समूह कार्य

को परिभाषित करने, उद्देश्य निश्चित करने, कार्यक्रम निर्धारित करने, दर्शन तथा प्रत्यय का विकास करने में रूचि रखता था, सदस्य हो सकता था। सदस्य अधिकतर जन–मनोरंजन, शिक्षा तथा समाज कार्य के क्षेत्र के थे। दस वर्ष तक इस संगठन ने इसी प्रकार कार्य किया। इसी बीच अन्य विकास हुए। जन–मनोरंजन तथा शिक्षा के क्षेत्र में अलग–अलग संगठन बने तथा सदस्यों की रूचि उस तरफ अधिक होती गयी। फलतः अमेरिकन एसोसिएशन फार द स्टडी आफ द ग्रुप वर्क में अधिकतर समाज कार्य के ही सदस्य रह गए।

प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त जब सामुदायिक चेस्ट (Community Chest) आन्दोलन अधिक बढ़ने लगा तो बहुत सी एजेन्सी जो मनोरंजन क्रियाएँ सम्पन्न करती थीं सामुदायिक चेस्ट की सदस्य बन गयीं और इस प्रकार से कौंसिल आफ सोशल एजेन्सीज से अनुबंधित हो गयीं। इससे पहले सन् 1923 में क्लीव–लैंड में समाज कार्य के स्कूल में प्रथम प्रशिक्षण कोर्स समूह अनुभव कार्य (Group Experience Work) के नाम से प्रारम्भ हुआ। सन् 1926 में एक प्रयोगात्मक सेटलमेंट (Experimental Settlement) की नींव प्रशिक्षण के उद्देश्य से रखी गयी।

सन् 1930 तक सामूहिक कार्य विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए तथा संबंधित संगठनों का विकास हुआ। पिट्सबर्ग में 4 व 5 नवम्बर 1933 ई0 को विभिन्न संस्थाओं के समूह नेताओं की एक बैठक हुई। यह अपने प्रकार की प्रथम बैठक थी जिसमें सामूहिक कार्य से संबंधित समस्याओं पर विवाद किया गया। इसी बैठक में अन्य कमेटियों जैसे अनुसंधान कमेटी, प्रशिक्षण कमेटी, स्तर निर्धारण कमेटी, प्रयोगात्मक कार्यक्रम तथा सामाजिक परिवर्तन संबंधित कमेटी की स्थापना की गयी।

सन् 1935 राष्ट्रीय समाज कार्य कान्फरेन्स में पूर्व सामूहिक कार्य अनुभव के आधार पर सामूहिक कार्य में रूचि रखने वाले व्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सन् 1936 में अमेरिकन एसोसिएशन फार द स्टडी आफ द ग्रुप वर्क, जिसको कि आज अमेरिकन एसोसिएशन आफ ग्रुप वर्क्स के नाम से जानते हैं, स्थापित हुआ। इस संगठन ने निम्न क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ कियाः–

- व्यावसायिक शिक्षा का निर्धारण
- व्यावसायिक संगठनों का निर्माण
- नए–नए क्षेत्रों में सामूहिक कार्य सेवाओं का विस्तार
- सामूहिक कार्य का परिवर्तित रूप एवं उसका उपयोग।

इन प्रयत्नों के कारण सन् 1950 तक 21 विश्वविद्यालयों में सामूहिक कार्य अध्ययन प्रारंभ हो गया। सन् 1936 में जो अमेरिकन एसोसिएशन फार द स्टडी आफ ग्रुप वर्क बना था वह व्यावसायिक ढ़ाँचे पर आधारित नहीं था। इसमें ऐच्छिक तथा व्यवसायी दोनों प्रकार के कार्यकर्ता थे। प्रारंभिक अवस्था में यह समस्या बनी रही कि सामूहिक कार्यकर्ता समाज कार्य संगठन में सम्मिलित हो या शिक्षा संगठन में। आगे चलकर देश की परिस्थितियों ने सामूहिक कार्य के महत्व को बढ़ा दिया और इसकी

गणना व्यावसायिक स्तर पर की जाने लगी। सन् 1946 में सामूहिक कार्यकर्ताओं का अलग संगठन बना और उसका नाम अमेरिकन एसोसिएशन आफ ग्रुप वर्क्स रखा गया। आज इस संगठन में वे ही सदस्य सम्मिलित हो सकते है जो समाज कार्य के किसी स्कूल के स्नातक है।

सामूहिक कार्य का उपयोग अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त इस समय उपचार प्रक्रिया में अधिक किया जाता है। मानसिक अस्पतालों, बच्चों के अस्पतालों, बाल निर्देशन केन्द्रों, शारीरिक रूप से व्याधित रोगियों तथा सांवेगिक रूप से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। समूह चिकित्सा का उपयोग एवं महत्व दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के सुधारात्मक उपचार में भी सामूहिक प्रक्रिया का उपयोग बढ़ता जा रहा है। उनमें सामूहिकता एवं सामाजिक संबंधों के विकास के लिए इसकी महत्ता को समझा जाने लगा है।

प्रशासन में भी सामूहिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सामुदायिक संगठन एवं समूह क्रिया कलाप में इसका उपयोग आवश्यक सा हो गया है। अब यह समझा जाने लगा है कि व्यक्ति के व्यवहार को समझना एवं उसमें परिवर्तन लाना सामूहिक कार्य द्वारा सम्भव है।

सामूहिक समाज कार्य एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्तियों की समूह में एक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है। वह समूहों को इस प्रकार कार्य करने के लिए उत्साहित करता है जिससे सामूहिक अन्तःक्रिया और कार्यक्रम दोनों ही व्यक्ति के विकास और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दें।

सामूहिक समाज कार्य की प्रत्येक प्रकार की क्रियाओं में दो प्रकार के अनुभव सदस्यों को प्राप्त होते हैं। पहले तो व्यक्ति की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होती है और दूसरे सामाजिक उद्देश्यों मे विस्तार आता है। समूह क्रियाओं में भाग लेने के फलस्वरूप व्यक्ति पद ग्रहण करता है। इसका आधार कार्य की क्षमता होती है न कि व्यक्ति–विशेष। समूह क्रियाओं में व्यक्ति अपनी भावनाओं को क्रियात्मक रूप से स्पष्ट करने के लिए स्वतन्त्र होता है। इस अनुभव से वह सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत व्यवहार को सीखता है तथा यह समझता है कि किस प्रकार का व्यवहार असामाजिक होता है। जो व्यक्ति शर्मीला होता है वह इस प्रकार के अनुभव से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता में वृद्वि करता है। उद्दण्ड व्यक्ति पर रोक लगती है। समूह अनुभव से व्यक्ति में नेतृत्व तथा अनुयायी दोनों प्रकार के गुणों का विकास होता है।

समूह अनुभव का माध्यम कार्यक्रम होता है। वार्तालाप, मीटिंग, कला, शिल्प, संगीत, नाटक, खेल, कैम्प, डान्स या अन्य कई प्रकार की क्रियाएँ सामूहिक अनुभव का माध्यम होती है। समूह कार्यकर्ता का कार्य अन्तर्क्रियाओं को रचनात्मक ढंग से निर्देषित करना होता है। वह समूह मे प्रत्येक सदस्य की कमियों एवं क्षमताओं का ज्ञान रखता है तथा कार्यक्रम द्वारा कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है।

स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. अमेरिका में सामूहिक समाज कार्य का विकास कब तथा कैसे हुआ?
2. अमेरिकन एसोसिएशन फार द स्टडी आफ द ग्रुप वर्क नामक संगठन किन प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करता था विवरण दीजिए?
3. इंग्लैंड मे सामूहिक समाज कार्य के विकास की चर्चा कीजिए?
4. 1834 में इंग्लैंड में निर्धन कानून के विरूद्ध प्रस्तुत की गई रिर्पोट की क्या मुख्य सिफारिशें थीं?
5. प्रथम व्यवस्था गृह के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए?

2.3.3 भारत में सामूहिक समाज कार्य का विकास

यद्यपि मानव समाज में समस्याएँ सदैव विद्यमान रही हैं। किन्तु उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी में औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के फलस्वरूप इनकी व्यापकता में काफी वृद्वि हुई है। औद्योगीकरण के फलस्वरूप हमारी मान्यताओं, मूल्यों, प्रतिमानों तथा विचारों में परिवर्तन आया है और पुरानी सामाजिक संस्थाओं के कार्यों में शिथिलता एवं परिवर्तन हुआ है। जो संस्थाएँ सामाजिक सुरक्षा का कार्य करती थीं। वे आज कमजोर हो गयी हैं।

व्यक्ति पुरानी संस्थाओं से अपनी समस्याओं का समाधान कर पाने में असमर्थ होता जा रहा है। एक स्थिति ऐसा उत्पन्न हो गयी जहाँ पर सामाजिक सहायता की आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर महसूस होने लगीं, मानवतावादी विचारकों ने इन समस्याओं की गहनता को समझा तथा इस दिशा में समुचित प्रयास किये जिसके परिणामस्वरूप एक नवीन समाज विज्ञान का विकास हुआ।

भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक देश रहा है। यहाँ पर दीन–दुखियों, असहायों, कमजोरों, त्रस्त लोगों की सहायता का कार्य की सदैव प्राथमिकता रही है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक संस्थाएँ किसी न किसी रूप में सदैव विकसित होती रहीं हैं। आश्रमों की स्थापना का उद्देश्य व्यक्ति की आन्तरिक एवं बाह्य सांवेगिक एवं मानसिक कठिनाईयों को दूर करके व्यक्तित्व का विकास करना था।

यज्ञ का मौलिक उद्देश्य सामूहिक कल्याण करना था। यज्ञ का प्राचीन रूप सत्र है। यह सामूहिक जीवन के कल्याण करने वाले कार्यों का संगठित नाम था इस शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ योगपद्य, एकत्रिकता या सामूहिकता है। प्रो0 राजाराम शास्त्री ने अपनी पुस्तक समाज कार्य में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है।

प्रारम्भिक अवस्था में आर्य लोग कुल के आधार पर संगठित थे तथा उनकी क्रियाएँ सामूहिक होती थीं। आर्थिक एवं धार्मिक क्रियाएँ सामूहिकता पर आधारित थीं। नेताओं का भी चुनाव सामूहिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए किया जाता था। प्राचीन भारत में वैयक्तिक सहायता के साथ–साथ सामूहिक सहायता की भावना भी प्रबल थी। जन कल्याण के लिए अनेक संस्थाएँ थीं और उनका उद्देश्य सामूहिक सहायता करना था। मठों का निर्माण इसी उद्देश्य पर आधारित था।

ब्राह्मण व भिक्षु सामूहिक कल्याण कार्यकर्ता समझे जाते थे। संघों का संगठन भी सामूहिकता की भावना पर आधारित था। बौद्व भिक्षुओं ने इस ओर काफी प्रयास किया। भिक्षुकों की बस्तियाँ 'आराम' शब्द से जानी जाती थीं। इसका अर्थ मनोरंजनात्मक स्थान से था तथा इससे सम्बन्धित सम्पत्ति सामूहिक थी और उसका उपयोग समस्त भिक्षुओं के लिए होता था। इसमें आमोद प्रमोद के साधन थें।

कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में अनेक सामूहिक कार्यों का वर्णन किया है। जन कल्याण के लिए सामूहिक प्रयत्नों पर उन्होंने विशेष जोर दिया था।

सामूहिक दान की प्रथा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रारम्भ में विद्यादान पर जोर दिया जाता था। बोधिसत्व, विश्वविद्यालय शिक्षक थे जिनके निर्देशन में 500 ब्राह्मण युवक शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्या का प्रसार करना ब्राहम्णों का मौलिक कार्य था। विद्यार्थियों के रहने के लिए आश्रम थे तथा स्वयं जीवन यापन के लिए साधन ढूँढते थे। धनी लोग, गरीबों के लिए, विशेषकर गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन व आवास का प्रबन्ध करते थे।

शिक्षा के पश्चात् धर्म का स्थान था। युवकों में धार्मिक भावना की जाग्रति के लिए अनेक मठों, मन्दिरों तथा धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की गयी। इन स्थानों पर रहकर व्यक्ति धर्म की शिक्षा ग्रहण करता था तथा वह भविष्य के जीवन में उपयोग की विधियों पर अध्ययन करता था। इन संस्थाओं का कार्य व्यक्तियों में धार्मिक भावना जाग्रत कर सामाजिक सम्बन्धों में सुधार करना एवं उन्हें सुदृढ़ बनाना था। अपने कर्तव्यों से अवगत होकर व्यक्ति सामाजिक समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करता था।

उन्नीसवीं शताब्दी में सामाजिक सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। राजा राममोहन राय तथा ईश्वरचन्द विद्यासागर का कार्य इस दिशा में उल्लेखनीय है। शशिपदा बनर्जी ने बंगाल के त्रस्त वर्ग के लोगों के उद्वार एवं विकास के लिए अनेक कार्य किए। महाराष्ट्र में महादेव गोविन्द रानडे ने महिलाओं के अधिकारों के लिए सराहनीय कार्य किया। जी0 के0 विघाधर ने सेवासदन की स्थापना पूना में की। इसी शताब्दी में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसोफिकल समाज की स्थापना सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन करने तथा सामाजिक सम्बन्धों में विकास करने के उद्देश्य से की गयी।

सन् 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गयी। इसका कार्य धार्मिक भावना के विकास के साथ–साथ सामाजिक प्रभाव भी डालना था। आर्य समाज सन् 1875 ई0 में दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया, जिसके द्वारा अनेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विकास के लिए सर्वप्रथम सन् 1885 ई0 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ तो राजनैतिक विषय के साथ–साथ सामाजिक विषय पर भी चर्चा प्रारम्भ हुई। दीवान बहादुर रघुनाथ तथा महादेव गोविन्द रानाडे ने सामाजिक सुधार के लिए कांग्रेस सभा को सम्बोधित किया।

वाद–विवाद में समझौता न होने पर इससे सम्बन्धित प्रथम सामाजिक कान्फरेन्स (Social Conference) मद्रास में 1887 ई0 में हुई। सामाजिक सुधार से संबंधित सरवेन्ट

आफ इंडिया सोसाइटी (Servant of India Society) की स्थापना सन् 1905 ई0 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गयी। यद्यपि प्रारम्भ में इस सोसाइटी का उद्देश्य राजनैतिक था परन्तु बाद में यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए काफी प्रयत्नशील रही।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में अनेक संगठन एवं संस्थाएँ बनीं। विधवाओं तथा असहायों के लिए आवासगृह, अंधों, बहरों तथा गूँगों के लिए संस्थाएँ खोली गयीं। सन् 1925 ई0 में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए राष्ट्रीय महिला कौंसिल की स्थापना हुई। स्वतन्त्रता आन्दोलन एक प्रकार का बहुत बड़ा सामूहिक कार्य था। महात्मा गाँधी के कार्यों को सामूहिक प्रयत्नों की प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। वे एक समाज सुधारक होने के साथ–साथ सामूहिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने व्यवहार में पूर्णरूपेण उन गुणों का विकास किया तथा व्यावहारिक जीवन में लाए जो कि एक सफल सामूहिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक माने जाते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए अनेक उपाय किए गए। बच्चों में चरित्र निर्माण के लिए एन0 सी0 सी0, गर्ल्स स्काउट, ब्वायज स्काउट इत्यादि संस्थाएँ तथा संगठन बनें। युवकों से सम्बन्धित क्रियाएँ राष्ट्रीय स्तर पर की जाने लगी है। समाज कल्याण निदेशालय इस दिशा में प्रयत्नशील है। नगरों में युवक कल्याण समितियाँ कार्य करती हैं। वाई0 एम0 सी0 ए0 तथा वाई0 डब्ल्यू0 सी0 ए0 वही भूमिका यहाँ निभा रही है जो अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में अदा करती है। नौकरी करने वाली महिलाओं के रहने व मनोरंजन के लिए गृहों का निर्माण किया गया है। मानसिक मंदित बालकों के लिए स्कूल खोले गए है।

भारत स्काउट्स तथा गाइड्स, आक्जिलियरी कैंडेट कोर, नैशनल कैडेट कोर युवकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देते है। उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास करते है। आज नैशनल सर्विस स्कीम ,व्यक्तित्व का समुचित विकास करने, राष्ट्रीय पुनरूत्थान करने तथा श्रम के महत्व को समझाने के लिए चलाई जा रही है। श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, सामाजिक शिक्षा, मनोरंजनात्मक क्रियाएँ, क्राफट शिक्षा आदि सेवाएँ प्रदान की जाती है। श्रमिक शिक्षा का भी केन्द्र सरकार की ओर से प्रबन्ध किया गया है।

2.4 सार संक्षेप

भारत में सामूहिक समाज कार्य व्यवसाय के रूप में अभी पनप नहीं पाया है। इसका अलग से अभी तक संगठन नहीं बन पाया है और न ही अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रशिक्षित सामूहिक समाज कार्यकर्ताओं की भी नियुक्ति के लिए न तो कोई विशेष सुविधाएँ दी गयी है और न ही कोई क्षेत्र स्पष्ट रूप से है।

2.5 अभ्यास प्रश्न

1. सामूहिक समाज कार्य का जन्म कब तथा किस अवधारणा के कारण हुआ?
2. इंग्लैंड मे सामूहिक समाज कार्य के विकास की चर्चा कीजिए?
3. अमेरिका में सामूहिक समाज कार्य का विकास कब तथा कैसे हुआ
4. भारत में सामूहिक समाज कार्य के विकास की विवरणात्मक चर्चा कीजिए?

2.6 पारिभाषिक शब्दावली

Development	- विकास	Group work	- समूहकार्य
Aims	- लक्ष्य	Personatities	- व्यक्तित्व
Essential	- जीवनोपयोगी	Importance	- महत्व
Adjustment	- सामांजस्य	Model	- प्रारूप
Intrigrated	- एकीकृत	Remedial	- परिभाषा
Agency	- संस्था	Social worker	-सामाजिक कार्यकर्ता

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Pepell, G.P. & Rathman, B.- Social Work with Groups
2. Trecker, H.B.- Social Group Work. Principles and Practice New york Association Press.
3. Toselane, R.W.- An Introduction to Group Work Practice.
4. Wilson, G. & Ryland, G. - Social Group Work Practice.
5. Samuel T. Gladding - Group Work, A Community Speciality.
6. Ronald W. Toseland & Robert F. Rivar: An Introduction to Group Work Practice, Manachuseths: Allyn & Baion.
7. Balgopal, P. and Vanil T. - Groups in Social Work: An Ecological Perspective, Newyork: Macmillan.
8. Harford, M.- Groups in Social Work.
9. Konopka, G.- Social Group Work: A Helping Process (3rd) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
10. सिंह, ए.एन. एवं सिंह, ए.पी.– समाज कार्य
11. Mishra, P.D. & Mishra Bina- Social Group Work Theory and Practice.
12. मिश्रा, प्रयागदीन– सामाजिक सामूहिक कार्य

इकाई –3

सामाजिक सामूहिक कार्य के सिद्धान्त एवं निपुणताएं
Theories and Skills in Social Group Work

इकाई की रूपरेखा
3.0 उद्देश्य
3.1 परिचय
3.2 सामूहिक सेवाकार्य के सिद्वान्त
3.3 निपुणता
3.4 सामूहिक प्रकिया
3.5 कार्यकर्ता की भूमिका
3.6 प्राथमिक कार्यकर्ताओं का अधीक्षण
3.7 प्रशासन
3.8 सामुदायिक नियोजन
3.9 सार संक्षेप
3.10 अभ्यास प्रश्न
3.11 पारिभाषिक शब्दावली
सन्दर्भ ग्रन्थ

3.0 उद्देश्य

- इस इकाई के अध्ययन के पष्चात् छात्र सामूहिक सेवाकार्य के सिद्वान्त को भलीभॉति
  समझ पायेगे।
- सामूहिक सेवाकार्य की निपुणता को समझ पायेगें।
- सामूहिक सेवाकार्य की निपुणता प्रकार तथा अंगो को जान पायेगे।
- सामूहिक कार्यकर्त्ता की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।

3.1 परिचय

सिद्धान्त अर्थात सामान्य नियम या कानून, प्रत्यय, मूलभूत सत्यता ये, सामान्य रूप से आये मत वे साधन है जिनके द्वारा हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति की ओर बढ़ते है प्रत्यय तथा सिद्धान्त दो ऐसे पद है जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर, किया जाता है । परन्तु दोनो में कुछ महत्वपूर्ण भिन्नतायें होती है, प्रत्यय सेवाकार्य मूल एवं महत्वपूर्ण विचारों से है। व्यक्तियों समूहों या समाज के प्रति यह विचार

सामाजिक जैविकीय विज्ञानों व मानविकी से उत्पन्न होते है। जो समाजकार्य अभ्यास के मूलभूत आधार होते है जबकि सिद्धान्त मार्गदर्शी अभिकथन या वक्तव्य होते है जो अनुभव व शोध द्वारा प्राप्त होते है । लियोनार्ड डी हवाइस का मत है कि ''एक सिद्धान्त अवश्य ही उपकल्पना समझी जानी चाहियें जिसका इस प्रकार से निरीक्षण अथवा प्रयोग करने परीक्षण किया गया हो तथा जिसको बुद्धिमतापूर्वक किया के पथ प्रर्दशक के रूप में या ज्ञान के साधन के रूप में रखा जा सकता हो।''

3.2 सामूहिक सेवाकार्य के सिद्धान्त

1. नियोजन का सिद्धान्त
2. लक्ष्यों की स्पस्टता का सिद्धान्त
3. सोद्देश्य सम्बन्ध का सिद्धान्त
4. निरन्तर वैयक्तीकरण का सिद्धान्त
5. निदेर्शित सामूहिक अन्तःक्रिया का सिद्धान्त
6. प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभवों का सिद्धान्त
7. लोचदार कार्यात्मक संगठन का सिद्धान्त
8. जनतन्त्रीय सामूहिक आत्मनिश्चयीकरण का सिद्धान्त
9. साधनों के उपयोग का सिद्धान्त
10. मल्याकंन का सिद्धान्त

3.2.1 सामूहिक सेवाकार्य के सिद्धान्त

सामूहिक सेवाकार्य के सिद्धान्त निम्न हैः–

- **सामाजिक नियोजन का सिद्धान्त**

नियोजन लक्ष्यो का आरोपण, उनकी पूर्ति के लिए साधनों की व्यवस्था और क्रियाओं के के व्यावस्थित रूपों, जो सामान्य सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न है का प्रयोग है। नियोजन के अन्तर्गत विद्यमान स्थितियों तथा सम्भावित परिवर्तनों की उपयोगिता का ध्यान में रखकर एक व्यवस्थित तथा सुसंगठित रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे भविष्य के परिवर्तनों को अपेक्षित लक्ष्यों के अनुरूप नियंत्रित निर्देशित तथा संसोधित किया जा सके। निम्नलिखित नियोजित ढंग से कार्य करने पर लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

1. विकास के लक्ष्यों एवं मूल्यों का निर्धारण
2. परिस्थिति विश्लेषण
3. विशिष्ट उद्देष्यों तथा रणनीति का निर्धारण

4. आगत, लक्ष्य, क्षेत्र, साधन आदि का निर्धारण
5. प्रशिक्षण तथा संचार प्रकिया की सीमा
6. किया नियोजन तथा कार्यो की लिपिबद्वता
7. कार्ययंत्र रचना का निर्धारण
8. सम्भावित साधनों की उपलब्धता
9. सदस्य संख्या का निर्धारण
10. शक्ति के श्रोतों का निर्धारण

- **लक्ष्यों की स्पष्टता का सिद्धान्त**

सामूहिक कार्यकर्त्ता के लिए स्पस्ट लक्ष्यों का ज्ञान कार्य पूर्णता के लिए आवश्यक होता है, क्योकि लक्ष्य हकया के लिए सम्प्रेरक शक्ति है जिनके आधार पर समूह आगे बढ़ता है, तथा विकास की गति प्राप्त करता है।

1. लक्ष्य ही कार्यकर्ता का मार्ग दर्शन करते है तथा अग्रसर होने के लिए प्ररित करते है।
2. लक्ष्यों की स्पस्टता उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करने पर बल देती है।
3. लक्ष्यों पर ही कार्यक्रम निर्भर होते है यदि वे स्पस्ट है तो कार्यक्रमों के चयन में परेशानी नही आयेगी।
4. लक्ष्यों की स्पस्टता से संस्था के लिए आवश्यक यन्त्रो, साधनों तथा कोष को निश्चित करने मे सहायता मिलती है।
5. लक्ष्य स्पस्ट होने से समूह का नियंत्रण तथा उसका निर्देशन अच्छा होता हैं।
6. समूह सदस्यों की अन्तकियायें एक विशेष दिशा में संचालित होती है।
7. मूल्यांकन की प्रकिया का आधार लक्ष्य ही होते है।

- **सोद्देश्य सम्बन्ध का सिद्धान्त**

जीवन का आधार सम्बन्ध है। व्यक्ति सम्बन्ध स्थापित करके ही प्रत्येक स्तर की सामाजिक कियाओं का सम्पादन करता है। वह आवश्यकताओं की सन्तुष्टि सम्बन्ध के माध्यम से करता है। अतः प्रत्येक प्रमाणिक स्थिति में सम्बन्धों का विशेष महत्व है। सामूहिक कार्य के कार्यकर्त्ता तथा समूह के बीच सम्बन्धों की घनिष्ठता होनी चाहिए तथा व सम्बन्ध निश्चित उद्देश्यों पर आधारित हों सामान्यतः सोद्देश्य सम्बन्ध के निम्न लक्षण है।

1. कार्यकर्ता की समूह द्वारा स्वीकृति
2. समूह की कार्यकर्ता द्वारा स्वीकृति

3. स्नेह एवं आत्मसंचार की पूर्णता
4. समस्या सुलझाने की इच्छा का विकास
5. समूह सदस्यों का भागीकरण तथा कार्यकर्त्ता द्वारा व्यावसायिक ज्ञान का उपयोग
6. सदस्यों की इच्छा सर्वोपरि तथा उन्हें आत्म निश्चय का अधिकार
7. सदस्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार
8. सामूहिक रूचि तथा भागीकरण में निरंन्तर वृद्धि

- **निरंतर वैयक्तिकरण का सिद्धान्त**

सामाजिक सामूहिक कार्य की यह मान्यता है कि समूह अनेक प्रकार के होते है और व्यक्ति उनका उपयोग विभिन्न तरीको से अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु करता है। परिणाम स्परूप कार्यकर्ता द्वारा वैयक्तिकरण का निरन्तर उपयोग करना आवश्यक होता है। समूह तथा समूहों मे व्यक्तियों को विकास तथा परिवर्तन के रूप में सदैव समझा जाना चाहिए।

वैयक्तिकरण के लिए कार्यकर्ता के लिए ने निम्न गुण होने चाहिए–

1. अभिमत तथा पूर्वाग्रहों से स्वंतन्त्र।
2. मानव व्यवहार का ज्ञान।
3. सुनने तथा अवलोकन करने की क्षमता।
4. सेवार्थी की भावनाओं का समझने की योग्यता।
5. परिप्रेक्ष्य को बनाये रखने की योग्यता।
6. सेवार्थी में आत्मीयता की भावना उत्पन्न करने की योग्यता।
7. समस्या के अध्ययन, निदान तथा चिकित्सा में सेवार्थी का सहयोग प्राप्त करने की

योग्यता।

वैयक्तिकरण के साधन –

1. विस्तृत विचार विमर्श से वैयक्तिकरण प्रकट होता है।
2. साक्षात्कार के समय की पाबन्दी हो।
3. कार्य पद्धति मे नयनीयता हो।
4. सेवार्थी को सहायता प्रकिया में सम्मिलित करना आवश्यक होता है।

- **निर्देशित सामूहिक अन्तः किया का सिद्धान्त**

सामाजिक सामूहिक कार्य में प्राथमिक शक्ति का श्रोत जो समूह की निपुणताओं में वृद्धि करती है और व्यक्तियों को परिवर्तित करती है वह अन्तःक्रिया या परस्पर प्रत्युत्तर ही है सामूहिक कार्यकर्ता अपने भागीकरण द्वारा अन्तःक्रिया को प्रभावित करता है जिससे सदस्यों के व्यवहारों, विचारों एवं कार्य विधियों मे अन्तर आता है।

जब समूह में व्यक्ति एकत्रित होते है तो अन्तःक्रिया का होना स्वाभाविक हो जाता है उनके पारस्परिक प्रत्युत्तर होते है। इन प्रत्युत्तरो की चाहे जो कार्य रचना अथवा विधि हो और उनकी गहनता चाहे कम हो या अधिक लेकिन व व्यक्ति को प्रभावित करते है। सामूहिक कार्य में इस अन्तःक्रिया प्रक्रिया का एक निश्चित दिशा की ओर चलने के लिए निदेर्शित किया जाता है।

सामूहिक कार्यकर्ता सामाजिक प्रक्रिया को सामाजिक सामूहिक कार्य प्रक्रिया मे अन्तःक्रिया को प्रभावित एवं निदेर्शित करके बदल देता है। वह समूह को न तो यह बतलाता है कि उसे क्या करना होगा और न ही समह ने लिय काई निर्णय लेता है। बल्कि वह समूह की अन्तःक्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न सदसयों को अपनी भूमिका पूरी करने मे सहायता के माध्यम से करता है।

- **जनतन्त्रीय सामूहिक आत्मनिश्चयीकरण का सिद्धान्त**

सामूहिक कार्य में समूह निर्णय के प्रथम चरण से लेकर अन्तिम चरण तक होनी वाली क्रियाये जनतन्त्रीयकरण के सिद्वान्त पर आधारित है। समूह सदस्य स्वयं ही अपना पथ निर्धारित करते तथा पूरा करते हैं। कार्यकर्ता का कार्य केवल सही दिशा प्रदान करना तथा सकारात्मक रूप से समह की अन्तःक्रिया को निदर्शित करना होता है। समूह की समस्त क्रियाये समूह द्वारा स्वतः प्रेरित होती है कार्यकर्ता का कार्य सदस्यों में सामाजिक वास्ततिक का सही ज्ञान कराना तथा उसकी सुशप्त शक्तियों का सही दिशा प्रदान करना है।

- **लोचदार कार्यात्मक संगठन का सिद्धान्त**

सामूहिक कार्य में कार्यकर्ता समूह का निर्देशन समूह संगठन के माध्यम से करता है। पहले वह समूह को संगठित करता है तदुपरान्त उस संगठन के माध्यम से कार्यक्रम संपादित करता है। लेकिन उसका औपचारिक संगठन दूसरे प्रकार के समूह संगठनों से भिन्न होता है। कार्यकर्ता औपचारिकता को उतना महत्व देता है जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और कोई बाधा उत्पन्न नही होती है।

समूह का निर्माण एक विशेष उद्देश्य के लिए कियाजाता है, परिणाम स्वरूप इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है साथ ही साथ सामूहिक जीवन में स्थापित करता है समूहो में भिन्नता होती है अतः वे एक विशेष प्रकार का संगठन चाहते है तथा संगठनात्मक सतर में भी भिन्नता की आवश्यकता होती है। समयानुसार प्राथमिकताओं तथा रूचियों में अन्तर के कारण आवश्यकताओं बदलती है तथा नवीन रूचियों का विकास होता है। अतः संगठन की रचना में लचीलापन आवश्यक होता है।

- **प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभवों का सिद्धान्त**

सामाजिक सामूहिक कार्य में कार्यक्रम उसी स्तर से प्रारम्भ होने चाहिए जिस स्तर के सदस्यों की रूचियॉ, आवश्यकतायें, निपुणता तथा दक्षता है जैसे इन शक्तियों में विकास हो वैसे–वैसे कार्यक्रमो मे भी परिवर्तन लाना चाहिए तथा उसके साथ विकासात्मक हो। इस सिद्धान्त के अनुसार समूहकार्य में कार्यक्रम प्रारूप प्रारम्भ करने का एक बिन्दु होता है और उस बिन्दु को परिभाषित करना महत्वपूर्ण होता है।

समूहों की रूचियों आवश्यकताओं तथा योग्यताओं में भिन्नतायें कार्यक्रम विकास प्रक्रिया के प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक होती है अर्थात जैसे सदस्यो की कुशलतायें एवं अनुभाव बढ़ते है। वैसे वह नवीन जटिल कार्यक्रमों का सुझाव समूह में रखता है साराशतः समूह की इच्छा तथा कार्यकर्ता की योग्यता पर कार्यक्रमों की प्रगति निर्भर करती है।

- **साधनों का उपयोग का सिद्धान्त**

सामाजिक सामूहिक कार्य मे संस्था तथा समुदाय का सम्पूर्ण वातावरण साधनों पर निर्भर होता है। अतः साधनों का उपयोग सामूहिक अनुभवों मे वृद्वि करने के लिए कुशलता पूर्वक करना चाहिए। समूह को जब साधन की आश्यकता हो तब कार्यकर्ता को इनसे लाभ उठाने मे पूर्ण समर्थ होना चाहिए। संस्था एवं समुदाय में उपस्थित के उपयोग से समूह अनुभव को न केवल बढ़ाया जा सकता है। यह सभी समूह सदस्यों के विकास में सहायक सिद्ध होता है।

- **मूल्यांकन का सिद्धान्त**

मूल्यांकन एक निर्णय करने वाली प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि समूह कार्यकर्ता संस्था या क्या उत्तरदायित्व है उनको पूरा करने की कितनी क्षमता है। क्या–2 शक्तिया है तथा क्या–2 कमजोरिया है, कौन–2 से कार्य सचनात्मक सहयोग प्रदान करते हैं इस प्रकार मूल्यांकन का उद्देश्य दार्शनिक एवं नैतिक ज्ञान है। यह कार्यकर्ता को निर्णय पर पहुचाने के लिए नकारात्मक कारकों के विरूद्ध सकारात्मक कारकों का सन्तुलन बनाये रखता है। इसकी निम्न स्थितियों का कार्यकर्ता मूल्यांकन करता है।

1. कार्यक्रम का मूल्यांकन
2. सदस्यों के भागीकरण तथा अनुभव का मूल्यांकन
3. स्वयं अपनी भूमिका का मूल्यांकन

- **अधीक्षण का सिद्धान्त**

1. वैध तथा प्राप्त होने योग्य उद्देश्यों का निर्माण।
2. समहो के सदस्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता।

3. समयानुसार कार्य का सम्पन्न होना जरूरी।
4. सम्मेलन के दौरान जिज्ञासु व्यवहार का प्रदर्शन।
5. कार्यकर्ताओं को समूह की भावनाओं तथा विचारों के प्रति संवेदित होना चाहिए।
6. सबको अपनी भावनाओं व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना।
7. विषय चयन मे प्रजातांन्त्रिक सिद्धान्तों का उपयोग।
8. सम्मेलन मे कार्यकर्ताओं के कार्यो का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

- **प्रशासन का सिद्धान्त**

1. सहम की संरचना तथा पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए
2. अन्य समूहों के सन्दर्भ में समूह के उद्देश्यो तथा कार्यो को सदस्यो द्वारा परिभाषित करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
3. अनेको समूहों मे एकीकरण करना जिससे उनमें आपसी समंजस्य बना रहे।
4. समूह को अपने उत्तरदायित्व के सन्दर्भ में अपने कार्य के मूल्यांकन करने में सहायता करना।
5. सदैव कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।
6. उसे समूह की सहायता संगठन सम्बन्धी समस्याओ के समाधान में करनी चाहिए।

- **नियोजन का सिद्धांत**

1. संस्था के मूलभूत सदस्यो की रूचियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजन।
2. नियोजन तथ्यो पर आधारित होना चाहिए।
3. प्रभावित लोगो को योजना का अंग बनाना।
4. नियोजन में छोटी से लेकर बड़ी समितियों को सम्मिलित करना।
5. नियोजन प्रक्रिया वैयक्तिकृत तथा विशेषकृत होना चाहिए।
6. व्यावसायिक नेतृत्व की आवश्यकता।
7. अभिलेख अनिवार्य होता है।
8. नियोजन सीमित साधनों के अन्तर्गत होना चाहिए

3.3 सामाजिक सामूहिक कार्य निपुणता

बाइबिल के अनुसार ''हम लोग न केवल वास्तविक रूप से बल्कि अति वास्तविक रूप तथा महत्वपूर्ण स्तर पर एक दूसरे के लिए सदस्य है'' इससे यह स्पष्ट

होता है कि मनुष्यों में आत्मनिर्भरता पायी जाती है और सहयोग का मूल्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आत्मनिर्भरता के कारण अपनी भूमिका निर्वाह के लिए उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे वह उन निपुणताओं तथा कौशल का विकास कर सके। जिसके द्वारा अपनी उपयोगिता का प्रमाण दे सके व अपने कार्यो का सम्पादन करने में सफल हो।

3.3.1 निपुणता की प्रकृति

किसी भी व्यवसाय के लिए निपुणताओ का होना उसके स्वरूप व महत्व को स्पष्ट करता है। समाजकार्य की उन्नति एवं निकास में निपुणताओ का विशेष महत्व है क्योकि यह मानव व्यवहार के विकास से सम्बन्धित है और वे समस्याये तब तक दूर नही हो सकती जब तक उसमे विशेष कौशल और विशेष योग्यता का विकास नही होता।

3.3.2 निपुणता का अर्थ

ट्रैकर के अनुसार ''निपुणता कार्यकर्ता की विशेष परिस्थितियों में ज्ञान एवं समय के उपयोग की क्षमता है। विरजाइना राबिन्सन के अनुसार '' निपुणता का अर्थ विशिष्ट वस्तु के नियंत्रण तथा कार्यरूप में परिणत करने की क्षमत है जिससे वस्तु में होने वाला परिवर्तन उसकी उपयोगिता तथा गुण उसकी क्षमता से प्रभावित होता है।

इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति निपुणताओं की प्राप्ति ज्ञान वृद्धि एवं कार्य अनुभव से करता है। जब वह किसी कार्य में सतत लगा रहता है तो निपुणताएं स्वतः आ जाती है अगर कार्यकर्ता अपने समूह एवं मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों का ज्ञान होना आवश्यक है तथा इन प्रत्ययों को समूह में किस प्रकार प्रयोग में लावे इसका भी ज्ञान होना आवश्यक होता है।

3.3.3. निपुणता के अंग

निपुणता के तीन प्रमुख अंग हैः–

1. ज्ञान
2. भावना
3. क्रिया

3.3.4 प्रणाली तथा निपुणता में अन्तर

इस प्रकार प्रणाली का तात्पर्य ज्ञान और सिद्धांतो के आधार पर उद्देश्य पूर्ण ढंग से अर्न्तदृष्टि और सामान्य का उपयोग है निपुणता ज्ञान और समझ की विशिष्ट परिस्थिति मे उपयोग करने की क्षमता है। प्रणाली प्रक्रिया का उपयोग है तथा निपुणता इसके उपयोग की क्षमता है।

3.3.5 सामूहिक कार्य की आवश्यक निपुणताएं

ट्रेकर ने सामूहिक कार्य की निम्न निपुणताओं का उल्लेख किया है–

1. उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता
2. समूह परिस्थित विश्लेषण की निपुणता
3. समूह के साथ भाग लेने में निपुणता
4. समूह की भावनाओं से निपटने मे निपुणता
1. कार्यक्रम के विकास मे निपुणता
2. संस्था और सामुदायिक साधनों के उपयोग में निपुणता
3. मूल्यांकन में निपुणता

फिलिप्स ने सामूहिक कार्य की चार प्रमुख निपुणताओ का उल्लेख किया हैः–

1. संस्था के कार्यो के प्रयोग की निपुणता
2. भावनाओं के संचार की निपुणता
3. वर्तमान की वास्तविकता के प्रयोग की निपुणता
4. सामूहिक सम्बन्धों को उत्तेजित करने की तथा उपयोग करने की निपुणता

उपरोक्त निपुणताओं के अन्तर्गत संस्था के प्रयोग में आने वाली निम्न आवश्यक निपुणताए हैः–

- **संस्था के कार्यो के प्रयोग की निपुणता** :–

1. अन्तर्गाही निपुणता
2. समूह का संस्था सें सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता
3. समूह कार्य प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति की सहायता की निपुणता
4. सामूहिक क्रियाओं के अतिरिक्त या बाहर व्यक्ति को समझने तथा सहायता करने की निपुणता
5. सन्दर्भित करने की निपुणता

- **भावनाओं के संचार की निपुणता** :–

1. कार्यकर्ता को अपनी भावनाओं को समझने, नियंत्रण रखने तथा उपयोग करने की निपुणता
2. समूह सदस्यो की भावनाओं को समझने तथा उनसे निपटने की निपुणता
3. सामूहिक भावनाओ को संचार की निपुणता

- **वर्तमान वास्तविकता के उपयोग की निपुणता** :–

1. सामूहिक रूचि का उद्देशीय क्रियाओं के लिए उपयोग करने की निपुणता
2. समूह को उत्तरदायी निर्णय लेने में सहायता देने की निपुणता

- **समूह सम्बन्धो को उत्तेजित करने तथा उपयोग करने की निपुणता** :–

1. सामाजिक सम्बन्धो को सुदृढ़ करने के लिये कार्यक्रमो के उपयोग की कुशलता
2. सदस्यो की अन्तर्निहित शक्तियों की समझने तथा उनके उपयोग करने की निपुणता।

इस प्रकार सामूहिक सेवाकार्य में कार्यकर्ता उपरोक्त निपुणताओं के माध्यम से निरंतर संस्था के कार्यो की व्याख्या एवं पुर्नव्याख्या करता है तथा अपनी भूमिका का भी विश्लेषण करता है।

3.4 सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य में सामूहिक प्रक्रिया

सामूहिक सेवाकार्य अभ्यास मे व्यक्तित्व परिवर्तन प्रगति एवं विकास का प्राथमिक साधन, समूह के सदस्यो के बीच एक गतिशील अन्तःक्रिया का प्रमुख सिद्धांत है। इसलिए अन्तःक्रिया सामूहिक क्रिया का विशेष महत्व होता है। स्लेवसन के अनुसार ''समूह के सदस्यो व नेताओं के बीच प्रजातांत्रिक सहभागिता के फलस्वरूप अन्तः क्रियाये जन्म लेती है जिससे मानवीय सम्बन्धों का विकास होता है''। डोरोथी स्पेलमैन के अनुसार ''सामूहिक प्रक्रिया तथा सामूहिक सेवाकार्य प्रक्रिया की अवधारणाये अलग–अलग होती है। सामूहिक सेवाकार्य में अन्तःक्रिया का निदेशन कार्यकर्ता करता है इस प्रकार कार्यकर्ता गतिशील अन्तःक्रिया के साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध विषयवस्तु का प्रयोग करता है :–

ग्रेस क्वायल के अनुसार इसके तीन तत्व है :–

1. समूह का उद्देश्य
2. सदस्यता के प्रति निर्णय
3. स्वरूप का निर्धारण

इन्होने सामूहिक प्रक्रिया की व्याख्या निम्न अन्य प्रक्रिया के सन्दर्भ में किया है:–

1. स्वीकृति–अस्वीकृति
2. समूह निर्माण
3. समूह नियंत्रण
4. दलीय भावना
5. चिंतन एवं निर्णय लेना

बेवस्टर शब्दकोष :– समाजकार्य में प्रक्रिया एक क्षणिक निरन्तर एवं परस्पर सम्बन्धी विकासात्मक प्रकृति की मानवीय क्रिया होती है जो विस्तृत स्वरूप की एकता को जन्म देती है

मैकमिलन के अनुसार "सामाजिक प्रक्रिया समस्त मानवीय सम्बन्धों की विशेषता एवं समाजकार्य का कला के रूप में अभ्यास करने का माध्यम है'' इसके अनुसार प्रक्रिया के तीन तत्व होते है :–

1. व्यक्तिगत व्यवहार
2. सामूहिक सम्बन्ध
3. अन्तर्समूह सम्बन्ध

कुक :– इन्होने सामूहिक सेवाकार्य प्रक्रिया के निम्न सम्बन्धों का उल्लेख किया है:–

1. व्यक्तिगत सदस्य या सदस्यो एवं समूह के अन्य सदस्यों के मध्य अन्तःवैक्तिक सम्बन्ध

2. प्रत्येक सदस्य तथा समूह के सामान्य कल्याण में मौलिक

3. प्रत्येक सदस्य एवं सम्पूर्ण समूह की समग्रता में सम्बन्ध

4. व्यक्तिगत सदस्यों एवं सामूहिक कार्यकर्ता के मध्य अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब समूह का निर्माण करते है उनके बीच विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध व अन्तः क्रियाये प्रारम्भ हो जाती है और जब समूह के सदस्य सामूहिक कार्यकर्ता की सहायता से समूह के सामान्य उद्देष्यो की ओर अग्रसर होते है तो अन्तः क्रियाओं एवं सम्बन्धों की श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है। जिन्हे कार्यकर्ता समूह निर्माण एवं सदस्यो की सन्तुष्टि के लिए निदेशित करता है तथा यही निदेशित अन्तःक्रिया को प्रजातान्त्रिक सामूहिक प्रक्रिया अथवा सामूहिक सेवाकार्य प्रक्रिया व्यक्ति व समूह के विकास का मौलिक साधन बन जाती है। कुक के मतानुसार निर्मित समूह नही लेना चाहिए वरन समूह को कार्यक्रम की एक प्रक्रिया स्वरूप देखना चाहिए मगर कार्यक्रम को समूह पर अध्यारोपित नही करना चाहिए।

स्लेवसन ने सामूहिक अनुभवों को व्यक्तित्व का आधार मानते हुए समूह को कम से तीन व्यक्तियों पर आधारित एक त्रिकोण बताया है मुख्यतः यह तीसरा या अन्य व्यक्ति समूह के समस्या या तनाव उत्पन्न करते है, इसे इन्होने तृतीय व्यक्ति समक्षाये'' कहा है। क्योंकि जब समूह मे तीसरा व्यक्ति आता है तो छिपे हुए संवेगात्मक तनाव स्पष्ट होने लगते है।

स्लेवसन के अनुसार सामूहिक प्रक्रिया के प्रमुख प्रकार :–

1. अन्तःउद्दीयन
2. अन्तःक्रिया

3. प्रेरणा या अनुगमन
4. गहनता
5. तटस्थता
6. परस्पर तादात्मीकरण
7. आत्म सावन
8. ध्रुवीकरण
9. स्पर्धा
10. प्रक्षेपण
11. समाकलन
12. रूढ़िवादिता

3.5 सामूहिक कार्यकर्ता की भूमिका

अमेरिकन एसोसिएशन आफॅ ग्रुप वर्कर्स ने सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य में कार्यकर्ता की भूमिका निम्न उद्द किया है:–

कार्यकर्ता समूह के लक्ष्यो, उद्देश्यो एवं ध्येय को निश्चित करने मे सहायता करता है। वह संस्था के उद्देश्यो को समझने सामूहिक भावना तथा आत्मचेतना का विकास करने मे सहायता प्रदान करता है कार्यक्र्ता समूह को अपनी क्षमता व सीमाओं का ज्ञान प्रदान करता हे ताकि वह अपने विकास के स्तर को बनाये रखने का निर्णय ले सके। कार्यकर्ता निम्न भूमिकाओ का निर्वहन करता है।

3.5.1 समूह के साथ

1. सार्थककर्ता भूमिका:– कार्यकर्ता समूह सदस्यो को अपनी आवश्यकता को समझने मे सहायता करता हैं वह उन क्षेत्रों को बतलाता है जिनसे आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है तथा सदस्य सहयोग ले सकते है। सभी सदस्यों को भागीकरण का बढ़ावा देता है।

2. पथ प्रदर्शक के रूप में:– वह सदस्यों को संस्था व समुदाय की सुविधाओं एवं अन्य श्रोतो से अवगत कराता है जिनकी उन्हें आवश्यकता तो होती है। परन्तु वे जानते नही हैं वह सदस्यों को अपनी भूमिका का एहसास कराता है तथा आवश्यक मुद्दों का स्पस्ट करता हैं वह सामूहिक अन्त:क्रिया का निर्देशन करता है।

3. अधिवक्ता के रूप में:– कार्यकर्ता सदस्यों की समस्याओं को उच्च अधिकारियों के समक्ष कखता है। तथा आवश्यक सेवायें प्रदान करने की सिफारिश करता है। वह सभी के कार्यो नीतियों तथा कार्यक्रमों मे परिवर्तन की भी सिफारिश करता है।

4. विशेषज्ञ के रूप में:– कार्यकर्ता आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों से विशेष सलाह देता है वह समूह समस्या का विश्लेषण करता है तथा उसका निदान करता है।

5. चिकित्सक के रूप में:– कार्यकर्ता समूह की कुछ समस्याओं का प्रयास पहले करता हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और जिनकी जड़े का काफी गहरी है। वह समूह को विघटनात्मक कारकों से परिचित करवाता है जिनका प्रभाव सीधे पड़ता है।

6. परिवर्तक के रूप में:– कार्यकर्ता सदस्यों की आदतों में पारिवर्तन लाने के लिए अनेक कार्यक्रम करता है क्योकि कभी–2 आदतो के कारण ही कभी–2 समस्या उठ खड़ी होती है। और परिवार व समाज में विघटन उत्पन्न कर देती है।

7. सूचनादाता के रूप में:– कार्यकर्ता समूह की सहायता लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों को निश्चित करने मे करता है। वह संस्था से सहायता लेने मे समूह की मदद करता है।

8. सहायक के रूप में:– कार्यकर्ता समूह की सहायता लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीको को निश्चित करने में करता है। वह संस्था से सहायता लेने मे समूह की मदद करता है।

स्वमूल्यांकन प्रश्नः–

1. एक सिद्धान्त अवश्य ही उपकल्पना समझी जानी चाहिए? उक्त कथन है।

   1. एल.डी.व्हाइट 2. कुक
   3. वेवस्टर 4. स्लेवसन

2. निपुणता से अर्थ है।

   1. कार्य करने की शैली ।
   2. कार्य के क्रियान्वयन व उसे पूर्ण करने के ज्ञान व दक्षता है।
   3. कार्य विशेषता ।
   4. कार्य करने की क्षमता।

3. कौन सी सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका नही है–

   1. उन्हें उनकी एकता के विकास की ओर मार्गदर्शित करना
   2. उन्हें मिलजुलकर काम करने से उनकी शक्ति का बोध कराना
   3. तटस्थ रहकर उनकी गतिविधियों का प्रेषण करना तथा कमजोरियों को बतलाना
   4. उनको अपने उत्तर दायित्व का बोध कराना तथा मिल जुलकर काम करने पर जोर

      देना।

3.6 प्राथमिक कार्यकर्ताओं का अधीक्षण

सामूहिक कार्यकर्ता समूहो की सहायता करने के पष्चात कार्यकर्ताओं की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करता है यहा पर वह अधीक्षक की भूमिका अदा करता है, जिसके द्वारा समूह की अप्रत्यक्ष ढंग से सहायता करता है। उसका काय्र कार्यकर्ताओं में निपुणता एवं दक्षता का विकास करना है। वह आगे ज्ञान और अनुभव की वृद्वि करता है तथा नये–नये तरीको को समझाता है और निपुणताओं का विकास करता हौ। अधीक्षक अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के विषय मे और सामाजिक स्थिति तथा कार्यो के विषय में अपने ज्ञान एवं सूझबूझ के आधार करने में करता है जिसके लिए संस्था संगठित की गयी है।

3.7 सामूहिक कार्य प्रदान करने वाली संस्थाओं एवं विभागों का प्रशासन

सामाजिक सा0 कार्य का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रशासन है इसके अन्तर्गत वह सामाजिक संस्थाओ का संगठन इस आधार पर करता है जिससे सेवार्थियों को अधिक से अधिक लोग पहुॅचा सके। इसका उद्देश्य सामूहिक क्रियाओं का उचित प्रकार से सम्पन्न करना तथा रूकावटों को दूर करना है। प्रशासकीय सेवाओं का सम्बन्ध सामाजिक सेवा को लाभप्रद तरीकों द्वारा समूहो को पहुचाना है। कार्यकर्ता यहॉ पर नियोजन, संगठन, कर्मचारियों के चयन तथा उनके नियंत्रण, निर्देशन, सहयोग, अभिलेखन तथा बजट क्रियाओं में भाग लेता है।

संगठन एवं प्रशासन चाहे जितना उपयुक्त क्यो ना हो, नियोजन सीमाओं के अन्तर्गत क्यो न हो परन्तु यदि कर्मचारीगण कार्य कुशल नही है तो कोई भी संसारित उद्देश्य को प्राप्त नही कर सकती है। कार्यकर्ता का कार्य यहॉ पर अनुभवी व कार्यकुशल कर्मचारी का चयन करना होता है तथा उनका निर्देशन व अनुश्रवण करना होता है। अभिलेखन करता है क्योंकि प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अभिलेखन एक आवश्यक यन्त्र है।

3.8 सामाजिक सामूहिक कार्य सेवाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए सामुदायिक नियोजन

कार्यकर्ता संस्था के लिए सामुदायिक नियोजन करता है जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ती है तथा उसकी उपयोगिता का अहसास होता है। वह समुदाय की अवस्थाओं जैसे– शिक्षा, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, सांस्कृतिक तथा अन्य विभिन्नताओं के आधार पर कार्यक्रम का नियोजन करता है वह सुदाय के रीति रिवाजों का भी ध्यान रखता है। वह समुदाय में समूह निर्माण की आवश्यकता एवं उपादेयता सम्बन्धी जन जागरूकता को बढ़ावा देता है।

सारांश मे सामूहिक कार्यकर्ता अपनी सेवाओं द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है, व्यक्ति को स्वतंन्त्र विकास तथा उन्नति के लिए अवसर प्रदान करता है तथा

व्यक्तित्व के सामान्य निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियॉ उत्पन्न करता है। वह सामाजिक सम्बन्धों को आधार मानकर विकासात्मक एवं शिक्षात्मक क्रियाओं का आयोजन व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए करता है।

3.9 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में सामाजिक समूह कार्य के सिद्धान्तों को उनकी विभिन्नता के आधार पर विवेचित किया गया है नियोजन क्या है इसको समझाया गया है। सामूहिक कार्य निपुणता उसके प्रकार तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा निपुणता के सम्बन्ध में दी गयी थ्योरी का विवेचन किया गया है निपुणता की प्रकृति, अंग तथा आवश्यक निपुणताओं के विषय मे विस्तृत विवेचन है। सामूहिक प्रक्रिया या सामूहिक कार्य में क्या महत्व है। उसकी अवधारणा तथा विभिन्न विद्वानों के मतानुसार इसके प्रकार पर प्रकाश डाला गया। सामूहिक कार्यकर्ता की भूमिका की व्याख्या की गयी है।

3.10 अभ्यास प्रश्न

1. सामूहिक सेवाकार्य के सिद्धान्त की विवेचना करते हुऐ इसके प्रकारों का वर्णन कीजियें?
2. सामूहिक कार्य निपुणता क्या है? समझाइये?
3. सामूहिक प्रक्रिया का विवेचन करें?
4. सामूहिक कार्यकर्ता की समूह तथा अन्य कारकों मे भूमिका की व्याख्या कीजिये?

3.11 पारिभाषिक शब्दावली:–

Introduction	- परिचय	Flaxible	- लोचदार
Democratic	- जनतन्तंत्रीय	Utilization	- उपयोग
Evaluation	- मूल्यांकन	Progressive	- प्रगतिशील
Individualizatioin	- वैयक्तीकरण	Relation	- सम्बन्ध
Planing	- नियोजन	Clorification	- स्पस्टता

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

मिश्रा, पी0डी0 :सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, 1992।

शास्त्री, ए.एस.इनाम :व्यावसायिक समाजकार्य, गुलसी पब्लिकेशन, वाराणसी 1998।

पाण्डेय, तेजस्कर :समाजकार्य, जुबली फाउडेशन, लखनऊ 2003।

जोसेफ, हेलेन :सोशल वर्क कद ग्रप्स 'ए लिटरेचर रिब्यू', इण्यिन जर्नल आफ सोशल वर्क 1997।

द्विवेदी, मनीष :समाजकार्य, अनामिका प्रकाशन, इलाहाबाद 2008।

इकाई–4

स्व–समूह कार्य के सिद्धान्त, एवं मूल्य
Theories and Values in Self Group Work

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य
4.1 परिचय
4.2 स्व समूह
4.4 मूल्य
4.5 प्रत्यय
4.6 स्व समूह कार्य सिद्वान्त
4.10 स्वयं सहायता समूह (विकास का चरण)
4.11 समूह का संचालन
4.12 प्रशिक्षण कार्य
4.13 सार संक्षेप
4.14 अभ्यास प्रश्न
4.15 पारिभाषिक शब्दावली
4.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

4.0 उद्देश्य

- इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् छात्र स्व समूह कार्य की थ्योरी को समझ जायेगे।
- स्व समूह की अवधारणा मूल्य प्रक्रिया के विषय मे जान सकेगें।
- स्व समूह कार्य के प्रत्यय के विषय मे समझ बनेगी।
- स्वं समूह के उदाहरण के रूप में स्वयं सहायता समूहो के विषय में जान सकेगें।

4.1 परिचय

जब सदस्य कार्यकर्त्ता की प्रेरणा से प्रेरित होकर समूह का निर्माण करते है, समूह की समस्त गतिविधियों में संलिप्त रहतें है। स्वयं को समूह का हिस्सा मानते है, उसे स्व समूह कार्य कहते हैं।

4.2 स्व समूह अवधारणा

स्व समूह कार्य : जब सामाजिक कार्यकर्ता समूह के सदस्यों को अपने लक्ष्यों को स्वंय प्राप्त करने के लिए संलग्न करने हेतु निरंतर प्रोत्साहित करता है तो वे एक स्व सहायता समूह के विकास हेतु सहभागी होते हैं। प्रारम्भ में आत्मनिर्भर होने के पूर्व समूह के सदस्यों को कार्यकर्ता से निरंतर निर्देश एवं नेतृत्व प्राप्त होता है। समूह चाहे तो स्थापित होने के पष्चात पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी हो जाये अथवा स्व–सहायता समूह के रूप में विकसित होने के पश्चात भी कार्यकर्त्ता से निर्देश प्राप्त कर सकता है (टोसलैण्ड एवं हैकर, 1982)।

4.3 प्रकिया

स्व समूह कार्य एक प्रक्रिया है, जो सम्बन्धों पर आधारित है। यह संबंध उन समूह सदस्यों तथा कार्यकर्ता के मध्य स्थापित होता है जिनके साथ वह कार्य करता है। समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यकर्ता आपने व्यावसायिक सम्बन्धों का उपयोग करता है। स्व समूह कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यकर्त्ता समूह के सदस्यों के अंतवैयक्तिक सम्बन्धों का विकास करने तथा उपयोग करने की कितनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि एवं निपुणता है।

उद्देश्यपूर्ण एवं मधुर सम्बन्ध प्रेम द्वारा ही उत्पन्न किये जा सकते है। यद्यपि मानवीय रूप से यह असंभव है कि कार्यकर्ता उन सबसे प्रेम करे या उनको पसन्द करे जिनके सम्पर्क मे वह आता है तथा कार्य करता है, परन्तु उसको मानव के मौलिक मूल्यों से प्रेम करना आवश्यक होता हैं वह उसी प्रकार सदस्यों से प्रेम करता है जैसे चिकित्सक रोगी से, अध्यापक विद्यार्थी से। जब तक कार्यकर्ता में व्यक्ति की सहायता करने की आन्तरिक भावना नही होगी, वह सफल नही होगा।

कार्यकर्ता द्वारा समूह सदस्य स्वीकृत किये जाते हैं। उनके व्यवहार को स्वीकृत न किये जाने पर भी इसमें कमी नही आती है। वह उनके व्यवहार को सामूहिक अनुभव के माध्यम से समूह स्तर को बनाता है। यह उनकी आक्रमणकारी भावनाओं एवं प्रवृतियों को दूर करता हैं वे किसी सथान पर यह महसूस नही करते है कि कार्यकर्ता उनको पसन्द नहीं करता है या उपेक्षा करता है। वे कार्यकर्ता में अपने प्रति प्रेम का विश्वास रखते है, क्योंकि वह उनकी सहायता आवश्यकता पड़ने पर करता है तथा सम्बन्धों का उचित एवं अर्थपूर्ण ढंग से उपयोग करता है, सभी संस्कृतियों के सदस्यों को समान रूप से मानता हे तभी भाग लेने के उन्हे समान अवसर देता है ।

4.4 मूल्य

समूह जब स्वतः कार्य करते है तो उनके कुछ उद्देश्य सिद्धान्त और मूल्य होते है। पर मूल्य ,समूह के प्राण होते है। इसी के आधार पर समूह अपने कार्यो की रूपरेखा निर्धारित करते है। स्व समूह कार्य के मूल्य निम्न है–

1. समूह सदस्यो की एकता और महत्ता पर विश्वास
2. आत्म निर्णय का अधिकार
3. आत्म पूर्णता

4. विकास का मुख्य आधार सम्बन्ध
5. अल्पमत विचारों का महत्व
6. व्यक्तित्व अन्तरों की मान्यता व स्वीकृति
7. समूह पर संस्कृति का प्रभाव
8. व्यवहार विभिन्न कारकों का प्रतिफल
9. परिवर्तन का विरोध
10.विकास के समान अवसर

4.5 प्रत्यय

1. सामर्थ्य का प्रत्यय
2. भागीकरण का प्रत्यय
3. सम्बन्ध का प्रत्यय
4. वैयक्तिक भिन्नताओं का प्रत्यय
5. संस्कृति का प्रत्यय
6. बहुकारणात्मक व्यवहार का प्रत्यय
7. परिवर्तन में अवरोध का प्रत्यय
8. मनोवृति का प्रत्यय
9. भूमिका का प्रत्यय

4.6 स्व समूह कार्य के सिद्धान्त

स्व समूह कार्य के लिए अधिकांशतः सामाजिक कार्यकर्ता सर्वाधिक सिस्टम्स थ्योरी का प्रयोग करते है (डगलस, 1979)। सभी समूह कार्य अभ्यास हेतु इसका विस्तृत ज्ञान आवश्यक है।

सिस्टम्स (तंत्र/सामाजिक व्यवस्था) सिद्वान्त समूह को एक अतः क्रियात्मक तत्व के रूप में समझने का प्रयास करता है। संभवतः सामूहिक प्रकार्यता हेतु इस सिद्धान्त का विस्तृत प्रयोग एवं अनुप्रयोग किया जाता है (एण्डरसन, 1979, ओल्सन, 1968),

पारसंस (1951), के अनुसार समूह सामाजिक व्यवस्था का अंग होते है जिसके विभिन्न अनन्यो आश्रित सदस्य एक सम्पूर्ण के रूप में एक स्थायी व्यवस्था एवं एकरूपता बनाने का प्रयास करते है। समूह सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के एवं एक स्थायी एक रूपता बनाने में परिवर्तनीय मॉगों का सामना करते रहते है। समूह की निरंतरता बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि वे इन परिवर्तनशील मॉगों की पूर्ति करने हेतु संसाधनों की गतिशीलता बनाये रखें।

पारसंस, बेल्स एवं शिल्स (1953)के अनुसार एक व्यवस्था (सिस्टम्स) के चार प्रकार्य है :–

(अ) समाकलन/एकीकरण :– सह सुनिश्चित करना कि समूह के सभी सदस्य एकबद्ध है,

(ब) अनुकूलनः– यह सुनिश्चित करना कि समूह पर्यावरण के अनुसार अपने को ढाल लेगा,

(स) पद्धति बद्धताः– यह सुनिश्चित करना कि समूह अपने मूल उद्देश्य, पहचान एवं कार्य करने के तरीके को परिभाषित करें एवं उसमें सतत्ता बनाये रखे, एवं

(द) लक्ष्य प्राप्तिः– यह सुनिश्चित करना कि समूह अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु संलग्न रहकर उसकी प्राप्ति करेगा।

4.7 सदस्यों को निर्णय लेने की स्वतंन्त्रता

समूह के लिए आवश्यक है कि वे एकरूपता बनाये रखने के लिए उपरोक्त वर्णित चार प्रकार्यो की प्राप्ति करें। जिसकी जिम्मेदारी समूह नेता के साथ–साथ सदस्यों की भी है। जरमेन एवं ग्लिटरमैन (1980), सिपोरिन (1980), अनुसार समूह की अपने पर्यावरण से लगातार अन्तःक्रिया चलती रहती है, वे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन जातें हैं। होमंस के अनुसार प्रत्येक समूह की एक आंतरिक एवं एक वाहय व्यवस्था होती है। आंतरिक व्यवस्था के अर्न्तगत समूह अपनी प्रकार्यता के दौरान विभिन्न गतिविधियॉ, अन्तःक्रिया एवं नियमन करता है। बाहय व्यवस्था के अर्न्तगत समूह उन दशाओं के साथ साम्यता बैठाने का प्रयास करता है जो समूह के व्यापक समाज एवं भौतिक वातावरण के सम्बन्धों से उत्पन्न होती रहती है।

4.8 स्व समूह का उदाहरण

उदाहरण स्परूप यदि देश के किसी ग्रमीण समुदाय के निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता उन व्यक्तियों में छोटी–2 बचतों को प्रोत्साहित करने एवं बैकं से लघु उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग संचालित करने के लिए ग्रामीण समुदायों में स्व. सहायता समूह बनाकर उनको विकासोन्मुखी एवं स्वावलंबी बना सकता है। स्वयं सहायता समूहा की विशेषताएं, विकास के चरण, संचालन विधि निम्नलिखित है।

स्व–मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. एक आदर्श समूह में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए।
   1. 1–6
   2. 10–20
   3. 20–25
   4. 25–50
2. स्व समूह कार्य का मूल्य है।
   1. प्रकिया
   2. आत्मपूर्णता
   3. एकीकरण
   4. पद्वति बद्धता
3. व्यवस्था (सिस्टम्स) का प्रकार्य है।
   1. अल्पमत विचारों का महत्व
   2. उद्देश्य
   3. लक्ष्य प्रगति
   4. भौतिक वातावरण

4.9 स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं

1. समूह में अधिकतर 20 सदस्य होते है परन्तु सुविधानुसार घटाए–बढ़ाए जा सकतें है।
2. समूह पंजीकृत अथवा गैर–पंजीकृत हो सकते है।
3. समूह द्वारा स्वयं को नियन्त्रित करने के लिए एक आचार–संहिता होनी चाहिए।
4. समूह द्वारा बचत की जाने वाली धनराशि, ब्याज की राशि तथा सदस्यों को किन–किन उद्देश्यों हेतु ऋण दिया जा सकता हौ उनका समूह द्वारा निर्धारण होना चाहिए।
5. समूह की कार्य प्रणाली लोकतांत्रिक हो जिसमें सदस्यों को अपने विचारों का आदान–प्रदान करने तथा अपने मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो।
6. समूह द्वारा साधारण प्रारम्भिक अभिलेख जैसे सदस्यता रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका, मीटिंग रजिस्टर, बचत–पंजियों को रखा जा सकें
7. समूह द्वारा बैक में एक बचत खाता खोला जाना चाहिए।

4.10 स्वयं सहायता समूह के विकास के चरण

1. सदस्यों का चयन
2. संगठन के नियम–विनियम पर चर्चा
3. सामूहिक बचत ऋण आदि का संगठन
4. पारस्परिक सौहार्द एवं लेखा पद्धति
5. समूह के लेनदेन का नियंत्रण
6. आय वृद्धि कार्यक्रम का प्रारम्भ
7. बैंक आदि से जुड़ाव
8. नये समूहों को सहयोग
9. आय वृद्धि कार्यक्रमों का विस्तार
10. सामूहिक विषयों पर चर्चा
11. समूह व सदस्यों के लिए सम्पत्ति का निर्माण
12. उद्देश्यों को विस्तृत बनाना
13. नये समूह का निर्माण (फेडरेशन) संघ का निर्माण।

4.11 समूह का संचालन

अन्य औपचारिक संगठनों की तरह कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वयंसहायता समूह भी अपने नियम बनाता है। नियम किसी गैर–सरकारी संगठन की मदद से बनाये जा सकते हे या फिर समूह में आपसी तालमेल द्वारा मापदण्ड निर्धारित कर लिए जाए और समय के साथ प्राप्त अनुभवों के आधार पर उसमें सुधार किया जा सकता है। नियमों के सम्बन्ध में समूह के सभी सदस्यों की पारस्परित सहमति होती है।

नियम सामान्यतः समूह के उद्देश्यों, बैंकों का दिन वा समय, बचत की राशि व अवधि बैठक में अनुपस्थित होने का दण्ड, विलम्ब आदि से आने पर और उधार की शर्तो जैसे– कब से कर्ज देना आरम्भ किया जाये, कितना उधार दिया जाए, ब्याज दर, चुकौती तथा नेता के चुनाव तथा पारिवर्तन आदि से सम्बन्धित होते है।

स्वयं सहायता समूह में सामान्य चुनें प्रतिनिधि होते है। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सामान्यतः एक निश्चित समय पर बदलते रहते है। समूह इन प्रतिनिधियों को यह अधिकार देता है कि वे बैंक खाते मे लेन–देन करें। आरम्भ में समूह के पास चार–पांच बहीखाते होते हैं जिनकी संख्या कालान्तर में बढ़कर 10 से 11 हो जाती है।

गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता उन समूहों को रिकार्ड, पुस्तकें रखना सिखाते है। अशिक्षित सदस्यों वाले समूहों में या तो गैर–सरकारी संगठन का सामाजिक कार्यकर्ता अथवा कोई स्थानीय व्यक्ति स्वयंसहायता समूह की ओर से देखभाल करता है।

4.12 प्रशिक्षण कार्य

बचत समूह के गठन व संचालन के कार्य में तीन सप्ताह के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

सदस्यों का प्रशिक्षण :– यह प्रशिक्षण समूह के सदस्यों को साल में एक बार दिया जाना चाहिए और बचत प्रशिक्षण होना चाहिए। इससे मुख्य रूप से बचत समिति की कार्यप्रणाली, ध्येय तथा विस्तृत हिसाब से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बचत समूहों के काम पर निगरानी रखने का तरीका भी बताना चाहिए।

4.13 सार संक्षेप

प्रस्तुत इकाई में स्वसमूह की अवधारणा तथा उसके सिद्धान्त, की व्याख्या की गयी है। स्व समूह कार्य किन मूल्यों पर आधारित है इस पर प्रकाश डाला गया है। उसकी प्रक्रिया तथा प्रत्यय क्या है इसकी विवेचना की गयी है। सदस्य समूह मे कितने स्वतंत्र होते है इसकी व्याख्या की गयी है। स्व समूह के प्रकार्यात्मक उदाहरण के रूप में तथा विकास के साधन के रूप में स्वयं सहायता समूह पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

4.14 अभ्यास प्रश्न

1. स्व समूह कार्य की अवधारणा स्पस्ट करते हुऐ इसके मूल्यों पर प्रकाश डालिए?
2. स्व समूह कार्य की प्रक्रिया तथा प्रत्यय पर टिप्पणी लिखिए?

3. स्वयं सहायता समूह की विस्तृत व्याख्या किजीए?
4. प्रशिक्षण कार्य पर टिप्पणी लिखें?

4.15 पारिभाषिक शब्दावली

पर्यावरण	: पास परोस, प्राथमिक तथा द्वितीयक संस्थायें
पारिस्थितिकी	: परिवार, समूह, समुदाय तथा संस्थाओं से व्यक्ति की अन्तःक्रियात्मक स्थिति।
सिस्टम्स	: सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढाचॉ, सामाजिक तंत्र।

4.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

मिश्रा, पी0डी0 : सामाजिक सामूहिक सेवाकार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, 1992।

शास्त्री, ए.एस.इनाम : व्यावसायिक समाजकार्य, गुलसी पब्लिकेशन, वाराणसी 1998।

द्विवेदी, मनीष : समाजकार्य, अनामिका प्रकाशन, इलाहाबाद 2008।

इकाई–5

सामाजिक समूह कार्य के प्रारूप
Models of Social Group Work

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य
5.1 परिचय
5.2 सामूहिक समाज कार्य के प्रारूप
5.3 विभिन्न स्तरों पर सामूहिक समाज कार्यकर्ता की भूमिका
5.4 भारत में सामूहिक कार्य की आवश्यकता
5.5 सार संक्षेप
5.6 अभ्यास प्रश्न
5.7 पारिभाषिक शब्दावली
5.8 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :–

- सामूहिक समाज कार्य के विविघ प्रारूपों को जान सकेगें।
- विभिन्न स्तरों पर सामूहिक समाज कार्यकर्ता की भूमिका की व्याख्या कर सकेगें।
- भारत में सामूहिक कार्य की आवश्यकता को समझ सकेगें।

5.1 परिचय

समाजिक सामूहिक कार्य का उद्देश्य सामाजिक समायोजन एवं विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती है। भारत विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है जिसके कारण अनेक बाधाएँ उपस्थित हो रही है। परिवर्तन समान रूप से न होने के कारण अव्यवस्था एवं सांवेगिक तनाव की स्थिति प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी मान्यताएँ, मूल्य–प्रतिमान, रीतिरिवाज पुराने हैं और उनमें परिवर्तन उतनी गति से नहीं आ रहा है जितनी भौतिक जीवन में। जातिवाद अपने स्थान पर विषम परिस्थितियाँ पैदा किए हुए है।

समूहिक कार्य के अन्तर्गत समूह ही सेवार्थी होता है अर्थात् व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है जिससे समूह की उन्नति एवं विकास संभव होता है। कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समूह में उन्नति एवं विकास लाता है। व्यक्ति के लिए समूह आवश्यक होता है अतः सामूहिक कार्य समूह–विकास द्वारा व्यक्ति के

विकास एवं उन्नति में सहयोग देता है। वह व्यक्ति और समूह की एक ही समय में सहायता करता है। वह समूह को इस प्रकार कार्य करने के लिए उत्साहित करता है जिससे सामूहिक अन्तःक्रिया तथा कार्यक्रम दोनों ही व्यक्ति के विकास और वांछित सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दें।

ट्रेकर के अनुसार सामाजिक सामूहिक कार्य–कार्य की एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्तियों की सामाजिक संस्थाओं के अन्तर्गत समूहों में कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है। यह कार्यकर्ता कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं में व्यक्तियों की परस्पर सम्बद्ध क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है जिससे वे एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित कर सकें और वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायकि विकास की दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के अनुसार विकास के सुअवसरों से लाभान्वित हो सकें।प्रस्तुत इकाई में आप सामूहिक समाज कार्य के प्रारूपों की विस्तृत व्याख्या प्राप्त कर सकेगें।

5.2 सामूहिक समाज कार्य के प्रारूप

सामूहिक समाज कार्य की विभिन्न मान्यताओं, कार्यकर्ता की भूमिका एवं समूह के क्रियाकलापों के आधार पर समूह समाज कार्य के प्रारूपों को चार भागों में विभाजित किया गया है। यह प्रारूप समूह के साथ कार्य करने एवं समूह में व्याप्त असन्तुलन को दूर करके एक इच्छित जीवन स्तर पर पहुँचाने में कार्यकर्ता की मदद् करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रारूप ने रणनीतियाँ हैं जिनको अपनाकर व्यवस्थित ढंग से कार्य सम्पादित किये जाते हैं। समूह समाज कार्य के यह प्रारूप हैं :–

(1) चिकित्सा प्रारूप (Remedial Model)

(2) चिन्तन प्रारूप (Reciprocal or Mediating Model)

(3) विकासात्मक प्रारूप, एवं (Developmental Model, and)

(4) सामाजिक लक्ष्य प्रारूप (Social Goal Model)

5.2.1 चिकित्सा प्रारूप

चिकित्सा प्रारूप मुख्यतया व्यक्ति के असामान्य व्यवहार को परिवर्तित करने पर ध्यान देता है। समूह समाज कार्य अभ्यास का यह उपागम व्यक्ति के अन्दर निहित क्षमताओं, कुशलताओं को बाहर लाने एवं सामाजिक सामंजस्य में सहायता करता है। शारीरिक, मानसिक सामाजिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति (सेवार्थी) की सहायता में यह प्रारूप अत्यन्त ही महत्वपूर्ण परिलक्षित होता है।

इस प्रारूप की मुख्य विशेषता सेवार्थी के मन में व्याप्त चिन्ता, तनाव को दूर करना एवं उसको समाज की मुख्यधारा में शामिल कराना है। व्यक्ति विशेष की

समस्याओं का चिकित्सात्मक ढंग से निराकरण करना, सामाजिक विषमताओं से सेवार्थी को विरक्त करना, शारीरिक, मानसिक असमर्थताओं को दूर करना, इस प्रारूप के उद्देश्य हैं। इसमें समूह कार्यकर्ता अपने आनुभविक एवं विशिष्ट ज्ञान के बल पर विभिन्न क्रियाकलापों को समूह में निर्देशित करता है।

(1) इसमें कार्यकर्ता केन्द्रीय भूमिका में होता है और आवश्यकताओं के निर्धारण का उद्देश्य इसी का होता है।

(2) कार्यकर्ता प्रवक्ता का प्रतीक है अर्थात् एक शान्त अवलोकनकर्ता होता है। वह समाज के मूल्यों के अनुरूप क्रियाओं को निर्देशित करता है।

(3) वह एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है साथ ही साथ समूह के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में सहायता करता है।

(4) वह एक सहायक होते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में समूह का मार्ग निर्देशन करता है।

5.2.2 चिन्तन प्रारूप अथवा ध्यान प्रारूप

यह प्रारूप सन् 1961 में प्रकाश में आया और इसका आधार खुली व्यवस्था सिद्धान्त है। मानवीय मनोविज्ञान एवं इससे सम्बन्धित प्रमुख पक्षों पर यह प्रारूप प्रकाश डालता है। इस प्रारूप की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।

(1) मनुष्य और समाज एक दूसरे पर आश्रित है और इसकी आवश्यकताओं में हम एक दूसरे के पूरक के रूप में देखते हैं और जब इस संरचित व्यवस्था में कोई बाहरी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब यह संरचना विछिन्न हो जाती है परिणामतः संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(2) संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए सम्बन्धित समूह को अन्तः क्रिया करनी चाहिए और अपनी वस्तु स्थिति को समझ बूझकर संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए।

(3) इस प्रारूप में ध्यान को केन्द्र बिन्दु माना गया है अर्थात् सम्बन्धों (समूह के सदस्यों के मध्य) में एक दूसरे पर विश्वास एवं आवश्यकता के प्रति चेतना का प्रसार चूँकि कार्यकर्ता समूह समाज कार्य में सभी कार्यों की धुरी होता है इसलिए उसे समूह के सदस्यों में चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(4) यह समूह के सदस्यों के मध्य सम्बन्धों की एक कड़ी का काम करता है अर्थात् हम की भावना को बलवती करता है।

(5) इस प्रारूप के द्वारा समूह के सदस्यों में व्याप्त तनाव, चिन्ता इत्यादि का निराकरण किया जाता है।

(6) आवश्यक लक्ष्यों एवं कार्यों को यह महत्व देता है जोकि सामूहिक भावनाओं पर आधारित होती हैं।

(7) सेवार्थी और कार्यकर्ता एक साथ मिलकर सम्भावित कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं।

इस प्रारूप में व्यक्ति एवं समूह दोनों प्रमुख अंगभूत होते हैं। कार्यकर्ता अपने अनुभव एवं निपुणता के सहारे अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा, क्षमता एवं विद्वता का उपयोग समूह को आवश्यक ऊर्जा देने में लगाता है साथ ही साथ समूह को रक्षात्मक स्थिति में बनाये रखता है।

5.2.3 विकासात्मक प्रारूप

1965 में बर्न्सटेन (Bernstain) के नेतृत्व में बोस्टन यूर्निवसिटी के फैकल्टी सहयोगियों द्वारा इस प्रकार का विकास किया गया। लावी (Laway) को इस मॉडल का मुख्य कर्ताधर्ता माना गया। इस प्रारूप में स्वतंत्रता को प्रमुखता दी गई है अर्थात् समूह को स्वतंत्र होने देना चाहिए उस पर कोई दबाव न हो। इस प्रारूप की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

(1) यह प्रारूप प्राथमिक रूप से समूह के सदस्यों की गत्यात्मकता एवं घनिष्ठता पर आधारित है।

(2) यह सामूहिक घनिष्ठता (Intimacy) सक्षम कार्यकर्ता के हस्तक्षेप पर आधारित होती है ।

(3) अध्ययन, निदान एवं उपचार की अवधारणा का उदय व्यक्ति एवं समूह के आयामों से होता है अर्थात् समूह के सदस्यों के विषय में जानकारी एवं आवश्यकताओं की पहचान के पश्चात् सामूहिक निदान तथा उपचार प्रक्रिया अपनायी जाती है।

(4) कार्यकर्ता समूह के अध्ययन, निदान एवं उपचार में अपने को शांत रूप से सम्मिलित करता है।

(5) विकासात्मक प्रारूप समूह के विचार, अनुभव, मनोभावों एवं व्यवहार में निरन्तरता पर प्रयास करता है ।

(6) कार्यकर्ता सामूहिक सदस्यों, संस्था एवं सामाजिक पर्यावरण की विभिन्न स्थितियों को सामान्य बनाये रखने का प्रयास करता है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि विकासात्मक प्रारूप, चिकित्सा प्रारूप, चिन्तन प्रारूप पारम्परिक उपागम को दृढ़ता प्रदान करता है या सामान्य शब्दों में, चिकित्सा प्रारूप एवं चिन्तन प्रारूप एक ऐसी विधा है जो समूह को विकासात्मक अवसरों में ले जाती है।

5.2.4. सामाजिक लक्ष्य प्रारूप

इस प्रारूप की अवधारणा मुख्यतया सामाजिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक परिवर्तन पर आधारित है। इसके अन्तर्गत यह कहा जा सकता है कि

व्यक्ति में सामूहिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने से स्वतः परिवर्तन आने लगता है। सहभागितापूर्ण कार्य सम्पादित होने से समूह के सदस्यों में उत्तरदायित्व, चेतना एवं सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाओं का उदय होना स्वाभाविक है और यह परिस्थितियाँ व्यक्ति को सामाजिक क्रिया हेतु प्रभावित करती हैं। सामूहिक सहभागिता एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित क्रिया से व्यक्ति में सामाजिक शक्ति स्वशक्ति, सामूहिक भावना का उदय होता है। जोकि लक्ष्य प्राप्ति को और सुगम बना देता है।

स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. सामूहिक समाज कार्य के विभिन्न प्रारूपों पर एक निबन्ध लिखिए ?
2. सामूहिक समाज कार्य के किन्हीं दो प्रारूपों का विस्तार पूर्वक तितरण दीजिए ?
3. चिकित्सा तथा चिन्तन प्रारूप के मध्य अन्तर बताइए ?

5.3 विभिन्न स्तरों पर सामूहिक समाज कार्यकर्ता की भूमिका

सामूहिक समाज कार्य, समाज कार्य की एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति विशेष को सेवायें न देकर समूह की सहायता की जाती है। इस विधा में प्रत्येक सदस्य कार्यकर्ता के कार्यों का केन्द्र बिन्दु होता है, अर्थात् समूह के प्रत्येक सदस्य पर कार्यकर्ता की नजर रहती है। इस प्रक्रिया में समूह की आवश्यकताओं की पहचान से लेकर कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन में कार्यकर्ता एक धुरी के समान कार्य करता है।

स्पष्ट है, कि समूह समाज कार्य में कार्यकर्ता अपनी बातों को समूह पर नहीं थोपता वरन समूह की स्वीकृतोपरान्त अपना निर्देशन देता है। सहायक के रूप में कार्यकर्ता समूह के मध्य अन्तर्दृष्टि को उकसाने वाली प्रक्रियाओं पर बल देता है साथ ही साथ सहभागिता हेतु समय–समय पर आवश्यक दिशा निर्देश देता है। समूह समाज कार्यकर्ता जिन विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है, वे हैं:–

5.3.1 शैक्षिक क्षेत्र में सामूहिक समाज कार्यकर्ता

शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा। कार्यकर्ता अपने अनुभव एवं निपुणता के आधार पर शैक्षिक गतिविधियों में समूह समाज कार्य प्रणाली का व्यवस्थित रूप से प्रयोग करता है। स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा इत्यादि के सन्दर्भ में समाज कार्य विधियों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। कार्यकर्ता द्वारा दी जाने वाली सेवायें हैं :–

(1) कार्यकर्ता व्यावसायिक ज्ञान एवं निपुणताओं के द्वारा वैज्ञानिक सोंच के साथ सेवार्थी की समस्याओं का समाधान करता है, चूँकि उसके लिए आवश्यक है कि

उसमें पक्षपात न आने पाये इस हेतु वह समूह के क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता वरन् उसे निर्देशित करता है।

(2) शैक्षिक परिवेश में सुधारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यों पर बल देते हुए विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाता है ।

(3) शैक्षिक वातावरण में आशातीत परिवर्तन लाने हेतु परिवर्तनकारी दशाओं का अन्वेषण करके सामूहिक गतिविधियों को बल देता है।

(4) समूह के लिए आवश्यक एवं अवश्यम्भावी कार्यक्रमों के निर्माण पर बल देता है जिससे सदस्यों की व्यक्तित्व क्षमताओं एवं कुशलताओं में वृद्धि हो सके।

(5) कार्यक्रम की दिशा एवं दशा व्यक्ति उन्मुख रखते हुए सम्प्रेरणा एवं प्रत्यक्षीकरण की स्थितियों का बोध कराता है।

(6) पाठ्यक्रम एवं विद्यावली परिवेश में आवश्यकतानुरूप परिवर्तन हेतु विद्यालयी प्रबन्धतंत्र को उससे भिज्ञ कराता है।

(7) व्यक्तित्व विकास के समुचित अवसरों को उपलब्ध कराते हुए समूह की भावनाओं एवं इच्छाओं का पूर्ण ध्यान रखता है।

(8) आवश्यकतानुरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन लाने, समूह के मध्य घनिष्ठता (Intimacy) बनाये रखने, सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करने, चेतना का प्रसार करने, मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान करने में कार्यकर्ता प्रत्येक सदस्य की अनुमति पर कार्य करता है।

5.3.2 चिकित्सालय में सामूहिक समाज कार्यकर्ता

जब व्यक्ति शारीरिक रूप से रूग्ण होता है या परिवार, पड़ोस एवं समाज द्वारा उसकी अवहेलना की जाती है तब सामान्यतः उसकी शारीरिक एवं मानसिक संरचना पर इसका प्रभाव पड़ता है और उसे चिकित्सालय जाना पड़ता है। इन समस्याओं का मूल कारण कहीं न कही सेवार्थी की विषय परिस्थितियाँ होती हैं जिनके कारण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, भावनात्मक इत्यादि समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं।

समूह समाज कार्यकर्ता अपने वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणताओं के द्वारा चिकित्सालय में सेवार्थियों की चिकित्सा में सहायता प्रदान करता है। कार्यकर्ता द्वारा चिकित्सालय परिसर में दी जाने वाली इन सेवाओं से सेवार्थीगण लाभ उठाते हैं क्योंकि कार्यकर्ता का सेवार्थी में दृढ़ विश्वास इस कारण होता है कि व्यावसायिक कार्यकर्ता होने के कारण उसका उत्तरदायित्व सहायता प्रदान करना है। इस हेतु सेवार्थी को पूर्ण रूप से सहमत करने के पश्चात् कार्यकर्ता समूह कार्य प्रक्रिया आरम्भ करता है। चिकित्सालय परिसर में दी जाने वाली कार्यकर्ता द्वारा सहायता इस प्रकार हैः–

(1) बीमारी का सामाजिक उपचार,

(2) स्वास्थ्य शिक्षा,

(3) सुधारात्मक एवं निरोधात्मक क्रियाकलापों पर बल,

(4) सामाजिक सम्बन्धों में स्थायित्व,

(5) चिकित्सकीय समूह के साथ समूह समाज कार्य,

(6) व्यावसायिक एवं नैतिक शिक्षा,

(7) सामूहिक उपचार, एवं

(8) सेवार्थी के अभिभावकों से प्रत्यक्ष वार्तालाप।

समूह कार्यकर्ता सेवार्थी से सम्बन्धित उन समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है जिनके कारण समस्या उत्पन्न हुई है और इस सन्दर्भ में सेवार्थी को बताता भी है साथ ही साथ आवश्यक परामर्श देने की प्रक्रिया पूर्ण करता है।

5.3.3 समुदाय में समूह समाज कार्यकर्ता

समुदाय वह है जिसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, नाम होता है, विशिष्टता होती है। अर्थात् बोगार्डस के अनुसार, समुदाय का विचार पड़ोस से आरम्भ होकर सम्पूर्ण विश्व तक पहुँचता है। समूह समाज कार्यकर्ता समुदाय के निहित उद्देश्यों को पूरा करने एवं आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति में अपने व्यावसायिक कौशल द्वारा सहयोग निर्धारित करता है।

समुदाय चूँकि एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कार्यकर्ता अपने को स्थापित करने में समय लगा सकता है लेकिन जितना अधिक समय कार्यकर्ता द्वारा सामुदायिक प्रक्रिया को समझने में लगेगा उसके लिए कार्य उतना ही आसान हो जाता है। समुदाय के लोगों की अनेकानेक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यकर्ता द्वारा सर्वप्रथम समूह निर्माण करना आवश्यक हो जाता है तत्पश्चात् सामूहिक गतिविधियों को लागू किया जाना उसके लिए सुगम हो जाता है।

समुदाय के साथ कार्यकर्ता द्वारा किये जाने वाले कार्य हैं :–

(1) समूह निर्माण

(2) आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान

(3) सदस्यों का सहभागिता स्तर

(4) सदस्यों के मध्य सहयोग एवं संघर्ष की स्थिति

(5) सामूहिक सदस्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क

(6) आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारण

(7) समूह चर्चा (लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के सम्बन्ध में)

(8) कार्यक्रम नियोजन

(9) नेतृत्व क्षमता का विकास

(10) कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहभागिता प्रोत्साहन

(11) कार्यक्रम की आवश्यक क्रिया योजना

(12) समय–समय पर फीड बैंक एवं मूल्यांकन

5.3.4 औद्योगिक संस्थान में कार्यकर्ता

समूह समाज कार्यकर्ता औद्योगिक संस्थानों में मालिक एवं श्रमिकों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। चूँकि समाज कार्य का प्राथमिक उद्देश्य पीड़ित मानवता के कष्टों की रोकथाम करना है इस हेतु कार्यकर्ता संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है। संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता अवलोकन करने के उपरान्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी अध्ययन करता है और उनके कल्याणार्थ कार्यों को प्रमुखता देते हुए कार्य करता है। औद्योगिक संस्थान में समूह समाज कार्य प्रक्रिया का शुभारम्भ कार्यकर्ता अपने कौशल के द्वारा अवलोकन करके करता है तत्पश्चात् कार्यकर्ता कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं की सूची बनाता है और समूह का निर्धारण करके कार्य प्रारम्भ करता है।

कार्यकर्ता द्वारा संस्थान में निपुणता विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहभागिता कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन किया जाता है जिससे कि कर्मचारियों में जागरूकता और उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ सके। कर्मचारियों की अनेकानेक समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यकर्ता समाज कार्य की अन्य प्रणालियों यथा–वैयक्तिक समाज कार्य, समाज कार्य शोध, सामाजिक क्रिया इत्यादि का प्रयोग करता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी व्यक्ति विशेष की मनो सामाजिक समस्याओं के समाधान में मंत्रणा भी देता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम कर सकते हैं कि औद्योगिक संस्थान में कार्यकर्ता सहयोगी, अनुभवी, विशेषज्ञ एवं चिकित्सक (मनोसामाजिक) के रूप में कार्य करता है।

5.4 भारत में सामूहिक कार्य की आवश्यकता

समाजिक सामूहिक कार्य का उद्देश्य सामाजिक समायोजन एवं विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती है। भारत विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है जिसके कारण अनेक बाधाएँ उपस्थित हो रही है। परिवर्तन समान रूप से न होने के कारण अव्यवस्था एवं सांवेगिक तनाव की स्थिति प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी मान्यताएँ, मूल्य–प्रतिमान, रीतिरिवाज पुराने हैं और उनमें परिवर्तन उतनी गति से नहीं आ रहा है जितनी भौतिक जीवन में।

जातिवाद अपने स्थान पर विषम परिस्थितियाँ पैदा किए हुए है। जाति के नाम पर अनेक अवांछनीय कार्य हो रहे हैं। भाषावाद की समस्या अलग हमारी एकता को

खतरे में डालने के लिए सजग बनी है। तथापि शिक्षा का प्रसार हो रहा है। परन्तु वास्तविक शिक्षा, जिसकी ग्रामीण जनता को आवश्यकता है, सुलभ नहीं हो पा रही हैं परिवार नियोजन कार्य की आशातीत सफलता प्राप्त न होने का कारण सामूहिक जाग्रति या चेतना के विकास का अभाव होता है। अतः इन पिरस्थितियों में सामाजिक सामूहिक कार्य का उपयोग करना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है।

प्रभावात्मक सामूहिक कार्य की कुछ विशेषताएँ है :

(1) वार्तालाप में समूह सदस्य स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। समूह पर्यावरण सहयोगिक, प्रजातांत्रिक तथा प्रेरणात्मक होता है।
(2) नेतृत्व सभी सदस्य करते हैं तथा यह स्थिर नहीं होता है।
(3) तथ्य, अनुभव, तथा विचारों को समूह के समक्ष रखा जाता है। वह समस्या के निदान तथा विचार को स्पष्ट करता है।
(4) तथ्य, अनुभव, तथा विचारों को समूह के समख रखा जाता है। वह समस्या के निदान तथा विचार को स्पष्ट करता है।
(5) मुख्य बात को उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है।
(6) जो शब्द भ्रामक होते हैं उन्हें परिभाषित किया जाता है।
(7) समूह–सदस्य के विचारों को स्पष्ट किया जाता है।
(8) किसी के कथन को तथ्य नहीं माना जाता है जब तक िकवह उदाहरण नहीं प्रस्तुत करता है।
(9) सारांश तैयार किया जाता है। इत्यादि।

समूहिक निर्णय प्राप्त करने के सुझाव

(1) प्रत्येक सदस्य को सुझाव देने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।
(2) जो व्यक्ति सुझावों को नहीं समझता उसे प्रश्न करने का पूरा अधिकार दिया जाय।
(3) नेता को चाहिए कि वह सभी सदस्यों को काम करने के सम्भव तरीकों का ज्ञान करावे जो सुझावों से प्राप्त होते हैं।
(4) अल्पसंख्यकों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्हें मतदान में वरीयता दी जाय।
(5) मूल्यों और ढंगों में संघर्ष को दूर करके एकरूपता लानी चाहिए।

सुझाव

(1) समूह का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सदस्य 30 से अधिक न हों।
(2) भौतिक पर्यावरण सामूहिक प्रक्रियाओं के लिए आरामदेह हो।
(3) प्रत्येक सदस्य को उसकी रुचि के अनुसार उत्तरदायित्व दिया जाय।
(4) कार्य करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाय। सुझावों के लिए भी समय हो।
(5) व्यक्तिगत क्षमता का अवश्य विकास हो।

समूहिक मूल्यांकन

मूल्यांकन एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है। निम्नांकित तत्वों का मूल्यांकन अक्सर किया जाता है :–

(1) नेतृत्व का मूल्यांकन।
(2) समूह प्रक्रिया का मूल्यांकन।
(3) सदस्यों का मूल्यांकन।
(4) सामूहिक क्रिया का समूह उद्देश्य के सन्दर्भ में मूल्यांकन।

प्रविधियाँ

(1) मूल्यांकन सत्र।
(2) प्रक्रिया अवलोकन रिपोर्ट।
(3) समूह अभिलेखों को पुनरीक्षित करना।
(4) पोस्ट रेटिंग मीटिंग।

5.5 सार संक्षेप

सामूहिक समाज कार्य की विभिन्न मान्यताओं, कार्यकर्ता की भूमिका एवं समूह के क्रियाकलापों के आधार पर समूह समाज कार्य के प्रारूपों को चार भागों में विभाजित किया गया है। यह प्रारूप समूह के साथ कार्य करने एवं समूह में व्याप्त असन्तुलन को दूर करके एक इच्छित जीवन स्तर पर पहुँचाने में कार्यकर्ता की मदद् करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रारूप ने रणनीतियाँ हैं, जिनको अपनाकर व्यवस्थित ढंग से कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

अन्त में हम कह सकते हैं कि विकासात्मक प्रारूप, चिकित्सा प्रारूप, चिन्तन प्रारूप पारम्परिक उपागम को दृढ़ता प्रदान करता है या सामान्य शब्दों में, चिकित्सा प्रारूप एवं चिन्तन प्रारूप एक ऐसी विधा है जो समूह को विकासात्मक अवसरों में ले जाती है।

5.6 अभ्यास प्रश्न

1. वर्तमान समय में समाज के विकास मेकं सामूहिक समाज कार्यकर्ताओं की भूमिका का वर्णन कीजिए?
2. शैक्षणिक संस्थानों में सामूहिक समाज कार्यकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए?
3. समुदाय को जागरूक बनाने में सामूहिक समाज कार्यकर्ता के विभिन्न कार्यों का उल्लेख कीजिए?
4. चिकित्सालयों में सामूहिक समाज कार्यकर्ता द्वारा प्रदान किये जाने वाले कार्यो का विवरण दीजिए?

5.7 पारिभाषिक शब्दावली

Introduction	- परिचय	Flaxible	- लोचदार
Democratic	- जनतन्तंत्रीय	Utilization	- उपयोग
Evaluation	- मूल्यांकन	Progressive	- प्रगतिशील
Individualizatioin	- वैयक्तीकरण	Relation	- सम्बन्ध
Planing	- नियोजन	Clorification	- स्पस्टता
Teachnics	प्रविधियाँ	Models	- प्रारूप

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Pepell, G.P. & Rathman, B.- Social Work with Groups
2.Trecker, H.B.- Social Group Work. Principles and Practice Newyork Association Press.
3.Toselane, R.W.- An Introduction to Group Work Practice.
4. Wilson, G. & Ryland, G.- Social Group Work Practice.
5. Samuel T. Gladding - Group Work, A Community Speciality.
6. Ronald W. Toseland & Robert F. Rivar: An Introduction to Group Work Practice, Manachuseths: Allyn & Baion.
7. Balgopal, P. and Vanil T. - Groups in Social Work: An Ecological Perspective, Newyork: Macmillan.
8. Harford, M.- Groups in Social Work.
9. Konopka, G.- Social Group Work: A Helping Process (3rd) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
10. सिंह, ए.एन. एवं सिंह, ए.पी.– समाज कार्य
11. Mishra, P.D. & Mishra Bina- Social Group Work Theory and Practice.
12. मिश्रा, प्रयागदीन– सामाजिक सामूहिक कार्य

.

इकाई–6

सामूहिक समाज कार्य : कार्यक्रम नियोजन एवं विकास
Social Group Work:Programme Planning and Development

इकाई की रूपरेखा
उद्देश्य
परिचय
कार्यक्रम नियोजन एवं विकास
कार्यक्रम नियोजन का तरीका
सामूहिक समाज कार्य एवं कार्यकर्ता
सामूहिक समाज कार्य में कुशलता प्राप्ति के उपाय
कार्यकर्ता के गुण एवं विशेषताए
कार्यकर्ता की निपुणता
सामूहिक समाज कार्य में कार्यकर्ता की भूमिका और कार्य
समूह में नेतृत्व विकास की प्रक्रिया
अच्छे नेतृत्व के गुण
सार संक्षेप
अभ्यास प्रश्न
पारिभाषिक शब्दावली
सन्दर्भ ग्रंथ सूची

उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः–

- सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम नियोजन एवं विकास की अवधारणा को समझ सकेगें।
- कार्यक्रम का अर्थ एवं उद्देश्यों की व्याख्या कर सकेगें।
- कार्यक्रम नियोजन का तरीका सीख सकेगें।
- सामूहिक समाज कार्य एवं कार्यकर्ता की आवश्यकता का ज्ञान हो सकेगा ।
- सामूहिक समाज कार्य में कुशलता प्राप्ति के उपायों को सीख सकेगें।

- कार्यकर्ता के गुण एवं विशेषताओं को सीख सकेगें।
- कार्यकर्ता की निपुणतों का ज्ञान हो सकेगा ।
- सामूहिक समाज कार्य में कार्यकर्ता की भूमिका और कार्यों को जान सकेगें।
- समूह में नेतृत्व विकास की प्रक्रिया को समझ सकेगें।
- अच्छे नेतृत्व के गुणों से अवगत हो सकेगें।

परिचय

समूह संस्था में संयोजित किया जाता है और कार्यकर्ता का पहला कार्य एक कार्यक्रम का निर्माण करना होता है। सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम तभी अधिक उपयोगी हो सकता है जब यह कार्यक्रम व्यक्ति–केन्द्रित होता है और विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करता है। इसे समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं और अभिरूचियों के अनुसार विकसित होना चाहिये। इसे सदस्यों की योग्यताओं के अनुसार सदस्यों द्वारा स्वयं नियोजित किया जाना चाहिये।

इसे कार्यकर्ता को एक सहायक व्यक्ति के रूप में प्रयोग करना चाहिये क्योंकि सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्ता दी जाती है। कार्यक्रम के विकास की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इसमें संस्था, समूह, व्यक्ति और कार्यकर्ता के ज्ञान पर बल दिया जाता है क्योंकि ये सब मिलकर कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

ट्रेकर के अनुसार ''साधारण शब्दों में सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम को किसी वस्तु या प्रत्येक वस्तु के अर्थो में लिया जाने लगा है जो समूह अपनी अभिरूचियों की संतुष्टि के लिए करता है।''

कार्यक्रम नियोजन एवं विकास

सामूहिक समाज कार्य के विकास में एक समय ऐसा था जब कार्यक्रम को क्रियाकलापों और घटनाओं से सम्बन्धित किया जाता था। ट्रेकर के अनुसार अब ''कार्यक्रम'' को ''एक अवधारणा माना जाता है– एक ऐसी विस्तृत अवधारणा जिसमें क्रियाकलापों, सम्बन्धों, अन्तःक्रियाओं और वैयक्तिक एवं सामूहिक अनुभवों का एक पूरा रेन्ज सम्मिलित किया जाता है और जिसका नियोजन समझ–बूझ कर किया जाता है और जिन्हें कार्यकर्ता की सहायता से व्यक्तियों और समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यान्वित किया जाता है।''

कार्यक्रम को एक प्रक्रिया माना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं और समूह के सदस्यों की अभिरूचियों को कार्यकर्ता संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों और सामुदायिक पृष्ठभूमि में समझता है। इन आवश्यकताओं और अभिरूचियों को खेजने और समझने में वह व्यावसायिक प्रणालियों, विधियों और

अपनी निपुणताओं का प्रयोग करता है। इस प्रयोग में संस्था के पदार्थ साज–सामान और माध्यम सम्मिलित हैं। इन कार्यक्रमों का क्षेत्र सामुदायिक जीवन होती है।

कार्यक्रम विषयवस्तु समूह के तत्वावधान में एक उपकरण है जिसका प्रयोग व्यक्तियों और सम्पूर्ण समूह के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से कार्यक्रम व्यक्ति और समूह के विकास का एक माध्यम या उपकरण है और इसे एक विकासात्मक अनुभव होना चाहिए न कि कोई अध्यारोपित वस्तु। इसी प्रकार कार्यक्रम व्यक्ति एवं समूह के विकास का माध्यम है जिसे समूह की मौलिक आवश्यकताओं और अभिरूचियों से ही बनाया जाना चाहिए। समूह द्वारा किया जाने वाला यह क्रियाकलाप कार्यक्रम का एक भाग होता है और उसे कार्यान्वित करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह उस समूह का उस समय भर का कार्यक्रम कहलाता है।

कार्यक्रम के अंगभूत

कार्यक्रम की व्याख्या में कार्यक्रम के तीन अंगभूतों– विषयवस्तु, क्षेत्र माध्यम एवं कार्यक्रम के सम्पादन की पद्धति का उल्लेख भी आवश्यक है। विषयवस्तु के अधिक भाग में मनोविनोद और अवकाश के समय का प्रयोग आता है। नागरिकों द्वारा समुदाय के मामलों में सहभागिता भी सामूहिक समाज कार्य का महत्वपूर्ण भाग है। कुछ संस्थाएँ घरेलू और पारिवारिक जीवन जिनमें सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों की कई समस्याएँ आती हैं, पर बल देती हैं।

कार्यक्रम के माध्यमों में पार्टी सामाजिक उत्सव, रंगमंच (नाच–गाना) मनोविनोद के कार्यक्रम, आदि, आते हैं। सामूहिक कार्यक्रम की पद्धति में कार्यकर्ता द्वारा समूह के साथ कई प्रकार की क्रियाओं की एक श्रृंखला आती है। कार्यकर्ता समूह को कार्यक्रम सम्बन्धी विषयवस्तु और कार्यक्रम के सम्पादन का माध्यम निर्धारित करने में सहायता देता है।

कार्यक्रम का प्रमुख भाग विचार–विमर्शी है। अतः कार्यकर्ता इस विचार–विमर्श को निर्देशित करके कार्यक्रम के निर्माण में सहायता देता है। यह सामूहिक समाज कार्यकर्ता कार्यक्रम के तीन पक्षों– कार्यक्रम का क्या– विषयवस्तु, कार्यक्रम का कैसे– माध्यम को, कार्यक्रम का क्यों– उद्देश्य, से सम्बन्धित करता हुआ उच्च कोटि की निपुणता का प्रयोग करता है। कार्यक्रम के इस निर्माण में सहायता करता हुआ कार्यकर्ता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि, दृष्टिकोणों और आकाँक्षाओं का ध्यान रखता है।

विल्सन और राइलैण्ड के अनुसार सामूहिक समाज कार्यकर्ता कार्यक्रम नियोजन और विकास का एक कलाकार होता है। जिसे अपने उपकरणों और सामग्री का पूरा ज्ञान होता है। यह है कार्यक्रम विषयवस्तु की उपयुक्ता, संस्था के उद्देश्य और कार्य, समूह के सदस्यों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताएँ एवं अभिरूचियाँ, और किसी विशेष समूह और सम्पूर्ण समुदाय के मूल्य एवं आदर्श। उनके अनुसार कार्यक्रम प्रक्रिया में तीन मूलभूत तत्व होते हैंः (1) सदस्य (2) सामूहिक समाज कार्यकर्ता, और (3) कार्यक्रम विषय–वस्तु। प्रत्येक तत्व के अपने–अपने कई अंगभूत होते हैं। जैसे सदस्य–अपनी

अभिरुचियाँ, आवश्यकताएँ, विशेष योग्यताएँ, मूल्य एवं आदर्श और अपने परस्पर संबंध रखते हैं।

कार्यकर्ता– अपना व्यावसायिक ज्ञान एवं निपुणता, अपनी विशेषताएँ, सदस्यों से अपने सम्बन्ध, संस्था के कर्मचारी होने के नाते अपनी भूमिका, और संस्था और सम्पूर्ण समुदाय के मूल्य एवं आदर्श रखता है। कार्यक्रम विषयवस्तु– सदस्यों की आवश्यकताओं और अभिरूचियों को पूरा करने की क्षमता, समूह, समुदाय और समाज के मूल्यों एवं आदर्शों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है।

सामूहिक समाज कार्य में समूह के कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रमों के आधार पर ही समूह की गतिविधियाँ गतिशील रहती हैं, और कार्यक्रमों के नियोजन, संचालन व मूल्यांकन में सदस्य गुँथे रहते हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से सम्बन्धों में दृढ़ता आती है और समूह का प्रत्येक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह के नियमों का पालन करता हुआ प्रयत्नशील रहता है।

सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम नियोजन के मूल सिद्धान्तों का तो पालन किया ही जाता है पर साथ ही इसके अन्य सिद्धान्तों का भी पालन किया जाता है। जैसे आत्मनिर्णय का ही सिद्धान्त है। समूह जो करना चाहता है वह स्वंय निश्चित करता है।

कार्यकर्ता समूह के इस कार्य में केवल रास्ता दिखाता है। कार्यकर्ता समूह को कार्यक्रम नियोजन में निम्न प्रकार से मदद् करता है।

समूह को कार्यक्रम नियोजन के लिये प्रेरित करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की यथोचित समय पर जानकारी देता है। कौन सा कार्यक्रम किस प्रकार से उपयुक्त रहेगा इस निर्णय में समूह के कार्यक्रमों के गुण–दोष बताकर मदद करता है। इससे समूह को हितकारी कार्यक्रमों के चयन व निर्णय में सहायता मिलती है। समूह की आवश्यकताओं के बारे में समूह में चेतना जगाता है।

समूह के सदस्य स्वयं की व समूह की आवश्यकताओं को समझ से और उसके अनुसार कार्यक्रम का नियोजन कर सकें, इसके लिये उनकी मदद करता है। आवश्यकतानुसार कार्यक्रमों के आयोजन में लगने वाले साधनों के चयन में सदस्यों के प्रयासों में सहायता करता है। साधन कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं व किस प्रकार उपलब्ध हो सकते हैं इस प्रयास में भी समूह की सहायता करता है और समूह का ध्यान इंगित करता है, समूह की परिस्थितियों से अवगत कराता है। समूह की स्थितिजन्य कमियों, गुणों एवं शक्तियों से परिचय कराता है।

सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम नियोजन में निम्नलिखित विशेष बातों का ध्यान देना चाहियेः–

1. कार्यक्रम समूह द्वारा नियोजित होना चाहिये। समूह के सदस्यों को मिलकर यह ठहराना चाहिये कि उन्हे क्या कार्यक्रम करना है। निर्णय के लिये समूह चर्चा आवश्यक परिस्थिति होती है।
2. संस्था के नियमों, गुणों साधनों, व सीमाओं का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यक्रम नियोजन होना चाहिये इसके लिये कार्यकर्ता को ये चाहिये कि वह समूह को संस्था की सभी विशेषताओं से यथासंभव अवगत कराये और करता रहे।

3. कार्यक्रम निर्णय में सभी सदस्यों की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का भी यथा संभव समावेश होना चाहिये।
4. कार्यक्रमों का स्वरूप समूह के सबसे अधिक समस्याग्रस्त भाग को लाभ पहुँचाने वाले उद्देश्यों को प्राथमिकता देने वाला होना चाहिये।

कार्यकर्ता कार्यक्रम नियोजन में निम्न प्रकार से भी सहायता करता हैः–

1. प्रेक्षण व अवलोकन करके, सुनकर, तथा कार्य करके।
2. विश्लेषण और अभिलेखन।
3. सीमाओं का उपयोग।
   जिसमें तीन प्रकार की सीमायें आती हैं : (क) सामग्री व भौतिक पदार्थ, (ख) साधनों व सुविधाओं द्वारा आरोपित सीमायें और (ग) व्यक्ति के अन्दर अन्तर्निहित सीमायें।
4. घर व समुदाय सम्बन्धी निरीक्षण, परीक्षण और परामर्श करता है।
5. अध्यापन व नेतृत्व करता है।
6. व्यक्तियों को निपुणताएँ प्राप्त करने में सहायता करता है।
7. सदस्यों को नेतृत्व करने में सहायता करता है।
8. विशेषज्ञ का उपयोग करता है। अपने विशेष ज्ञान का समूह कार्य में कार्यक्रमों में नियोजन में उपयोग करता है।

क्योंकिः–

1. समूह की अन्तर्क्रियायें कार्यक्रमों के माध्यम से ही सक्रिय रहती हैं।
2. समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति कार्यक्रमों के द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं।
3. कार्यक्रमों के प्रयोजन, नियोजन और संयोजन के लिये निर्णय की प्रक्रिया सामूहिक होती है। अतः समूह का हर सदस्य संगठन के उद्देश्यों से निर्णय के पक्ष या विपक्ष में होता है इस परिस्थिति में किसी सदस्य को अपनी इच्छाओं का सामूहिक इच्छाओं में विलय करना पड़ता है और कुछ सदस्यों को अपनी इच्छाओं का दमन भी करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में सदस्य मिल कर काम करना और रहना सीखते हैं।

कार्यक्रम नियोजन का तरीका

समूह के कार्यक्रम बड़े, छोटे, समयानुसार, लम्बी अवधि के समय काटने के लिये, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये, समस्याओं को दूर करने के लिये, समूह के सदस्यों के विकास के लिये और कई बार समूह कार्य सम्बन्धी संस्थाओं के उद्देश्यों के स्वरूप नियोजित किये जाते हैं।

कार्यक्रम के नियोजन के लिये समूह का मिलना आवश्यक होता है। कार्यकर्ता समूह को समय व स्थान की सूचना देता है और मिलने का संदेश भी।

समूह के सदस्यों के एकजुट हो जाने पर कार्यकर्ता सर्वप्रथम औपचारिक सम्बोधनों, कैसे है ?आदि के या फिर मौसम के बारे में या किसी खास खबर के बारे में

बोलकर बातचीत प्रारम्भ करता है। यह तरीका समूह में बातचीत करने का या संचार का सहज वातावरण तैयार करने के लिये अच्छा होता है।

यदि इस औपचारिक कार्यक्रम क्रिया के दौरान किसी सदस्य के व्यवहार में कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी तो उसके लिये समूह का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करवाना चाहिये ताकि समूह के सदस्य उस कार्यक्रम प्रतिक्रिया को सहजता में बदलने का प्रयास करें। अन्य सदस्यों के इस प्रयास को भी कार्यक्रमों का स्वरूप आ सकता है। जैसे यदि कोई सदस्य उदासीन दिखाई पड़ा, बोलने में हिचक रहा है तो कार्यकर्ता उसे पूछ सकता है कि क्या आपको कोई तकलीफ है?

ऐसा कह कर समूह का ध्यान उस व्यक्ति की ओर आकर्षित करवाता है। सदस्य उत्सुकता दिखाते हैं और यह कह सकते हैं कि हम लोग कोई खेल खेलेगे या फिर चुटकुले कहेंगे जिससे उस उदासीन सदस्य का कष्ट कम हो जायेगा। इस प्रकार खेलने का और चुटकुले कहने का सुझाव सर्वसम्मति से एक समयानुसार कार्यक्रम बन जाता है।

रूपरेखा में निम्नलिखित अवयवों को स्पष्टता से अंकित किया जाता है।

- कार्यक्रम की आवश्यकता।
- कार्यक्रम के उद्देश्य।
- कार्यक्रम का प्रकार व नाम।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियाँ।
- कार्यक्रम का स्थान।
- कार्यक्रम की तारीख, समय व अवधि।
- कार्यक्रम के संचालनार्थ समितियों का गठन व काम की जिम्मेदारी का निर्णय (कौन–कौन से कार्य करेगा।)
- साधनों की सूची बनाना और साधन इकट्ठा करना।
- व्यवस्था करना।
- अभ्यास करना।
- कार्यक्रम संचालित करना।
- कार्यक्रम के चलते समय आने वाली अड़चनों को दूर करना।
- कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।

शिविर

यदि कई लोग एक प्रकार की परिस्थितिजन्य समस्याओं से बाधित हैं तो उनको दूर करने के लिये प्रशिक्षण शिविर व अन्य रोकथाम शिविर का कार्यक्रम किया जा सकता है। जैस युवाओं को रोजगार उपयुक्त बनाने के लिये रोजगार दक्षता शिविर चलाये जा सकते हैं। उसमें उन्हें तरह–तरह के काम सिखाये जा सकते हैं। साथ ही उन्हें रोजगार प्राप्ति के लिये उपयोगी कुशलताओं का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। जैसे आवेदन पत्र कैसे लिखना, किसको लिखना, किससे मिलना आदि का ज्ञान।

स्वरोजगार के बारे में भी औपचारिकताओं व रोजगार चलाने के लिये उपयुक्त कार्यकुशलताओं जैसे खर्चे का लेखा–जोखा रखना, ग्राहकों को कैसे आकर्षित करना, किस प्रकार का माल लनाना कीमतें कैसे तय करना आदि के बारे में बताया जा सकता है। इसी प्रकार से स्कूल छोड़े हुये बच्चों के शिविर लगाकर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा व प्रशिक्षण लेने के लिये प्रेरित किया जा सकता है।

घूमने–फिरने के शिविर

कई संस्थायें जैसे गर्ल गाईड, स्काउट, युवा क्रिश्चियन संस्थायें, आदि बच्चों व युवाओं को पिकनिक आदि ले जाने के कार्यक्रम चलाते हैं। इन कार्यक्रमों द्वारा हवा पानी बदलने से व्यक्ति ताजगी महसूस करता है। समूह भावना विकसित होती है। मिलकर रहने का महत्व मालूम होता है। कम वस्तुओं में जीवनयापन करने की समझ पैदा होती है।

अनजान जगह में समायोजन व अस्तित्व को बनाये रखने में आने वाली अड़चने से साक्षात्कार होता है और उनसे निपट लेने से जोखिम उठाने का बल विकसित होता है जो विकास के लिये अत्यावश्यक होता है। पिकनिक आदि या कैंप में जाने से स्वच्छ हवा भी मिलती है और प्रकृति का आनंद भी उठाया जा सकता है। कई बार घर के झमेलों से दूर चले जाने से व्यक्तित्व को बल मिलता है जिससे वह फिर से उन झमेलों का सामना करने में सक्षम होता है और समायोजन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सकारात्मक होती है।

शहरी बच्चों को गाँव जंगल व गाँव के बच्चों को शहर दिखाने ले जाने से उनको आनन्द के साथ ज्ञान भी प्राप्त होता है। बच्चे बस में घूमकर खुश होते हैं इससे उनका मनोबल बढ़ता है।

खुले वातावरण में कई बार समाज की रूढ़ियों व नियंत्रित व्यवस्था से हटकर सामान्य व्यवहार करने को मिलता है। इससे तनाव कम होते हैं।

रचनात्मक कार्यक्रम

मिट्टी से खेलना, बालू के टीले का घर बनाना, कागज के एलबम या छोटे–छोटे खिलौने व घर आदि बनाना, लकड़ी काट कर उन्हें आकार देना, माचिस की तीलियों से आकार बनाना, कागज के फूल बनाना, पाककला की वस्तुयें बनाना, बुनना सिलना, ड्राईग (चित्र) आदि सब हस्तकला की गतिविधियाँ हैं। उसमें चटाई बुनना, कागज काटना चिपकाना, टोकरी बनाना पतंग बनाना आदि भी शामिल हो सकते हैं। चित्र, घर, मानव, आकार आदि बनाने से एक ओर जहाँ कलात्मक कौशल का विकास होता है वहीं भावनाओं को अभिव्यक्ति भी मिलती है।

सामाजिक जीवन की अड़चनों व सम्बन्धों के नकारात्मक पहलुओं को कला के माध्यम से उद्घाटित कर के मन को हल्का किया जा सकता है। बाल निर्देशन केन्द्रों में इस प्रकार की गतिविधियों द्वारा बच्चों की मानसिकता उसकी समस्यायें व अवरोध ग्रंथियों को समझने के लिये उपयोग किया जाता है। चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग भावनाओं के स्पष्टीकरण व कुंठाओं से मुक्ति दिलाने के लिये उपयोग में लाया जाता है।

चर्चा सत्र

- चर्चा करने से व्यक्तियों में आपसी संचार बढ़ता है एक दूसरे से बातचीत करने की क्षमता का विकास होता है।
- अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलता है जिससे मन तो हल्का होता ही है साथ ही स्वयं को मान सम्मान व सामूहिक स्वीकृति भी मिलती है।
- अपनी गलत धारणायें सुधारने की परिस्थिति प्राप्त होती है।
- ज्ञान मिलता है और ज्ञान बाँटने का मौका भी मिलता है।
- निर्णायक शक्ति का विकास भी होता है।
- कार्यक्रम निर्धारण का मौका मिलता है।
- अपनी घुटन से छुटकारा मिलता है।
- सामूहिकता की भावना बढ़ती है और एक दूसरे की बातें सुनने समझने की भावना भी बढ़ती है।
- चिकित्सकीय चर्चा सत्रों द्वारा मनोशारीरिक रोगों का निदान भी संभव होता है।
- जीवन के प्रति लगाव बढ़ता है और अपनी समस्या कम लगने लगती है।
- यह भी आभास होता है कि समस्या केवल हमें ही नहीं है अन्य लोगों को भी है इससे मनोबल बढ़ता है और समस्या का असर मानसिक तौर पर कम होता है। साथ ही मिलकर समस्या–समाधान के रास्ते निकाले जा सकते हैं और समस्या सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है।
- नेतृत्व की शक्ति का आभास व विकास होता है।

नाटक, संगीत या सांस्कृतिक आयोजन

- संगीत से कला व सृजनशक्ति विकसित होती है।
- संगीत से कलात्मक अनुभूति होती है और संगीत गाने वाले को सुनने वालों का ध्यान व उनसे मान भी मिलता है।

भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। दुख की अभिव्यक्ति दुख भरा गाना गाकर की जाती है। और मस्ती का अनुमोदन भी गाना बजाना कर के किया जाता है। नाटक से मनोरंजन होता है, सबको मान मिलता है, सामूहिक क्रियाकलापों का मौका मिलता है। सदस्य मिलकर नाटक करते हैं तो सामंजस्य बढ़ता है। देखने वालों का मनोरंजन होता है। सफल पात्रों के साथ तादात्मीकरण करके लोग सामाजिक क्षेत्रों की असफलताओं से छुटकारा पाने का आनन्द ले सकते हैं। दुखों के कारण बुरे व्यक्ति का हनन होते देखकर स्वयं के दुश्मनों का हनन होने का सुख पाते हैं। सामाजिक मान्यताओं या समाज परिवर्तन के मुद्दों के प्रसार के लिये नाटकों का उपयोग अच्छा होता है।

नाटक से कला व सृजनशक्ति का विकास तो होता ही है साथ ही समाज के मूल्यों व व्यक्तियों की परिस्थितियों व व्यक्तित्व के बारे में, व्यवहार के बारे में, भूमिकाओं के बारे में ज्ञान प्रबोधन भी होता है। करने वाले का भी और देखने वाले का

भी। नाटक करने में कार्यों की कई गतिविधियों का समावेश होता है इसमें ''संगठन लोगों की व्यवस्था, समन्वय, प्रक्षेपण, भावनात्मक प्रक्षेपण, संगठन, आदि का अनुभव होता है जिससे उनमें इन दक्षताओं का विकास होता है। साधन संकलन की दक्षताओं का भी विकास होता है।

इन सभी कार्यक्रम सम्बन्धी बातों का विश्लेषण करने से हमें यह भान होता है कि कार्यक्रमों द्वारा ही समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है इसलिये कार्यक्रमों को समूह कार्य का यंत्र कहा गया है।

कथा कहानी

कथा कहानियाँ कवितायें व पहेलियों आदि के कार्यक्रम बहुत ही रोचक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। कथा कहानियों द्वारा भावनाओं को अभिव्यक्ति मिलती है और साथ ही कहने या लिखने वाले की तरफ लोगो का ध्यान लगा रहता है। इससे कथा या कहानियाँ बताने वाले को सामाजिक मान मिलता है। कथा कहानियों से कलात्मक सृजन शक्ति का विकास होता है। सामाजिक अनुबन्धों का ज्ञान व मान कथा कहानियों द्वारा सहज ढंग से बच्चों एवं बड़ों को भी कराया जा सकता है। जैसे लैला मजनू की कहानी द्वारा लोगों को समाज की अवहेलना कर के प्रेम आदि में न पड़ने की सीख मिलती है और साथ ही प्रेम के पात्रों के तादात्मीयकरण के कारण प्रेम की अभिव्यक्ति भी होती है।

अधिकांश कथा कहानियों अच्छाइयों को उजागर करते हैं और बुराइयों की अन्ततः हार ही बताते हैं इससे सामाजिक मूल्यों का विकास होता है।

पहेलियों द्वारा, कविताओं द्वारा जहाँ एक ओर ज्ञान बढ़ता है साथ ही मनोरंजन भी होता है और सफलता मिलने से मनोबल बढ़ता है और व्यक्तित्व का विकास होता है।

श्रवण शक्ति बढ़ती है। ध्यान शक्ति का भी विकास होता है। काल्पनिक शक्ति भी बढ़ती है। कथा, कहानियों व कविताओं, मुहावरों, पहेलियों को व्यक्ति उनकी रोचकता के कारण याद कर लेते हैं। इससे कथा कहानियाँ जीवन भर उनके मानस को राहत पहुँचाने का सामाजिक समायोजन व व्यक्ति विकास के लिये साधन के रूप में उपयोगी रहती है। संस्कृति का प्रसार भी कथा कहानियों द्वारा होता है। रामायण व महाभारत की कहानियों द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। समूह को जमा करने के लिये कथा कहानियों का सत्र बहुत काम में आता है।

अच्छे कार्यक्रम की कसौटी

सामूहिक समाज कार्य के अच्छे कार्यक्रमों में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिएः–

1. कार्यक्रम में समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं तथा रूचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
2. कार्यक्रम बनाने में सदस्यों की भिन्न–भिन्न उम्र, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा आर्थिक स्थिति का ख्याल रखा जाना चाहिए।

3. कार्यक्रम में व्यक्तियों को वे ही अवसर और अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए जिनमें वे स्वेच्छा से भाग लेना स्वीकार करें, क्योंकि रूचि–अरूचि का बहुत महत्व है।
4. कार्यक्रम काफी लचीला और कई प्रकार का होना चाहिए ताकि वह विभिन्न उम्र के और विभिन्न प्रकार की रूचि वाले व्यक्तियों के अनुकूल हो और भाग लेने वालों को उसमें अधिक से अधिक अवसर मिलने की गुंजायश हो।
5. समूह के अनुभव, ज्ञान, क्षमता और तैयारी के अनुसार कार्यक्रम का सिलसिला क्रमिक रूप से सरल से जटिल की ओर होना चाहिए।

सामूहिक समाज कार्य में कुशलता प्राप्ति के उपाय

सामूहिक समाज कार्य को समाज कार्य की एक पद्धति के रूप में कार्यकर्ता द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अतः अपेक्षित है कि समूह कार्यकर्ता वृत्तिक समाज कार्य अभ्यास में कुशल एवं गुणी हो जिसके लिये उसका व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता को कम से कम स्नातकोत्तर स्तर पर दो या तीन वर्षों का व्यावसायिक समाज कार्य प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। समूह कार्य करने की प्राथमिक अवधि में कार्यकर्ता को अधिक अनुभव प्राप्त, समूह कार्यक्रम के निरीक्षक के अन्तर्गत कार्य करना चाहिये। कई बार समूह कार्य निरीक्षक के अन्तर्गत कार्य करना चाहिये।

कई बार समूह कार्य की अन्तर्क्रियाओं के बहुदिक होने के कारण नये कार्यकर्ताओं को कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। इसलिये यदि कार्यकर्ता अपने से अधिक अनुभवी कार्यकर्ता को समूह कार्य अभ्यास करते समय देखता है और उसका अवलोकन करता है तो वह अधिक सीख सकता है। यदि स्वयं भी वह अकेले ही समूह कार्य का अभ्यास कर रहा है तो अनुभवी कार्यकर्ता को अवलोकन के लिये बुलाकर बाद में उसके साथ चर्चा द्वारा अपने कार्य का मूल्यांकन करके समूह कार्य में अधिक दक्षता प्राप्त कर सकता है।

इसके अलावा कार्यकर्ता समूह कार्य की रिपोर्ट लिखकर उसके आधार पर अपने पर्यवेक्षक के बारे में मूल्यांकनात्मक चर्चा कर सकता है। ऐसा करने से भी वह अधिक जिम्मेदारी व समझदारी प्राप्त कर सकता है और अपने समूह कार्य के अभ्यास को अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है।

समस्याग्रस्त, समलिंगी, समूहों की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना कार्यकर्ता के लिये आवश्यक होता है। एक विशेषता के आधार पर बना समूह अपने आप में एक प्रकार के समूह के साथ कार्य कर रहा हो उसके बारे में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करें। विभिन्न प्रकार के समूहों के साथ कार्य करने वाली संस्थायें बीच–बीच में छोटे छोटे अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती रहती हैं। इनका लाभ कार्यकर्ता उठा सकते हैं और अलग–अलग प्रकार के समूहों के साथ कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं।

संस्थायें अपने उद्देश्यों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं। जैसे बालकल्याण संस्था द्वारा एक या दो हफ्ते का बाल व्यवहार विज्ञान का प्रशिक्षण शिविर, युवा कल्याण संस्था द्वारा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण शिविर, अस्पताल में टी0बी0 या कैंसर

मरीजों के साथ समूह कार्य का प्रशिक्षण शिविर या ''मद्यपान करने वाले मरीजों के साथ काम करने के कौशल्य के शिविर आदि।

कार्यकर्ता जिस संस्था में कार्यरत हो उसके तत्वावधान में भी अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा सकते हैं। कार्यकर्ता जिन विषयों में कठिनाई अनुभव करता है उन विषयों पर अनुभवी कार्यकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श गोष्ठियों का आयोजन भी संस्था द्वारा किया जा सकता है। कार्यकर्ता समूह कार्य के अपने अनुभवों के आधार पर लेख लिख कर भी समूह कार्य अभ्यास के कुछ पक्षों के बारे में अन्तः दृष्टि प्राप्त कर सकता है।

समय–समय पर अपने कार्यों का विचारात्मक मूल्यांकन करने से भी कार्य करने की नयी दिशायें सूझने लगती है।

कार्यकर्ता के गुण एवं विशेषताएँ

कुछ खास प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति अच्छे कार्यकर्ता सिद्ध होते हैं। समूह कार्य की भूमिकाओं को बखूबी निभाने में कौशल्य के साथ–साथ व्यक्ति की अपनी विशेषताएँ भी महत्वपूर्ण ठहरती हैं। कार्यकर्ता एक व्यक्ति के नाते एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व वाला होता है उसकी स्वयं की रूचियाँ और कार्य करने की दृष्टिकोण होता है।

सामूहिक समाज कार्य के लिये उपयुक्त कार्यकर्ता के गुण कई बार उसके सामान्य गुणों व व्यक्तित्व के पहलुओं से भिन्न हो सकते हैं। कार्यकर्ता को इस बात का एहसास होना चाहिये कि उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष कार्य में अधिक उपयोगी हो सकता है या कौन सा पक्ष समूह के विकास कार्य के लिये हानिकारक ठहर सकता है। सामान्य रूप से बहुत शान्त या सामान्य रूप से बहुत क्रोधी व्यक्ति कायकर्ता बनने लायक नहीं होते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि सामान्य व्यक्ति की भूमिका में ऊपर लिखे दोनों गुणों का प्रक्षेपण अपने सामान्य सम्बंधियों के सामने धारकों के लिये सामान्य बात होगी।

एक मानव होने के नाते उसे पूरा अधिकार व छूट रहती है कि वह अपने सहज व्यक्तित्व के साथ लोगों के साथ पेश आये। इन गुणों वाले व्यक्ति जब कार्यकर्ता की भूमिका में होते हैं तो इन्हीं गुणों का उपयोग समझदारी से समूह के लिये जो उपयुक्त होता है उस प्रकार से करते हैं समाज कार्य प्रशिक्षण द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि कार्यकर्ता अपने सामान्य व्यक्ति के गुणों का ढंग से इस प्रकार से उपयोग करना सीख जायें जिससे कि लाभार्थी की सेवा सम्बन्धी उद्देश्य सिद्ध हो। प्रशिक्षण के दौरान मानव व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान, एवं सहायता करने के अभ्यास द्वारा व्यावसायिक कार्यकर्ता में अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है और किया जाता रहा है।

कार्यकर्ता की निपुणता

1. **समूह के साथ भाग लेने में निपुणता।**
   - **क.** सामूहिक समाज कार्यकर्ता में समूह के प्रति अपनी भूमिका निर्धारित करने, उसकी व्याख्या करने, उसे ग्रहण करने और उसे परिवर्तित करने का निपुणता होनी चाहिये।

ख. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में समूह के सदस्यों को सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने, अपने बीच में से नेतृत्व को ढूँढ़ने और अपनी क्रियाओं के विषय में उत्तरदायित्व स्वीकार करने में सहायता देने की निपुणता होनी चाहिये।

2. समूह की भावनाओं से निपटने में निपुणता

क. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में समूह के प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की निपुणता होनी चाहिये और उसे प्रत्येक नवीन परिस्थितियों को उच्चकोटि की विषयनिष्ठता, भविष्यात्मकता से अध्ययन करना चाहिये।

ख. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में समूह को अपनी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता देने की निपुणता होनी चाहिये। कार्यकर्ता में सामूहिक एवं अन्तर्सामूहिक संघर्ष की परिस्थिति का विश्लेषण करने में समूह को सहायता देने की निपुणता होनी चाहिये।

3. कार्यक्रम के विकास में निपुणता

क. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में सामूहिक चिंतन का मार्ग प्रदर्शन करने की निपुणता होनी चाहिये जिससे उनकी अभिरूचियों और आवश्यकताएँ प्रकट हो सकें और समझी जा सकें।

ख. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में समूहों को ऐसे कार्यक्रमों का विकास करने में सहायता देने की निपुणता होनी चाहिये जिनके माध्यम से समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हों।

4. उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में निपुणता

क. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में समूह में स्वीकृति प्राप्त करने और समूह से एक सकारात्मक व्यावसायिक आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने की निपुणता होनी चाहिये।

ख. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में निपुणता होनी चाहिये कि वह समूह के सदस्यों को एक–दूसरे को स्वीकार करने और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में समूह के साथ सहयोग करने में सहायता दे सके।

5. समूह की परिस्थिति का विश्लेषण करने में निपुणता

क. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में समूह के स्तर को जानने उसकी आवश्यकताओं को ज्ञात करने और समूह जितनी जल्दी आगे बढ़ने को तैयार है, निर्धारित करने के लिये समूह के विकास के स्तर को समझने की निपुणता होनी आवश्यक है।

ख. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में इस बात की निपुणता होनी चाहिये कि वह समूह के अपने विचारों को व्यक्त करने, उद्देश्यों का निर्माण करने, लक्ष्यों का स्पष्टीकरण करने और समूह के रूप में अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने में सहायता कर सके।

6. संस्था और सामुदायिक साधनों के प्रयोग में निपुणता

क. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में उन विभिन्न सामुदायिक सहायक साधनों का पता लगाने और उनके विषय में समूह को जानकारी कराने की निपुणता होनी चाहिये, जिनका प्रयोग कार्यक्रमों की प्राप्ति के लिये किया जा सकता है।

ख. सामूहिक समाज कार्यकर्ता में समूह के उन सदस्यों को जिनकी आवश्यकतायें समूह के माध्यम से पूरी नहीं हो पाती, विशिष्ट सेवाओं का प्रयोग करने में सहायता देने की निपुणता होनी चाहिये।

7. मूल्यांकन में निपुणता

क. सामूहिक समाज कार्यकर्ता द्वारा समूह के साथ कार्य करते समय विकास सम्बन्धी क्रिया के अभिलेखों का प्रयोग और समूह को उन्नति प्राप्त करने में ज्ञान, प्रबोध और सिद्धान्तों के चेतन प्रयोग इस विधि से किया जाना चाहिये जिससे व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार में उचित परिवर्तन आ जायें। फिलिप, ने सामूहिक समाज कार्य से कार्यकर्ता में अपेक्षित निम्नलिखित दक्षताओं का सुझाव दिया है।

1. संस्था के कार्यों के प्रयोग में निपुणता।
2. वर्तमान की वास्तविकता के प्रयोग में निपुणता।
3. भावनाओं के संचारण में निपुणता।
4. सामूहिक सम्बन्धों की उत्तेजना एवं उपयोग में निपुणता।

सामूहिक समाज कार्य में कार्यकर्ता की भूमिका और कार्य

कार्यकर्ता समूह कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में समूह की मदद सामूहिक समाज कार्य के सिद्धान्तों एवं प्रणालियों का उपयोग सामाजिक संस्था के तत्वावधान में संस्था की नीतियों का पालन करते हुये करता है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता तभी कार्य कर सकता है जब उसे समूह कार्य पद्धति का अर्थ, उद्देश्यों, प्रणालियों एवं दक्षताओं का ज्ञान हो। समाज कार्य प्रशिक्षण द्वारा उसे इन चीजों का मूल ज्ञान तो होता है किन्तु बदलती परिस्थितियों, बदलते मूल्यों, धारणाओं एवं उनसे प्रभावित प्रणालियों का स्वरूप समाज कार्य व अन्य विषयों के अन्तर्गत हुई खोजों की जानकारी द्वारा अनुमानित किया जा सकता है। अतः कार्यकर्ता का एक मुख्य कार्य होता है कि वह समूह कार्यों सम्बन्धी दिन–प्रतिदिन नये स्थापित तथ्यों से अवगत होने के लिये अध्ययनरत रहे।

समूह की प्रत्येक सदस्य इकाई हर दूसरे पर अन्तर्क्रिया द्वारा प्रभाव डालती है। इन अन्तर्क्रियाओं को उपयुक्त दिशा की ओर रूख करना कार्यकर्ता का कार्य है। यों तो सदस्य आपस में ही एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, पर सामान्य परिस्थितियों में स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति, मार्ग प्रदर्शन का मुख्य स्तर पर अनकहा आधार होता है। जब एक सदस्य दूसरे की मदद दोस्ती या स्वीकृति पाने के लिए करता है तो दोनों ही सदस्य लाभान्वित होते हैं। किन्तु जहाँ एक सदस्य दो दोस्तों में से एक की बड़ाई इसलिये करता है ताकि दूसरा पहले से विलग हो जाय तो यह नकारात्मक अन्तः क्रिया होगी क्योंकि इससे न केवल दो दोस्तों के बीच शंका पैदा होगी वरन् लड़ाई लगाने वाले का मन भी कटुता से छुटकारा नही पा सकेगा और समूह में

विघटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पहल करने वाले सदस्य को भी अन्य सदस्य शंकित दृष्टि से देखेंगे और उसे स्वीकृत प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी।

कई विकास कार्य में लगी संस्थाएँ सामूहिक समाज कार्य के द्वारा इन समस्याओं से निपटने का प्रयास कर रही हैं। जैसे महिला बचत योजना, पंचायती राज प्रशिक्षण शिविर, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर, उद्योगकर्ता विकास शिविर आदि कार्यक्रमों के संचालन में समूह कार्य का बहुतायत में उपयोग हो रहा है। ऐन्डरसन (1979) का मानना है कि सामाजिक होड़ के विकास का उद्देश्य रखने वाले व्यक्तियों के लिये समूह महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होता है। खास कर ऐसे व्यक्तियों के लिये जो निम्नलिखित अनुभवों से गुजर रहे हों अलगाव, निराशा, शोषण, वर्तमान मानवीय, सम्बन्धों के संदर्भ में दूसरों द्वारा न समझा जाना एवं परिवर्तित हो रही ऐसी व्यवस्थाओं में अपर्याप्तता का अनुभव जिन व्यवस्था के वे स्वंय एक भाग हो।'' इस प्रकार की भावनाओं से त्रस्त व्यक्तियों तक पहुँचना और उन्हें उनके कष्टदायी दायरों से बाहर निकाल कर समूह कार्य द्वारा उनका मनोबल बढ़ाना कार्यकर्ता का कार्य होता है, इस प्रकार की भावनाओं से त्रस्त व्यक्ति कई बार इतने निराश रहते है कि उन्हें क्या करना चाहिये यह सूझता नहीं है। कार्यकर्ता ऐसे लोगों की खोज करके उनके पास पहुँचकर उन्हें समूह कार्य द्वारा सहायता पहुँचाने का प्रयत्न करता है ।

अपने अनुभव के माध्यम से कार्यकर्ता का उद्देश्य दूसरे समूहों और विस्तृत समुदाय के साथ ऐसे सम्बन्ध स्थापित करता है जो उत्तरदायी नागरिकता, समुदाय के सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक या अन्य सामाजिक समूहों के बीच परस्पर ग्रहणशक्ति और प्रजातांत्रिक उद्देश्यों की और अपने समाज की निरन्तर प्रगति में एक भागीदारी लाने में योगदान करते हैं।

इस प्रकार के नेतृत्व के पीछे जो पथ–प्रदर्शन का उद्देश्य है वह प्रजातांत्रिक समाज की सामान्य मान्यताओं पर निर्भर है जैसे–प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के अवसर देना, दूसरों की प्रशंसा एवं आदर करना और अपने प्रजातांत्रिक समाज को बनाये रखने और उसमें निरंतर उन्नति लाने के अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करना।

सामूहिक समाज कार्य अभ्यास के पीछे वैयक्तिक एवं सामूहिक व्यवहार का ज्ञान और सामाजिक स्थितियों एवं सामुदायिक सम्बन्धों का ज्ञान हो जो आधुनिक सामाजिक विज्ञानों पर आधारित है। इस ज्ञान के आधार पर सामूहिक समाज कार्यकर्ता, उस समूह जिसके साथ वह कार्य करता है, को नेतृत्व की कुशलता का योगदान करता है जो सदस्यों की अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने और सामाजिक दृष्टि से रचनात्मक सामूहिक क्रियाकलापों का सृजन करने के योग्य बनाता है।

वह दोनों ही कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापों के प्रति और समूह के अंदर सदस्यों के व्यक्तित्व की ओर समूह और उसके आसपास के समुदाय के बीच परस्पर क्रियाओं के प्रति सजग रहता है।

सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूह के साथ अपने सम्बन्ध को, कार्यक्रम को एक उपकरण के रूप में समझने के अपने ज्ञान का और वैयक्तिक और सामूहिक प्रक्रिया के विषय में अपने ज्ञान का चेतन रूप से प्रयोग करता है और व्यक्तियों एवं समूहों जिनके

साथ वह कार्य करता है, के प्रति और उन विस्तृत सामाजिक मूल्यों, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पहचानता है।

विल्सन और राइलैण्ड के अनुसार व्यक्ति समूह में कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं जैसे, (1) सुरक्षा, (2) शिक्षा, (3) अन्वेषण या साहसिक कार्य (4) उपचार, (5) उन्नति (6) परामर्श या सलाह (7) प्रशासन (8) सहयोग (9) एकीकरण (10) नियेाजन।

सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूह के माध्यम से इनकी पूर्ति के लिए सहायता देता है।

सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूह के सदस्यों के बीच होने वाली अन्तर्क्रियाओं की प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करता है। समूह का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य को कई तरीकों से प्रभावित करता है। कार्यकर्ता को इन अन्तर्क्रियाओं की विषयवस्तु को समझना पड़ता है क्योंकि समूह में सदस्यों द्वारा भाग लेने की कई चरम सीमाएँ हो सकती हैं : (सदस्यों द्वारा प्रभावी व्यवहार या भागीदारी या कुछ सदस्यों द्वारा विनिवर्तन की प्रवृत्ति दोनों ही भागीदारी की चरम सीमाएँ हैं जो समूह में भाग लेने का वांछित व्यवहार नहीं है।)

विल्सन और राईलैण्ड ने सामूहिक समाज कार्यकर्ता के कार्यों में निम्न को विशिष्ट कार्य माना है : (1) समूह के साथ बैठक (2) व्यक्तियों के साथ विचार–विमर्श, जिसमें साक्षात्कार विधि का प्रयोग होता है, जैसे–समूह में सदस्य के निबन्धन के समय साक्षात्कार, आकस्मिक साक्षात्कार, नियुक्ति द्वारा साक्षात्कार और सदस्यों के घरों में मुलाकात करना, (3) प्रतिवेदन और अभिलेख लिखना, (4) सामुदायिक कार्यों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना,

कार्यकर्ता सामूहिक अन्तः क्रिया की प्रक्रिया में केन्द्र–बिन्दु नहीं होता। यह भूमिका तो समूह के नेता की हो सकती है। कार्यकर्ता तो एक सीमित समय के लिए समूह के साथ कार्य करता है। उसका कार्य समूह के सदस्यों और सम्पूर्ण समूह की आवश्यकताओं को समझना है जिससे वह सीमित समय में अपने व्यवहार को चेतन रूप से नियंत्रित रखता है जिससे वह सदस्यों की व्यक्तिगत और सम्पूर्ण समूह की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान कर सके।

तब कार्यकर्ता को कार्यक्रम सम्बन्धी विषयवस्तु का पूरा ज्ञान होता है, सदस्यों का ज्ञान और उनकी स्वीकृति प्राप्त होती है, और समूह की स्थिति में अन्तर्क्रिया की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न सम्बन्धों के रचनात्मक प्रयोग करने की कुशलता होती है, तभी वह समूह को निर्धारित सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता दे सकता है।

कार्यकर्ता को सामूहिक जीवन की गति के प्रति की या गतिशील का पूरा ज्ञान होना चहिये क्योंकि समूह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा
(1) व्यक्ति व्यक्तिगत एवं सामाजिक संतुष्टि और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं (2) व्यक्तिगत एवं सामाजिक आदर्श बदले जाते हैं, (3) समाज मे नियंत्रण बनाये रखा जाता है, (4) समाज अपने रस्मों, रिवाजों, आदर्शों और मूल्यों को हस्तांतरित करता है।

समूह में नेतृत्व विकास की प्रक्रिया

नेतृत्व समूह का एक प्राकृतिक व आवश्यक तत्व है। नेतृत्व के सहारे ही समूह अपने विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति के उस गुण से सम्बंधित होता है जो वह समूह के अन्य सदस्यों को स्वयं आगे बढ़कर रास्ता दिखाने वाला होता है। नेतृत्व शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में होती है। किन्तु किसी में कम और किसी में अधिक दिखाई पड़ती है।

समूह प्रत्येक व्यक्ति की नेतृत्व शक्ति को संचालित करने की योग्यता रखता है। आत्मनिर्णय के लिये समूह कार्य समूह प्रक्रिया द्वारा सदस्यों को प्रेरित करता है। आत्मनिर्णय की प्रक्रिया में व्यक्तिगत नेतृत्व की शक्ति भी संलग्न रहती है। स्वनिर्णय की शक्ति स्वसंचालन प्रेरित करती है और दूसरों पर अवलंबित होने से बचाती है। इस अर्थ में आत्मनिर्णय नेतृत्व शक्ति का अंश होता है।

सामान्यतः नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति के उस कार्य या कदम से लिया जाता है जो वह समूह के अन्य सदस्यों के हित के लिये इस अपेक्षा से उठाया है कि अन्य सदस्य उसके साथ उस हितकारी कार्य में सहभागी होंगे और उसका अनुसरण करेंगे। इन अर्थों में नेतृत्व दो तरफा या प्रतिक्रियात्मक होता है। इसमें नेता समूह के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही स्वयं को सफल व असफल समझ सकता है। दूसरी ओर अन्य सदस्य भी अपने लिये लाभकारी कार्यों को चाहते हुये भी कर नहीं पाते हैं जब कि उन्हें नेतृत्व का सहारा नहीं मिल जाता है। जब समूह का एक व्यक्ति समूह के सदस्यों को कहता है कि हम एकजुट हो सकते हैं तो सभी सदस्य एकजुट होने का प्रयास करने लगते हैं।

नेता का अनुसरण करने के लिये भी आत्मनिर्णायक शक्ति का उपयोग होता है। कोई व्यक्ति यदि स्वयं में सक्षम है धोखा उठाने को तो वह नेता की राह नहीं देखेगा। उसे जो चाहिये उसके बारे में वह स्वयं अपने आप निर्णय ले लेगा और उसे प्राप्त करने के प्रयास प्रारम्भ कर देगा।

कई समूहों में चर्चा के कार्यक्रम में कुछ देर प्रारम्भ में चुप्पी रहती है। फिर एक व्यक्ति के बोलने पर एक–एक करके सभी बोलने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक साथ ही दो तीन लोग बोलते हैं। कई बार एक ही व्यक्ति अपनी बात अधिक जोर देकर बोलता है। इन परिस्थितियों में ''नेतृत्व'', चर्चा प्रारम्भ करने वाले सदस्य में अधिक होगा, ऐसा समझा जा सकता है।

कई बार एक ही समूह में कई बराबरी के नेतृत्ववान व्यक्ति भी हो सकते हैं। इन परिस्थिति में नेतृत्व का संघर्ष भी हो सकता है। न केवल दो या तीन नेतृत्व गुणधारक सदस्यों में बल्कि अन्य सदस्यों में भी। कुछ एक दूसरे को मानेंगे और कुछ इस उलझन में पड़ जायेंगे कि किसको मानें।

अच्छे नेतृत्व के गुण

अच्छा नेता सक्षम कर्ता होता है। समूह उसके लिए काम नहीं करता बल्कि वह समूह के काम में सहायता करता है। वह अन्य लोगों के विचारों का और हर व्यक्ति का आदर करता है। वह व्यक्तियों को अपनी सहायता से परावलंबी नहीं स्वावलंबी बनाता है। समूह भावनाप्रवण होकर नहीं बल्कि बौद्धिक रूप में उससे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यह सब तभी सम्भव है जब कि वह सदा वस्तुनिष्ठ और नमनशील रहे और

उसका व्यवहार भावुकतापूर्ण अथवा अधिकार जताने का न होकर लोकतांत्रिक हो और वह समूह को अधिकतम जिम्मेदारी सौंपता हो। उसके व्यक्तित्व का गठन स्वस्थ होना चाहिए और समूह के सदस्यों के प्रति उसका व्यवहार सदा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उसे समूह की सामाजिक – आर्थिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए।

यह आवश्यक नहीं कि एक ही व्यक्ति हर परिस्थिति में नेतृत्व प्रदान कर सके। एक व्यक्ति खेल के मैदान में अधिक दृढ़ निश्चयी प्रतीत हो सकता है, पर वही व्यक्ति एक मजदूर संघ में दूसरे नेता की खोज करता है जिसका वह अनुसरण कर सके। जनजाति व्यवस्था में जहाँ प्रत्येक को विकास के मौके स्वयं उपलब्ध कराने पड़ते हैं, नेतृत्व शक्ति एक आवश्यकता होती है। सामूहिक समाज कार्य नेतृत्व प्रोत्साहित करता है।

समूह कार्य द्वारा समूह कार्यकर्ताः–

1. हर व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता अंकुरित करता है।
2. नेतृत्व प्रधान व्यक्तियों को नेतृत्व गुणों के उद्घाटन के मौके प्रदान करता है और
3. समूह के सदस्यों को नेतृत्व के चयन व पालन में मदद करता है।

उपर्युक्त तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कार्यकर्ता समूह कोः–

(अ) नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं नेतृत्व के लक्षण, गुण आवश्यकता एवं नेतृत्व विकसित करने वाले उपायों से अवगत कराता है।

(ब) समूह की अन्तः क्रिया को दिग्दर्शिता करते हुये सदस्यों की नेतृत्व शक्तियों का ध्यान आकर्षित करता है।

(स) सदस्यों को कार्यक्रमों के प्रयोजन, नियोजन व संचालन का उत्तरदायित्व लेने के लिये प्रेरित करता है व उनका मनोबल बनाये रखने में मदद करता है और उन्हें उत्साहित करता रहता है।

(द) कार्यक्रमों में उत्तरदायित्वों के विभाजन की ओर समूह को अग्रसर करता है ताकि प्रत्येक सदस्य कार्य सम्पादन के प्रति उत्तरदायी अनुभव करे और सहयोगी हो।

(क) संघर्षमय स्थिति से उबरने में समूह की मदद करता है और

(ख) साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार एवं कार्यों के प्रति स्वयं को उत्तरदायी अनुभव करे, इसके लिये कार्यकर्ता समूह के सभी सदस्यों में नेतृत्व विकास की दृष्टि से व्यक्तिकरण के सिद्धान्त का उपयोग करता है। विकासात्मक सिद्धान्तों द्वारा प्रभावित युग में प्रत्येक व्यक्ति को स्वःनेतृत्व की भावना का आभास होना उसके सुखी समायोजन के लिये आवश्यक है।

प्रत्येक व्यक्ति स्वःनेतृत्व संचालन में कुछ महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग करता है जो इस प्रकार हैः–

1. दूसरों से सम्बन्ध बनाता है।

2. निर्णय लेता है। आत्मनिर्णायक शक्तियों का अनुमान लगाता है और उनका विकास करता है व उपयोग भी करता है।
3. स्वयं की इच्छानुसार कार्य सम्पादित कर लेता है।
4. दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराता है और उसकी अच्छाइयों में दूसरों को क्या लाभ है यह बताता है।
5. अपनी शक्तियाँ, सम्बन्ध साधन, दूसरों को देकर उनसे अपने लिये कुछ प्राप्त करता है ।
6. झगड़ों या कठिनाईयों को निबटाता है।
7. कभी–कभी अपनी इच्छाओं या सुझावों को वापस ले लेता है।
8. बाहरी या अन्य समूहों के सम्बन्धी की मदद से समूह विशेष में अपना नेतृत्व सम्पादित करता है।
(9) दबावयुक्त समूहों की रचना का प्रयास करता है।

सार संक्षेप

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम नियोजन एवं विकास का विशेष महत्व है क्योंकि इसके द्धारा सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम नियोजन एवं विकास की अवधारणा , कार्यक्रम का अर्थ एवं उद्देश्यों की व्याख्या ,कार्यक्रम नियोजन का तरीका, सामूहिक समाज कार्य एवं कार्यकर्ता की आवश्यकता का ज्ञान , सामूहिक समाज कार्य में कुशलता प्राप्ति के उपाय, कार्यकर्ता के गुण एवं विशेषताओं को सीख ,कार्यकर्ता की निपुणतों का ज्ञान ,सामूहिक समाज कार्य में कार्यकर्ता की भूमिका और कार्यों, समूह में नेतृत्व विकास की प्रक्रिया की व्याख्या का ज्ञान प्राप्त हुआ।

अभ्यास प्रश्न

1. सामूहिक समाज कार्य में नियोजन के क्या तरीके होते हैं ?
2. सामूहिक समाज कार्य के अर्न्तगत लगाए गए शिविरों के रचनात्मक कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए ?
3. सामूहिक समाज कार्य में अच्छे कार्यक्रमों की क्या कसौटी निर्धारित की गई हैं ?
4. सामूहिक समाज कार्यकर्ताओं में कुशलता प्राप्ति के कौन–कौन से उपाय हैं?
5. सामूहिक समाज कार्यकर्ताओं में क्या निपुणता होनी चाहिए ?
6. समूह में नेतृत्व विकास की क्या प्रक्रिया होती है ?
7. अच्छे नेतृत्व के कौन–कौन से गुण होते हैं ?
8. सामूहिक समाज कार्यकर्ताओं के क्या मौलिक सिद्धान्त होते हैं?

9. सामूहिक समाज कार्यक्रमों से आप क्या समझते हैं ? इनके उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए?
10. सामूहिक समाज कार्य में किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है ?
11. सामूहिक समाज कार्य में अच्छे कार्यक्रमों की क्या कसौटी निर्धारित की गई हैं ?
12. सामूहिक समाज कार्यकर्ताओं में क्या निपुणता होनी चाहिए
13. सामूहिक समाज कार्यक्रमों के क्या उद्देश्य होते हैं ?
14 सामूहिक समाज कार्य में किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है ?
15. सामूहिक समाज कार्यकर्ताओं की भूमिका का वर्णन कीजिए हैं?

पारिभाषिक शब्दावली

Development - विकास
Group work - समूहकार्य
Aims - लक्ष्य
Personatities - व्यक्तित्व
Essential - जीवनोपयोगी
Importance - महत्व
Adjustment - सामांजस्य
Model - प्रारूप
Intrigrated - एकीकृत
Remedial - परिभाषा
Agency - संस्था
Social worker - सामाजिक कार्यकर्ता

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Pepell, G.P. & Rathman, B.- Social Work with Groups.
2.Trecker, H.B.- Social Group Work. Principles and Practice Newyork Association Press.
3.Toselane, R.W.- An Introduction to Group Work Practice.
4. Wilson, G. & Ryland, G.- Social Group Work Practice.
5. Samuel T. Gladding - Group Work, A Community Speciality.
6. Ronald W. Toseland & Robert F. Rivar: An Introduction to Group Work Practice, Manachuseths: Allyn & Baion.
7. Balgopal, P. and Vanil T. - Groups in Social Work: An Ecological Perspective, Newyork: Macmillan.
8. Harford, M.- Groups in Social Work.
9. Konopka, G.- Social Group Work: A Helping Process (3rd) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
10. सिंह, ए.एन. एवं सिंह, ए.पी.– समाज कार्य
11. Mishra, P.D. & Mishra Bina- Social Group Work Theory and Practice.
12. मिश्रा, प्रयागदीन– सामाजिक सामूहिक कार्य
13. फाड़िया, बी0 एल0 : लोक प्रशासन ,साहित्य भवन पब्लिकेशन।

14.शर्मा, राजेन्द्र कुमार:राजनैतिक समाजशास्त्र,अटलांटिक पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर
15-Merriam,C:Political Power,McGraw Hill,New York 1934
16-Hyman,H:Political Socialisation,Free Press,1959
17-Gouldner,A.(ed.):Studies in Leadership,Harper,New York,1954

इकाई– 7

सामूहिक प्रकियाएं
Social Processes

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य
7.1 परिचय
7.2 सामूहिक प्रकियाएं
7.4 सामूहिक नियोजन तथा निर्णय
7.4.1 सामूहिक नियोजन के कुछ सिद्धान्त
7.5 ध्रुवीकरण तथा सामूहिक सम्बद्धता
7.6 गतिशीलता
7.7 सार संक्षेप
7.8 अभ्यास प्रश्न
7.9 पारिभाषिक शब्दावली
7.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

7.0 उद्देश्य

- सामूहिक प्रकियाओं को समझ सकेगें।
- सामूहिक समाज कार्य में सामूहिक नियोजन तथा निर्णय की प्रक्रिया समझ सकेगें।
- प्रभावकारी समूह की विशेषताएँ को समझ सकेगें।

- समूह–नियोजन की प्रविधियों की व्याख्या कर सकेगें।
- सामूहिक नियोजन के कुछ सिद्धान्त की व्याख्या कर सकेगें।
- ध्रुवीकरण तथा सामूहिक सम्बद्धता की प्रक्रिया समझ सकेगें।
- समूह की प्रकृति को समझ सकेगें।
- प्रक्रिया तथा सामाजिक प्रक्रिया के मध्य सम्बन्ध को समझ सकेगें।
- प्रमुख सामूहिक प्रक्रियाओं की व्याख्या कर सकेगें।
- गतिशीलता की अवधारणा को समझ सकेगें।

7.1 परिचय

सामूहिक प्रक्रिया से तात्पर्य वे क्रियाएँ हैं जो समूह में सदैव विद्यमान रहती हैं और सामूहिक अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा अन्तःक्रिया एवं पर वास्तविकता एवं प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। सभी प्रकार के समूहों में कुछ प्रक्रियाएँ सदैव विद्यमान रहती हैं जिसके परिणामस्वरूप अन्तःक्रिया संभव होती है।

यह अन्तःक्रिया संगठनात्मक तथा विघटनात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ऐसा कोई समूह अथवा समाज नहीं है जो पूर्ण संगठित हो। अब यहाँ पर हम प्रक्रिया का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे।

7.2 सामूहिक प्रकियाएँ

समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर तथा आश्रित होता है। पारस्परिक अन्तःक्रिया समूह तथा व्यक्ति के लिए इतनी आवश्यक है कि इसके बिना व्यक्ति को कोई अस्तित्व नहीं है, उसका विनाश हो जायेगा तथा सामूहिक कार्य समाप्त हो जायेगा। समूह तथा व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से संबंधित हैं। सम्पूर्ण समाज विभिन्न प्रकार के पारस्परिक सम्बन्धों पर आधारित है।

व्यक्ति और समूह एक दूसरे से स्थिति (Ststus), भूमिका (Role)तथा प्रक्रिया (Process) द्वारा सम्बन्ध स्थापित करते हैं यहाँ पर हमारा तात्पर्य केवल प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्ध स्थापन से है। प्रक्रिया शब्द को समाजशास्त्र में सामान्य वैज्ञानिक अर्थ में लिया गया है जिसका तात्पर्य गतिशील कार्य अथवा कार्य की तारतम्यता अथवा पुनरावृत्ति से है।

समाज का सम्पूर्ण कार्य सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा सम्भव होता है। 'सामाजिक प्रक्रिया' दो शब्दों से मिलकर बना है– सामाजिक तथा प्रक्रिया, अर्थात् समाज से सम्बन्धित वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा सामाजिक अन्तःक्रिया संभव होती है। प्रक्रिया का अर्थ है वे क्रियाएं जो सदैव चलती रहती है।

7.2.1 प्रक्रिया का अर्थ

प्रक्रिया का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो सदैव चलती रहती हैं और प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति इनसे प्रभावित होता है। वेब्स्टर्स शब्दकोष के अनुसार प्रक्रिया एक ऐसी घटना है जिसमें समय–समय पर निरन्तर परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए विकास प्रक्रिया या क्रियाओं की तारतम्यता या निश्चित रूप से उद्देश्य प्राप्त करने वाले कार्य।

वैने मैकमिलन (Wayne Mcmillan) ने सामाजिक प्रक्रियां की मौलिक प्रकृति की ओर इंगित करते हुए लिखा है कि सामाजिक प्रक्रिया या पारस्परिकता प्राप्त करने की घटना तथा पारस्परिक बनने की विशेषता सभी मानव संबंधों में है तथा यह वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज कार्य की कला को व्यवहार में लाया जाता है। विशेषीकरण का कोई भी रूप क्यों न हो, सामाजिक वैयक्तिक कार्य, सामाजिक सामूहिक कार्य तथा सामुदायिक संगठन की आवश्यकता के कार्य सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं।

वैने मैकमिलन के विचार से प्रत्येक सामाजिक प्रकिया में तीन तत्व विद्यमान रहते हैं:–

- व्यक्तिगत व्यवहार,
- सामूहिक सम्बन्ध, और
- अन्तर्समूह सम्बन्ध।

जब हम सामूहिक प्रक्रियाओं के वर्णन का प्रयास करते हैं तो प्रजातांत्रिक शब्द स्वतः आ जाता है। सामूहिक प्रक्रियाएँ यद्यपि प्रजातांत्रिक तथा निरंकुश दोनों स्थितियों में काम करती हैं, परन्तु अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि विकास और उन्नति में प्रजातांत्रिक ढंगों के विषय में कुछ परिचर्चा करनी आवश्यक प्रतीत होती है क्योंकि सामाजिक प्रक्रियाएँ उसी पर अवलम्बित होती हैं जो समूह की उन्नति एवं विकास में योगदान देती हैं।

- प्रजातंत्र का यह प्रथम मौलिक उद्देश्य है कि वह व्यक्ति में स्वयं तथा समूह के सदस्य के रूप में पूर्ण क्षमता का विकास करता है, समूह में खो नहीं जाता और न ही वह अपने समूह के हित के लिए बलिदान करता है। व्यक्ति की विशिष्टता की वृद्धि सहयोगी क्रियाओं द्वारा होती है।
- वर्तमान समय में समुदाय, राष्ट्र एवं विश्व सहयोगिक सामूहिक व्यवहार की प्रविधियों का अभ्यास एवं ज्ञान चाहते हैं। इस प्रकार के प्रयास में सभी व्यक्ति एवं समूह समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं।
- शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज में स्थान दिलाना होता है। ऐसा केवल क्रियाओं में भाग लेकर ही सम्भव होता है और प्रजातांत्रिक सामूहिक प्रक्रियाएँ ही इसका आधार है।

- कार्यात्मक सम्बन्धों में सुधार लाकर ही प्रजातांत्रिक जीवन प्रसिद्ध को सन्तोष जनक रूप से ही प्रयास किया जा सकता है।
- व्यक्ति में सामूहिक भावना का विकास तथा अन्तर्निर्भरता प्रजातांत्रिक ढंग पर ही आती है।
- प्रजातांत्रिक सामूहिक प्रक्रियाएँ ही व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्त करने का अवसर देती हैं। व्यक्ति समूह द्वारा लक्ष्य प्राप्त करना सीखता है।

7.2.2 समूह की प्रकृति

समाजशास्त्री समूह का विवरण व्यक्तियों के एक कार्य में भाग लेने से देते हैं अर्थात् जब कई व्यक्ति किसी कार्य में एक साथ भाग लेते हैं तो उसे समूह कहते हैं। परन्तु समूह इन व्यक्तियों ककी समस्त विशेषताओं का योग नहीं होता है। बर्ड के विचार से समूह–व्यवहार की सबसे विशिष्ट विशेषताएँ अन्तःक्रिया द्वारा उत्पन्न होती हैं।

लेविन ने अनेक समाजशास्त्रियों के विचारों का समन्वय करके बताया किः

- समूह व्यक्तियों के ऊपर नहीं है,
- यह व्यक्तियों का योग नहीं है,
- यह एक गतिशील पूर्णता है,
- इसमें जो भी विशेषता होती है वह व्यक्तियों के योग से भिन्न होती है।

किसी भी समूह के अस्तित्व के दो मौलिक आधार हैं–

- सदस्यों के व्यवहार में आत्मनिर्भरता,
- सदस्यों का समूह के साथ तादात्मीकरण।

अन्तनिर्भरता समूह के लिए आवश्यक है। सामूहिक सदस्य समूह के साथ अपना सम्बन्ध 'हम भावना' के साथ स्थापित करते हैं। उनमें हम की भावना होती है। व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने से समूह का निर्माण नहीं होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी सामान्य लक्ष्य या कार्य के लिए समूह का निर्माण करते हैं। समूह व्यक्तियों की अनेकता है परन्तु समूह बहुत नहीं है एक है।

समूह के संगठन, उद्देश्य, लक्ष्य तथा उसकी विशेषताएँ व्यक्तियों के योग से भिन्न होती हैं। बारह व्यक्तियों का समूह केवल बारह व्यक्ति ही नहीं हैं परन्तु एक नया संगठन है। व्यक्ति समूह में जिस प्रकार का व्यवहार करता है वह समूह से पृथक् वैसा व्यवहार नहीं करता है।

स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. प्रक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है ?

2. समूह की क्या प्रकृति है ?

7.2.3 प्रभावकारी समूह की विशेषताएँ

समूह में आन्तरिक सम्बन्ध, सहयोग तथा अन्तनिर्भरता के कारण उत्पन्न होते हैं जिससे अनेक विशेषताएँ आ जाती हैं। **बाक्सटर तथा कासिडी ने प्रभावात्मक कार्य–समूह की निम्नलिखित विशेषताएँ बतायी हैं :**

- समूह में पारस्परिकता होती है। समूह में लोग एक साथ रहना प्रसंद करते हैं। प्रत्येक अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार योगदान करता है। उस पर कोई विशेष नियंत्रण का प्रश्न ही नहीं उठता।
- सदस्य एक दूसरे पर अविश्वास नहीं रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपने लिए तथा समूह के लिए विशेष महत्व होता है। सभी व्यक्ति समूह के मूल्यों से परिचित होते हैं। प्रत्येक व्यतिक्त का सम्बन्ध समान उद्देश्य के लिए होता है। यह समूह के संगठन को दृढ़ करता है।
- समूह सामाजिक नियंत्रण को स्वीकार करता है। बिना किसी दबाव के सदस्य समूह के निर्णय और क्रिया पर विश्वास रखते हैं। यद्यपि निर्णय सदैव एक मत से नहीं होता है परन्तु निर्णय पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति से दूर नहीं रहता है। चूँकि निर्णय बिना किसी शक्ति के या दबाव के होता है अतः प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग लेता है। सदस्य ऐसे नियंत्रण से भी बँधे होते हैं, जिन्हें वे स्वयं मिलकर बनाते हैं।
- समूह के सामान्य मूल्य होते हैं। वह प्रत्येक सदस्य को भली प्रकार से जानने का अवसर देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से सोचने एवं संतोष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है।

सभी समूह उपरिलिखित स्तर पर नहीं पहुँच पाते हैं। यह एक आदर्श है जिसको कि सामूहिक जीवन के लिए पाना आवश्यक होता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अनेक समूहों का सदस्य होता है। अतः और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की प्रक्रियाओं का अनुभव करे जिससे समूह एकाकारिता प्राप्त कर सके।

7.2.4 प्रक्रिया तथा सामाजिक प्रक्रिया

समूह शून्य में स्थित नहीं होता। वह कुछ आवश्यकताओं, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के कारण कार्य करता है। अगर समूह क्रियाओं को प्रभावपूर्ण होना है तो प्रक्रियाओं का महत्व और उनका मूल्य आवश्यक हो जाता है। यदि शीघ्रता से लक्ष्य पर पहुँचना है तो प्रक्रियाओं को द्वितीयक महत्व दिया जाता है और उद्देश्य से उन्हें अलग होना पड़ता है। लेकिन उद्देश्यों और साधनों को पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता है।

प्रजातांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रजातांत्रिक साधनों का ही उपयोग में लाना आवश्यक होता है।

व्यक्तियों तथा समूहों की प्रचलित प्रक्रियाओं के प्रति अनेक मनोवृत्तियाँ हैं। कुछ कहते हैं कि मैं लाल फीता की परवाह नही करता, मैं परिणाम चाहता हूँ। इस प्रकार के व्यक्ति एवं समूह इतने अधैर्यवान होते हैं या साधनों और उद्देश्यों में सम्बन्ध का इतना ज्ञान रखते हैं कि वे प्रक्रियाओं पर उचित ध्यान नहीं दे सकते।

कुछ सामूहिक प्रक्रिया को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वे एक निश्चित स्थान से क्रमानुसार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह एक निरन्तर होनेवाली क्रिया है। उद्देश्य और साधनों में प्रत्येक समय अन्तःक्रिया होती रहती है। साधन उद्देश्य बन जाते हैं और उद्देश्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए साधन बन जाते हैं। इससे प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। साधनों और उद्देश्यों की अन्तःक्रिया की प्रक्रिया तभी प्रभावपूर्ण हो सकती है जब दोनों पर समान रूप से ध्यान दिया जाय।

जिस प्रक्रिया में सुरक्षा अधिक होगी व्यक्ति उसी में रहना पसन्द करता है। प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों का विकास होना आवश्यक होता है। उनमें आत्मीकरण तथा समूह के साथ रूचियों का विकास अवश्य होता है।

इसका तात्पर्य यह है कि समूह में कुछ लोग आत्मार्थी होते हैं। उनके स्वभाव में परिवर्तन लाकर दूसरों की सेवा करने की इच्छा जागृत की जाती है तथा वे व्यक्तिगत विकास की भावना से हटकर सामूहिक विकास की भावना की ओर अग्रसर होते हैं।

7.3 सामूहिक प्रक्रिया

सामूहिक प्रक्रिया वे साधन या तरीके हैं जो समूह द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए विचार करना, वार्तालाप करना, नियोजन करना तथा मूल्यांकन करना आदि सामूहिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं।

सामूहिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य या लक्ष्य समूह उत्पादकता से है जिसका तात्पर्य कुछ ऐसे कार्य करना है जिन्हें एक व्यक्ति द्वारा सम्पन्न करना सम्भव नहीं है।

7.3.1 सामूहिक प्रक्रिया की विशेषताएँ

प्रक्रियाएँ कार्य करने के तरीके हैं, जिनके द्वारा हम किसी कार्य को करते हैं तथा जिनका उपयोग उद्देश्य तक पहुँचने के लिए होता है। सामूहिक प्रक्रियाओं की विशेषताएँ प्रभावात्मक प्रयोग के लिए निम्न प्रकार से वर्णित की जा सकती हैं :–

- **सामूहिक पर्यावरण–** प्रजातान्त्रिक सामूहिक पर्यावरण का तात्पर्य समूह की मौलिक भावनाओं तथा सांवेगिक लाभ से है। इसके अन्तर्गत समूह का जीवन, एक दूसरे के प्रति संवेगों का योग, कार्य तथा संगठन, समूह एक इकाई तथा बाह्य वस्तुओं के प्रति संवेग आते हैं। जब उचित प्रजातान्त्रिक तथा प्रयोगात्मक पर्यावरण, दण्ड स्वरूप, शत्रुतापूर्ण या विरोधी, प्रतिस्पर्धा, निरंकुशात्मक पर्यावरण के स्थान पर होता है तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाएँ होती हैं।

किसी उद्देश्य की प्राप्ति में समूह कितनी सफलता प्राप्त करता है यह न केवल समूह क्रिया की निपुणता पर बल्कि उस पर्यावरण पर भी निर्भरहोता है जिसको कि समूह उत्पन्न करता है। लेविन तथा उनके साथियों ने एक क्रिया अनुसन्धान का प्रयोग किया। उन्होंने व्यक्तियों की अन्तःक्रिया को निरंकुश, प्रजातांत्रिक तथा यथेष्टाचारिकतात्मक पर्यावरण में अध्ययन किया और परिणामस्वरूप यह पाया कि प्रजातांत्रिक पर्यावरण सामूहिक उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

- **प्रत्येक व्यक्ति ऐच्छिक रूप से भाग लेता है–** प्रजातांत्रिक समूह में प्रत्येक सदस्य की अपनी आवाज समूह उद्देश्यों को निश्चित करने, सोचने, वार्तालाप करने, नियोजित करने, कार्य करने तथा मूल्यांकन करने में बुलन्द करने की स्वतन्त्रता होती है। प्रत्येक सदस्य को भाग लेने का समान अवसर होता है। उसके मत, विचार तथा कार्य का आदर किया है।

- **सभी क्रियाएँ सहयोगिक होती हैं–** लक्ष्यों व साधनों को प्रणाली के विकास में सामान्य समस्या को हल करने के लिए प्रजातांत्रिक सहकारिता पर निर्भर होना महत्वपूर्ण होता है। समूह की शक्ति सहयोग में निहित होती है। व्यक्ति बहुत दिन तक एक साथ काम कर सकते हैं परन्तु आवश्यक नहीं कि उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न ही हो।

प्रजातांत्रिक समूह में एकता समूह के लक्ष्यों को निर्धारित तथा स्वीकृत करके प्राप्त की जाती है। उद्देश्यों पर वार्तालाप होता है, योजना बनाई जाती है, निर्णय लिया जाता है और समूह द्वारा क्रिया संचालित की जाती है। प्रत्येक सदस्य कार्य के कुछ भाग को पूरा करने का दायित्व लेता है।

- **सदस्यों में अन्तःक्रिया होती है–** जब सदस्य एक स्थान पर मिलकर समान कार्य करने हेतु प्रयास करते हैं तो उनमें अन्तःक्रिया का होना स्वाभाविक हो जाता है। अन्तःक्रिया सामूहिक प्रक्रियाओं में प्रजातांत्रिक उदेश्य, साधन, निर्देशन क्रियाएँ और मूल्यांकन में सदस्यों के स्वाभाविक भाग लेने से उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रण नहीं हो सकता है।

उद्देश्य समूह द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ कार्य करता है। प्रत्येक सदस्य अपने दृष्टिकोण को रखने, योजना को

प्रस्तुत करने, बिना किसी डर या दबाव के विचार रखने के लिए स्वतंत्र होता है। समूह में प्रत्येक व्यक्ति का आदर होता है।

- **समूह लक्ष्य निर्धारित करता है–** सामूहिक प्रक्रियाओं का मुख्य लक्षण यह है कि समूह में ही उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। समूह बिना उद्देश्य के नहीं होते हैं। समूह उन्हीं लक्ष्यों पर प्रयास करता है जिनका वह निर्माण करता है तथा अपना समझता है। समूह वही से कार्य करना प्रारम्भ करता है जहाँ पर उसके सदस्य हैं न कि जहाँ पर दूसरे व्यक्ति सोचते हैं कि उन्हें होना चाहिए।

समूह सदस्य जहाँ होते हैं वहीं से क्रिया प्रारम्भ होती है और उसकी गति उतनी ही होती जितनी कि चयलने के लिए तैयार होते हैं। उद्देश्य में परिवर्तन समूह की आवश्यकता के अनुरूप होता है।

- **समूह का प्रत्येक सदस्य परिवर्तनकारी एजेंट होता है**–प्रत्येक सदस्य समूह के दूसरे सदस्यों को प्रभावित करता है। उनकी आवश्यकताओं में परिवर्तन लाने तथा समस्या का निदान करने हेतु वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वे क्रिया, मूल्यांकन तथा परिणाम को भी प्रभावित करते हैं।

प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार तथा क्रियाओं में परिवर्तन आता रहता है। सामूहिक प्रक्रियाओं में सामाजिक परिवर्तन निहित होता है। सदस्यों की इच्छाओं, विश्वासों, मनोवृत्तियों, ज्ञान तथा निपुणताओं में परिवर्तन आता है। समूह का महत्वपूर्ण सदस्य बनने के लिए प्रत्येक सदस्य को परिवर्तनकारी होना आवश्यक होता है।

- **सामूहिक मनोबल तथा अनुशासन 'हम' भावना पर केन्द्रित होता है–** समूह–मनोबल से तात्पर्य समूह की वह स्थिति जहाँ पर समूह के उद्देश्य एवं लक्ष्य वैयक्तिक उद्देश्यों के साथ एकत्रित एवं स्वीकृत किए जाते है, जहाँ साधनों में, नेतृत्व में, क्रियाओं में सहयोग एवं एकीकरण होता है। सामूहिक अनुशासन से तात्पर्य सदस्यों की अन्तर्प्रवृत्तियों को सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियंत्रण करने से है। यह स्वयं निर्देशित एवं अनुशासित होता है। लक्ष्य व ज्ञान इसका आधार होता है। **सामूहिक मनोबल तथा अनुशासन में मुख्य रूप से दो कारक होते हैं, ये हैं:–**

1. सांवेगिक सुरक्षा तथा मौलिक मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि, जो समूह में आपसी संबंधों से उत्पन्न होती है।

2. 'मैं' भावना से 'हम' भावना का होना। सदस्य स्वार्थ को छोड़कर समूहार्थी हो जाते हैं।

- **समूह का एक कार्य नेतृत्व करना है–** समूह–प्रक्रियाओं में नेतृत्व किसी बाह्य व्यक्ति का कार्य नहीं है वरन् समूह से ही उत्पन्न होता है। नेता के चुनाव का उत्तरदायित्व समूह के सदस्यों पर होता है। समूह में प्रत्येक व्यक्ति नेता और अनुयायी होता है यदि समूह प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करता है तो प्रत्येक सदस्य को नेतृत्व का कार्य दिया जाता है। सर्वोत्कृष्ट से इसका नेतृत्व नहीं होता है।

समूह का उद्देश्य नेतृत्व का विकास करना भी होता है। वह प्रत्येक सदस्य का सामूहिक क्रियाओं को सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व बदलता रहता है और इस प्रकार उनमें निपुणता का विकास होता है। नेतृत्व समूह में होता है, समूह पर नहीं होता है।

उपरिलिखित सामूहिक प्रक्रियाओं की विशेषताओं में सहयोगिक क्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र में यह सबसे महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए तरीका है।

कोरटिस ने सहयोग के 6 स्तर बताए हैं:–

- **दबाव–** प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ कार्य करता है, वह ऐसा करने के लिए बाध्य होता है।
- **समझौता–** व्यक्ति में सहयोग के लिए समझौता उद्देश्य–पूर्ति हेतु दूसरे का शोषण करता है।
- **शोषण–** व्यक्ति अपनी उद्देश्य–पूर्ति हेतु दूसरे का शोषण करता है।
- **सौदेबाजी–** व्यक्ति किसी शर्त पर योगदान करता है।
- **नेतृत्व–** इसमें दूसरे का स्वेच्छा से अनुसरण होता है।
- **प्रजातांत्रिक सहयोग**– इसमें समूह के सदस्य सामान्य लक्ष्य के
- लिए एक साथ कार्य करते हैं।

स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. प्रभावकारी समूह की क्या विशेषता है ?

2. सामूहिक प्रक्रिया के 6 स्तरों का वर्णन कीजिए ?

7.3.1 सामूहिक क्रियाओं का विश्लेषण

माइल ने सामूहिक क्रियाओं को निम्न प्रकार से विश्लेषित किया है :–

- मस्तिष्क में समरूपता प्राप्त करने के लिए लोगों की मीटिंग।
- वार्तालाप की प्रविधियाँ, जो नवीन तथ्यों, विचारों, विश्वासों, मनोवृत्तियों को उत्पन्न करती हैं। पूर्वाग्रहों को प्रकट करती हैं तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाती हैं।
- निर्णय लेने तथ सामूहिक नियोजन को उत्पन्न करने की प्रविधियाँ।
- श्रम का विभाजन, जिससे समूह में निहित विशेष योग्यता का उपयोग हो सकता है।
- समूह द्वारा विचारों तथा क्रियाओं का अभिलेखन करना।

सामूहिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि समूह उत्पादकता को प्राप्त करने तथा समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? यह संकेत प्रविधियों के विकास के लिए आधार प्रदान करता है। समूह को अधिक प्रभावपूर्ण होने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ होती हैं:–

- **सामूहिक विचार**

कोई समूह एक ही प्रकार से नहीं सोचता है, लेकिन विचार समूह सदस्यों द्वारा ही उत्पन्न होता है और उनके सम्मिलित विचारों से जो विचार उत्पन्न होता है उसे सामूहिक विचार कहते हैं। ये विचार रचनात्मक होते हैं।

- **सामूहिक वार्तालाप**

समूह में वार्तालाप होना आवश्यक होता है जिससे समूह के सदस्यों के विचारों एवं दृष्टिकोणों को समझा जा सके। वार्तालाप में बहस नहीं होनी चाहिए। इसके द्वारा संघर्ष को दूर किया जाता तथा अन्तरों को समाप्त किया जाता है।

- **सामूहिक नियोजन**

समूह का नियोजन आवश्यक होता है क्योंकि इससे समूह के सदस्यों तथा उद्देश्यों को समझा जाता है और उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। इससे लक्ष्य के साधनों के तरीकों के विषय में सोचना संभव होता है जिससे उद्देश्य की प्राप्ति होती है। समूह का नियोजन तभी संभव होता है जब सदस्य एक सामान्य उद्देश्य पर सहमत होते और सामूहिक प्रयास करते हैं।

- **सामूहिक निर्णय**

क्रिया निर्णय चाहती है। विचार, वार्तालाप तथा नियोजन अनेक मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत करते हैं लेकिन क्रिया को प्रारम्भ करने से पहले क्रिया की योजना का चुनाव आवश्य होता है। यह सामूहिक निर्णय कहलाता है।

- **सामूहिक क्रिया**

जब समूह प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करता है और प्रत्येक सदस्य समूह के कार्यों एवं निर्णयों में अधिक से अधिक भाग लेता है तो सामूहिक क्रिया होती है।

- **सामूहिक मूल्यांकन**

मूल्यांकन केवल समूह की उत्पादकता का नहीं बल्कि उन प्रक्रियाओं का होता है जिनके द्वारा समूह अपने उद्देश्य प्राप्त करता है। मूल्यांकन का सम्बन्ध (i) नेतृत्व के मूल्यांकन, (ii)सामूहिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन, (iii) व्यक्ति में परिवर्तन के मूल्यांकन तथा (iv) सामूहिक क्रियाओं के मूल्यांकन, से होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार हम यह कार्य कर सकते हैं? सामूहिक प्रक्रियाओं में कौन–कौन से चरण हैं? हम कहाँ से आरम्भ करते हैं? तथा घटनाओं में क्या तारतम्यता है? सामूहिक प्रक्रियाएँ पूर्ण स्थिति में कार्य करती हैं। प्रत्येक स्थिति, जिसका समूह सामना करना है,भिन्न होती है। अतः कोई एक रास्ता या विधि सामूहिक प्रक्रियाओं की नहीं होती है। प्रकियाएँ समूह की प्रकृति, उद्देश्य, साधनों, बाधाओं तथा लक्ष्यों पर निर्भर होती हैं।

7.3.2 सामूहिक चिन्तन एवं वार्तालाप

सामूहिक चिन्तन का तात्पर्य समूह की कार्य करने की बुद्धि,कुशलता, सामूहिक उद्देश्यों को स्थिर करने तथा उनको प्राप्त करने के लिए प्रयोग किये गये साधनों से होता है। एक बुद्धिमान समूह जब समस्या का सामना करता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह उसे परिभाषित करता है, सीमाओं का निर्धारण करता है, समस्या का विभाजन करता है, स्पष्ट करता है इत्यादि। अक्सर तीन प्रकार के प्रश्न इसको स्पष्ट करते है– (1)वह क्या है? (समस्या की परिभाषा), हम किस प्रकार उससे निपटते है? कौन क्या करेगा? सामूहिक विचार इन प्रश्नों का उत्तर देता है।

7.3.3 सामूहिक चिन्तन एवं वार्तालाप की प्रविधियाँ

1. प्रत्येक सदस्य को चिन्तन करना चाहिए। सही उत्तर बताकर समय की बचत नहीं करनी चाहिए।
2. सामूहिक वार्तालाप विवाद नहीं होता है। हम तर्क वितर्क नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य व कार्य सच्चाई को प्राप्त करना है। हम सहयोग से ऐसा नहीं करते हैं। हमारा चिन्तन रचनात्मक होता है।
3. अपने आप पूछो या विचार करो कि कौन सा विचार, अनुभव तथा अन्तर मौलिक और मूल्यवान है।
4. संक्षिप्त कथन ही होना चाहिए, भाषण की आवश्यकता नहीं होती है।
5. कोई ऐसा वाक्य नहीं कहना चाहिए जो स्वयं को स्पष्ट न हो। कभी–कभी लोग कुछ शब्द प्रयोग करते हैं और आशा करते हैं कि सभी उन्हें जानते हैं।
6. दूसरों को बोलने का समय देना चाहिए।
7. वार्तालाप में अल्पसंख्यक लोगों का भी पूर्ण प्रतिनिधित्व हो।

8. अगर कोई बात समझ में नहीं आती है या जिसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं उसको स्पष्ट करना चाहिए।
9. बैकल्पिक मनोवृत्ति कभी लाभकारी नहीं होती है।
10. जब कोई वार्तालाप प्रभावात्मक हो तो उदाहरणें से उसको स्पष्ट करना चाहिए।
11. सभी समूह का आदर करते हैं क्योंकि उसका अनुभव व्यक्ति के अकेले के अनुभव से अधिक मूल्यवान होता है।
12. प्रत्येक वार्तालाप के लिए समय निश्चित होना चाहिए।
13. सदस्यों के शब्दों में सारांश तैयार होना चाहिए।

7.4 सामूहिक नियोजन तथा निर्णय

सामूहिक नियोजन इस प्रश्न का उत्तर देता है कि हम किस प्रकार कोई कार्य करेंगे या करते हैं। यह सामूहिक चिन्तन के लिए पथ–प्रदर्शक होता है। सामूहिक नियोजन के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(1) समस्या की स्पष्ट परिभाषा तथा वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण।
(2) लक्ष्य–प्राप्ति के लिए कार्य के पथ का चुनाव करना।
(3) कार्य को समस्या की ओर अग्रसारित करना।

7.4.1 सामूहिक नियोजन के कुछ सिद्धान्त

1. प्रत्येक को भाग लेने का अवसर दिया जाय।
2. समूह का नियोजन सदस्य की आवश्यकताओं और रूचियों के अनुरूप ही हो।
3. नियोजन व्यक्ति को संबंध स्थापित करने का अवसर देता है। अतः व्यक्ति की रूचि का ध्यान रखना चाहिए।
4. नियोजन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।
5. निरन्तर मूल्यांकन तथा नियोजन से अच्छी योजनाएँ उभर कर सामने आनी चाहिए।
6. नियोजन लचीला होना चाहिए।
7. इसमें सामूहिक नियंत्रण अवश्य हो।
8. नियोजन में उन उपलब्ध साधनों का उपयोग होना चाहिए जो समस्या के लिए उपयुक्त हों।
9. नियोजन के लिए अभिलेख आवश्यक होता है।
10. नियोजन में शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

7.4.2 समूह–नियोजन की प्रविधियाँ

1. समूह समस्या की परिभाषा करता है और लक्ष्य निर्धारित करता है।
2. समस्या का विश्लेषण असन्तोष को खोजने, कारणों में सम्बन्धों को जानने, तारतम्यता को समझने एवं सम्पूर्ण का महत्व समझने के लिए किया जाता है।

3. समूह निर्धारित करता है कि क्या मूल्य का स्तर चुने हुए क्रियात्मक पथ को नियन्त्रित कर सकता है।
4. समूह समस्या से सम्बन्धित आँकड़े तैयार करता है।
5. आँकड़ों का वर्गीकरण करता है जिससे वह मूल्य–स्तर निर्धारित कर सके तथा समस्या को परिभाषित कर सके।
6. कार्य के मार्ग का निर्धारण करता है।

स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. सामूहिक क्रियाओं का विश्लेषण कीजिए ?
2. सामाजिक नियोजन से आपका क्या अभिप्राय है?
3. सामूहिक नियोजन के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए ?

सामूहिक निर्णय

कार्य करने के मार्ग के निर्धारण के उपरान्त विशेष क्रियाओं का निर्धारण आवश्यक होता है। यह सामूहिक निर्णय को प्रेरणा देता है। सामूहिक निर्णय आवश्यक होता है क्योंकि :–

1. दबाव–निर्णय से समूह–निर्णय अधिक लाभकारी होता है।
2. सामूहिक निर्णय में निपुणताओं का विकास निश्चित समय पर होता है।
3. बिना सामूहिक निर्णय के समूह–सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं।
4. जब सदस्य निर्णय में भाग लेते हैं तो अपना निर्णय समझकर कार्य करते हैं।
5. सामूहिक निर्णय व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देता है।
6. सामूहिक निर्णय द्वारा व्यक्ति की विचार–पद्धति तथा सांस्कृतिक आदतों में परिवर्तन आसानी से लाया जा सकता है।

सामूहिक क्रिया

1. प्रभावात्मक सामूहिक क्रिया समूह के एकमत होने पर आधारित होती है। वह उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है जो इसमें भाग ले रहे हैं।
2. यह समूह–सदस्यों का उत्तरदायित्व है कि वह समूह–निर्णय पर कार्य करें।
3. प्रभावात्मक समूह समूह–बीमारियों को, जैसे निर्णय पर पहुँचने की कमी या अयोग्यता, व्यक्तियों की क्षमताओं के प्रयोग में असफलता, स्रोतों को प्रयोग में लाने की अक्षमता तथा मूल्यांकन में असमर्थता को सहन नहीं कर सकता है।
4. सामूहिक निर्णय तथा सामूहिक क्रिया दोनों संबंधित हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है।
5. प्रजातांत्रिक समूह में व्यक्तियों के व्यवहार तथा क्रियाओं में परिवर्तन आसानी से आ सकता है। अतः प्रजातांत्रिक सामूहिक क्रिया को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रक्रिया में परिवर्तन लाकर प्रजातांत्रिक सामूहिक क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए।

प्रमुख सामूहिक प्रक्रियाएँ

जब तक व्यक्तियों में सामूहिकता तथा सम्मिलित होने की भावना नहीं होगी तब तक कोई भी सभ्यता कायम नहीं हो सकती है, यहाँ तक कि जानवरों में भी एक साथ रहने ककी भावना पायी जाती है। चूँकि व्यक्ति समाज पर पूर्णरूपेण निर्भर होता है, अतः समाज उसकी सामूहिक या सामाजिक मूल प्रवृत्तियों को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। सामूहिक अनुभव व्यक्तित्व के विकास कि आधारशिला है। बिना इस अनुभव के वह या तो निम्न स्तर के पशु के समान होगा या मंदबुद्धि तथा असामाजिक होगा।

यद्यपि कला, विज्ञान, संस्कृति एवं संबंधित कारक व्यक्ति के विकास में योगदान करते हैं, परन्तु मुख्य कारक पारस्परिक घनिष्ट संबंध है। ये संबंध ही मूल प्रवृत्तियों (Primitive Impulses) को सामाजिकता प्रदान करते है। जिन विधियों से इन प्रवृत्तियों का समाजीकरण होता है, उन्हें सामाजिक प्रक्रियाएँ कहते हैं। प्रत्येक समूह में अन्तःउत्तेजना (Inter-stimulation), अन्तःसंबंध (Inter-action), अनुगमन (Induction), तीव्रता प्रदान करना (Intensification), प्रभावहीनता (Neutralization), पारस्परिक तादात्म्य (Mutual Identification),
ध्रुंवीकरण (Polarity), प्रतिद्वंद्विता (Rivalary), तथा एकीकरण (Integration), प्रक्रियाएँ पायी जाती हैं। यहाँ पर इन प्रक्रियाओं का मुख्य रूप से वर्णन करेंगे।

स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. सामूहिक निर्णय की क्या आवश्यकता है ?
2. प्रमुख सामूहिक प्रक्रियाओं का नाम लिखिए ?

अन्तः–उत्तेजना

परम्परागत स्कूलों में सामूहिक प्रक्रिया लगभग शून्य सी होती है। अध्यापक अपने शिष्यों को अपने नियंत्रण में रखता है। सामूहिक नियंत्रण का उस पर कोई प्रभाव नही है। कक्षा के विद्यार्थियों में बहुत कम अन्तःक्रिया होती है। परन्तु आधुनिक विद्यालयों में सामूहिक प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि अब यह अनुभव किया जा रहा है कि समस्त मुख्य शिक्षा समूह अनुभव द्वारा ही प्राप्त हो सकती ।

चाहे तथ्यों को सीखना हो, निपुणता ग्रहण करना हो, चरित्र प्रशिक्षण प्राप्त कराना हो या व्यक्तित्व का विकास करना हो, शिक्षात्मक प्रक्रिया सदैव सामाजिक होती है। यह परिवार, कक्षा, वर्ग, गैंग, क्लब या अन्य स्थायी अथवा अस्थायी समूहों से प्राप्त होती हैं। अन्तःशिक्षा को सदैव सामूहिक अनुभव के रूप में होना चाहिए तथा सामूहिक अनुभव शिक्षात्मक होना चाहिए।

बच्चे के विकास के साथ–साथ उस पर समूह का प्रभाव बढ़ता जाता है। नर्सरी उम्र के बच्चे यदा–कदा दूसरों से संबंध रखते हैं। यद्यपि उनका व्यवहार अन्य उपस्थित बच्चों के व्यवहार से प्रभावित होता है।

प्रत्येक बालक अपने व्यवसाय में लगा रहता है लेकिन वहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों का व्यवहार एक दूसरे से प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आता है, रूचियों में उत्तेजना होती है तथा कार्य क्षेत्र में बढ़ जाता है। यह व्यवहार या परिवर्तन अन्तः–उत्तेजना का परिचायक होता है।

अतः हम यह कह सकते हैं कि जब बिना सामूहिक क्रियाओं में भाग लिए व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उस स्थिति को अन्तः–उत्तेजना कह सकते हैं। समूह में यह प्रक्रिया अक्सर चलती रहती है।

अन्तःक्रिया

सामाजिक अन्तःक्रिया वह सामान्य प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण सम्पर्क की स्थापना होती है और जिसके परिणामस्वरूप उनके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इलियट तथा मेरिल के अनुसारः–

''सामाजिक अन्तःक्रिया का तात्पर्य उन पारस्परिक प्रभावों से है जिन्हें व्यक्ति तथा समूह समस्याओं के समाधान में और उद्देश्य तक पहुँचने में एक दूसरे के ऊपर डालते हैं।''

समूह में व्यक्ति समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मिलित होता है। अतः वह वही क्रियाएँ करता है जो अन्य सदस्य करते हैं। यह गुण या विशेषता उम्र के साथ–साथ प्राप्त होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पूर्व उम्र के समान स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी अन्तः–क्रियाकलापों में सदैव परिवर्तन होता रहता है। वे दो या तीन या बहुत से बच्चों या व्यक्तियों के साथ कार्य करते हैं। वे विचारों, अमान्य बातों, परिपूरक समाचारों का आदान प्रदान करते हैं। वे सुझावों को रखते हैं। श्रेष्ठ होने के लिए संघर्ष करते हैं तथा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

इस प्रकार सामूहिक गतिशीलता होती रहती है तथा प्रारंभिक उम्र के बच्चों पर होने वाली अन्तः–उत्तेजना, अन्तःक्रिया प्रजातांत्रिक समूहों में अधिक पाई जाती हैं।

अनुगमन

समूह के सदस्यों में अन्तःउत्तेजना सदैव विद्यमान रहती है। समूह सदस्य एक दूसरे को शारीरिक, मानसिक तथा सांवेगिक स्तर पर प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप सांवेगिक संबंध बढ़ जाते हैं तथा अपनेपन की भावना भी बढ़ती है। यह विषेशता सभी प्रकार के समूहों में पायी जाती है। भीड़ के कार्य पूर्णरूपेण अन्तःसंबंध पर आधारित होते हैं। इसको शक्ति मुख्य संवेगों के पारस्परिक तीव्रता प्रदान करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है।

जब हम अन्तःउत्तेजनात्मक स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति घटना का प्रत्युत्तर करते हैं उसको अनुगमन कह सकते हैं। यह शब्द विद्युत जगत से लिया है जिसमें कि क्वायल अलग–अलग होने पर भी कार्य करने लगते हैं।

अन्तःउत्तेजना तथा अनुगमन केवल मानव व्यवहार की विषेशता नहीं है। ये निम्न कोटि के पशुओं में भी पायी जाता हैं। एस0आर0 स्लावसन ने अपने लेख में

लिखा है कि वह एक बार जिन्दा अजायबघर देखने गया। सामूहिक जीवन की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति दूसरे लोगों के समान अनुभव तथा महसूस करने की क्षमता रखता है और साथ ही यह भी सम्भव है कि वह इन कश्टों से पीड़ित न हो। इस योग्यता एवं क्षमता को पारस्परिक तादात्म्य कहते हैं। यह योग्यता उसे प्रारम्भिक पारिवारिक सम्बन्धों द्वारा प्राप्त होती है। वही समूह सबसे लाभप्रद ढंग से कार्य करता है जिसके सदस्यों में पारस्परिक तादात्म्य अधिक होता है। जहाँ पर पारस्परिकता की भावना अधिक होती है वहाँ सकारात्मक तत्व जल्दी ही विस्तृत हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप समाजीकरण की प्रक्रिया सम्भव होती है। समाजीकरण जिस स्तर का होता है पारस्परिक तादात्म्य भी उसी स्तर का होता है।

आत्मसात्

यह दूसरी आवश्यक विशेषता है जो समाजीकरण प्रक्रिया में सहायता करती है तथा सामूहिक घनिष्ठता बढ़ाती है। आत्मस्थापन को कम करके इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। बालक माता–पिता को पहली नियन्त्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है और परिवार समूह का अंग बनता है। युवक तथा वयस्क प्रारम्भिक सन्तुष्टि का विकल्प समूह में ढूँढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि समूह में आत्मसात् होने की क्षमता आंशिक रूप से प्रारंभिक पारिवारिक जीवन–अनुभव पर निर्भर होती है। आत्मसात् समूह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके द्वारा व्यक्ति पूर्णरूपेण एक हो जाते हैं। और उन पर नियन्त्रण लग जाता है। रूचियों में किसी स्थान पर समझौता हो जाता है और उासकी स्वीकृति प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया उस समय स्थापित होती है जब सदस्य एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा समूह सदस्यों में असन्तोष दूर हो जाता है।

आत्मसात् एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले के असमान व्यक्ति या समूह समान हो जाते हैं जैसे रूचियों एवं दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं। समूह की तारतम्यता एवं क्रिया–कलापों की सफलता के लिए यह प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक है।

स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. अन्तःक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है ?

2. समूह में अनुगमन की क्या आवश्यक्ता है ?

7.5 ध्रुवीकरण तथा सामूहिक सम्बद्धता

समूह–ध्रुवीकरण द्वारा व्यक्ति एक आदर्श, समान उद्देश्य तथा समान विचारों से निबन्धित होते हैं। इस तरह उद्देश्यों एवं रूचियों में समानता तथा एकरूपता उत्पन्न होती है तथा नेतृत्व सम्भव होता है। ध्रुवीकरण तथा अनुगम विद्युत जगत् से लिए गए हैं। यह प्रक्रिया समान रूप से सामाजिक तथा भौतिक उपयोग में लायी जाती है। सभी समूह किसी न किसी ध्रुव या स्थान के आसपास होते हैं। सबसे प्रभावी समूह पोल के

पास वाला होता है। इसका कार्य संवेगों को तीव्र करना होता है। समूह–सदस्य किसी एक उद्देश्य, आदर्श या रूचि पर केन्द्रित होते हैं तथा एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। अनुकूल दशाओं के होने पर अधिक अन्तःउत्तेजना उत्पन्न करते हैं।

ध्रुवीकृत समूह इसीलिए अधिक उत्साही होते तथा समुदाय को अधिक प्रभावित करते हैं। वे सामाजिक क्रिया पर आकस्मिक प्रभाव नहीं डालते। दूसरी ओर चूँकि पूर्णतः ध्रुवीकृत समूह में अन्तःक्रिया कम होती है (जैसे धार्मिक समूहों में) इसलिए व्यक्ति का विकास कम हो पाता है। नेता या सिद्धान्त, जिसका वे अनुसरण करते हैं, प्रेरणा का स्रोत होता है न कि व्यक्ति के विचार तथा दृष्टिकोण।

व्यक्तित्व विकास, गुणों का विकास एवं आध्यात्मिक समृद्धता में वृद्धि वहाँ पर सम्भव नहीं है जहाँ पर व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करके नहीं रह सकता। मानव व्यक्तित्व का पर्यावरण मानव ही होता है। वे उत्तेजना प्रदान करते हैं, भावनाओं के स्पष्टीकरण का अवसर देते हैं, और क्रिया के लिए उद्देश्य निर्धारित करते हैं।

7.5.1 सहयोग

प्रत्येक व्यक्ति में कुछ निश्चित जन्मजात तथा अर्जित आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह दूसरों पर आश्रित होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना कोई भी प्रसन्न एवं सुखी नहीं रह सकता है। अतः उसे दूसरों की सहायता एवं सहयोग लेना ही होता है। समूह–निर्माण इसी का परिणाम है।

सहयोग का तात्पर्य दो या दो से अधिक लोगों का एक समान उद्देश्य के लिए एक साथ कार्य करना है। इस प्रकार कार्य करने की प्रक्रिया को सहयोग कहा जाता है। सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के हेतु अपने प्रयत्नों को न्यूनाधिक रूप में व्यवस्थित करते हैं।

सहयोग व्यक्ति के लिए मूल आधार है। वह अपनी तथा अपने अपने उद्देश्यों की रक्षा सहयोग द्वारा करता है। समूह में सहयोग का कम होना या अधिक होना सदस्यों की विशेषताओं पर निर्भर होता है। नेता का कर्तव्य होता है कि वह सहयोग की भावना को अधिक से अधिक सदस्यों में विकसित करे जिससे समूह उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो सके।

कुछ समूह–यंत्र ऐसे हैं जो समूह–निर्माण के प्रतिकूल होते हैं। यद्यपि ऐसे यंत्रों की संख्या हमारे जीवन में अधिक है परन्तु उनमें दो महत्वपूर्ण हैं– प्रतिद्वंद्विता तथा प्रक्षेप, प्रतिद्वंदिता परिवार से प्रारभ्भ होती है, जहाँ पर बालक पैतृक प्रेम तथा वात्सल्य प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों तथा परिवार के सदस्यों से स्पर्धा करता है। प्रेम के लिए संघर्ष करने का कारण उसकी केवल एक बनने या होने की इच्छा में निहित है। वह केवल अकेले सब कुछ पाना चाहता है। यह भावना परिवार से जागृत होकर अन्य सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ जाती है। विज्ञान, कला, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में समान वृद्धि करने वाले से वह ईर्ष्या रखता है।

सामाजिक अनुभव प्राप्त होने से इस भावना में कमी आती है। आत्म केन्द्रित बालक को यदि काफी समय तक ऐसे स्कूल बोर्डिग में रखा जाय जहाँ का कार्य सामूहिक जीवन पर निर्भर है तो उसकी प्रवृत्ति में कमी संभव हो सकती है।

प्रतिद्वंदिता की प्रवृत्ति तथा केवल स्वयं बनने की इच्छा सामूहिक कार्य में बाधक होती है। समूह में विघटन हो सकता है। अतः नेता का कर्तव्य है कि वह इस तरह का वातावरण उत्पन्न करे जिसमें सभी सदस्य अपनत्व महसूस करें तथा समूह को स्वीकार करें।

व्यक्ति चाहे जिस प्रकार के समूह में हो, उसके व्यवहार की यह विशेषता है कि अपने विचारों तथा दृष्टिकोणों को महत्व देता है तथा अपनी वरीयता चाहता है। चूँकि समूह में विभिन्न व्यक्ति होते हैं अतः उनमें अलग–अलग विचार, दृष्टिकोण तथा प्रभुत्व–स्थापन की भावना होती है। अन्तःसंघर्ष का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है।

नेता वही अच्छा माना जाता है जो समूह–सदस्यों की आवश्यकताओं का समूह में प्रक्षेपण करके संतोष कर लेता है और इस प्रकार अहं संतुष्टि प्राप्त करता है। उसको इस योग्य होना चाहिए कि वह विभिन्न सदस्यों के विचारों तथा आवश्यकताओं में संशोधन कर सके जिसके परिणामस्वरूप सामान्य क्रिया संभव हो सके।

7.5.2 एकीकरण

एकीकरण का तात्पर्य मानसिक स्तर पर सम्पूर्ण स्थिति से सामंजस्य स्थापित करना होता है। स्वीकृत करने की प्रवृत्ति सभी समूहों में पायी जाती है। संघर्ष निवारण करके समझौता होता है और इस समझौते को मान्यता मिलती है। इसी को एकीकरण कहते हैं। यह उस समय संभव होता है जब व्यक्ति पूर्णरूपेण एक दूसरे को समझ लेते हैं। समूह का अभिन्न अंग बनने में यह प्रक्रिया सहायता प्रदान करती है। परन्तु अधिक बलवती संबंध स्थापना की भावना व्यक्तित्व–विकास में बाधक हो सकती है। यह प्रवृत्ति किसी की ऐसी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती
जिसके परिणामस्वरूप संकुचित व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति किसी एक समूह से भक्ति एवं प्रेम सीमित कर देता है तथा इस प्रकार सामाजिक एवं सास्कृतिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। परन्तु सामान्य विकास के लिए व्यक्ति का अनुभव विस्तृत होना चाहिए जिससे सर्वांगीण ज्ञान का विकास हो सके। आवश्यकता से अधिक घनिष्ठता सामाजिक विकास के लिए बाधक होती है। कार्यकर्ता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके सदस्य किस प्रकार का एकीकरण रखते हैं। उनमें किसी प्रकार की अन्तर्घृणा नहीं होनी चाहिए तथा अधिक लगाव भी नहीं होना चाहिए कि वह उसके प्रथम अपना अस्तित्व न रख सकें तथा उसका व्यक्तित्व असंतुलित हो जाय।

सामाजिक सामूहिक कार्य की निम्नलिखित प्रमुख मान्यताएँ हैं:

(1) शिक्षात्मक तथा मनोरंजनात्मक क्रियाएँ व्यक्ति तथा समाज के लिए लाभदायक हैं। सामूहिक कार्यकर्ता इसी मान्यता के आधार पर व्यक्ति को उसके मनोरंजनात्मक अनुभव प्रदान करता है।

(2) कार्यकर्ता में अपनी भूमिका निभाने की अंतर्दृष्टि होती है। कार्यकर्ता सदैव समूह के अंतर्गत दो बातों का ध्यान रखता है। एक तरफ वह कार्यक्रम, क्रियाओं तथा उनकी उन्नति देखता है तथा दूसरी तरफ समूह में सामाजिक संबंधों की भूमिका को ध्यान में रखता है। अतः वह अपने संबंधों को भी साथ ही साथ समझता जाता है।

(3) कार्यक्रम सदैव व्यतिक्तयों पर प्रभावात्मक होना चाहिए। यह मान्यता इस बात को निश्चित करती है कि कार्यकर्ता के सम्बन्ध व्यक्ति–केन्द्रित हों न कि क्रिया–केन्द्रित। कार्यकर्ता की दृष्टि से सफलता खेल के प्रकार में नहीं बल्कि सदस्यों के अनुभवों से संबंधित होती है। कार्यक्रम सदैव अनुभव के अनुसार आयोजित किये जाने चाहिए।

(4) सामूहिक कार्य के अंतर्गत कार्यक्रम तथा क्रियाएँ कार्यस्थिति, पारिवारिक सम्बन्ध तथा सामुदायिक मनोवृत्ति पर आधारित हों। कार्यकर्ता को न केवल सांवेगिक, सामाजिक तथा शारीरिक तत्वों या कारकों का ज्ञान हो बल्कि उसे समूह के सदस्यों, कार्यस्थिति, दशा, पारिवारिक सम्बन्ध तथा सामुदायिक मनोवृत्तियों से अवगत होना चाहिए।

(5) सदस्यों के व्यवहार का ज्ञान आवश्यक होता है। यदि कार्यकर्ता व्यक्तियों को शिक्षात्मक तथा मनोरंजनात्मक क्रियाओं द्वारा पूर्ण सफलता एवं उद्देश्य से सहायता करना चाहता है तो उसे उनके व्यवहारों का ज्ञान अवश्य हो। बिना इस ज्ञान के कार्यकर्ता कभी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है।

(6) कार्यकर्ता व्यावसायिक रूप से कार्य करनसे में सक्षम हो। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यकर्ता में आवश्यक योग्यता, निपुणता, ज्ञान, तथा कार्य करने की आंतरिक इच्छा हो और वह व्यावहारिक रूप से अपने उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में निपुण हो।

समाज कार्य व्यवसाय व्यक्तियों की आवश्यकता की संतुष्टि पर बल देता है। जब व्यक्ति की आवश्यकताओं का समाधान नहीं होता तो उसका सामाजिक सन्तुलन बिगड़ जाता है। इस स्थिति में समाज कार्य व्यक्तियों की वैयक्तिक रूप से या समूह के माध्यम से सहायता करता है। व्यक्तिगत या वैयक्तिक रूप से जो सहायता की जाती है उसकी प्रणाली को सामाजिक वैयक्तिक सेवा कार्य प्रणाली और समूह द्वारा सहायता को सामाजिक सामूहिक कार्य–प्रणाली कहते हैं।

7.6 गतिशीलता

प्रत्येक समाज में व्यक्ति की स्थिति तथा कार्य निर्धारित रहते हैं। इनके निर्धारण की व्यवस्था सभी समाजों में समान नहीं होती । कहीं जन्म के आधार पर व्यक्ति की स्थिति व कार्य निश्चित रहते हैं।

भारतीय जाति–व्यवस्था इसका उदाहरण है। इसके विपरीत कुछ समाजों में उपलब्धियों द्वारा व्यक्ति की स्थिति व कार्य निश्चित रहते हैं। नगरीय वर्ग–व्यवस्था इसका उदाहरण है। अतः एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में प्रवेश करना सामाजिक गतिशीलता है।

नगरीय मुक्त समाज में, ग्रामीण बन्द समाज की अपेक्षा गतिशीलता की दर अधिक होती है। गतिशीलता के कारण सामाजिक परिवेश बन जाता है और सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है।

7.6.1 गतिशीलता की मात्रा

लिपसेट तथा बेण्डिक्स ने आधुनिक औद्योगिक समाजों का अध्ययन कर, गतिशीलता के तुलनात्मक आँकड़े पेश किए हैं। इन आँकड़ों के अनुसार मुक्ति समाज में संवृत या बन्द समाज की अपेक्षा अधिक गतिशीलता है। यूरोप की अपेक्षा अमेरिका में व्यक्ति के लिए एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में प्रवेश के अधिक अवसर हैं।

आधुनिक औद्योगिक समाजों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की माँग बढ़ रही है। वह माँग उच्च स्तर के नवयुवकों द्वारा पूरी नहीं हो पाती है। फलस्वरूप निम्न या मध्यम वर्गीय नवयुवक उच्च स्थिति की ओर गतिशीलता है। इसके विपरीत उच्च वर्गीय नवयुवक तकनीकी ज्ञान व शिक्षण के अभाव में निम्न स्थिति की ओर उन्मुख हैं। यह गतिशीलता उस समय अधिक प्रभावशाली हो जाती है, जब विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों में उपलब्धि और प्रस्थिति की प्रेरणा तीव्र होती है। यही कारण है कि पूर्व औद्योगिक समाजों में गतिशीलता की मात्रा कम थी।

7.6.2 गतिशीलता के लाभ

समाज के विकास की दृष्टि से गतिशीलता अत्यन्त लाभदायक है। इसके प्रभावों की चर्चा निम्न प्रकार कर सकते हैं–

(1) औद्योगिक विकास

गतिशीलता द्वारा समाज का औद्योगिक विकास होता है। उद्योगों के लिए विभिन्न स्तरों के कर्मचारी सुलभ होते हैं।

(2) मनोवैज्ञानिक आकांक्षाएँ

गतिशीलता द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का अवसर मिलता है। स्टफरस तथा राज्य फिंगर द्वारा दिये गए परीक्षणों से पता चला है जिन लोगों के लिए पदोन्नति के अवससर होते हैं, उनमें विद्यमान स्थिति के प्रति कम सन्तोष होता है। वह अपनी आकांक्षाओं को उन्नति के अवसरों से जोड़ लेते हैं।

(3) आत्म–विश्वास में वृद्धि

दौवन तथा एडेल्सन ने गतिशीलता के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन किया और यह पाया कि गतिशीलता से व्यक्ति के आत्म–विश्वास तथा मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है।

(4) प्रत्याशित समाजीकरण

गतिशीलता द्वारा प्रत्याशित समाजीकरण सम्भव होता है। मर्टनस तथा किट ने सामाजिक प्रभाव का अध्ययन कर यह निष्कर्श निकाला है कि जब निम्न प्रस्थिति का व्यक्ति, उच्च प्रस्थिति के प्रतिमानों का अनुकरण करता है, तो उसको उच्च स्तर पर गतिशील होने की सुविधा मिलती है।

7.6.3 गतिशीलता से हानि

गतिशीलता यद्यपि प्रगति के लिए आवश्यक है, किन्तु यह सदैव लाभदायक नहीं होती। गतिशीलता से व्यक्ति की प्रत्याशाओं का स्तर उच्च हो जाता है। फलस्वरूप वह मौजूदा परिस्थितियों में कुण्ठा का अनुभव करता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में गतिशील व्यक्ति उस स्तर के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते। एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रविष्ट व्यक्ति प्रायः असंगठित पाये जाते हैं।

7.7 सार संक्षेप

सामूहिक प्रक्रिया का लक्ष्य मानव व्यवहार को प्रजातांत्रिक ढंग में परिवर्तित करना है। यह अधिक समय तक लम्बी चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें लक्ष्यों तथा साधनों में गहरा सम्बन्ध होता है। लक्ष्यों के अनुसार साधन होते हैं। अतः लक्ष्यों के गुण कभी भी साधनों के गुण नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि परिवार नियोजन कार्यकर्ता समूह में इसकी स्वीकृति बढ़ाना चाहता है तो जितने साधन होंगे समूह पर उसी के अनुरूप प्रभाव होगा। जैसे–जैसे अधिक लाभकारी साधन होंगे, लक्ष्य की पूर्ति में अधिक सुगमता हो सकेगी।

प्रक्रियाएँ सदैव उद्देश्यों से जुड़ी होती हैं। प्रजातांत्रिक उद्देश्य कभी भी निरंकुश साधनों से प्राप्त नहीं होते हैं और निरंकुश लक्ष्य प्रजातान्त्रिक साधनों से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया में साधनों को वहाँ नहीं सीखा जा सकता है जहाँ पर पूर्व निर्णय बिना समूह की राय से निश्चित कर लिया जाता है और न प्रजातान्त्रिक निपुणताओं का विकास सम्भव हो सकता है। लोग प्रक्रिया में तभी विश्वास रखते हैं जब वह समूह को सुरक्षा विकास, उन्नति आदि की गारन्टी देती हैं।

7.8 अभ्यास प्रश्न

1. प्रभावकारी समूह की क्या विशेषताएं हैं?
2. ध्रुवीकरण तथा सामूहिक सम्बद्धता में क्या अर्न्तसम्बन्ध है?
3. सामूहिक प्रक्रिया में सहयोग तथा एकीकरण की महत्ता का वर्णन कीजिए ?
4. सामूहिक प्रक्रिया में गतिशीलता के विभिन्न लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए ?

5. सामूहिक प्रकियाओं को समझाइये ?
6. सामूहिक समाज कार्य में सामूहिक नियोजन तथा निर्णय की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये ?
7. प्रभावकारी समूह की विशेषताएँ को समझाइये ?
8.समूह–नियोजन की प्रविधियों की व्याख्या करें ?

7.9 पारिभाषिक शब्दावली

Development	- विकास	Group work	- समूहकार्य
Aims	- लक्ष्य	Personatities	- व्यक्तित्व
Essential	- जीवनोपयोगी	Importance	- महत्व
Adjustment	- सामांजस्य	Model	- प्रारूप
Intrigrated	- एकीकृत	Remedial	- परिभाषा
Agency	- संस्था	Social worker	-सामाजिक कार्यकर्ता

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Pepell, G.P. & Rathman, B.- Social Work with Groups
2.Trecker, H.B.- Social Group Work. Principles and Practice Newyork Association Press.
3. Wilson, G. & Ryland, G.- Social Group Work Practice.
4. Harford, M.- Groups in Social Work.
5. Samuel T. Gladding - Group Work, A Community Speciality.
6. Ronald W. Toseland & Robert F. Rivar: An Introduction to Group Work Practice, Manachuseths: Allyn & Baion.
7. Toselane, R.W.- An Introduction to Group Work Practice.
8. Konopka, G.- Social Group Work: A Helping Process (3rd) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
9. Mishra, P.D. & Mishra Bina- Social Group Work Theory and Practice.
10. मिश्रा, प्रयागदीन– सामाजिक सामूहिक कार्य
11. सिंह, ए.एन. एवं सिंह, ए.पी.– समाज कार्य

इकाई–8

सामाजिक समूह कार्य एवं समाज कार्य की अन्य प्रणालियों में अन्तःसम्बन्ध
Inter-relation between Methods of Social Group Work and Social Work

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य
8.1 परिचय
8.2 अवधारणा
8.3 सामाजिक समूह कार्य एवं समाज कार्य की अन्य प्रणालियों में अन्तःसम्बन्ध
8.4 वैयक्तिक सेवा कार्य
8.5 समस्या का अध्ययन
8.6 समाजिक सामूहिक कार्य
8.7 समुदायिक संगठन
8.8 समाज कल्याण प्रशासन
8.9 प्रजातांत्रिक प्रशासन की प्रविधियाँ
8.10 समाज कार्य अनुसंधान
8.11 समाजिक क्रिया
8.12 सार संक्षेप
8.13 अभ्यास प्रश्न
8.14 पारिभाषिक शब्दावली
8.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

8.0 उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप :–

- सामाजिक समूह कार्य एवं समाज कार्य की अन्य प्रणालियों में अन्तःसम्बन्ध को समझ पायेगें।
- वैयक्तिक सेवा कार्य व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझ पायेगें।
- समस्या का अध्ययन व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझ पायेगें।
- समाजिक सामूहिक कार्य व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझ पायेगें।
- समुदायिक संगठन व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझ पायेगें।
- समाज कल्याण प्रशासन व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझ पायेगें।
- प्रजातांत्रिक प्रशासन की प्रविधियाँ व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझ पायेगें।
- समाज कार्य अनुसंधान व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझ पायेगें।
- समाजिक क्रिया व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझ पायेगें।

8.1 परिचय

आज मनुष्य अनेक समस्याओं से ग्रसित है। ये समस्याएँ एक तो अपने वर्तमान संदर्भ से जुड़ी होती है और दूसरे परिवर्तनों से सम्बन्धित होती हैं। प्रायः दो प्रकार की समस्याएँ भौतिक तथा मनोसामाजिक मनुष्य को अधिक पीड़ित करती हैं। इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। अतः हर समस्या के निदान व उपचार में दोनों पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक होता है।समाज की जटिलता के साथ–साथ समस्याओं में भी जटिलता बड़ी है और इस जटिलता को समझना समाज–कल्याण कार्यकताओं के लिए आवश्यक हो गया है।

यद्यपि यह सत्य है कि भौतिक समस्याओं का निदान एवं उपचार भौतिक साधनों द्वारा तथा मनोसामाजिक समस्याओं का निदान व उपचार भौतिक साधनों द्वारा तथा मनोसामाजिक समस्याओं का निदान व उपचार मनोसामाजिक साधनों द्वारा ही संभव होता है परन्तु आज किसी भी समस्या के निदान व उपचार में सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि मनुष्य पर प्रत्येक कारक का अपना विशेष प्रभाव पड़ता है।

8.2 अवधारणा

मनोसामाजिक समस्याओं के निदान व उपचार के वैज्ञानिक तरीके को समाज कार्य कहते हैं। समाज कार्य मनोसामाजिक समस्या के निदान और समाधान में सेवार्थी को उसकी परिस्थितियों से समंजित करने की चेष्टा करता है तथा परिवर्तन पर भी जोर देता है। प्रायः समाज कार्य दो स्थितियों में व्यक्ति की सहायता करता है।

प्रथम, जब सेवार्थी या व्यक्ति सामान्य प्रतिमानों से सामंजस्य भौतिक, सामाजिक, राजनैतिक सांवेदिक, सांवेगिक या अन्य कारणों से नहीं कर पाता है और वह समाज के लिए घातक हो जाता है तथा निन्दा का पात्र बन जाता है।

दूसरे, समाज कार्य व्यक्ति की उन्नति एवं विकास के लिए साधन प्रदान करता है जिससे उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। सामाजिक परिवर्तनों पर भी वह जोर देता है।

प्रो0 राजाराम शास्त्री के अनुसार,"समाज कार्य जनतांत्रिक मूल्यों से अभिभूत सामाजिक अभिकरण के माध्यम से सेवार्थी को उसकी भागीदारी के साथ–साथ मनोसामाजिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है और स्वस्थ जीवन से समंजित कर गति प्रदान करने की चेष्टा करता है।"

8.3 सामाजिक समूह कार्य एवं समाज कार्य की अन्य प्रणालियों में अन्तःसम्बन्ध

आधुनिक समाज कार्य का तात्पर्य एक प्रकार की व्यावसायिक सेवा है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह की सहायता की जाती है जिससे वह संतोषजनक संबंध स्थापित कर सके और इच्छाओं एवं क्षमताओं के अनुसार जीवन–स्तर को प्राप्त कर सके।समाज कार्य व्यक्ति की सहायता अपनी विशेष प्रणालियों द्वारा करता है। ये 6 प्रणालियाँ या पद्धतियाँ हैं जिनमें से वैयक्तिक सेवा का कार्य, सामाजिक सामूहिक कार्य, सामुदायिक

संगठन प्राथमिक हैं और समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक अनुसन्धान, सामाजिक क्रिया द्वितीयक हैं।

व्यक्ति की सहायता प्रत्यक्ष रूप से प्रथम तीन पद्धतियों द्वारा ही की जाती हैं परन्तु इसी कार्य में द्वितीयक पद्धतियों को सहायता ली जाती है। एक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं कि उसे केवल एक ही पद्धति की आवश्यकता हो। उसके साथ कई या अन्य सभी पद्धतियों का उपयोग आवश्यक हो सकता है। अतः एक स्थिति में सभी पद्धतियां अन्तः–सम्बन्ध रखती हैं।

वैयक्तिक एवं सामाजिक समस्याएँ प्रत्येक क्षेत्र में पायी जाती हैं और वहाँ समाज कार्य की भूमिका हो सकती है। परन्तु समाज कार्य के कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिन पर वह प्रमुख रूप से ध्यान देता हैं। ये क्षेत्र हैं : परिवार एवं बाल कल्याण, चिकित्सा एवं मनोचिकित्सा, अपराधी–सुधार प्रशासन, महिला–कल्याण, जनजातीय–कल्याण, श्रम–कल्याण, पिछड़ी जाति एवं वर्ग–कल्याण, शारीरिक वांछित कल्याण, ग्राम्य–कल्याण, युवा–कल्याण, राजकीय कर्मचारी–कल्याण इत्यादि। सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित प्रविधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है–सम्बन्धी की प्रविधि, सम्बल की प्रविधि, सहभागिता की प्रविधि, साधन–उपयोग की प्रविधि, व्याख्या की प्रविधि, स्पष्टीकरण की प्रविधि, अंशीकरण की प्रविधि, जगतीकरण की प्रविधि, नवज्ञानार्जन की प्रविधि, परिस्थितिपरिवर्तन की प्रविधि, स्थानान्तरण की प्रविधि एवं स्वीकृति की प्रविधि, आदि।

समाज कार्य का उद्देश्य सुगठित समाज की रचना करना तथा व्यक्ति का समाज में इस प्रकार से समायोजन करना है जिससे वह अपना तथा समाज का कल्याण कर सके। अतः जब कार्यर्ता एक व्यक्ति के साथ कर्य करता है तो उसे सामाजिक वैयक्तिक कार्य, जब समूह के माध्यम से व्यक्ति की सहायता करता है तो उसे सामूहिक कार्य और जब सम्पूर्ण समुदाय की सहायता करता है तो उसे सामुदायिक संगठन कहते हैं। अन्य तीन प्रणालियाँ इन प्रणालियों में सहायता प्रदान करती हैं। यहाँ पर हम इनका सूक्ष्म वर्णन, समझने के उद्देश्य से, करेंगे।

8.4 वैयक्तिक सेवा कार्य

उन्नीसवीं शताब्दी तक व्यक्ति का दुःख व कष्ट उसके कर्मों का फल समझा जाता था तथा विश्वास किया जाता था कि उसे इन दुःखों व कष्टों को भोगना ही पड़ेगा। व्यक्ति द्वारा इन कष्टों व दुःखों को दूर कर पाना सम्भव नहीं है। परन्तु जैसे–जेसे ज्ञान का विकास हुआ, इस विचारधारा में परिवर्तन आया। एडवर्ड डेनिसन, सर चार्ल्स लाथ इत्यादि विद्वानों ने वैयक्तिक सहायता की ओर अपना ध्यान आकर्षित कियां मेरी रिचमन्ड पहली कार्यकर्ता थीं जिन्होंने सन् 1917 ई0 में वैयक्तिक सेवा कार्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार वैयक्तिक सेवा कार्य एक कला है जिसके द्वारा स्त्री, पुरुष और बालकों के सामाजिक सम्बन्धों में अपेक्षाकृत अधिक समायोजन लाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार वैयक्तिक कार्य व्यक्तित्व–विका की एक प्रक्रिया है। हैमिल्टन आदि विद्वानों ने वैयक्तिक कार्य को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा है जो व्यक्त्वि (आन्तरिक सम्बन्ध) और सामाजिक

परिस्थितियों (बाह्य सम्बन्ध) में समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। अतः यह बात स्पष्ट है कि इस विधि द्वारा केवल व्यक्ति की सहायता की जाती है तथा वहीं केन्द्र–बिन्दु होता है। इस विधि से व्यक्ति की आन्तरिक एवं वाह्य क्षमताओं का ज्ञान होता है।

कार्यकर्ता व्यक्ति की इस प्रकार से सहायता करता है जिससे वह अपनी क्षमताओं में आवश्यकतानुसार विकास कारक बाह्म जगत् से समायोजन स्थपित कर सके तथा अपना स्थान प्राप्त करके भूमिका निभा सके। परन्तु यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि वैयक्तिक कार्य में केवल व्यक्ति तक ही कार्य सीमित नहीं रहता है। चूँकि व्यक्ति पर बाह्य कारक प्रत्येक क्षण अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए बाह्म कारकों के सम्बन्ध में भी यह कार्य करता है। वह उन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कारकों का पता लगाता है जिनके कारण व्यक्ति कष्ट अनुभव करता है इसके उपरान्त वह ऐसी शक्तियों का विकास करता है जिनसे स्वयं व्यक्ति उन पर विजय प्राप्त कर लेता है।

इस प्रकार जहां एक ओर व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाया जाता है वहीं दूसरी ओर समाज को स्वस्थ नागरिक प्रदान करने में सहायता की जाती है।वैयक्तिक सेवा कार्य की प्रक्रिया में कार्यकर्ता का सम्बन्ध मुख्यतः तीन कार्यों से रहता है :–

(1) सेवार्थी की समस्या के सम्बन्ध में आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण से सम्बन्धित आँकड़ों का संकलन एवं अध्ययन।
(2) समस्या का वैयक्तिक प्रविधियों द्वारा निदान।
(3) बाह्य तथा आन्तरिक साधनों द्वारा उसका उपचार।

8.5 समस्या का अध्ययन

कार्यकर्ता निरीक्षण, अन्वेषण तथा वैयक्तिक इतिवृत्त की प्रविधियों के आधार पर करता है। निदान का कार्य भी साथ ही चलता रहता है। साधारणतया कार्यकर्ता निदान में मूल्यांकन, कारणान्वेषण तथा श्रेणीकरण के चरणों में कार्य करता है।

कार्यकर्ता व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समस्या का मूल्यांकन करता है। वह देखता है कि समस्या क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वास्तविकता क्या है तथा क्या कारण है जिससे सेवार्थी अधिक पीड़ित है। वह सेवार्थी के प्रयासों एवे उसकी क्षमताओं को भी देखता है। वह बाह्य तथा आन्तरिक कारकों का कारण क्या है तथा वास्तविक समस्या क्या है। इसके पश्चात् वह निश्चित करता है कि सेवार्थी को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकताहै। उपर्युक्त बातें निश्चित कर लेने के उपरान्त उपचार कार्य प्रारंभ होता है। उपचार की मुख्य प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं :

(1) अन्वेषण–अन्वेषण द्वारा दोनों कार्य, उपचार तथा तथ्यों का संकलन, किए जाते हैं। कार्यकर्ता घनिष्ठतम संबंध स्थापित करके सेवार्थी की समस्या की तह में प्रविष्ट होता है। वह स्वयं वार्तालाप के माध्यम से अपनी समस्या के कारणों ो जान लेता है अतः उसे स्वयं सान्त्वना प्राप्त होती है।

(2) परिस्थितियों में सुधार एवं परिवर्तन – सेवार्थी बाह्य परिस्थितियों की जटिलता के कारण समायोजन नहीं कर पाता है। कार्यकर्ता इस विधि द्वारा उसके वातावरण में परिवर्तन में परिर्वन लाता है तथा तनाव–पूर्ण स्थिति को कम करता है।

(3) आलम्बन–कार्यकर्ता अहम् शक्ति के विकास एवं वृद्धि में सेवार्थी को साहस दिलाता है। उसमें आशा का संचार करता है तथा उसे पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है।

(4) शिक्षण–कार्यकर्ता सेवार्थी को समय एवं आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान करता है जिससे समस्या के विषय में उसे ज्ञान होता है।

(5) निर्देशन–कार्यकर्ता को कभी–कभी किसी विषय पर सेवार्थी को निर्देशन भी देना होता है।

(6) तादात्म्यीकरण–कार्यकर्ता सेवार्थी की भावनाओं के संबंध स्थापित करता है। सेवार्थी उसको अपना हितैषी समझने लगता है और इससे समस्या के समाधान में सहायता मिलती है।

(7) स्वीकृति–कार्यकर्ता सेवार्थी को जैसा वह है वैसा ही स्वीकार करता है। वह उसका आदर करता है। वह पाप से घुणा, पापी से नही' का सिद्धांत अपनाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि सेवार्थी स्पष्ट रूप से सच्चाई बता कर राहत प्राप्त करता है।

(8) प्रोत्साहन–कार्यकर्ता सेवार्थी को समस्या के समाधान में प्रोत्साहन देता है।

(9) पुष्टीकरण – वह यथार्थ विचारों का पुष्टीकरण करता है जिससे विश्वास जाग्रत होता है।

(10) सामान्यीकरण–सेवार्थी कभी–कभी अपने को इतना दोषी ठहराता है कि उसकी सभी क्रियाएँ उसके इस विचार से प्रभावित हो जाती है और उसका जीवन नरक बन जाता है। कार्यकर्ता इस विधि द्वारा उसको बताता है कि वही केवल ऐसा हनीं है बल्कि बहुतेरे हैं जिन्होंने इसी प्रकार के कार्य किए हैं।

(11) व्याख्या– व्याख्या द्वारा कार्यकर्ता सेवार्थी के भ्रमों को दूर करता हैं और उसको वास्तविकता से परिचित कराता है।

(12) पुनः विश्वासीकरण – कार्यकर्ता सेवार्थी में विश्वास पैदा करता है कि उसकी समस्या का समाधान संभव है और उसमें शक्ति का विकास करके समाधान किया जा सकता है।

(13) स्पष्टीकरण–सेवार्थी को कार्यकर्ता उसकी समस्या के कारणों से अवगत कराता है। प्रभावशील कारकों के विषय में बताता है और उसके व्यवहार को स्पष्ट करता है। फलतः सेवार्थी स्वयं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।

(14) प्राख्या–अर्धचेतन स्तर की समस्याओं और कारणों पर कर्ता प्रकाश डालता है और स्पष्ट करता है।

(15) सलाह–सेवार्थी को कार्यकर्ता वहाँ सलाह देता है जहाँ उसका सलाह की आवश्यकता का अनुभव होता है।

(16) सहयोग–कार्यकर्ता सेवार्थी को सहयोग प्रदान करता है।

हालिस के अनुसार उपचार दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार के उपचार के अन्तर्गत वे क्रियाएँ आती हैं जिनके द्वारा कार्यकर्ता स्वयं प्रयास करके सेवार्थी के पर्यार्थी के पर्यावरण में सुधार करता है। दूसरे प्रकार के उपचार के अन्तर्गत विशेषकर वे मनोवैज्ञानिक क्रियाएँ आती हैं जिन्हें साक्षात्कार के माध्यम से प्रयोग करते हुए कार्यकर्ता सेवार्थी को अपने प्रयासों के द्वारा स्वयं में परिवर्तन लाकर समस्याओं को हल करने के योग्य बनाने में मदद करता है।

8.6 समाजिक सामूहिक कार्य

समूहिक कार्य के अन्तर्गत समूह ही सेवार्थी होता है अर्थात् व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है जिससे समूह की उन्नति एवं विकास संभव होता है। कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समूह में उन्नति एवं विकास लाता है। व्यक्ति के लिए समूह आवश्यक होता है अतः सामूहिक कार्य समूह–विकास द्वारा व्यक्ति के विकास एवं उन्नति में सहयोग देता है। वह व्यक्ति और समूह की एक ही समय में सहायता करता है। वह समूह को इस प्रकार कार्य करने के लिए उत्साहित करता है जिससे सामूहिक अन्तःक्रिया तथा कार्यक्रम दोनों ही व्यक्ति के विकास और वांछित सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दें।

ट्रेकर के अनुसार सामाजिक सामूहिक कार्य–कार्य की एक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्तियों की सामाजिक संस्थाओं के अन्तर्गत समूहों में कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है। यह कार्यकर्ता कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाओं में व्यक्तियों की परस्पर सम्बद्ध क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है जिससे वे एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित कर सकें और वैयक्तिक, सामूहिक एवं सामुदायकि विकास की दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के अनुसार विकास के सुअवसरों से लाभान्वित हो सकें।

8.7 समुदायिक संगठन

समुदायिक संगठन का तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में वहाँ की आवश्यकताओं का पता लगाकर तथा साधनों की खोज करके उसमें सामंजस्य स्थापित करना होता है।

इस प्रक्रिया के मध्य जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं उनको कार्यकर्ता दूर करने का प्रयास करता है, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को समझने में पूर्ण समर्थ होता है तथा समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। सामुदायिक कार्यकर्ता का उद्देश्य चेतन या अर्धचेतन समस्याओं को प्रकाश में लाना, लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित करना, समस्या के समाधान के उपाय सोचना तथा उन पर वाद ववाद करना, कार्यक्रम नियोजित करना तथा लोगों को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना तथा सहयोग प्राप्त करना होता है।

समुदाय में सदैव ऐसे कारक मौजूद रहते है जो संगठन को कमजोर बनाने की सदैव सोचा करते हैं और समय आने पर कमजोर कर देते हैं। यह अवसर उस समय विशेष रूप से देखने को मिलता है जब संघर्ष या कोई विशेष परिवर्तन होता है। सामुदायिक कार्यकर्ता सदैव प्रयत्न करता है कि भौतिक तथा अभौतिक कारकों में संतुलित रूप से परिवर्तन हो जिससे सामान्य स्थिति बनी रहे।

सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित प्रमुख अवस्थाएँ होती हैं :–

(1) सामुदायिक कल्याणकारी संरचना, उसकी सामाजिक एजेन्सियों और उनके कार्यों के सम्बन्ध में ज्ञान,

(2) जनता को सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक तथा असार्वजनिक सामाजिक एजेन्सियों में उपलब्ध सुविधाओं में सहयोग,

(3) सार्वजनिक तथा असार्वजनिक एजेन्सियों के स्तर में सुधार,

(4) व्यापक मानवीय आवश्यकताओं का निश्चय करने के लिए सामाजिक अनुसन्धान एवं सर्वेक्षणों का प्रयोग,

(5) प्राप्य साधनों को ध्यान में रखते हुए इन आवश्यकताओं का विश्लेषण करना,

(6) आँकड़ों का संश्लेषण, तथ्यों का परीक्षण और आवश्यकताओं की अविलम्बिता (Urgency) तथा महत्व के अनुसार प्राथमिकता का निर्धारण,

(7) अमहत्पूर्ण (Outlived) सेवाओं का लोप अथवा समंजन और आवश्यकताओं के अनुसार नीय सेवाओं का विकास,

(8) सभी इच्छुक समूहों एवं जनता के लिए सेवाओं के विस्तार अथवा नयी सेवाओं के सृजन के उद्देश्य से आवश्यकताओं की व्याख्या,

(9) समाज कल्याण कार्यों के लिए आर्थिक एवं नैतिक बल का संग्रह और

(10) शिक्षा, सूचना तथा लोगों के सक्रिय भाग द्वारा समाज कल्याण आवश्यकताओं के प्रति सामुदायिक चेतना की सृष्टि।

समुदायिक संगठन की रूपरेखा के अन्तर्गत समाज कार्यकर्ता अपने व्यावसायिक ज्ञान, कुशलता तथा अनुभव का योगदान करता है :

(क) सामाजिक दशाओं की जानकारी के कारण समाज कार्यकर्ता अन्य लोगों की स्वस्थ एवं कल्याणकारी आवश्यकताओं की पहचान करने में हाथ बँटाता है।

(ख) उसमें आवश्यक सर्वेक्षण तथा गवेषणात्मक तथ्य प्राप्त करने तथा दशाओं में सुधार की योजना तैयार करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की योग्यता रहती है।

(ग) सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक आवश्यकताओं की व्याख्या अपने सेवार्थियों, पड़ौस और समुदाय के लिए करने में समर्थ होता है।

8.8 समाज कल्याण प्रशासन

समाज कार्य मुख्य रूप से सामाजिक संस्थाओं या विभागों या संबंधित संगठनों, जैसे चिकित्सालय, न्यायालय, विद्यालय, सुधार करने एवं दण्ड देने वाली संस्थाओं में किया जाता है। अतः कार्यकर्ता के लिए समाज कल्याण प्रशासन का ज्ञान होना आवश्यक होता है। समाज कल्याण प्रशासन सरकारी संस्थाओं में सामाजिक अधिनियम को कार्यान्वित करता है तथा लोगों की सेवा में कानूनों, नियमों तथा नियंत्रणों का रूपान्तर करता है। इसका तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समाज कल्याण क्षेत्र की सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं का प्रशासन एवं संगठन किया जाता है। इसके अन्तर्गत वे सभी क्रियाएँ आती हैं जो किसी संस्था को कार्यक्रम का व्यावहारिक रूप देने में सहायता करती हैं।

समाज कल्याण प्रशासन का व्यावहारिक रूप सामान्य प्रशासन के समान हैं। परन्तु इसमें मानव समस्याओं के समाधान हेतु तथा मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः प्रशासक के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके लिए समाज कार्य के दर्शन, उद्देश्यों तथा कार्यक्रमों से अवश्य परिचित होना चाहिए। उसे समाजकार्य के तरीकों, सामाजिक निदान के ढंग, समूह तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उनके संस्था से संबंध इत्यादि का ज्ञान आवश्यक होता है।

जान सी0 किडनी (John C. Kidneigh) के अनुसार :"समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने तथा सामाजिक नीति को मूल्यांकित एवं संशोधित करने में अनुभव के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।"1. आर्थर डनहम (Arthur Dunham) के अनुसार :"समाज कल्याण प्रशासन से हमारा आशय उन सहायक एवं सुविधा–जनक क्रिया–कलापों से है जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा

प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य हैं। 2. प्रो0 राजाराम शास्त्री के अनुसार ,"सामाजिक अभिकरण तथा सरकारी या गैर सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासन को समाज कल्याण कहते हैं। यद्यपि इसकी विधियाँ–प्रविधियाँ या तौर–तरीके इत्यादि भी लोक–प्रशासन या व्यापार–प्रशासन की ही भाँति होते हैं किन्तु इसमें एक बुनियादी भेद यह होता है कि इसमें सभी स्तरों पर मान्यता और जनतांत्रिकता का अधिक से अधिक ध्यान करके ऐसे व्यक्तियों या वर्ग से संबंधित प्रशासन किया जाता है जो कि बाधित होते हैं।"3

समाज कल्याण प्रशासन का विश्लेषण

(1) समाज कल्याण प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान, सिद्धांत एवं निपुणता होती है।

(2) इसके द्वारा सामाजिक संस्थओं का नियंत्रण, संचालन तथा संगठन किया जाता है।

(3) इस प्रक्रिया में निर्देशन, नियोजन, अन्तर–उत्तेजना, संगठन, सहयोग, संबंध, अनुसन्धान आदि कारकों का उपयोग किया जाता है।

(4) व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को सामाजिक सेवा प्रदान करता है।

(5) संस्था के उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों, बजट, सेवार्थी–चयन, कार्यकर्ता–चयन, कर्मचारी गण चयन का कार्य करता है। सेवाओं का मूल्यांकन भी करता है।

(6) सामाजिक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति इसके द्वारा की जाती है।

(7) प्रशासन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होता है।

8.9 प्रजातांत्रिक प्रशासन की प्रविधियाँ

(1) समूह–नेतृत्व की प्रविधि,
(2) शिक्षण की प्रविधि,
(3) समस्या–निवारण की प्रविधि,
(4) समूह–वार्तालाप की प्रविधि,
(5) शिक्षात्मक अधीक्षण की प्रविधि।

8.10 समाज कार्य अनुसंधान

समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति की अधिकाधिक सहायता तथा विकास एवं उन्नति करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अन्तर्गत सिद्धांतों, तरीकों, ढंगों, निपुणताओं तथा प्रविधियों का प्रयोग होता है। अतः इन क्षेत्रों में दिनोंदिन नवीनीकरण एवं परिवर्तन की आवश्यकता होती है क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक

परिवर्तनशील एवं विकासशील प्राणी है। समाज कार्य अनुसंधान इस आवश्यकता को पूरा करता है। वह नए–नए तरीकों की खोज करता है, सिद्धांतों का सत्यापन एवं पुनरस्थापन करता है तथा नवीन ज्ञान की खोज करता है। आवश्यकतानुसार कार्य–कारण में संबंध भी स्पष्ट करता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि चूँकि समाज कार्य का व्यक्तियों की समस्याओं से सम्बन्ध होता है अतः समाज कार्य अनुसंधान में भी इनसे संबंधित सिद्धांतों, अवधारणाओं, प्रविधियों तथा निपुणताओं इत्यादि के विषय में खोज की जाती है। सारांश में, इसके अन्तर्गत उपचार तथा सेवा प्रदान करने की विविध प्रणालियों, उनकी आवश्यकताओं तथा उनसे संबंधित नये साधनों की खोज की जाती है।

अनुसंधान का उद्देश्य सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में ज्ञान का विकास एवं वृद्धि करना है। समाज कार्य अनुसंधान एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा समाज कार्य को नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। प्रारंभ में समाज कार्य सामाजिक विद्वानों के अनुसंधान के तरीकों को अपनाने में हिचकिचाता था। अतः समाज कार्य अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीकों को नहीं प्रमाणित किया गया । प्रारंभिक सामुदायिक अध्ययन (Early Community Studies) समाज कार्यकर्ता द्वारा सामाजिक समस्याओं, संस्थागत कार्यक्रमों, संरचना, कार्य पद्धति तथा समाज कार्य का इतिहास, भौतिक तथा उपचारात्मक अवलोकन इत्यादि खोजों ने केवल नयी सामाजिक सेवाओं पर बल दिया। इस प्रकार के अध्ययन ने सामुदायिक समाज कलयाण योजना को सरल बनाया परन्तु मानव प्रकृति, व्यवहार तथा सम्बन्धों के वैज्ञानिक ज्ञान को गहन नहीं बनाया।

इन अध्ययनों ने समाज कार्य के तरीकों की आवश्यकता को सिद्ध किया। नए ज्ञान एवं तरीकों के विकास के साथ–साथ आनुसंधान का क्षेत्र भी अब बढ़ता जा रहा है। परन्तु सामाजिक अनुसंधान तथा समाज कार्य अनुसंधान में अन्तर है क्योंकि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक मूल्यों, धारणाओं तथा कार्य–कारण के सम्बन्धों को निरपेक्ष भाव से देखता है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि प्राप्त निष्कषों का व्यावहारिक परिणामों से सम्बन्ध हो ही अतः ऐसा अनसंधान विशुद्ध अनसंधान (Pure Reserch) होता है। परन्तु समाज कार्य अनसंधान सामाजिक शक्तियों का अध्ययन व्यक्ति के सन्दर्भ में करता है। उसका उद्देश्य व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। वह देखता है कि नये अनुसंधान किस प्रकार सेवार्थी (व्यक्ति, समूह तथा सम्पूर्ण समुदाय) की सेवाओं में सुधार ला सकते हैं।

समाज कार्य अनुसंधान एक ऐसी खोज है जिसके अन्तर्गत वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके ऐसे उपायों की खोज की जाती है जिससे सेवार्थियों (व्यक्ति, समूह, समुदाय तथा सम्पूर्ण समाज) को अधिक अच्छे ढंग से सेवा प्रदान की जा सके तथा समस्याओं का समाधान एवं व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास सम्भव हो सके। फ्रीडलैन्डर के अनुसार, "समाज कार्य शोध का अर्थ है, समाज कार्य के संगठन, कार्य एवं प्रणालियों की वैधता का आलोचनात्मक अन्वेषण और वैज्ञानिक जाँच जिससे उन्हें प्रमाणित किया जा सके, उनका सामान्यीकरण किया जा सके और समाज कार्य के ज्ञान और निपुणता में वृद्धि की जा सके।"

1वेब्स्टर शब्द–कोष के अनुसार, "सामाजिक शोध एक अध्ययन–परायण अन्वेषण है जो सामान्यतः आलोचनात्मक और अत्यन्त विस्तृत जाँच या परीक्षण के रूप में होता है और जिसका उद्देश्य स्वीकृति–प्राप्त परिणामों के विषय में नवीन सूचनाओं के आधार पर पुनः विचार करना है।"सोशल वर्क इयर बुक, सन् 1949 ई0 के अनुसार ,"समाज कार्य शोध का अर्थ है समाज कार्य के कार्यों और प्रणालियों की वैधता की वैज्ञानिक जाँच।"

विशेषताएँ

(1) यह समाज कार्य का एक सहायक तरीका है क्योंकि इसके द्वारा सेवार्थी की सहायता प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती है।
(2) यह वैज्ञानिक तरीकों को अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग में लाता है। इसमें

निम्नलिखित चरणों का उपयोग किया जाता है :–

(1) समस्या क्षेत्र के विषय का चुनाव,
(2) समस्या का परिसीमन,
(3) उपलब्ध सामग्री का अध्ययन,
(4) उपकल्पना का निर्माण,
(5) प्रश्नावली का निर्माण तथा
(6) प्रारम्भिक परीक्षा, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का विश्लेषण एवं प्रतिवदेन–निर्माण इत्यादि।
(3) सेवार्थियों को अधिक वैज्ञानिक ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए नये तरीकों की खोज की जाती है।
(4) इसके द्वारा कार्यकर्ता को नवीन ज्ञान, प्रविधि, निपुणता तथा कौशल प्राप्त होता है।
(5) उपलब्ध ज्ञान को प्रमाणित किया जाता है।
(6) सामाजिक घटना के कारण संबंधी कारकों की खोज की जाती है।
(7) पुरानी उपकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है।

समाज कार्य अनुसंधान के प्रकार

फिलिप क्लीन (Philip Kleen) ने पांच प्रकार बताए हैं :–

(1) सेवाओं की आवश्यकता का स्थापन, परिचय एवं मापन संबंधी अध्ययन।
(2) प्रदत्त सेवाओं की आवश्यकता के संबंध में मापन संबंधी अध्ययन।
(3) समाज कार्य में क्रियाओं के परिणाम का परीक्षण, मापन (प्रामाणिकता) तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन।
(4) सेवा प्रदान करने वाली मूल्य प्रविधियों की क्षमता के परीक्षण सम्बन्धी अध्ययन।
(5) अनुसंधान के ढंगों का अध्ययन।1

समाज कार्य अनुसंधान के विषय

(1) उन कारकों का व्यवस्थापन तथा मापन जो सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं तथा सामाजिक सेवाओं की आवश्यकता बताते हैं।
(2) दान देनेवाली संस्थाओं के इतिहास, समाज कल्याण अधिनियम, समाज कल्याण कार्यक्रम तथा समाज कार्य की आवश्यकता का अध्ययन।

(3) आशाओं, प्रत्यक्षीकरणों तथा समाज कार्यकर्ताओं की स्थितियों के मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन।
(4) सामाजिक कार्यकर्ताओं के लक्ष्य, निश्चय तथा आत्मचित्र का अध्ययन।
(5) समाज कार्यकर्ताओं की आशाओं, निश्चत तथा क्रियाओं में सम्बन्धों का अध्ययन।
(6) समाज की विविध प्रक्रियाओं का अध्ययन।
(7) उपलब्ध सामाजिक सेवाओं का व्यक्ति, समूह तथा समुदाय की आवश्यकताओं के संदर्भ में उपयोगिता का अध्ययन।
(8) समाज कार्य क्रिया के प्रभावों के परीक्षण, मापन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन तथा समाज कार्य व्यवहार के लिए वांछित योग्यताओं की खोज।
(9) सेवार्थी की आशाओं, उद्देश्यों, प्रत्यक्षीकरण तथा स्थिति का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन।
(10) समाज कार्य के संबंध में सेवार्थी के व्यवहार की प्रतिक्रिया का अध्ययन।
(11) सामाजिक संस्था के अन्तर्गत अनौपचारिक तथा औपचारिक समाज कार्यकर्ताओं की भूमिका की परिभाषा, उनके अन्तर्गतसम्बन्धों में सहयोग की दशाओं का अध्ययन।
(12) समुदाय में सामाजिक समूहों के मूल्यों तथा वरीयता का अध्ययन जिनके ऊपर समाज कार्य के व्यावहारिक रूप को समर्थन तथा सहयोग के लिए निर्भर होना पड़ता है।
(13) सामाजिक संस्थाओं की विभिन्न इकाइयों में अन्तर्सम्बन्ध तथा उनका सेवार्थी तथा संस्था के स्टाफ पर प्रभाव का अध्ययन।
(14) समाज कार्य अनुसंधान की पद्धति का अध्ययन।

8.11 समाजिक प्रक्रिया

समाजिक क्रिया समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है जिसके द्वारा सामान्य सामाजिक समस्याओं का समाधान संगठित सामूहिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा अन्य क्षेत्रों में उन्नति के लिए जनमत का सहारा आवश्यक होता है। सामाजिक क्रिया का उद्देश्य इच्छित सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक प्रगति करना है। जनमत तथा वैधानिक विचारों को जन–संचार द्वारा प्रभावित करना सामाजिक क्रिया की एक विशेष प्रविधि है। इस प्रणाली का कार्य पर्यावरण में परिवर्तन लाा है।

फ्रीडलैन्डर के अनुसार :

"सामाजिक क्रिया एक वैयक्तिक, सामूहिक या सामुदायिक प्रयास है जो समाज कार्य के दर्शन एवं अभ्यास की सीमा के अन्दर किया जाता है और जिसका उद्देश्य सामाजिक उन्नति करना, सामाजिक नीतियों को परिवर्तित करना एवं सामाजिक विधान, स्वास्थ्य एवं कल्याण सम्बधी सेवाओं में उनति करना है।"1

केनेथ प्रे के अनुसार :

"सामाजिक क्रिया एक ऐसा क्रमिक, अन्तरात्मा सम्बन्धी प्रया है जो उन मौलिक सामाजिक दशाओं एवं नीतियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जिनसे सामाजिक समायोजन एवं असामंजस्य की समस्याएँ उत्पन्न होती हं जिनका समाज कार्यकर्ताओं के रूप में हमारी सेवाएँ समाधान करने का प्रयास करती है।"1प्रो0 राजाराम शास्त्री के

अनुसार :"जब समाज के व्यापक स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की चेष्टा की जाती है तो उसे सामाजिक क्रिया के अन्तर्गत समण जाता है।"2

समाजिक क्रिया के आधारभूत तत्व

(1) समूह तथा समुदाय का सक्रिय रूप से भाग लेना।
(2) जनतान्त्रिक कार्यप्रणाली का कार्यपद्धति में उपयोग होना।
(3) साधनों की उपलब्धि।
(4) लोकतान्त्रिक नेतृत्व की उपस्थिति।
(5) समस्या में सम्बन्धित साधनों का होना।
(6) सामुदायिक सम्पर्क आवश्यक।
(7) बाह्य सहायता की उपलब्धि।

समाजिक क्रिया के उद्देश्य

(1) स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले कार्य।
(2) सामाजिक नीतियों के निर्माण के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना।
(3) सामाजिक आँकड़ों को इकटठा करना तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना।
(4) अविकसित समूहों के लिए माँग करना।
(5) सामाजिक समस्याओं के लिए ठोस सुझाव तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
(6) नए सामाजिक स्रोतों की खोज करना।
(7) सामाजिक समस्या के प्रति जनता में जागरुकता लाना।
(8) जनता का सहयोग प्राप्त करना।
(9) सरकारी यन्त्र को अपने उददेश्य में योग देने के लिए तैयार करना।
(10) नीति–निर्धारण करने वाली सत्ता से प्रस्ताव स्वीकृत करवाना।

अब हम यहाँ पर उपरिलिखित विधियों का अन्तःसंबंध जानने का प्रयत्न करेंगे–

(1) उद्देश्य के आधार पर सम्बन्ध – समाज कार्य की सभी विधियों का उद्देश्य लगाग समान है। सभी विधियों का उद्देश्य व्यक्ति की अधिक से अधिक सहायता करना है जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके तथा विकास की गति में वृद्धि ला सके। वैयक्तिक सेवा कार्य का उद्देश्य सेवार्थी या एक वरूथ्क्त की इस प्रकार से सहायता करना होता है जिससे स्वयं सहायता करने की शक्ति का विकास हो और बिना विशेष बाह्य सहायता के वह अपनी समस्या के निराकरण के लिए कदम उठा सके।

सामूहिक कार्य में कार्यकर्ता व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से करता है। समूह की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास वह अपनी निपुणता एवं योग्यता के आधार पर करके समस्या को स्पष्ट करता है तथा उन्हीं के माध्यम से लक्ष्य तथा पहुँचने के कार्यक्रम का नियोजन करता है। व्यक्ति में सामूहिक कार्य के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि गुणों का विकास करता हैं यद्यपि सामूहिक कार्य में केन्द्र–बिन्दु समूह होता है परन्तु व्यक्ति के हित का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर वैयक्तिक सेवा कार्य की भी सहायता ली जाती है। सामुदायिक

संगठन का उददेश्य भी समुदाय की सहायता करना है, जिससे वह स्वयं विकास एवं उन्नति कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्ततोगत्वा इन विधियों का उददेश्य व्यक्ति की इस प्रकार से सहायता करना है जिससे वह स्वयं समर्थ हो सके, समस्याओं को समझ सके, समस्या का समाधान करने के साधनों की खोज कर सके तथा स्वयं समाधान कर सके। कार्यकर्ता तो केवल उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल सहायता कार्य करता है। परन्तु उददेश्य में ज्यादा वनिष्ठता होते हुए भी कुछ विभिन्नताएँ हैं।

वैयक्तिक सेवा कार्य में व्यक्ति की समस्याओं के निदान व उपचार पर जोर दिया जाता है। व्यक्ति या सेवार्थी स्वयं अपनी समस्या को लेकर कार्यकर्ता के पास आता है और वह अपनी प्रविधियों के द्वारा ग्रसित समस्या से संबंधित उपचार करता है। समस्या का उपचार इसके उददेश्य का केन्द्र–बिन्दु है। सामूहिक कार्य में 'समूह' व्यक्ति के स्थान पर प्रधान होता है। व्यक्ति गौण हो जाता है। समूह का हित व्यक्ति के हित के ऊपर होता है। समूह का विकास एवं समायोजन संबंधी समस्याओं का समाधान करना समूह कार्य का उददेश्य होता है। कार्यक्रम इसका माध्यम होता है और इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर समूह में परिवर्तन तथा विकास आता है और लक्ष्यों की पूर्ति होती है।

अतः इसका उद्देश्य समूह–समस्याओं की शिक्षा, विकास और सांस्कृतिक प्राप्ति पर जोर देना है। सामुदायिक संगठन का उददेश्य समुदाय की विभिन्न समस्याओं को हल करने में समुदाय को क्रियाशील बनाना होता है। व्यक्ति तथा समूह का महत्व कम हो जाता है। सामुदायिक संगठन में व्यक्ति या समूह की मनोसामाजिक संरचना के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाओं रीतिरिवाज, मान्यताओं, सांस्कृतिक स्तर, प्रतिमान इत्यादि को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है।

(2) सिद्धान्त के आधार पर सम्बन्ध – समाज कार्य की प्रणालियों में लगभग समान सिद्धान्तों का उपयोग होता है। मूल रूप से इनमें मानवतावादी सिद्धान्त कार्य करता है। वैयक्तिक कार्य में सेवार्थी सामान्य व्यक्ति होता है। वि किसी प्रकार की हीन भवना से नहीं देखा जाता। कार्यकर्ता उसे आदर एवं प्रतिष्ठा देता है और आत्मसम्मान का बोध कराता है। वह सम्बन्ध–स्थापन पर जोर देता है और उसी के माध्यम से उपचार–योजना तैयार करता है। वह सेवार्थी की मनोदशा के अनुरूप कार्य करता है। वह सेवार्थी के स्तर से उपचार करता है। वह उसके गुणों को स्पष्ट करता है तथा स्वावलम्बन का विकास करता है। सेवार्थी स्वयं समस्या के उपचार में कार्यरत होता है।

सामूहिक कार्य में भी समूह की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाता है। समूह–सदस्य प्रथम चरण से लेकर अन्तिम चरण तक प्रधान होते हैं। समूह में होने वाली समस्त अन्तः क्रियाएँ, जैसे–समूह–निर्माण, उद्देश्यों का निर्धारण, कार्यप्रणाली, कार्यक्रम–नियोजन एवं निर्धारण, संचालन, नेतृत्य तथा निर्णय इत्यादि सदस्यों द्वारा ही प्रेरित होती है। कार्यकर्ता समूह के सम्बन्ध को महत्व देता हैं यदि सम्बन्ध यथोचित नहीं है तो कार्यकर्ता न तो समूह के साथ कार्य कर सकता है और न ही सामूहिक कार्यकर्ता को स्वीकृति प्रदान करता हैं सामुदायिक संगठन में भी लगभग इन्हीं सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है जो वैयक्तिक सेवा कार्य तथा सामूहिक कार्य में

महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति और समूह की भाँति समुदाय को उसी स्थिति में स्वीकार किया जाता है जिस स्थिति में वह होता है। समुदाय की उपयुक्तता के साथ साथ कार्य किया जाता है। वह स्वयं जब कार्य करने को इच्छुक होता है तभी कार्यकर्ता कोई कार्य करता है।

अतः पहले कार्यकर्ता उसमें असन्तोष की भावना का विकास करता और फिर सकारात्मक मोड़ देता है। सहायता कार्य इस आधार पर होता है कि समुदाय स्वयं अपनी समस्या हल करने में समर्थ हो सके। वह लोगों में सामुदायिक भावना का विकास करता हैं इस उद्देश्य से वह विभिन्न समूहों में पारस्परिक सम्बन्ध सृदृढ़ बनाने मं प्रयत्नशील रहता है, जिसके कारण अन्तःक्रिया का संचार होता है और कार्यों व विचारों का आदान–प्रदान होता है।

(3) प्रक्रिया के आधार पर सम्बन्ध – वैयक्तिक सेवा कार्य, सामूहिक कार्य तथा सामुदायिक संगइन प्रणालियों में यह प्रयत्न किया जाता है कि व्यक्ति, समूह तथा समुदाय स्वयं अपनी समस्याओं के निराकरण में समर्थ हो सकें, आत्मविश्वास की भावना का विकास हो तथा शक्ति में वृद्धि हो। परन्तु इनकी प्रक्रिया में अन्तर है। वैयक्ति कार्य में व्यक्ति–विशेष पर जोर दिया जाता हैं सेवार्थी स्वयं कार्यकर्ता के पास आता है और अपनी तकलीफों को उसके सामने स्पष्ट करता तथ सहायता लेने की इच्छा प्रकट करता हैं कार्यकर्ता वार्तालाप के माध्यम से समस्या के कारणों को ढूँढ़ता तथा निदान करता है। इसके साथ ही साथ उपचार क्रिया भी चलती रहती है अर्थात् वैयक्गित सेवाथी में अहम् शक्ति का विकास होता है और वह समस्या का अपनी बुद्धि एवं क्षमता द्वारा समाधान करने की चेष्टा करता है।

सामूहिक कार्य मं कार्यकर्ता या तो समूह का निर्माण स्वयं करता है या पहले से संगठित समूह के साथ कार्य करता है। समूह का उददेश्य उन्नति एवं विकास करना या समस्या का समाधान करना होता है। कार्यकर्ता कार्यक्रम का निर्धारण समूह के माध्यम से करता है। वह समूह को पूर्ण अधिकार देता है कि वही कार्यक्रम का क्रियान्वयन करे तथा अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त करे। वह केवल अन्तःक्रिया का निर्देशन तथा मूल्यांकन करता है। कार्यकर्ता सामंजस्य सम्बन्धी समस्याओं को भी हल करता सामुदायिक संगठन में पूरे समुदाय के हित के लिए कार्य करता है। व्यक्ति उसमें गौण होता है।

समुदाय की इच्छा सर्वोपरि होती है और उसका कल्याण करना मुख्य कार्य होता है। कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक आधार के स्थान पर समाजशास्त्रीय आधार को अधिक महत्व देता है समुदाय को समझने के लिए सामाजिक संस्थाओं के रीति–रिवाजों, मान्यताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। कार्यकर्ता का उददेश्य समुदाय में परिवर्तन लाना होता है। पूरा समुदाय उसका कार्य–क्षेत्र होता है तथा वह सामुदायिक संरचना में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।

(4) प्रत्यय के आधार पर सम्बन्ध–वैयक्ति सेवा कार्य तथा सामुदायिक संगठन में लगभग समान प्रत्यय होते हैं। कार्यकर्ता इन विधियों में विभिन्न रूपों में कार्य करता है। ज बवह देखता है कि व्यक्ति, समूह या समुदाय स्वयं उचित कदम नहीं उठा सकते हैं तो वह अधिनायक या सत्तावादी हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह आदेश देता

है और अन्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। कभी–कभी वह स्वयं आदर्श बन जाता है और व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। वह आदेश तभी देता है जब व्यक्ति साधनों को पहचान नहीं पाते। वह समर्थकारी तरीका भी अपनाता है। वह समूह में भाग लेने तथा कुशलताओं एवं अभिवृत्तियों के विकास में सहायता करता है तथा सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग प्रदान करता है। समूह या समुदाय के साथ कार्य करते हुए वैयक्तिक सम्पर्क भी बनाए रखता है। वह उसी स्तर के कार्य करता है जहाँ से व्यक्ति आसानी से कार्य कर सकते हैं।

(5) व्यक्ति का ज्ञान के आधार पर सम्बन्ध–समाज कार्य के सिद्धांतों में व्यक्ति के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है। सबसे पहले उसके विषय में सम्पूर्ण इतिहास प्राप्त किया जाता है तथा समस्या का निदान वैयक्तिक अध्ययन के आधार पर किया जाता है तथा समस्या का निदान वैयक्तिक अध्ययन के आधार पर किया जाता है। वैयक्तिक सेवा कार्य में कार्यकर्ता सेवार्थी के जीवन से सम्बद्ध समस्त घटनाओं का अभिलेखन करता है। वह कभी एक परिस्थिति में दो सेवार्थियों को समान नहीं मानता, बल्कि प्रत्येक का अलग अलग ज्ञान प्राप्त करता है और उसके अनुरूप उपचार–प्रक्रिया बनाता है।

सामूहिक कार्य में यद्यपि कार्यकर्ता का ध्यान समूह पर केन्द्रित होता है परन्तु वह वैयक्तीकरण का सिद्धांत अवश्य अपनाता है। प्रत्येक सदस्य की आदतों, रुचियों, मनोवृत्तियों आदि का ज्ञान रखता है। सामुदायिक संगठन में व्यक्ति–विशेष के विषय में ज्ञान रखना संभव नहीं होता है परन्तु कार्यकर्ता समूह के माध्यम से इसका प्रयत्न करता हैं वह समुदाय की आवश्यकताओं का पता लगाता है जिनका समुदाय में विशेष महत्व होता है और जिन्हें अपनी समस्याओं के विषय में ज्ञान रहता है तथा उन्हें हल करने के लिए उत्सुक रहता है। वह वैयक्तिक सम्पर्क भी रखता है।

(6) कार्य की रूपरेखा निश्चित करने के आधार पर सम्बन्ध–समाज कार्य की यह विशेषता है कि कोई भी कार्य सेवार्थी के ऊपर दबाव डालकर नहीं कराया जाता। वे जिस प्रकार और जैसे कार्य करने के लिए इच्छा करते हैं वैसे ही कार्य किया जाता है। वैयक्तिक सेवा कार्य में सेवार्थी को अपना रास्ता, उपाय या उपचार के तरीकों का चुनाव करने की पूरी छूट होती है। यद्यपि कार्यकर्ता सम्पूर्ण विवरण तथा उपचार–प्रक्रिया प्रस्तुत करता है, परन्तु यह सेवार्थी की इच्छा पर निर्भर होता है कि वह उसको माने या न माने।

सामूहिक कार्य में भी समूह–सदस्य स्वयं कार्यक्रम का चुनाव करते तथा निर्णय में भाग लेते हैं। सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता केवल छिपी हुई समस्या को प्रस्तुत करता और सम्भव उपायों को स्पष्ट करता है। वह इसे समुदाय की इच्छा पर छोड़ देता है कि कौन सा तरीका समस्या को सुलझाने का उसे पसन्द है।

(7) कार्यक्रम के विकास के आधार पर सम्बन्ध–समाज कार्य में कोई भी कार्यक्रम पहले से निश्चित नहीं किया जाता। जब समूह में अन्तःक्रिया का संचार होता है तो कार्यक्रम स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। वैयक्तिक सेवा कार्य में कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच पहले मानसिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं, फिर अन्तःक्रिया का संचार होता है और तब कार्यात्मक उपचार का पथ निर्धारित होता है।

सामूहिक कार्य में जब कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है तथा कार्यक्रम का निर्धारण होता है। जब लोगों में समस्या के विषय में सम्बन्ध स्थापित होते हैं तब कार्यक्रम का विकास होता है।

8.12 सार संक्षेप

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज कार्य की प्राथमिक प्रणालियों के उद्देश्य, सिद्धान्त, पद्धतियाँ तथा निपुणताएँ समान हैं। परन्तु जहाँ पर एक ओर समानता है वहीं पर असमानता भी मौजूद है और इस असमानता के कारण ही इन विधियों का अलग–अलग महत्व है। कार्य करने का कारण एक है परन्तु कार्यक्षेत्र तथा पद्धतियाँ भिन्न–भिन्न हैं। परन्तु यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि एक स्थिति में सभी विधियों की आवश्यकता होती है।

वैयक्तिक सेवा कार्य में सामूहिक कार्य की आवश्यकता होती है और सामूहिक कार्य में वैयक्तिक सेवा कार्य की। इसी प्रकार सामुदायिक संगठन में भी इन विधियों का ज्ञान आवश्यक होता है।

सामुदायिक संगठन का उपयोग वह व्यक्ति व समूह–क्षेत्रों की सहायता के लिए भी करता है। सामूहिक कार्यकर्ता के लिए भी वैयक्तिक कार्य तथा सामुदायिक संगठन का ज्ञान आवश्यक होता है। वह समुदाय के साधनों का उपयोग समूह के विकास के लिए करता है।

समूह को समुदाय के लिए उपयोगी बनाता है। सामुदायिक संगठन कार्य में दोनों विधियों का उपयोग व्यावसायिक सम्बन्ध–स्थापन तथा समूहों का ज्ञान प्राप्त करने तथा समस्या का समाधान करने में किया जाता है। अतः एक कार्यकर्ता के लिए सभी विधियों का ज्ञान आवश्यक होता है।

8.13 अभ्यास प्रश्न

1. सामाजिक समूह कार्य एवं समाज कार्य की अन्य प्रणालियों में अन्तःसम्बन्ध को समझाइये ?
2. वैयक्तिक सेवा कार्य व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध की व्याख्या कीजिये ?
3. समस्या का अध्ययन व सामाजिक समूह कार्य की व्याख्या कीजिये ?
4. समाजिक सामूहिक कार्य व समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझाइये ?
5. समुदायिक संगठन व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझाइये ?
6. समाज कल्याण प्रशासन व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझाइये ?
7. प्रजातांत्रिक प्रशासन की प्रविधियाँ व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध की व्याख्या कीजिये ?

8.समाज कार्य अनुसंधान व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझाइये ?

9.समाजिक क्रिया व सामाजिक समूह कार्य में अन्तःसम्बन्ध को समझाइये ?

8.14 पारिभाषिक शब्दावली

Development	- विकास	Group work	- समूहकार्य
Aims	- लक्ष्य	Personatities	- व्यक्तित्व
Essential	- जीवनोपयोगी	Importance	- महत्व
Adjustment	- सामांजस्य	Model	- प्रारूप
Intrigrated	- एकीकृत	Remedial	- परिभाषा
Agency	- संस्था	Social worker	-सामाजिक कार्यकर्ता

8.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डनहम, आर्थर, ऐडमिनिस्ट्रेशन आव सोशल एजेन्सीज, सोशल वर्क इयर बुक, ऐसोसिएशन आव सोशल वर्कर्स, 1947, पृ0 15।
2. शास्त्री, राजाराम, समाज कार्य, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1970, पृ0 146।
3. किडनी, जान सी0, ऐडमिनिस्ट्रेशन आव सोशल एजेंसीज, सोशल वर्क इयर बुक, ऐसोसिएशन आव सोशल वर्कर्स, न्यूयार्क 1955, पृ0 76।
4. फीडलैन्डर, डब्ल्यू0ए0, इंट्रोडक्शन टु सोशल वेलफेयर, प्रेन्टिस हाल आव इण्डिया, नई दिल्ली, 1963, पृ0 215।
5. फिलिप ऐन्ड, मैरियम, इडा सी0, द कन्ट्रीब्यूशन आव रिसर्च टु सोशल वर्क, अमेरिकन एसोसिएशन आव सोशल वर्कर्स, न्यूयार्क, 1948, पृ0 46
6 फ्रीडलैन्डर, डब्ल्यू0 ए0, इन्ट्रोडक्शन टु सोशल वेलफेयर, प्रेन्टिस हाल आव इण्डिया, नई दिल्ली, 1963, पृ0 219।
7. प्रे, केनेथ, सोशल वर्क ऐन्ड सोशल ऐक्शन, नैशनल कान्फरेंस आव सोशल वर्क, प्रोसीडिंग्स 1945, पृ0 346।
8. शास्त्री, राजाराम, समाज कार्य, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1970, पृ0 194।

इकाई–9

सामूहिक समाज सेवाकार्य में अभिलेखन एवं पर्यवेक्षण
Recording and Supervision in Social Group Work

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य
9.1 परिचय
9.2 सामूहिक समाज सेवाकार्य में अभिलेखन
9.3 प्रक्रिया अभिलेख (process record)
9.4 सामूहिक समाज कार्य में मूल्यांकन (Evaluation in Social Group Work)
9.5 सामूहिक समाज कार्य पर्यवेक्षण
9.6 नेतृत्व
9.7 प्रभुत्व तथा नेतृत्व
9.8 सार संक्षेप
9.9 अभ्यास प्रश्न
9.10 पारिभाषिक शब्दावली
9.11 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

9.0 उद्देश्य

- इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपः–सामूहिक समाज सेवाकार्य में अभिलेखन की उपयोगिता को समझ सकेगें।
- अभिलेखन के सिद्वान्तो को जान सकेगें।
- सामूहिक समाज कार्य में मूल्यांकन का वर्णन कर सकेगें।
- सामूहिक समाज कार्य पर्यवेक्षण को समझ सकेगें।
- प्रभुत्व तथा नेतृत्व में अन्तर कर सकेगें।
- नेता के कार्य को जान सकेगें।

9.1 परिचय

कार्यकर्ता प्राथमिक रूप से अपने लिये और समूह के साथ अपने सम्बन्ध में निरन्तर प्रयोग के लिये लिखता है। समूह के साथ कार्यकर्ता के सम्बन्धों और उसकी भूमिका में हो रहे विकास की प्रक्रिया को अभिलेख द्वारा ही समझा जा सकता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण (in-service training) और समाज कार्य की व्यावसायिक शिक्षा के लिए अध्यापन सामग्री (teaching material) अच्छी तरह लिखे गये अभिलेखों से ही मिलती है। सामूहिक अभिलेख अध्ययन, (study) अनुसंधान (research) और प्रयोग

(experiment) के लिये अनिवार्य होते हैं। कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के मध्य सम्बन्ध पर्यवेक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया में पर्यवेक्षक को संस्था के क्रियाकलापों, सामाजिक परिस्थितियों, संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों इत्यादि की जानकारी होती है और वह इस जानकारी के आधार पर कार्यकर्ता की पर्यवेक्षण कार्य में सहायता करता है जिसके लिए उसकी संस्था में नियुक्ति हुई है।

9.2 सामूहिक समाज सेवाकार्य में अभिलेखन(Recording in social group work)

सामूहिक कार्यकर्ता के उत्तरदायित्वों में से प्रतिवेदन एवं अभिलेखों को तैयार करना और लिखना एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इन प्रतिवेदनों और अभिलेखों की विशेष विषय वस्तु (content) और शैली में संस्था की नीतियों के अनुसार भिन्नता हो सकती है परन्तु इनके प्रकार समान होते हैं। व्यक्तियों और समूहों के निबन्धन (registration) भर्ती, उपस्थिति (attendence) के विषय में सूचनाएँ (data) लिखने के लिये निबन्धन कार्ड या रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है।

कार्यकर्ता भी समूहों के क्रियाकलापों पर आधारित कार्यक्रमों के प्रतिवेदन रख सकते हैं। समुदाय सम्बन्धी अध्ययन द्वारा इकट्ठा की गयी सूचनाओं को भी अभिलिखित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैठक या सभा के कार्यवृत्त (minutes) को भी कार्यवृत्त पुस्तक (minutes book) में अभिलिखित किया जाता है। इसका प्रयोग समूह अपने कार्यों की समीक्षा के लिये योजनाएँ बनाने और अनुवर्ती (follow-up) कार्यों के लिये करता है।

दूसरे प्रकार का अभिलेख जो कार्यकर्ता रखते हैं वह है समूह में विकसित हो रही सामूहिक समाज कार्य प्रक्रिया का कालानुक्रमिक वर्णनात्मक अभिलेख (chronological narrative record)। इस प्रकार के अभिलेख में समूह की बैठक का पूरा विवरण लिखा जाता है। इसी को एक प्रक्रिया अभिलेख (process record) कहते हैं क्योंकि इसमें प्राथमिक रूप से सदस्यों के समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने की मात्रा और उनकी अन्तः क्रियाओं का उल्लेख होता है जिससे यह पता चलता है कि समूह के कार्यों में प्रत्येक सदस्य की क्या भूमिका रही है। बहुत सी संस्थाओं में इस प्रकार के प्रक्रिया अभिलेख नहीं रखे जाते जबकि सामूहिक समाज कार्य में व्यक्ति और समूह के विकास की दृष्टि से अभिलेख रखा जाना आवश्यक होता है।

9.2.1 वर्णनात्मक अभिलेखों का महत्व एवं उद्देयश्य

विल्सन और राइलैण्ड के अनुसार प्रतिवेदन और अभिलेख प्रत्येक समाज कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व का एक भाग होता है। अभिलेख के लिखने और उसका विश्लेषण करके ही कार्यकर्ता सामूहिक समाज कार्य में अपनी निपुणता को दर्शाता है क्योंकि वह उसे समूह में सदस्यों को भली–भांति समझने में सहायता देते हैं। अभिलेखन के दौरान वह समूह की बैठक को फिर से अनुभव करता है सदस्यों के व्यवहार के अर्थों को समझता है, अपनी भूमिका का स्पष्टीकरण करता है, और सम्पूर्ण समूह की गति को समझता है। अभिलेख से ही वे समूह के सदस्यों और कार्यकर्ता के

रूप में अपने स्वयं में हो रहे विकास के परिणामों को सामने रखते हैं। अभिलेख पर्यवेक्षी (supervisory) कान्फ्रेन्स को विषयवस्तु प्रदान करते हैं। ये अभिलेख भविष्य में कार्यक्रमों के नियोजन में सहायता देते हैं। ये अभिलेख संस्था का स्थायी एवं निरन्तर अभिलेख बनते हैं जो संस्था के कार्यों एवं नियोजन के एक उपकरण बनते हैं। आने वाले कार्यकर्ता के लिये ये अभिलेख सूचनाओं और प्रबोध का स्रोत बनते हैं। ये अभिलेख जनता के समक्ष संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यों का अर्थनिरूपण करते हैं।

वर्णनात्मक अभिलेखों की प्रमुख महत्ता कार्यकर्ता की दृष्टि से यह मानी जाती है कि ये उसे समूह के साथ अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायता देते हैं अर्थात् समूह को दिये जाने वाले अनुभव की गुणता (quality) में वृद्धि करना इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य होता है।

9.3 प्रक्रिया अभिलेख (process record)

कार्यकर्ता प्राथमिक रूप से अपने लिये और समूह के साथ अपने सम्बन्ध में निरन्तर प्रयोग के लिये लिखता है। समूह के साथ कार्यकर्ता के सम्बन्धों और उसकी भूमिका में हो रहे विकास की वर्णनात्मक अभिलेख द्वारा ही समझा जा सकता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण (in-service training) और समाज कार्य की व्यावसायिक शिक्षा के लिए अध्यापन सामग्री (teaching material) अच्छी तरह लिखे गये वर्णनात्मक अभिलेखों से ही मिलती है। सामूहिक अभिलेख अध्ययन, (study) अनुसंधान (research) और प्रयोग (experiment) के लिये अनिवार्य होते हैं।

संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि अच्छी तरह लिखे गये वर्णनात्मक अभिलेख के बहुत से उद्देश्य होते हैं जैसे समूह का ज्ञान, मूल्यांकन (evaluation), पर्यवेक्षण (supervision), भविष्य के कार्यक्रम नियोजन (future programme planning), संस्था के कार्यों को सम्पन्न करना (fulfillment of agency functions), सामूहिक अन्तःक्रियाओं और परस्पर सम्बन्धों का ज्ञान और प्रबोध (knowledge and understanding of group interactions and Inter-relationships)।

समूह के कार्यकर्ता के सम्बन्धों और भूमिका का ज्ञान (knowledge of worker-group relations and his role), नये कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में सहायता (help in guidance of new worker), समाज कार्य की शिक्षा में सहायता (help in social work education), अनुसंधान में सहायता (help in research), मूल्यांकन और पर्यवेक्षण में सहायता (help in evaluation and supervision), सदस्यों द्वारा क्रियाकलापों में भाग लेने के स्तर का ज्ञान (knowledge of the level of participation by members in group activities), समूह के सदस्यों की इच्छाओं एवं अभिरूचियों को समझना (understanding of group members needs and interests), सेवाओं में सुधार (improvement of services) आदि।

सामूहिक समाज कार्य अभिलेखों के किये जाने में कार्यकर्ता को जिन कारकों पर एकाग्रता रखनी चाहिए वे हैं– समूह की स्थिति में व्यक्तियों के मिलकर कार्य करने पर (individuals) व्यक्तियों द्वारा उनकी सहभागिता से प्रदर्शित आपसी सम्बन्धों पर

(relationships) समूह के अन्दर और समूहों के बीच अन्तः क्रिया पर (interaction) और सहायता की भूमिका का सम्पादन करते हुए कार्यकर्ता पर (worker) अर्थात् इस एकाग्रता का केन्द्र कौन, (समूह के सदस्य) क्या (कार्य जो वह मिलकर करते हैं), कैसे (जिस तरीके से वह साथ मिलकर कार्य करते हैं और क्यों (कार्यों में सफलता के कारण) who? what? how? and why?

9.3.1 वर्णनात्मक अभिलेख में विषयवस्तु (Content of narrative records)

वर्णनात्मक अभिलेख का लिखा जाना सामूहिक समाज कार्य में कार्यकर्ता के कार्यों का एक भाग है। जब कार्यकर्ता को सामूहिक समाज कार्य के सिद्धान्तों, ज्ञान और बोध की अच्छी अन्तर्दृष्टि होती है तभी उसके द्वारा लिखे जाने वाले अभिलेखों में इन सबका उल्लेख मिलता है। ट्रेकर ने एक अच्छे अभिलेख में निम्नलिखित बातों का होना अनिवार्य बताया है।

(1) समूह के विषय पर परिचयात्मक सूचनाएँ (identifying information of the group) अर्थात्, इसका नाम, तिथि, समय, स्थान, बैठक का स्थान, उपस्थित एवं अनुपस्थित सदस्यों के नाम।

(2) व्यक्तियों के नाम सहित विवरण–अर्थात् वे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, समूह में अन्य सदस्यों के साथ कैसे सम्बन्ध रखते है, उनके क्रियाकलापों में भाग लेने का अनुक्रम (sequence) सदस्यों का योगदान (contribution) उनके द्वारा सहभागिता की संवेगात्मक गुणता जो उनके व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होती है।

(3) कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापों, सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुभवों और समूह के विकास के विभिन्न पक्षों का चित्रण।

(4) समूह के कार्यकर्ता के सम्बन्धों और भूमिका के सम्पादन का विवरण।

(5) समूह की बैठक के अन्त में इस बैठक में होने वाले सम्पूर्ण कार्य का मूल्यांकन।

(6) समूह के साथ नियोजित या अनौपचारिक बैठक के पूर्व, बाद में और बैठक के बीच में होने वाली सभी बातों का विवरण।

9.3.2 अभिलेखन के सिद्धान्त (Principles of Recording)

लिन्डसे (Lindsay) ने अभिलेखन के इन पांच सिद्धान्तों का उल्लेख किया : **(1)** लचीलापन का सिद्धान्त (The Principle of Flexibility) जिसके अर्थ हैं कि अभिलेख को संस्था के उद्देश्य के अनुकूल लिखा जाना चाहिए क्योंकि सामूहिक समाज कार्य और संस्था के उद्देश्य एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते।

(2) चयन का सिद्धान्त (The Principle of Selection) जिसका अर्थ है कि कार्यकर्ता सभी बातों को अभिलिखित नहीं करता बल्कि व्यक्तियों और समूहों के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण सामग्री का चयन करके अभिलेख में सम्मिलित करता है।

(3) सुपाठ्यता का सिद्धान्त (The Principle of Readability) जो इस विचार पर आधारित है कि प्रकार और शैली महत्वूपर्ण होते हैं और सभी लिखित सामग्री में व्याख्यान की स्पष्टता अनिवार्य होती है।

(4) गोपनीयता का सिद्वान्त (The Principle of Condidentiality) जिसका अर्थ है कि अभिलेख एक व्यावसायिक प्रलेख या दस्तावेज होता है और इसी कारण इसकी विषयवस्तु को व्यावसायिक नैतिकता के अनुसार सुरक्षित रखा जाना चाहिये, और (5) कार्यकर्ता द्वारा स्वीकृत का सिद्वान्त (The Principle of Worker Acceptance) जिसका अर्थ है कि कार्यकर्ता को अभिलेख लिखने के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिये।

कार्यकर्ता को अपने अभिलेखों की फिर से समीक्षा करके उस पर आधारित एक विश्लेषण और उसका सारांश तैयार करना चाहिये जो उसके लिये काफी उपयोगी हो सकता है।

विल्सन और राइलैण्ड ने अभिलेख की विषय वस्तु को अभिलिखित करने का यह क्रम बताया है।

(1) उपस्थित सदस्यों के नाम,
(2) अनुपस्थित सदस्यों के नाम,
(3) पिछली बैठक से लेकर अब तक के सदस्यों से सम्पर्क का विवरण जिसमें घरेलू मुलाकात, वैयक्तिक साक्षात्कार या आकस्मिक मुलाकात सम्मिलित है,
(4) समूह के अधिवेशन या बैठक की प्रक्रिया का अभिलेख। इसमें कौन पहले आया, कौन किसके साथ आया, किस सदस्य ने किसके साथ क्या किया, किस सदस्य ने क्या कहा, निर्णय कैसे लिया गया।, कार्यकर्ता ने क्या किया और सदस्यों को किस प्रकार इसका प्रत्युत्तर दिया, आदि सम्मिलित है,
(5) इस अधिवेशन या बैठक का विश्लेषण जिसमें सामूहिक अन्तर्क्रियाओं, उपसमूहों का गठन, परिवर्तन या स्थिरता, सामूहिक संघर्ष और इसके कारण, इन संघर्षों के विभिन्न पक्षों की व्याख्या और कार्यकर्ता द्वारा उन सदस्यों के व्यवहार का सारांश जो उसके सामने कठिनाई लाता हो, कार्यक्रम की विषय वस्तु पर कार्यकर्ता के विचार, कार्यकर्ता की सहायता भूमिका की समीक्षा, आदि सम्मिलित है,
(6) समूह के अगले अधिवेशन या बैठक की तैयारी की योजना।

9.4 सामूहिक समाज कार्य में मूल्यांकन (Evaluation in Social Group Work)

समस्त समाज कार्य अभ्यास में मूल्यांकन विधिवत् किया जाता है। इसके लिये अनुसंधान की प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है या मूल्यांकन साधारण विवरणात्मक प्रकृति का हो सकता है जिनमें सेवार्थी की संतुष्टि एवं संस्था के उद्देश्यों की संतुष्टि सामुदायिक प्रत्याशाओं के संदर्भ में देखी जा सकती है। मूल्यांकन समाज कार्य की किसी भी प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान किया जा सकता है या एक कार्य के पूरे हो जाने पर समीक्षा के रूप में किया जा सकता है।

ट्रेकर के अनुसार मूल्यांकन सामूहिक समाज कार्य का वह भाग है जिसमें कार्यकर्ता संस्था के कार्यों और उद्देश्यों के सम्बन्ध में सामूहिक अनुभवों की गुणता को नापने का प्रयास करता है। यह मूल्यांकन वैयक्तिक विकास, कार्यक्रम की विषयवस्तु या कार्यकर्ता के निष्पादन (performance) पर केन्द्रित हो सकता है क्योंकि यह सब वे पक्ष हैं जो समूह की उपलब्धियों को प्रभावित करते हैं।

मूल्यांकन के लिये व्यक्तिगत सदस्यों के विकास के विस्तृत प्रमाणों को इकट्ठा करना पड़ता है। इन प्रमाणों का अर्थनिरूपण और एकीकरण करना पड़ता है। इसी प्रकार समूह और कार्यकर्ता के मूल्यांकन में भी इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन को अधिक मूल्यवान बनाने के लिये इसे निरन्तर करते रहना अच्छा होता है न कि कभी–कभी करना। मूल्यांकन का आरम्भ व्यक्तियों और समूहों के विशिष्ट उद्देश्यों का प्रतिपादन करने से ही हो जाता है। इसके बाद दूसरा चरण (step) समायोजन और विकास के अवसर के लिये सामूहिक अनुभवों का प्रदान करना है। इसके बाद कार्यकर्ता व्यक्तियों के व्यवहार का पूरा अभिलेख रखता है और उनके प्रत्युत्तरों का अध्ययन करता है।

इस प्रकार मूल्यांकन से व्यक्तियों और समूहों के उद्देश्यों में आशोधन किया जाता है। यदि प्रमाण यह बतायें कि वर्तमान कार्यक्रम समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो उसे चलते रहने दिया जाता है। परन्तु यदि यह पता चले कि दिये जाने वाले अनुभवों की गुणवत्ता का विकास करने के लिये सामूहिक स्थिति को बदलना आवश्यक है तो उसे बदल दिया जाता है। मूल्यांकन की महत्ता इसलिये और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि केवल इसी के माध्यम से यह चलता है कि कहाँ तक उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। बिना निरन्तर मूल्यांकन के उद्देश्य अप्रचलित (out-moded) हो जाते हैं, कार्यक्रम स्थिर (static) बन जाते हैं, और समूह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाते हैं।

प्रत्येक कार्यकर्ता और संस्था का यह मूलभूत दायित्व हो जाता है कि वह मूल्यांकन को सामने रखकर अपने अभ्यास के विषय में पुनः चिन्तन करके उसे पुनः संगठित करें। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन इसलिये भी महत्ता रखता है क्योंकि इसके माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान, और नये उद्देश्यों के निर्माण में सहायता मिलती है, समूह के साथ कार्य करने के परिणामों का पता चलता है, सामूहिक समाज कार्य प्रणाली की विभिन्न प्रविधियों की उपयुक्ता का ज्ञान होता है, और व्यवसाय का विकास होता है।

ट्रेकर ने सामूहिक समाज कार्य के मूल्यांकन को निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया कहकर एक चित्र के माध्यम से इस प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया है :–

(1) संस्था के उद्देश्यों के संदर्भ में व्यक्तियों और समूहों के लिये उद्देश्यों का प्रतिपादन या निर्माण करना।
(2) व्यक्ति और समूह के विकास व उन्नति को निश्चित करने के लिए मानदण्ड को पहचानना या उसका ज्ञान रखना।
(3) विकास एवं परिवर्तन लाने के लिये कार्यक्रम सम्बन्धी अनुभवों का प्राविधान करना।
(4) व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार का पूरा अभिलेख रखना।
(5) विकास और उन्नति के मानदण्ड का प्रयोग करके अभिलखों का विश्लेषण करना।

(6) यह निश्चित करने के लिये कि क्या उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है विश्लेषणात्मक आँकड़ों या सूचनाओं का अर्थनिरूपण करना।
(7) कार्यक्रम की विषयवस्तु और प्रणाली की समीक्षा या पुनरावलोकन (review) करना।
(8) उद्देश्यों में आशोधन करना तथा मूल्यांकन को निरंतर बनाये रखना।

इस प्रकार सामूहिक समाज कार्य अभ्यास के अन्तर्गत जितने भी कार्य किये जाते हैं, उद्देश्यों के संदर्भ में उन सबका मूल्यांकन होता रहता है। इस मूल्यांकन में सामूहिक समाज कार्य की क्रियाओं, कार्यक्रमों, दशाओं, स्थितियों और व्यक्तियों, समूहों, कार्यकर्ताओं एवं संस्थाओं के सभी पक्षों का मूल्यांकन सम्मिलित होता है। इस मूल्यांकन के ये पक्ष हैं: कार्यक्रम का संचालन, पारस्परिक स्वीकृति, सदस्यों एवं कार्यकर्ता द्वारा भाग लेने के समान अवसरों की उपलब्धि, समूह एवं सदस्यों में आत्म–विश्वास, आत्म–निर्णय, आत्म–निर्देशन का विकास, कार्यक्रम के नियोजन और संचालन की क्षमता, वैयक्तिक, वैयक्तिक एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का विकास, आदि। कार्यकर्ता की भूमिका, उसका व्यवहार और संस्था की भूमिका और इसके सभी कर्मचारियों के व्यवहार के संदर्भ में मूल्यांकन किया जा सकता है।

बर्नस्टीन (Bernstein) ने सामूहिक समाज कार्य में मूल्यांकन के लिए एक सारिणी को विकसित किया है: इस सारिणी के तीन प्रकार बताये हैं :

9.4.1 (1) समूह मूल्यांकन सारिणी (Group Evaluation Chart)

जिसमें विभिन्न सामूहिक मानदण्डों का श्रेणीकरण (gradation) चार स्तरों पर किया है– पश्चगमन (retrogression), या प्रतिगमन (regression), स्थिर (static), मामूली उन्नति (slight progress) और अधिक उन्नति (great progress)। सामूहिक मानदण्डों में यह कारक रखे हैं: उपस्थिति, समूह गठन, समूह स्तर, कार्यक्षेत्र में विस्तार, सामाजिक उत्तरदायित्व (परस्पर, संस्था के प्रति, समुदाय के प्रति), मूल्यांकन रूचियाँ, संघर्षों का निवारण, नेतृत्व एवं सहभागिता, सहकारिक, नियोजन, सामूहिक विचार (group thinking) समूह शक्ति तथा मनोबल (group loyality and morale) परस्पर अन्तरों की स्वीकृति, नेतृत्व की आवश्यकता में कमी।

9.4.2 (2) व्यक्तिगत मूल्यांकन सारिणी (Individual Evaluation Chart)

जिसमें व्यक्ति के मानदण्डों का भी समूह की भांति ही श्रेणीकरण किया जाता है। व्यक्ति में मानदण्ड में ये कारक रखे हैं : उपस्थिति, नवीन निपुणताएँ तथा रूचियां, नवीन ज्ञान, विस्तृत शक्ति, सहभागिता का क्षेत्र एवं दर, नेतृत्व, पूर्वाग्रहों या पक्षपातों (prejudice) में कमी, समूह में स्थान, कुसमायोजन के लक्ष्य, स्वास्थ्य (health) विकास, व्यावसायिक (vocational) विकास, शैक्षिक विकास।

9.4.3 (3)सदस्यों का समूह में योगदान सारिणी (Members Group Contribution Chart)

जिसके माध्यम से समूह के विकास में सदस्य के योगदान का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक बैठक के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इस सारिणी के दो पक्ष हैं और प्रत्येक पक्ष में पांच पांच अंक दिखाये गये हैं : ये दो पक्ष हैं– (1) रचनात्मक योगदान, (2) विध्वंसात्मक योगदान।

9.5 सामूहिक समाज कार्य पर्यवेक्षण

समाज कार्य में 'सहायता' शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसे प्रत्येक स्तर पर इसमें प्रयोग किया जाता है। समाज की सहायता का तात्पर्य सेवार्थी को व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करना है जिससे कि वह समाज में उचित सामंजस्य कर सके। समाज कार्य अपने कार्यकर्ताओं को कुशल एवं व्यावसायिक बनाता है जिससे कि वे प्रभावपूर्ण तरीके से पर्यवेक्षण करते हुए समस्याओं का समाधान कर सकें। कार्यकर्ता पर्यवेक्षण के द्वारा समूह सदस्यों के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है।

9.5.1 पर्यवेक्षण की परिभाषाएँ

पर्यवेक्षण में निम्नलिखित तत्व विद्यमान होते हैं :

(अ) संस्था के शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में उत्तरदायित्व;

(ब) पर्यवेक्षण का कार्य अभिकरण के साथ सम्पर्क में होना; तथा

(स) दर्शन, अवधारणा तथा समाज कार्य के उद्देश्य।

उपरिवर्णित तत्व समूह समाज कार्य पर्यवेक्षण में विद्यमान रहते हैं। वर्यवेक्षण की परिभाषा देने में उपर्युक्त तत्वों की सलिप्तता स्पष्ट होती है साथ ही साथ अभिकरण प्रशासन द्वारा समय–समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

आर.पी. वरजीवा के अनुसार, ''पर्यवेक्षण को शैक्षिक क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान एवं निपुणता के आधार पर लोगों को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व वहन करता है।''

एल.एन. अस्टिन के अनुसार, ''पर्यवेक्षण का तात्पर्य उत्तरदायित्व के साथ क्रियाकलापों को देखना एवं नियन्त्रित करना है।''

विल्सन एवं राइलैण्ड के अनुसार, ''कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के मध्य सम्बन्ध पर्यवेक्षण कहलाता है।'' इस प्रक्रिया में पर्यवेक्षक को संस्था के क्रियाकलापों, सामाजिक परिस्थितियों, संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों इत्यादि की जानकारी होती है और वह इस जानकारी के आधार पर कार्यकर्ता की पर्यवेक्षण कार्य में सहायता करता है जिसके लिए उसकी संस्था में नियुक्ति हुई है।

उपरिवर्णित विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामूहिक समाज कार्य में पर्यवेक्षण का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें कार्यकर्ता द्वारा सामूहिक क्रियाकलापों का प्रत्यक्ष ऑकलन किया जाता है और आवश्यक दशाओं का पर्यवेक्षण भी किया जाता है।

पर्यवेक्षण अपने ज्ञान एवं निपुणताओं के आधार पर समाज कार्यकर्ता को उसकी भूमिका के कुशल निष्पादन एवं उद्देश्य प्राप्ति में मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है।

9.5.2 पर्यवेक्षक के कार्य

समूह समाज कार्य में पर्यवेक्षक के निम्नलिखित कार्य होते हैं :–

1. समाज कार्यकर्ता में विशेषज्ञता का समावेश करना।
2. ज्ञान एवं निपुणताओं को कार्यकर्ता में बढ़ाना।
3. कार्यकर्ता की उसकी भूमिका निष्पादन में सहायता करना।
4. सिद्धान्तों एवं निपुणताओं के कुशलतम उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
5. संस्था के उद्देश्यों के प्रति जागरूक करना।
6. कार्यकर्ता को उसके समूह में स्वयं के प्रयोग हेतु निर्देशित करना।
7. समूह की उन्नति एवं विकास के लिए कार्यकर्ता को लचीलेपन की अवधारणा से अवगत कराना।
8. कार्यकर्ता की समस्याओं का समाधान करना।
9. कार्यकर्ता को उसकी योग्यताओं एवं सीमाओं का बोध कराना।
10. नये अनुभव प्राप्त करने के लिए निर्देश देना।
11. समुदाय, समूह एवं संस्था के संसाधनों के विषय में जानकारी प्रदान करना।

9.5.3 समूह समाज कार्य में पर्यवेक्षण के अंगभूत

समूह समाज कार्य के अन्तर्गत पर्यवेक्षण की महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट परिलक्षित होती है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूह कार्यकर्ता संस्था के निहित उद्देश्यों, कार्यों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप समूह की आन्तरिक एवं वाह्य स्थितियों का स्वस्थ ऑकलन करता है। इस दृष्टि से पर्यवेक्षण प्रक्रिया के अंगभूत हैं :

1) कार्यकर्ता
2) समूह
3) संस्था

9.6 "नेतृत्व"

प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है धर्म–प्रधान समाजों में धर्मगुरू इस कार्य को करते हैं। सामन्तवादी समाज में, सामन्त तथा भू–स्वामी नेतृत्व का कार्य करते हैं। किन्तु लोकतांत्रिक समाज में नेता आम जनता के बीच से विकसित होते हैं।

नेतृत्व एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक जीवन के साथ–साथ किसी न किसी प्रकार के नेतृत्व का भी अस्तित्व रहा है। सामाजिक मनोविज्ञान में नेतृत्व का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक विकास–क्रम की दृष्टि से भी सामाजिक जीवन के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार के नेतृत्व का अस्तित्व रहा है। किन्तु नेतृत्व है

क्या, इसे स्पष्ट करने के लिए हमें सर्व प्रथम नेता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक होगा।

नेता का अर्थ

सामान्य बोल–चाल में किसी राजनीतिक (Political) व्यक्ति को नेता कहा जाता है। लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान के अन्तर्गत नेता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, वरन् इसका अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका किसी परिस्थिति में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रभाव होता है।

स्प्रोट के मतानुसार, ''कोई भी व्यक्ति जो दूसरों के लिए आदर्श है, बहुधा नेता कहलाता है।'' नेता से दूसरों को प्रभावित करने और उनके व्यवहार का निर्देश करने की शक्ति होती है। नेता सामाजिक क्रियाओं को नवीन दिशा की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे स्पष्ट है कि नेता का अभिप्राय केवल राजनीतिक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि नेता सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाये जाते हैं जो अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं, और लोगों द्वारा उनका अनुकरण किया जाता है।

नेतृत्व की परिभाषा

इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन का प्रत्येक पक्ष किसी न किसी प्रकार के नेता द्वारा निर्देशित होता है। नेतृत्व में प्रभुत्व या प्रबलता का समावेश होता है। मनुष्य सदा से किसी न किसी प्रकार के नेतृत्व में जीवन व्यतीत करता आया है। 'नेतृत्व' के स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं का अवलोकन आवश्यक है।

(1) लेपियर तथा फ्रैन्सवर्थ– ''नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित है, जितना कि उनका व्यवहार नेता को प्रभावित करता है।

"Leadership is a behaviour that affects the behaviour of other, people more than their behaviour affects that of the leader" -Lapiere and Fransworth

(2) पिगर्स के मतानुसार– ''नेतृत्व एक ऐसी अवधारणा है जिसे व्यक्तित्व तथा वातावरण के सन्दर्भ में प्रयुक्त किया जाता है ताकि उस स्थिति का वर्णन किया जा सके जिसमें व्यक्तित्व द्वारा समान उद्देश्य को पाने के लिए दूसरों का नियन्त्रण तथा निर्देशन किया जाता है।''

"Leadership is a Concept applied to the personality environment relation to describe the situation who a personality is so placed is the environment that his will feelings and in insight direct and control others is persuit of a comman cause".

- Pigors

(3) मैकाइवर तथा पेज– ''नेतृत्व से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित या निर्देशित करने वाली योग्यता से है जो पद के अलावा व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है।''

"By leadership we mean the capacity to persuade or to direct men, that comes from personal qualities apart from office". - MacIaver and Fage

इस विवेचन से स्पष्ट है कि नेतृत्व व्यवहार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वयं नेता की अपेक्षा अन्य व्यक्ति अधिक प्रभावित होते हैं। नेतृत्व सदैव किसी समुदाय या समूह में होता है। इसके लिए लोगों की कुछ समान आवश्यकतायें तथा

समस्याओं का होना भी आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति उन समस्याओं को हल करने या आवश्यकताओं को पूरा करने की अधिक क्षमता रखता हो, वह नेता का रूप धारण कर लेता है। नेतृत्व में किसी व्यक्ति की विशेषता मात्र का समावेश नहीं है। इसमें परिस्थिति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। किस समूह में कौन नेता बनेगा और उसके नेतृत्व की क्या विशेषताएँ होगी, यह समूह की परिस्थिति पर निर्भर रहता है।

9.7 प्रभुत्व तथा नेतृत्व

नेतृत्व की अवधारणा के साथ प्रभुत्व की अवधारणा का ही समावेश होता है। अतः नेतृत्व के साथ–साथ प्रभुत्व की अवधारणा को स्पष्ट करना भी आवश्यक है। किम्बल यंग के अनुसार, ''हम प्रभुत्व को एक ऐसे कार्य या प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो दूसरे की मनोवृत्ति या प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है।''

प्रभुत्व के अनेक अंश नेतृत्व में विद्यमान रहते हैं। बिना प्रभुत्व के नेतृत्व संभव नहीं होता। समाज में जो शक्तिशाली होता है, उसका दूसरों के ऊपर प्रभुत्व होता है। अतः कमजोर सदस्य सदैव शक्तिशाली के प्रभुत्व को स्वीकार करता है। प्रभुत्व का यह नेतृत्व में भी पाया जाता है। प्रभुत्व की भावना का विकास जिस प्रकार परिवार के वातावरण से होता है, उसी प्रकार नेतृत्व की भावना का विकास भी परिवार से आरम्भ होता है। नेतृत्व जिस प्रकार दूसरों को प्रभावित करता है उसी प्रकार प्रभुत्व द्वारा भी दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित किया जाता है। स्प्रोट के अनुसार, नेतृत्व की अवधारणा अनुयायियों के सम्बन्ध में सम्पत्ति प्रकाशित करती है। प्रभुत्व में उन व्यक्तियों के ऊपर एक दबाव होता है जो कि प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं।

इस प्रकार प्रभुत्व और नेतृत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किम्बल यंग का मत है कि ''बिना अधीनता के कोई भी प्रभुत्व नहीं, प्रचलित सम्भाषण में बिना अनुयायियों के कोई नेता नहीं होता।''

नेताओं के आधर पर नेतृत्व को अनेक वर्गों में विभक्त किया जाता है। इनसे निम्नलिखित वर्गीकरण विशेष उल्लेखनीय हैं।

(क) मार्टिन कानवे द्वारा नेतृत्व का वर्गीकरण

मार्टिन कानवे नेताओं की चार कोटियों का उल्लेख किया है, जो निम्न प्रकार हैंः– उन्हें तीन प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं– (1) नियोजन, (2) संगठन एवं (3) प्रोत्साहन।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नेता होने के लिए व्यक्ति में कुछ शारीरिक तथा मानसिक गुणों का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नेतृत्व के लिए परिस्थितियाँ भी काफी महत्वपूर्ण हैं। परिस्थितियों के बदलने से नेतृत्व भी एक नेता के हाथ से दूसरे नेता के साथ चला जाता है। परिस्थितियाँ यह निश्चित करती हैं कि समाज में किस प्रकार नेतृत्व की आवश्यकता है। इस प्रकार नेतृत्व एक सापेक्षिक प्रत्यय (Relative Concept) है जिसके निर्धारण के हेतु समूह परिस्थिति तथा नेता के गुण आदि सभी का योगदान होता है।

9.7.1 नेतृत्व की उत्पत्ति और विकास

नेतृत्व की उत्पत्ति अनेक कारकों पर आधारित है। इसके लिए अनेक विशेषताओं की आवश्यकता होती है। नेता के लिए साहस तथा विभिन्न समस्याओं को हल करने की योग्यता होनी आवश्यक है। इस कारण, ब्राउन आदि विद्वानों के अनुसार नेता में योग्यता और शक्ति का होना आवश्यक है। इस विचारधारा के अनुसार, नेता की प्रतिभा ईश्वरीय देन होती है। इस कारण नेता जन्मजात होते हैं। इसके विपरीत, जैकिन्स तथा केरल के अनुसार, नेतृत्व के निर्माण के लिए परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं। समाज में जब कभी समस्यात्मक या अनियंत्रित परिस्थितियाँ होती हैं तो नेताओं की उत्पत्ति होती हैं।

मनोविश्लेषणवादियों का मत

मनोविश्लेषणवादी विचारकों के अनुसार, नेतृत्व की उत्पत्ति के लिए इच्छा, कामलोलुपता, विफलता, धनलोलुपता, मर्यादा की लालसा, दमन, परिशोधन, घृणा, हीन भावना, युक्ताभास तथा पारिवारिक अनुभव महत्वपूर्ण हैं। मनोविश्लेषणवादी विचारक काम–इच्छाओं के दमन तथा मनोरचनाओं के विकास को, नेतृत्व के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं।

मनोविश्लेषणवादी विचारकों के अनुसार कामेच्छा का दमन तथा मनोरचनाओं का विकास नेतृत्व की उत्पत्ति का मूल कारण है। कामेच्छा का उर्ध्वीकरण (Sublimation) नेतृत्व के रूप में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में कामेच्छा की शक्ति का नेतृत्व की शक्ति में रूपान्तरण (Transformation) हो जाता है। इस सम्बन्ध में सिगमण्ड फ्रायड ने ल्यूनाडो डीर्विसी (Leonardo Devincy) का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उसके अच्छे कार्यों का मूल कारण कामेच्छा का उर्ध्वीकरण (Sublimation of Sex) है। इसी प्रकार लेसविल ने अनेक नेताओं का अध्ययन किया और यह पाया कि पारिवारिक कटु अनुभव–हीन भावना, कामेच्छा का दमन, दोष–भावना, अधिकार लोलुपता, इत्यादि नेतृत्व की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है।

इसी प्रकार एरिक फ्राम महोदय ने हिटलर के व्यक्तिगत जीवन का विश्लेषण किया और यह पाया कि विफलता नेतृत्व की उत्पत्ति का मूल कारण है। फ्राम के अनुसार पीड़ातोम्बिक (Sadistic) तथा पीड़ानन्द (Masochiotic) प्रवृत्तियों के विकास से सत्तावादी नेतृत्व की उत्पत्ति होती है। कौक्स तथा एण्डरसन द्वारा किये गये प्रयोग भी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। कौक्स ने यह अध्ययन किया कि व्यवसाय, शिक्षा तथा परिवार का नेतृत्व की उत्पत्ति में क्या प्रभाव पड़ता है। कौक्स ने पाया कि उसके अध्ययन में सम्मिलित नेताओं में से केवल पाँच प्रतिशत नेता ऐसे हैं जो निम्न और अर्द्धशिक्षित परिवारों में पैदा हुए थे। शेष लगभग उच्च परिवारों से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार एण्डरसन ने बच्चों में नेतृत्व की प्रवृत्ति का अध्ययन किया और यह पाया कि जिन घरों में आधिपत्य की भावना होती है वहाँ बच्चों में नेतृत्व की भावना अधिक पाई जाती है।

बोगार्डस के अनुसार नेतृत्व की उत्पत्ति

नेतृत्व की उत्पत्ति के बारे में बोगार्डस ने निम्नलिखित कारकों का उल्लेख किया है–

(1) वंशानुक्रम

नेतृत्व के लिए जन्तजात गुणों का होना भी आवश्यक है। न्याय परिस्थितियों के बावजूद भी नेतृत्व के गुण प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से नहीं पाये जाते हैं। गाल्टन के अनुसार व्यक्ति की प्रतिभा जन्मजात होती है। इसे समाज मे रहकर अर्जित नहीं किया जा सकता।

(2) सामाजिक उत्तेजनाएँ

नेतृत्व के विकास के लिए सामाजिक उत्तेजनाओं का होना भी आवश्यक है। इन उत्तेजनाओं से नेतृत्व के विकास का अवसर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाजों की परिस्थितियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अतः परिस्थितियों के अनुसार भी नेतृत्व का विकास होता है।

(3) व्यक्तित्व (Personality)

नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व भी एक पूर्ण कारक है। इसमें व्यक्ति की शक्ति, चरित्र, बुद्वि तथा शारीरिक आकर्षण आदि का समावेश होता है । ये सभी कारक नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नेतृत्व के विकास के लिए अनेक कारकों का समावेश होता है। संस्कृति, सामाजिक आदर्श, सामाजिक मान्यताएँ तथा समाज की तत्कालीन परिस्थितियाँ नेतृत्व के गुणों को विकसित होने में मदद करती है। इसके विपरीत समानुक्रम के रूप में व्यक्ति कुछ विशेष गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। इन सभी कारकों के सहयोग से समाज में नेतृत्व का विकास होता है। अनेक मनोवैज्ञानिक तत्व के गुणों को जन्मजात मानते हैं। उनके अनुसार सामाजिक परिस्थितियाँ नेतृत्व गुणों का विकास नहीं करती, बल्कि उन गुणों के विकास को प्रोत्साहित करती हैं। नेतृत्व के विकास में सामाजिक तथा जन्मजात कारक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

9.7.2 नेता के कार्य

समाज में नेता द्वारा अनेक कार्य सम्पन्न होते है। इनकी चर्चा निम्न प्रकार कर सकते हैं–

(1) सामाजिक निदेशन

नेता अपनी विशेषताओं द्वारा दूसरों को प्रभावित करता है। उसमें समस्याओं को हल करने के लिए बुद्धि और शक्ति होती है। अतः समाज का निदेशन करता है।

सामाजिक नियन्त्रण की दृष्टि से नेतृत्व का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस नेतृत्व के स्पष्टीकरण के लिए नेता तथा उसके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की विवेचना आवश्यक है। नेता का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से है, जिसमें दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता हो और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए बुद्वि तथा योग्यता हो। इस प्रकार नेता में दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता होती है।

(2) सामाजिक नियन्त्रण

नेता के गुणों को सामाजिक नियन्त्रण की दृष्टि से बड़ा महत्व है। अपनी योग्यता तथा प्रभाव द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार, आचरण तथा क्रियाओं का नियन्त्रण करता है। वह समाज की क्रियाओं को एक विशेष दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, समाज की परम्पराओं तथा लोकरीतियों को

बनाये रखने की दृष्टि से भी नेता का स्थान महत्वपूर्ण है। इसी कारण सामाजिक आदर्शों और नैतिकता की रक्षा के लिए प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार के नेतृत्व का अस्तित्व रहता है।

(3) सामाजिक परिवर्तन

नेता द्वारा जहाँ एक ओर सामाजिक नियन्त्रण में सहायता मिलती है वहाँ दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करने में भी मदद् मिलती है। संक्रमणकालीन स्थितियों में जब समाज एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर बढ़ रहा हो तब नेतृत्व का होना आवश्यक है। सामाजिक जीवन ज्यो–ज्यों जटिल होता जाता है, तो उसके साथ ही सामूहिक हित भी बढ़ते रहते हैं।

(4) मार्ग दर्शन

समाज को धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आदि प्रत्येक क्षेत्र के लिए नेता की आवश्यकता पड़ती है।, ऐसे अवसर पर नेता द्वारा समूह के लोगों का मार्ग–प्रदर्शन किया जाता है। इसी कारण मनुष्य आदिकाल से किसी न किसी प्रकार के नेतृत्व में जीवन व्यतीत करता आया है।

9.8 सार संक्षेप

सामूहिक समाज कार्य अभिलेखों के किये जाने में कार्यकर्ता को जिन कारकों पर एकाग्रता रखनी चाहिए वे हैं– समूह की स्थिति में व्यक्तियों के मिलकर कार्य करने पर (individuals) व्यक्तियों द्वारा उनकी सहभागिता से प्रदर्शित आपसी सम्बन्धों पर (relationships) समूह के अन्दर और समूहों के बीच अन्तः क्रिया पर (interaction) और सहायता की भूमिका का सम्पादन करते हुए कार्यकर्ता पर (worker) अर्थात् इस एकाग्रता का केन्द्र कौन, (समूह के सदस्य) क्या (कार्य जो वह मिलकर करते हैं), कैसे (जिस तरीके से वह साथ मिलकर कार्य करते हैं और क्यों (कार्यों में सफलता के कारण) who? what? how? and why?

जिससे सामूहिक समाज कार्य की निपुणताओं द्वारा समूह अध्ययन करना सम्भव होता है। समाज कार्य अपने कार्यकर्ताओं को कुशल एवं व्यावसायिक बनाता है जिससे कि वे प्रभावपूर्ण तरीके से पर्यवेक्षण करते हुए समस्याओं का समाधान कर सकें। कार्यकर्ता पर्यवेक्षण के द्वारा समूह सदस्यों के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है।

9.9 अभ्यास प्रश्न

1. सामूहिक समाज कार्य में वर्णनात्मक अभिलेखों के महत्व एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए?
2. वर्णनात्मक अभिलेखों में विषयवस्तुओं की चर्चा कीजिए?
3. सामूहिक समाज कार्य में मूल्यांकन की क्या प्रकिया है?
4. सामूहिक समाज कार्य में नेतृत्व की क्या भूमिका है ?
5. नेतृत्व की उत्पत्ति एवं विकास की चर्चा कीजिए ?
6. समाज में नेता की भूमिका का वर्णन कीजिए ?

9.10 पारिभाषिक शब्दावली

अभिलेखन – Recording
मूल्यांकन – Evaluation
पर्यवेक्षण – Supervision
प्रक्रिया अभिलेख – process record
वर्णनात्मक अभिलेख में विषयवस्तु – Content of narrative records
अभिलेखन के सिद्वान्त –Principles of Recording
सामूहिक समाज कार्य में मून्यांकन – Evaluation in Social Group Work
समूह मूल्यांकन सारिणी –Group Evaluation Chart
व्यक्तिगत मूल्यांकन सारिणी –Individual Evaluation Chart
नेतृत्व – Leadership
वर्गीकरण – Classification
नेता – Leader

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Balgopal, P. and Vanil T. - Groups in Social Work: An Ecological Perspective, Newyork: Macmillan.
2. Toselane, R.W.- An Introduction to Group Work Practice.
3. Harford, M.- Groups in Social Work.
4. Wilson, G. & Ryland, G.- Social Group Work Practice.
5. Samuel T. Gladding - Group Work, A Community Speciality.
6. Ronald W. Toseland & Robert F. Rivar: An Introduction to Group Work Practice, Manachuseths: Allyn & Baion.
7. Pepell, G.P. & Rathman, B.- Social Work with Groups
8. Trecker, H.B.- Social Group Work. Principles and Practice Newyork Association Press.
9. Konopka, G.- Social Group Work: A Helping Process (3rd) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
10. Mishra, P.D. & Mishra Bina- Social Group Work Theory and Practice.
11. मिश्रा, प्रयागदीन– सामाजिक सामूहिक कार्य
12. सिंह, ए.एन. एवं सिंह, ए.पी.– समाज कार्य

इकाई–10

सामाजिक समूह कार्य में समूह
Group in Social Group Work

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य
10.1 परिचय
10.2 समूह निर्माण
10.3 समूह के प्रकार
10.4 कार्यकर्ता के कार्य
10.5 समूह निर्माण की विशेषताएं
10.6 आवश्यकता
10.7 महत्व
10.8 नियोजन
10.9 कार्यक्रम
10.10 समूह विकास का स्तर
10.11 सार संक्षेप
10.12 अभ्यास प्रश्न
10.13 शब्दावली
10.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

10.0 उद्देश्य

- समूह निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकेगें।
- समूह के प्रकार की व्याख्या कर सकेगें।
- कार्यकर्ता के कार्यों को समझ सकेगें।
- समूह निर्माण की विशेषताओं को जान सकेगें।
- आवश्यकता को समझ सकेगें।
- महत्व को समझ सकेगें।
- नियोजन को समझ सकेगें।
- कार्यक्रम को समझ सकेगें।
- समूह विकास का स्तर को समझ सकेगें।

10.1 परिचय

लगातार निर्धनता के फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्ग में ऐसी मानसिकता घर कर लेती है कि वह अपना विकास कर सकने में स्वयं सक्षम नहीं हैं और दूसरों पर आश्रित हैं। उनकी इस दशा के कारण वे उत्पादक संस्थानों से पूर्णतः वंचित हो गए है। सम्पन्न वर्गों पर उनकी निर्भरता को और अधिक प्रबल करने में संस्थागत प्रयासों का भी दोष रहा है जिन्होंने कभी गरीबों की क्षमता को नहीं स्वीकारा। उन पर ऊपर से बनाई गई योजनायें थोपी गई जिसके फलस्वरूप नीति निर्धारकों एवं क्रियान्वयकों तथा गरीबों के मध्य लाभदाता तथा प्राप्तकर्ता का सम्बन्ध विकसित हो गया है। गरीब वर्ग प्रत्येक समस्या के लिए सरकार की तरफ उन्मुख हो जाता है और एक तरह का 'डिपैन्डैन्सी सिन्ड्रोम' पैदा हो जाता है अर्थात वे सदैव ही अपने को आश्रित समझते हैं।

स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह इस पर निर्भर करता है कि गरीबों को संगठित करके तथा उसे स्वयं गरीबी उन्मूलन के प्रयास करने हेतु प्रेरित किया जाये। स्वयं सहायता समूह एक समान सोच, पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य वाले सदस्यों के छोटे समूह/संगठन हैं जो अपने सामूहिक क्षमताओं से अपनी समूह समस्याओं के निदान के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यह समूह सामाजिक आर्थिक सकारात्मक परिवर्तन तथा सशक्तिकरण के मंच हैं जिनके माध्यम से असंगठित गरीब वर्ग संगठित होकर अपने सामाजिक–आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं।

चूँकि समाज में अत्यधिक श्रमशक्ति प्राथमिक सेक्टर व सेवा क्षेत्र में संलग्न रहती है, एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उनका संगठन कैसा हो, क्या आकार हो तथा उसके सामने क्या उद्देश्य है। यह आवश्यक है कि उनके अपने 'एकरूपी' छोटे–छोटे समूह हों जिन्हें वह स्वयं सम्भाल सकें तथा उनका कुशल प्रबन्ध कर सकें।

यह बात पुनः ध्यान देने योग्य है कि समूह का आकार व स्वरूप का निर्धारण पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि गरीब अपने समूह का बिना दूसरे पर निर्भर किए हुए प्रबन्धन कर सके व अपने सामूहिक प्रयासों को उत्पादोन्मुखी बना सके। अनुभव बताते है कि समूह में 15–20 सदस्यों का आकार आसानी से संगठित रखा जा सकता है और उन्हें औपचारिक पंजीयन आदि की आवश्यकता भी नहीं होती समूह के स्वरूप निर्धारण के लिए भी 'एकरूपता' की अवधारणा प्रमुख है अर्थात् सदस्यों की समान पृष्ठभूमि, सामान समस्याएं तथा समान आर्थिक व सामाजिक स्तर।

समान आर्थिक स्तर समान पृष्ठभूमि एवं समान समस्याएं सदस्यों को एक साथ उठने बैठने में तो मदद करती ही हैं साथ ही उनमें सर्वमान्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित करती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किए गए प्रयासों में यह पाया जाता है कि समान सदस्यों वाले समूहों में सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी थी एवं सदस्यों द्वारा क्रियाकलापों के प्रति स्वामित्व की भावना अधिक थी। जहाँ गरीबों

आर्थिक निर्धनता उनकी सबसे बड़ी समस्या पाई गई है वहीं सामाजिक एकता उनकी सबसे बड़ी विशेषता। एकता की धरोहर के आधार पर ही वह समाज के अन्य वर्गों से व्यवहार व सौदेबाजी करने में सक्षम पाये गये।

स्वयं सहायता समूहों को भी उनके सदस्यों को सर्वमान्य नियमों तथा उपनियमों के द्वारा संचालित किया जाता है तथा एकता को बढ़ावा देने के लिए बहुसंख्यक के स्थान पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। लगभग एक दशक के सफल अनुभवों के आधार पर स्वयं सहायता समूहों की विभिन्न विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं वे निम्नवत हैं।

(1) स्वयं सहायता समूह समान पृष्ठभूमि वाले सदस्यों का एक समान उद्देश्य के लिए गठित समूह है जो समूह में एकरूपता, आर्थिक, सामाजिक, जातिगत, क्षेत्रगत अथवा समान समस्या के फलस्वरूप हो सकती है।

(2) समूह का आकार 15–20 सदस्यों का होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि समूह में कुशल प्रबन्धन की क्या सम्भावना विद्यमान है अर्थात समूह किस आकार में संगठित रह सकता है।

(3) समूह के अपने नियम उपनियम होते हैं जो कि सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्धारित किये जाते है।

(4) यद्यपि औपचारिक समूह के नाते लिखित प्रपत्रों का होना आवश्यक नहीं है परन्तु समूह को अन्य संगठनों से भी व्यवहार करना पड़ता है अतएव कार्यवाहियों एवं हिसाब–किताब को पुस्तकों में अंकित किया जाता है।

(5) समूह अपने नियमों के अनुरूप अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है जो कि समूह की ओर से विभिन्न प्रतिनिधित्व करते है।

(6) चूंकि समूह गरीब वर्ग के सदस्यों का होता है जो कि सदियों से असंगठित रहे हैं तथा उनमें आर्थिक क्रियाकलापों का ज्ञान अत्यन्त सीमित है अतएव साथ उठने बैठने के लिए प्रेरित करने हेतु तथा आर्थिक लेन देन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए बचत क्रियाकलाप आवश्यक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

(7) आपसी समझ को मजबूत करने तथा एकता को प्रबल करने के लिए आपसी ऋण/आन्तरिक ऋण भी स्वयं सहायता समूहों की पहचान बनकर उभरा है।

(8) समूह द्वारा बैंक से सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं एवं बैंक में अपने खाते के संचालन के साथ–साथ ऋण सुविधा भी प्राप्त की जाती है।

(9) समूह अपने सदस्यों के आर्थिक उन्नतीकरण के लिए उत्पादन ऋण प्रदान करता है साथ ही सामूहिक रूप से आर्थिक क्रियाकलापों का सम्पादन करता है जिसमें प्रत्येक सदस्य को उसकी क्षमता अनुसार कार्य प्राप्त हो जाता है।

(10) समूह आर्थिक क्रियाकलापों के साथ–साथ सामाजिक समस्याओं के निवारण में सहायक सिद्ध हुए हैं अपने सदस्यों के हितों में सामुदायिक सम्पत्तियों का

निर्माण उनका रखरखाव करना तथा लोकहितकारी कार्य करना भी इनकी विशेषता रही है।

(11) स्वयं सहायता समूह आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन का एक मंच बनकर उभरे हैं जिनके माध्यम से जागरूकता लाकर सदस्यों की क्षमता का पर्याप्त विकास कर विभिन्न सामाजिक व आर्थिक परियोजनाओं को सफल किया जाता है।

समूह विकास चक्र (ग्रुप डेवलपमेन्ट साइकिल)

गरीबों में निर्भरता की भावना सामान्यतः प्रबल होती है जिसके फलस्वरूप उनमें स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना एक दुष्कर कार्य है परन्तु असम्भव नहीं। सदियों से समाज के एक वर्ग द्वारा शोषित किए जाने के कारण इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। महिलाओं के साथ समूह गठन में एक और बाधा है उनकी झिझक परन्तु सावधानीपूर्वक उनका विश्वास जीतते हुए उन्हें स्वयं सहायता के लिए प्रोत्साहित करना तथा समूह के रूप में गठित करना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रेरक व गरीबों के बीच एक संवाद विकसित हो जिसके माध्यम से उन्हें जागरूक बनाया जायें। समूह में समानता हो इसके लिए प्रारम्भ से ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लोगों को प्रेरित करते समय ही समानता तथा एकरूपता के विषय में स्पष्ट रूप से बताया जाना आवश्यक है। केवल प्रोत्साहित व्यक्तियों को ही उनकी स्वेच्छा से ही समूह गठित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रारम्भिक दौर में उचित वातावरण विकसित कर विश्वास जीतने की क्रियाएँ की जाती हैं एवं प्रेरित व्यक्तियों के छोटे तथा समान/एकरूपी समूह विकसित किए जाते हैं।

संगठित होने के लिए आवश्यक है कि संगठन के अपने कुछ नियम हो एवं उन नियमों के अनुसार संगठन का संचालन हों। समूह गठन के समय ही नियम सदस्यों द्वारा अपनी स्वेच्छा से निर्धारित किये जाते है जिनमें प्रमुख है अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या, सदस्य की योग्यता व सदस्य शुल्क, समूह का उद्देश्य, बचत न करने पर दण्ड, ऋण के नियम व दण्ड राशि आदि। इस प्रकार समूह का आकार व स्वरूप निर्धारित हो जाता है।

समूह सदस्यों में क्या क्षमताएँ हैं? उनका अभिज्ञात कैसे हो एवं किस प्रकार उनका विकास हो? इसके लिए सर्वप्रथम उनमें एकता समझ तथा नेतृत्व क्षमता विकसित की जाती है समूह में नियमित बैठक हो और बैठक में सभी समस्याओं पर विस्तृत व बेझिझक चर्चा हो इसके लिए आवश्यक है कि समूह के पास बैठक के लिए कोई नियमित क्रियाकलाप हों। नियमित बचत एवं आपसी आन्तरिक ऋण इसका बेहतर माध्यम है। जिसके द्वारा सदस्यों में नियमित बैठक की आदत विकसित हो जाती है। इसलिए समूह में ऋण बचत क्रियाकलाप आवश्यक रूप से प्रोत्साहित किये जाते हैं जिनके माध्यम से आर्थिक व्यवहारों के विभिन्न पहलुओं को समझा जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक काल में इन क्रियाकलापों के माध्यम से नियमित बैठक, नियमित बचत, ऋण क्रियाकलाप तथा सामूहिक निर्णय को प्रोत्साहित किया जाता है।

शैशवकाल अर्थात समूह गठन व प्रारम्भिक काल पूर्ण होने के उपरान्त द्वितीय चरण में समूह तैयार हो चुका होता है कि वह बाहरी दुनिया से लेन देन प्रारम्भ कर सकें तथा अपने सदस्यों में क्षमता व विश्वास विकसित करे ताकि वह सही तरीके से लेन देन कर सके। चूँकि समूह में ऋण बचत क्रियाकलाप प्रारम्भ किए जाते हैं अतएव बैंक एक बेहतर संस्था है जो समूह को प्रारम्भिक लेन देन के लिए तैयार कर सकती है।

समूह अपना सम्बन्ध बैंक में खाता खोलकर पूँजी विकसित करता है तथा समय–समय पर आवश्यकता के अनुरूप ऋण लेकर व्यवहार करता है। वह अपने सदस्यों को भी उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसी अवधि में समूह के सदस्यों की क्षमताओं को भी चिन्हित किया जाता है। आर्थिक कार्यक्रमों को अपनाकर समूह अपने सदस्यों को रोजगारपरक कार्यों से जोड़ता है। सामाजिक क्रियाकलापों, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई आदि के माध्यम से सदस्यों की पहुँच इन सेवाओं व सुविधाओं तक सुनिश्चित करता है और इस प्रकार कार्यक्रमों क्रियान्वकों व लाभार्थियों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

समूह के पूर्ण विकास की अवस्था लगभग तीन साल मानी जाती है जिस अवधि में वह स्वआश्रित हो पाता है अर्थात अपने सदस्यों को सहयोग पहुॅचाने में स्वयं सक्षम हो जाता है इस अवधि तक समूह को विभिन्न मार्गदर्शकों की आवश्यकता अवश्य होती है परन्तु लगभग तीन साल की अवधि में समूहों के अपने विकसित सम्पर्कों के फलस्वरूप समूहों में आपसी लेनदेन प्रारम्भ हो जाते हैं। यह वह स्थित होती है जबकि समूहों का संगठन सामाजिक व आर्थिक विकास का भाग बन जाता है एवं अन्य नये समूहों के विकास के लिए उनका अपना संगठन स्वयं सक्षम होता है।

स्वयं सहायता समूह के विकास को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

1. गठन व निर्माण अवस्था
2. विकास अवस्था
3. स्वाश्रयी अवस्था

गठन व निर्माण अवस्था

गठन व निर्माण की अवस्था में समूह में अनुकूल डायनामिक्स विकसित होती है और समूह अपनी एकता को सुदृढ़ करता है जिसके अनुरूप व्यवहार सम्पादित होते हैं जैसे आन्तरिक बचत, आन्तरिक समस्याओं का निपटारा आदि।

विकास अवस्था

विकास की अवस्था में वाह्य जगत से सम्बन्ध स्थापित करता है और सदस्यों की क्षमता निर्माण व विकास के लिए कार्य करता है इसी अवधि में समूह सदस्यों के हितों के लिए सामुदायिक परियोजनाओं को मूर्त रूप देता है। समूह अपने संगठन

जैसे संकुल व संघ विकसित करता है और सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसित होता है

स्वाश्रयी अवस्था

समूह के विकास का तीसरा चरण है स्वाश्रयिता। जब स्वयं सक्षम होकर परियोजनाओं को स्वाश्रयी बनाता है और अपने सदस्यों के विकास की दिशा स्वयं निर्धारित करता है समूह इस अवस्था को प्राप्त करने के उपरान्त आत्मनिर्भर बनकर औपचारिक संगठन बन जाते है।

स्वयं सहायता समूह विकास की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों जिन पर पहले ही संक्षिप्त चर्चा की गई कि अवधि में समूह को किसी न किसी मार्गदर्शक/उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है निरन्तर गरीबी के फलस्वरूप निर्धन वर्ग में विद्यमान विकास की सम्भावना को पहचानने की शक्ति क्षीण होती है एवं उनका विश्वास अत्यन्त अस्थिर होता है उत्प्रेरक की भूमिका है कि वह निर्धनों में विश्वास जगाकर उन्हें संगठित कर दें एवं उनमें विद्यमान सम्भावनाओं को विकास के साथ जोड़ दे और समूह व विकास के बीच एक माध्यम बन सके। उत्प्रेरक की जिम्मेदारी समूह की क्षमता विकास में सहायक की है और वह भी एक निश्चित समय तक ही। उसके उपरान्त समूह को जिम्मेदारी स्वयं उठानी होंगी, उत्प्रेरक को सहायक की भूमिका के साथ–साथ सही मार्गदर्शक की भी भूमिका भी निभानी होती है।

उसे समूह का प्रत्येक कदम पर एहसास कराना चाहिए कि सदस्यों के विकास की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की है। उसका कार्य समूह को विकास की प्रमुख धारा से जोड़ना है परन्तु स्वयं को आश्रित कदापि नहीं बनाना है समूह द्वारा स्वाश्रयिता प्राप्त करने के उपरान्त समूह स्वयं औपचारिक संगठन के रूप में विकसित हो जाते हैं एवं क्षेत्र में स्वयं सहायता के माध्यम से विकास के वाहक हैं।

स्वयं सहायता समूह जिनमें आवश्यक रूप से ऋण बचत क्रियाकलाप प्रोत्साहित किये जाते हैं। गरीबों की आवश्यकतानुसार सूक्ष्म ऋण पहुँचाने का एक उपयुक्त माध्यम है। किये गये प्रयासों व अध्ययनों से यह सिद्ध पाया गया है कि यद्यपि गरीबों के पास ऋण को जमानत/रहन स्वरूप देने को कुछ नहीं होता परन्तु उनमें ऋण अनादायगी कभी नहीं करते महिला स्वयं सहायता समूहों के अनुभव तो अत्यन्त विस्मयकारी रहे हैं और उनमें शत प्रतिशत ऋण वसूली पायी गयी है महिलाओं को समाज के प्रति अपेक्षाकृत अत्यधिक जिम्मेदारी व संवेदनशील पाया गया है और देखा गया है कि आपसी एकता के फलस्वरूप समूह में यदि कोई सदस्य ऋण अदा करने में समर्थ नहीं है तो भी और सदस्यों की सहायता व समझ–बूझ से बैंक को ऋण अदायगी समय से की गई। सूक्ष्म ऋण को गरीबों तक पहुँचाने में तथा गरीबों को साहूकारी व्यवस्था के शोषक चंगुल से बचाने में स्वयं सहायता समूहों की एक विशेष योगदान है इसके माध्यम से सदस्य अपनी अल्प अर्जित बचत से एक दूसरे की ऋण की आवश्यकता को पूरी करते हैं उन रोजमर्रा की ऋण आवश्यकताओं में शामिल होता है भोजन कपड़ा, व्यवसाय, बीमारी का इलाज, शादी ब्याह त्योहार व पर्व आदि की

जरूरतों के लिए ऋण। ऐसी जरूरतों को अपनी अल्प बचत से पूरा करने के परिणामतः आपसी समझ व सद्भाव में वृद्धि होती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपसी सूझबूझ व विश्वास के फलस्वरूप किये गये ऋण व्यवहारों की अदायगी तो शतप्रतिशत पाई ही गई है साथ ही उनमें बढ़ी जागरूकता के फलस्वरूप ऋण का बेहतर उपयोग पाया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उनमें संसाधनों के बेहतर उपयोग की क्षमता भी विकसित हेाती है, साथ ही आपसी तालमेल के कारण यदि कोई भी कठिनाई आती है तो सदस्य मिलकर उसका सामाधान निकाल लेते है और समय पर ऋण अदायगी सुनिश्चित करते है स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म ऋण का एक माध्यम बनकर उभरा है जिनके माध्यम से गरीब से गरीब सदस्य की प्रत्येक ऋण जरूरत घरेलू तथा उत्पादक दोनों ही पूरी हो जाती है गरीब वर्ग के पास जमानती तौर पर देने के लिए कुछ नहीं होता जिसके अभाव में वह ऋण प्राप्त नहीं करते है। समूह के माध्यम से वह अपनी पारदर्शी आपसी तालमेल की छवि की जमानत के आधार पर संस्थागत स्रोत से ऋण प्राप्त करता है। संस्थागत ऋण ढ़ाचा विशाल होने के कारण भी यह प्रत्येक सदस्य को सूक्ष्म क्षण उपलब्ध नहीं करा सकता क्योकिं प्रति व्यक्ति आय सम्पादन के कारण लागत में वृद्धि होती हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आसानी से अधिकांश लोगों तक ऋण पहुँचाकर लाभान्वित किया जा सकता है और इससे प्रति व्यवहार लागत में कमी आई है। इस प्रकार सूक्ष्म ऋण के लिए स्वयं सहायता समूह उपयोगी वाहक बनकर उभरे हैं।

उपयोगिता

- गरीब विशेषकर महिलायें समूह के माध्यम से अपनी समस्याओं के निदान के लिए सामूहिक प्रयास कर सकती हैं व समाधान पा सकती हैं। पाया गया है कि गरीबों व महिलाओं में यह समूह अत्यन्त सफल रहे हैं।
- ऐसी सामूहिक समस्याएं, जिनका अन्यथा हल अत्यन्त मुश्किल है, समूह के माध्यम से आसनी से सुलझायी जा सकती है।
- आपसी समझ में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप बड़ी से बड़ी सामूहिक समस्या का सर्वमान्य सामाधान समूहों के माध्यम से सम्भव हो पाया है।
- गरीबों की क्षमता को समूह के माध्यम से पहचाना जा सकता है तथा उसे विकसित किया जा सकता है।
- समूह के माध्यम से गरीबों के पास उपलब्ध अल्प संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सम्भव है जिसका लाभ प्रत्येक सदस्य तक पहुँचाता है।
- समूह के माध्यम से ही व्यापक स्तर पर रोजगार गरीबों को उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

- समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभ निर्धनतम लोगों तक पहुँचाये जा सकते हैं ऐसे प्रयासों की निरन्तरता बनाई जा सकती है।
- समूह के माध्यम से सामाजिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा इसे कम लागत में करके इसमें अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराई जा सकती है।

सूक्ष्म ऋण

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सूक्ष्म ऋण (माइक्रोफाइनेन्स) एक व्यापक अवधारणा है। जिसमें विभिन्न प्रकार की वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवाएँ सम्मिलित है। इनमें कौशल विकास एवं उच्चीकरण उद्यमिता विकास आदि को भी शामिल किया जा सकता है, जिनके द्वारा निर्धन वर्ग को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वे गरीबी की समस्या के ऊपर काबू पा सकें। माइक्रोफाइनेन्स गरीबी उन्मूलन हेतु एक नए चिन्तन अथवा विचारधारा के रूप में उभर कर आया है जिसके माध्यम से निर्धन व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं का आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण सम्पादित किया जा सकता है। माइक्रोफाइनेन्स का क्रियान्वयन ढ़ाँचा निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है।

गरीबी उन्मूलन हेतु स्वतः रोजगार का जीवनक्षम या व्यवहार्य की स्थापना तथा उक्त उद्यम की पूंजी/ऋण तक पहुँच न होने से कठिनाइयां अथवा बाधाएं।निर्धन व्यक्ति न्यून्ततम आमदनी होने के बावजूद बचत करने की क्षमता रखते हैं।

इस प्रकार माइक्रोफाइनेन्स को एक ऐसा संस्थागत ढ़ाँचा कहा जा सकता है। जिसके माध्यम से ऐसे छोटे–छोटे समूहों द्वारा छोटे–2 कर्जे तथा अन्य अनुपूरक सहायता जैसे प्रशिक्षण तथा अन्य सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिसमें ऐसे लोग जिनके पास संसाधन अथवा कौशल दोनों का अभाव होता है, आर्थिक कार्यकलाप प्राप्त कर सकें।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ज्ञात होगा कि माइक्रोफाइनेन्स का जन्म जर्मनी में सहकारी आन्दोलन के साथ 1944 में हुआ। उस समय जर्मनी के साथ सहकारिता आधारित ऋण व्यवस्था प्राप्त हुई। इसी प्रकार भारत में ऋण समितियां अधिनियम 1904 में लागू होने के साथ ही माइक्रोफाइनेन्स की शुरूआत मानी जा सकती है।

भारत में निर्बल वर्ग के लोगों की ऋण आवश्यकताओं के विषय में पहली बार आल इण्डिया क्रेडिट रिव्यू कमेटी 1999 के गठन के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया गया। इस कमेटी द्वारा वह बल पूर्वक कहा गया है कि ऋण की उपलब्धता छोटे किसान को सहज बनाई जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्माल एण्ड मार्जिनल फारमर्स डेवलपमेन्ट एजेन्सी के गठन की सिफारिश की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में 45 जिलों में एस. एफ. डी. की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर लघु और सीमान्त कृषकों कृषि श्रमिकों कारीगरों

तथा छोटे उद्यमियों, व्यापार उद्योग तथा अन्य उत्पादक कार्यों के प्रोत्साहन के लिए अवस्थापना तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। समाज के निर्बल वर्गों पर फोकस तथा कम लागत वाली ऋण व्यवस्था के कारण इन्हें ग्रामीण बैंक के नाम से भी जाना जाता है तथा इन्हें गरीब आदमी का बैंक कहा जाता है।

विभिन्न गरीबी उन्मूलन तथा कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पूरे विश्व का अनुभव यह दर्शाता है कि इन कार्यक्रमों की सफलता की कुँजी समुदाय आधारित संस्थाओं की इन कार्यों में भागीदारी है इसीलिए ऋण वितरण तथा उसकी वसूली की प्रणाली में जनता की सहभागिता तथा इस प्रणाली का ऋण लेने वालों से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अन्तर्सम्बन्ध की स्थापना अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसके माध्यम से निर्धनों की ऋण समर्थन अथवा सहायता को एक सम्पूर्ण व्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में माना जाता है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा तैयार करने तथा उससे क्रियान्वित करने में पथ प्रदर्शक रहा है। उसके द्वारा 1662 में स्वयं सहायता समूह व ग्रामीण बैंकों की लिंकेज का कार्य प्रारम्भ किया गया है और तब से ग्रामीण निर्धनों की औपचारिक बैंकों तक पहुंचने का कार्य गति पकड़ता रहा है। और पिछले दशकों में निर्धनों द्वारा ऋण प्राप्त करने वालों तथा बैंकों द्वारा इस सेवा के विस्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत सरकार के 2000–01 के बजट में पारित प्रस्ताव के अनुपालन में नाबार्ड द्वारा रू. 900.00 करोड़ का माइक्रोफोन्स डेवलपमेन्ट फण्ड की स्थापना भी की गई। जिसके कोष की प्रारम्भिक अवस्था में रू. 80.00 करोड़ की धनराशि जमा की गई। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया तथा नाबार्ड की बराबर–2 की हिस्सेदारी है तथा शेष धनराशि व्यवसायिक बैंकों द्वारा जमा की जायेगी। जब यह धनराशि 500 करोड़ कर दी गयी है। इस कोष का उपयोग एवं स्वयं सहायता समूहों तथा बैंकों के बीच लिन्केज स्थापित करने का कार्य का विस्तार करने तथा आय अभिनत प्रयोगों हेतु किया जा रहा है। जिनके उद्देश्य निम्न प्रकार से है।

ग्रामीण निर्धनों विशेषकर महिलाएं जो औपचारिक बैकों से आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ रहे है के लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराया जाये।

स्वयं सहायता समूहों को आगे उधार देने तथा उनकी ग्राम स्तर पर अन्य माइक्रोफाइनेन्स संस्थाओं के लिए धन उपलब्ध करना।

स्वयं सहायता समूहों तथा बैंको के लिन्केज कार्यक्रम के विस्तार के कार्य को समर्थन देना।

माइक्रोफाइनेन्स संस्थाओं की प्रणाली के लिए पर्यवेक्षक तथा नियंत्रण प्रणाली के विकास में आवश्यकतानुसार समर्थन प्रदान करना।

यह उल्लेखनीय है कि नाबार्ड द्वारा पहल करने के फलस्वरूप 1992 में 255 स्वयं सहायता समूहों की तुलना में 2009–02 में 4.62 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से लिंक कराया जा चुका है। अब मार्च 2009 तय यह संख्या 22.4 लाख हो गई

मार्च 2002 तक नाबार्ड द्वारा 365–730 करोड़ रूपये पुर्नवित्त में दिया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा माइक्रोफाइनेन्स बिल 2006 लाया गया है। इसके पास होने के बाद स्वयं सहायता समूह की अतीत वृद्धि हुई है।

नाबार्ड इसे ऋण कार्यक्रम के रूप में नहीं लेता है बल्कि इसे वह एक अभिनव कार्य मानता है जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का समग्र सशक्तिकरण सम्भव है। नाबार्ड का 2008 तक 90 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को बैंक से लिंक करने का लक्ष्य था उसके द्वारा इन योजनाओं के हुए आर्थिक प्रभाव का समय–समय पर मूल्यांकन भी किया जा रहा है। और इन अध्ययनों से अभी तक बहुत ही उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इस कार्यक्रम की सफलता इसी बात से स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूहों के प्रोत्साहन कार्य में संलग्न एन.जी.ओ. की संख्या 798 से बढ़कर 2000–09 में 9030 हो गई।

रिवाल्विंग फण्ड के रूप में N.G.O. स्वयं सहायता समूह फेडरेशन तथा क्रेडिट यूनियनों को सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार माइक्रोफाइनेन्स के कार्य में लगी संस्थाओं की क्षमता वृद्धि में भी नाबार्ड सहायता करता है। नाबार्ड की भावी रणनीति में निम्न बातें शामिल हैं :–

- इस कार्यक्रम में उन क्षेत्रों में जहाँ अभी तक अवधारणा का विस्तार नहीं हुआ है नयी संस्थाओं सहयोगियों में जागरूकता पैदा करना तथा उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- स्वयं सहायता समूहों को शिक्षा स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाओं से सम्बद्ध करने में सहायता करना।
- निष्कर्ष के तौर यह कहना उपयुक्त होगा कि सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में हुई नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अधिक तेजी लाई गई और इस समस्या पर सीधे प्रहार करने का निर्णय लिया गया है। नवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व व्यक्तिगत स्तर पर लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया।
- व्यक्ति आधारित इन कार्यक्रमों में क्रियान्वयन के अनुभव से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह उभर कर आया कि निर्धन वर्ग के लोगों के असंगठित होने के कारण लाभार्थी सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नही उठा पाए हैं।
- महिलाओं के विकास हेतु सरकार देश में पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही सजग रही है और प्रत्येक कार्यक्रम में उनके लिए आरक्षण रखा गया किन्तु इन कार्यक्रमों का आधार भी व्यक्ति ही था।
- ग्रामीण महिलाओं के नितान्त असंगठित होने के कारण उनमें पुरूषों की अपेक्षा अधिक संख्या रही।

उक्त पृष्ठभूमि में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा एक प्रकार से रामबाण के रूप में उभरी और इससे नियोजन प्रक्रिया में क्रान्तिकारी परिर्वतन आया है। अब साधन विहीन महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपनी स्वयं की क्षमता बढ़ा सकेंगी तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। एक प्रकार से महिला सशक्तीकरण की यह पहली सीढ़ी है। स्वयं सहायता समूहों ने आपसी अन्तर्सम्बन्ध है और यह समस्तरीय (हॉरिजन्टल) तथा स्तरीय वर्टिकल दोनों प्रकार के हैं। इन समूहों के संघों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इनके माध्यम से यह सरकारी तथा वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित कर सकते है और उनका पूरा लाभ उठा सकते है।

स्वयं सहायता समूहों की जागरूकता सदस्यों में आपसी मेलजोल, एक दूसरे की सहायता करना तथा बाहरी समुदाय से तालमेल बनाए रखने पर निर्भर करती है। अतः चाहे वह कोई वित्तीय परियोजना हो अथवा स्वयं सहायता समूहों की अपनी निरन्तरता हो इनके मूल में जनसहभागिता की भावना का विकास है।

स्वयं सहायता समूह की शुरूआत भारत ने MYRADA से 1985 में हुई है। 1986–1987 में कुछ 300 स्वयं सहायता समूह थे जो MYRADA के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे इनके प्रमुख कार्य ऋण से सम्बन्धित थे। 1885 जब स्वयं सहायता समूह की शुरूआत 2000–01 जब इनको भारत के वार्षिक योजना में सम्मिलित किया गया NABARD ने कई प्रमुख बदलाव किये हैं। स्वयं सहायता समूह का विकास को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. 1987–1992 तक

इस चरण में NABARD ने NGO को सहायता दी जो कि स्वयं सहायता समूहों की विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। 1987 में NABARD ने 10 लाख की सहायता दी MYRADA को स्वयं सहायता समूहों के विकास के लिए। इनकी सफलता को देखते हुए, भारतीय रिर्जव बैंक ने स्वयं सहायता समूहों की एक वैकल्पिक ऋण प्रारूप के रूप में मान्यता दी। 1992 में NABARD ने कुछ दिशा–निर्देश जारी कर सारे बैंकों को अनुमति प्रदान की, कि वह स्वयं सहायता समूहों को आसान ऋण उपलब्ध करा सकें।

तमिलनाडु महिला सशक्तिकरण परियोजना जो कि तमिलनाडु महिला विकास निगम द्वारा क्रियान्वित था, देश का पहला सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। द्वितीय चरण 1992 से–अब तक कार्यक्रम की शुरूआत दो वर्ष के एक पायलेट योजना से हुई जिसका मुख्य उद्देश्य 500 स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना था। स्वयं सहायता समूहों तथा बैंकों का सम्बन्ध शुरूआती स्तर पर कुछ कम रहा, लेकिन 1999 के बाद बैंकों की कार्यशैली में परिवर्तन के समय ही बैंक–समूह सम्बन्ध और सुदृढ़ होते गए। भारतीय रिर्जब बैंक, तथा कुछ प्रदेशों के बैंक– जैसे तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में स्वयं सेवी संगठन की मदद से स्वयं सहायता समूहों का विकास तीव्र गति से हुआ ।

नाबार्ड के अनुसार 2005 में तकरीबन 16 लाख स्वयं सहायता समूह–बैंकों से सम्बन्धित थे। मार्च, 2005 तक 16184556 स्वयं सहायता समूह, जिनमें 24 मिलियन परिवार 1 करोड़ 20 लाख लोग जुड़े हैं, विश्व की सबसे बड़ी सूक्ष्म ऋण व्यवस्था बन गई है। अभी भी बहुत से ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जो बैंकों के पास ऋण के लिए नहीं पहुँचे, जो अपनी जमा पूँजी या स्वयं सेवी संगठन द्वारा मिली सहायता से ही कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। कुछ स्वयं सहायता समूह अभी अपनी शैशावस्था में हैं और नाबार्ड द्वारा रखी गई मान्यताओं को पूरा नहीं करते।

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा इसी पर निर्भर करती है कि गरीबों को संगठित करके तथा उन्हें स्वयं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित किया जाए। स्वयं सहायता समूह एक समान सोच पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य वाले सदस्यों के छोटे समूह/संगठन हैं। जो अपनी सामूहिक क्षमताओं से अपनी समस्याओं के निदान के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यह समूह सामाजिक–आर्थिक सकारात्मक परिवर्तन तथा सशक्तीकरण के मंत्र हैं, जिनके माध्यम से अंसगठित गरीब वर्ग संगठित होकर अपने सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। चूँकि विकासशील अविकसित समाज में अत्यधिक श्रमशक्ति प्राथमिक सेक्टर (कृषि व अन्य सम्बन्धित कार्य) व सेवा क्षेत्र में संलग्न रहती है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उनका संगठन कैसा हो? क्या आकार हो? तथा उसके सामने क्या उद्देश्य है?

यह आवश्यक है कि उनके अपने 'एकरूपी' छोटे–छोटे समूह हों जिन्हें वह स्वयं सम्भाल सकें तथा उनका कुशल प्रबन्धन कर सकें। यह बात पुनः ध्यान देने योग्य है कि समूह का आकार व स्वरूप का निर्धारण पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि गरीब अपने समूह का बिना दूसरों पर निर्भर किए हुए प्रबन्धन कर सकें व अपने सामूहिक प्रयासों को उत्पादनोंमुखी बना सकें।

एक राष्ट्र विकास के पक्ष पर अग्रसर तभी रह सकता है जब नागरिक विकास की प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी को समझे, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उपब्ध संसाधनों का उपयोग करे तथा कार्यक्रमों से अपनेपन एवं जवाबदेही की भावना से जुड़े इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समूह पद्वति को एक रणनीति के रूप में अपनाया जाने लगा है और इसके परिणाम भी स्पष्ट रूप नजर आने लगे हैं।

स्वयं सहायता समूह एक लोक–केन्द्रित विकास की प्रक्रिया का आधार है योजनाएं चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र सभी में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को अपनाया जा रहा है। शहरी निर्धन बस्तियों में विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में महिलाओं को एक समूह के रूप में संगठित करना तथा सामुदायिक प्रयास हेतु प्रेरित करना एक जटिल तथा धैर्य का काम है। स्वयं सहायत समूहों का गठन तथा उनको समुदायिक संगठन के रूप में ही सम्भव है।

समूह पद्धति का अर्थ एक समुदाय केन्द्रित व्यवस्था व सामूहिक मंच से है जो लोगों को सामूहिक रूप से अपनी आवश्यकताओं पर सोचने तथा अपनी क्षमताओं को

सामूहिक रूप से प्रयोग करते हुए उन आवश्यकताओं को पूरा करने के सहायक होता है इसके अतिरिक्त समूह पद्धति से समुदाय स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जुड़ाव भी प्रभावी ढंग से स्थापित होने के अवसर उपलब्ध होते हैं।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला विकास आन्दोलन को देश के विभिन्न भागों में एवं देश के बाहर प्रस्तुत किया गया ताकि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन करते हुए अनेकों चतुर्धिक विकास हो सके। सन 1980 का शुरूआत में इस आन्दोलन का प्रारम्भ हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में प्रयोग के रूप में ड़ा0 मुहम्मद युनुस के कर कमलों द्वारा किया गया।

भूमिहीन तथा सीमान्त एवं मागने वाली महिलाओं को इसमें शामिल करते हुए लघु ऋण पर आधारित करते शुरूआत की जिसने बाद में एक आन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया और एक नये दृष्टिकोण का सुत्रपात्र हुआ। जिसके द्वारा निर्धन तथा गैर–लाभान्वित महिलाओं कों लघु बचत एवं समाज क्रियाओं के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी दृष्टिकोण को भारत सरकार द्वारा एक व्यक्ति विभिन्न कार्यक्रम के रूप में देश के विभिन्न भागों में लागू किया गया। जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वंय सहायता समूह को निर्मित करते हुए महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।

समूह की अवधारणा

समूह व्यक्ति तथा समुदाय को सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त करने की प्रक्रिया है। समूह व्यक्तियों अथवा समुदाय के बीच विकसित किया गया एक आधार मंच है जो सामूहिक क्रियाओं एवं प्रयासों को जन्म देता है। इस आधार पर एक विकास प्रक्रिया की शुरूआत होती है जिससे वैयक्तिक, परिवार एवं समुदाय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के अवसर उपलब्ध होते हैं।

सामान्य रूप से समूह के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं प्रथम स्वरूप वह है जिसमें लोग अपनी तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं जैसे बस्तियों में किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम; स्वच्छता एवं सफाई से संबंधित कार्य इत्यादि। इस प्रकार संगठन निर्माण हेतु आवश्यकता स्वंय उत्पन्न होती इनमें लम्बे समय तक सामूहिक प्रयासों को जारी रखने हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं का अभाव होता है।

समूह का दूसरा स्वरूप वह जिसके संदर्भ मे यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इस स्वरूप के अर्न्तगत समूह को एक स्थाई रणनीति एवं पद्वति के रूप मे विकसित किया जाता है इसका उद्देश्य तत्कालिक एवं दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रकार समूहों का उद्भव एवं एक प्रक्रिया के रूप में होता है। यह तात्कालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की समस्याओं एवं मुद्दों का हल करने हेतु गठित होते हैं।

स्वयं सहायता समूह के प्रारूप

भारत में विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूह के प्रारूप को अभ्यास में लिया जा रहा है।

(अ) स्वंय सहायता समूह – बैंक सम्बन्धित प्रारूप

इस प्रारूप में, समूहों का निर्माण विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है ''स्वंय सहायता प्रोत्साहन संस्था'' के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्थायें गैर सकारी संगठन; स्वैच्छिक संघ, सरकारी संस्थाएं, पंचायतीराज संस्थाएं तथा सहकारी समितियां आदि हो सकती हैं। इसके अन्तर्गत वित्तीय आदान–प्रदान निम्न प्रकार से होते हैं :–

1. गैर सरकारी /स्वैच्छिक संस्था के हस्तक्षेप के बिना वित्तीय लेन–देन

इसके अन्तर्गत संस्था के सहयोग के बगैर वित्तीय आदान–प्रदान होता है।

2. गैर सरकारी/स्वैच्छिक संस्था के हस्तेक्षेप के वित्तीय लेन–देन

इसके अन्तर्गत संस्था के सहयोग से वित्तीय आदान–प्रदान होता है।

(ब) व्यष्टि(माइक्रो) वित्तीय संस्थाएं /एन.जी.ओ. स्वयं सहायता समूह–

इस प्रारूप के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाएं, स्वैच्छिक संस्थाएं, माइक्रो वित्तीय संस्थाएं इत्यादि द्वारा बैंकिंग व्यवस्था या विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं यथा नाबार्ड; सिडबी से व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऋण प्राप्त करके स्वयं सहायता समूह की क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इस पारूप को निम्नवत चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

(स) गैर–सरकारी संस्थाएं/व्यष्टि (माइक्रो) वित्तीय संस्थाओं संघ स्वयं सहायता समूह

इस प्रारूप के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह संघों की सहायता से आमतौर पर बचत और साख से सम्बन्धित वित्तीय सेवायें प्राप्त करता हैं।

(द) ग्रामीण प्रारूप

इस प्रारूप के अन्तर्गत वित्तीय सहायता यथा ऋण उत्पादकता के लिए सीधे व्यष्टि वित्तीय संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं से सीधे छोटे समूह के सदस्यों (जिसमें 5 या 7 सदस्य होते हैं) को समूह की सुदृढता के लिए प्रदान किया जाता है।

(य) सहकारिता प्रारूप

इस प्रारूप का विकास सहकारी विकास संघ द्वारा किया गया है इस प्रारूप को ''साख संघ'' के नाम से भी जानते हैं। इस प्रारूप की विशेषता यह है कि सर्वप्रथम समूह के सदस्यों को बचत करने के लिए प्रेरित किया जाता है ।

स्वयं सहायता समूह से प्राप्त लाभ

- इसके द्वारा महिलायें सशक्त होती हैं।

- यह एक लागत रहित सहायता प्रदान करने वाली सेवा है।
- उसके द्वारा सामाजिक आलम्बन में वृद्धि होती है।
- यह एक अद्वितीय समस्या समाधान अभिगम है।
- इसके द्वारा आत्म चेतनता में वृद्धि होती है।
- समूह हस्तक्षेप द्वारा सम्प्रेरणा में वृद्धि होती है।
- परिवार के रूप में स्वयं सहायता समूह मदद करता है।
- यह सूचना का प्रमुख स्रोत है।
- एकता तथा दृढता द्वारा अनुभव का आदान–प्रदान होता हैं।

स्वयं सहायता समूह द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास

स्वयं सहायता समूह मिलकर अपने विकास हेतु स्वयं आवश्यक संसाधनों तथा क्षमताओं को विकसित करने की रणनीति है। इसमे व्यक्ति आत्म निर्भर होकर अपना विकास कर सकता है एवं सुरक्षित महससू कर सकता है। स्वयं सहायता समूह विभिन्न व्यक्तियों की विचारधाराओं तथा क्षमताओं का संगठन है। यह संगठन व्यक्तियों को अपनी निजी तथा सामूहिक आवश्यकताओं को एक समूह की परिधि में पूरा करने के अवसर प्रदान करती है। अनेक कार्य एवं समस्यायें ऐसी होती हैं जो कि किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने प्रयासों से हल करना दुष्कर होता है। विशेषतः गरीब वर्ग के व्यक्ति जिनका संसाधनों पर स्वामित्व अथवा पहुंच सीमित होती है;के लिए व्यक्तिगत प्रयासों से अपना जीवन स्तर सुधारने का कार्य अत्यन्त दुष्कर होता है। अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार के जरूरतमंद व्यक्ति मिलकर आसानी से अपने विकास एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु आवश्यक संसाधन तथा क्षमतायें प्राप्त कर सकते हैं।

Table No. - 1
A Typical SHG Model Household Resources

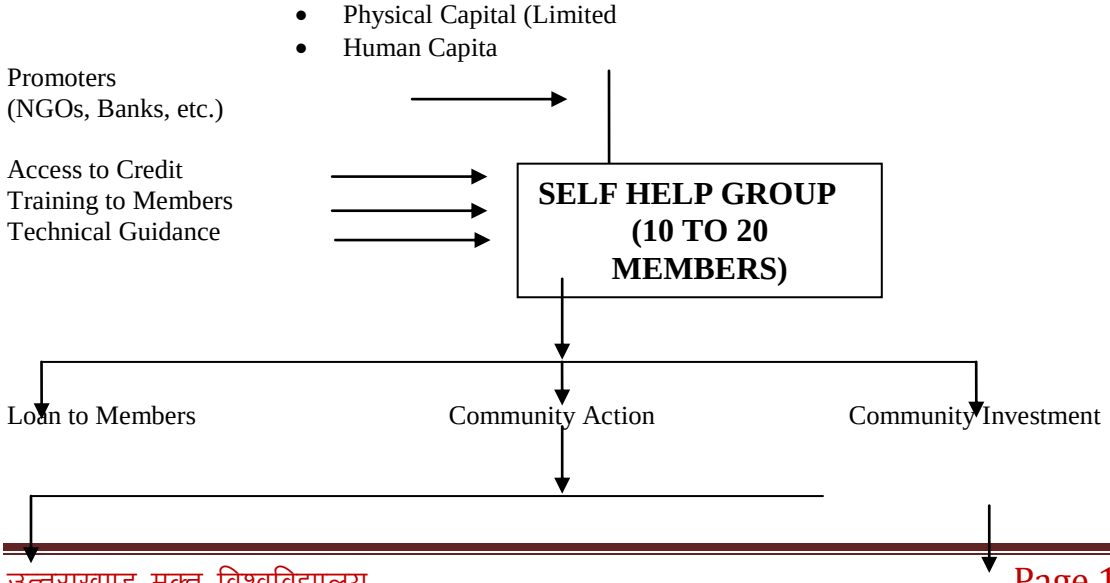

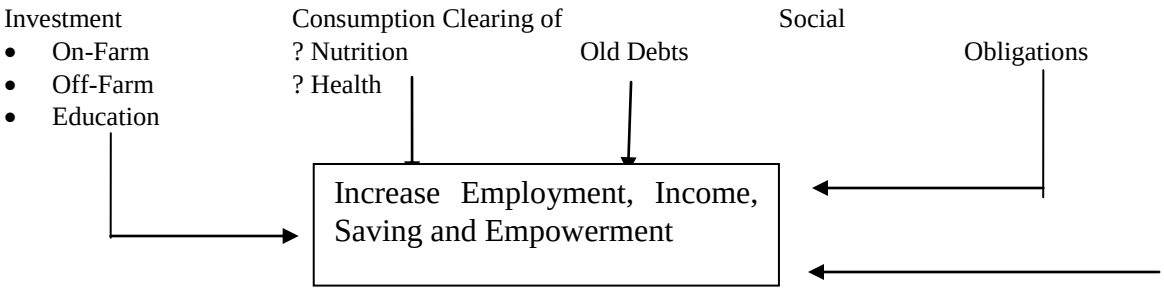

1950 के दशक में पूरे विश्व को तीन भागों में विभाजित किया गया था, विकासशील देश, विकसित देश एवं अविकसित देश। शुरूआती दौर मे विकास की यह परिकल्पना की गई कि विकासशील देशों एवं अविकसित देशो में कौशल एवं तकनीकी ज्ञान की कमी है, जिसको विकसित देशों द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर यह देश भी विकसित हो जायेंगे। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया जाता था कि विकास के लिए केवल तकनीकी ज्ञान ही आवश्यक है और विदेशों से तकनीकी ज्ञान लेकर विकासशील एवं अविकसित देश तरक्की कर सकते हैं। किन्तु जैसे–जैसे समय बीतता गया, अनुभवों द्वारा यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह अवधारणा बिल्कुल ही गलत थी और स्थानीय ज्ञान, स्थानीय संसाधनों एवं स्थानीय कौशल को नजरअंदाज किया जा रहा था जिसके कारण समाज में विकास को आत्मसात नहीं किया जा रहा था।

विकास पर किये तमाम शोधों से यह तथ्य निकल कर आया कि विकास का स्वामित्व, स्थानीय समाज क`पास हा`तभी सफल विकास संभव हो सकता है। आज सारे विश्व में सामाजिक वैज्ञानिकों में सहमति है कि विकास के लिए तकनीकी ज्ञान नही बल्कि मानव संसाधन अहम भूमिका निभाते है।

मनुष्य के अस्तित्व का स्वरूप सामाजिक है। मानव समाज के आरम्भ से ही मनुष्य हर कार्य के लिए किसी न किसी पर निर्भर रहता है और जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और अन्तर्क्रिया से एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गतिशील होते हैं तो समूह का निर्माण होता है।

आज विकास का केन्द्र बिन्दु ज्ञान नहीं बल्कि 'मानव' है। आज विकास में स्थानीय समाज की आवश्यकताओं को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। विकास की किसी परियोजना की सफलता के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि स्थानीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाये एवं स्थानीय समाज की आवश्यकताओं को सहभागी आंकलन द्वारा चिन्हित किया जाये। स्थानीय समाज की आवश्यकताअें को चिन्हित करने के पश्चात उनकी आवश्यकताओं की प्राथमिकताऐं निर्धारित की जाती हैं।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला समाज के निर्धनतम वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में आरम्भ में जो प्रयास किये गये वह इस सोच पर आधारित थे कि कि केवल संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास हो जायेगा किन्तु धीरे–धीरे अनुभवों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि टिकाऊ विकास के लिए यह

आवश्यक है कि लोगो में 'क्षमता वृद्धि' की जाये जिससे उनमें आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हो। इसलिए समाज के विकास के लिए ''स्वंय सहायता समूह'' की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है, और फिर हमारे सामने उदय हुआ आशा की किरणों का पुँज, जिसमें हम देखते हैं ''स्वंय सहायता समूह'' के प्रकाश को। जो उन व्यक्तियों का समूह है जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर है, जिनमें आत्म–सम्मान होता है, जिन्हें दया के पात्र बनना स्वीकार नहीं है। इस समूह के सदस्य अपने–अपने प्रयासों से अपनी आवश्यकताओं कीपूर्ति ही नही करना चाहते है बल्कि अपने विकास के क्षेत्र में भी दूसरों पर आश्रित न होकर स्वावलम्बी बनाना चाहते है।

निर्धन व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से बहुत कमजोर होता है किन्तु एक संगठन में आने के बाद उसमें एक सुरक्षा की भावना का संचार हो जाता है और समूहों के द्वारा सामूहिक निर्णय एवं सामूहिक प्रयास किया जाता है जिससे समूह में ही नहीं बल्कि समूह के प्रत्येक सदस्य का सशक्तीकरण एवं क्षमता वृद्धि होती है। संगठित होकर समूह द्वारा समाज में व्याप्त असमानताओं, विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा समूह के रूप में उनकी ऋण प्राप्त करने की क्षमता का भी विकास होता है ।समूह में रहने से प्रत्येक सदस्य मे बचत आदि वित्तीय क्रियाकलापों में अनुशासन आ जाता है। अगर कोई सदस्य ऋण लेता है तो उसके ऊपर सामाजिक दबाव रहता है कि वह ऋण की अदायगी निश्चित समय सारिणी के अनुसार करे। इसके अलावा समूह के संचालन, बचत, ऋण आदि वित्तीय क्रियाकलापों का संचालन समूह द्वारा ही किया जाता है जिसके कारण उनमें आत्मनिर्भरता की भावना का उदय होता है ।

स्वा– मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1.समाज कार्य हस्तक्षेप के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए?

2. स्वयं सहायता समूह के दो प्रमुख भागों का विवरणात्मक अध्ययन कीजिए?

स्वंय सहायता समूह की अवधारणा

समाज का एक बड़ा वर्ग है जो गरीब है, अशिक्षित है, जिसमें जागरूकता का अभाव है, असंगठित है, तथा संसाधनों पर नियंत्रण नहीं है। आरम्भ से ही इसी वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। अशिक्षा, कमजोर सेहत और सामाजिक दुराब से गरीबों की समस्याएं हमेशा बढ़ती हैं। उनके पास एक ही पूंजी होती है और वह होता है उनका श्रम। अभी तक उनके लिए आशा की कोई किरण नही थी, परन्तु गत कुछ वर्षों से 'स्वंय सहायता समूह'' कार्यक्रम के रूप में एक ऐसी कार्य योजना की शुरूआत की है जिससे यह निश्चित है कि लाखों लोगो के भाग्य मे नया सूर्योदय अवश्य होगा।

स्वंय सहायता समूह ऐसे सदस्यों का एक समूह है, जिनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी होती है। यह लोग अपनी इच्छा से एक समूह में

संगठित होकर, सामूहिक निर्णय के द्वारा समूह के कार्यकलाप जैसे बचत, ऋण प्रदान करना, व्यवसाय करना आदि के लिए दिशा निर्देश एवं नियम बनाते हैं। समूह का समस्त प्रबन्धन समूह के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। समूह की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समूह के सदस्यों में निश्चित किये गये उद्देश्यों के प्रति कटिबद्धता हो।

समूह व्यक्तियों को एक मंच देता है, जिसमें एक समान स्तर पर एवं समान आय वाले व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और अपने समूह के बारे में स्वंय निर्णय लेते हैं, समस्या पहचानते हैं, साथ ही समाधान भी करते हैं। आपस के मतभेदों को सुलझाते हुए समूह का सारा कार्य स्वयं संचालित होता है जिससे धीरे–धीरे समूह में अपनेपन की भावना का उदय होता है। समूह के सदस्य जब आपसी अनुभवों को बांटकर उनका विश्लेषण करते है तो समूह की सदस्यों में एक नई सोच उत्पन्न होती है। वास्तव में समूह सीखने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है।

समूह के सदस्य जब कार्यो को करते है और अपनी भूमिकाओं को निभाते है तो उनके अन्दर एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम भी बिना किसी बाहरी सहारे के आने कार्यो को कर सकते है, हमारे अन्दर भी असीमित क्षमताएं हैं और यही विश्वास परिवर्तन का आधार बनता है ।

स्वंय सहायता समूह की आवश्यकता

- जैसे बूंद–बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही सभी सदस्यों की थोड़ी–थोड़ी बचत इकट्ठी होकर बड़ी राशि बन जाती है।
- बचत ही विकास का पहला कदम है।
- नियमित बचत द्वारा सदस्यों के आर्थिक स्तर में सुधार व सहयोग की भावना, आपसी विश्वास तथा स्वावलंबन मे वृद्धि।
- छोटे ऋण का, समूह को आसानी से प्राप्त होना। ऋण किसी भी कार्य के लिए हो सकता है बैंक से ऋण मिलने में आसानी।
- आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण में समूह द्वारा मार्गदर्शन।
- आंतरिक ऋण से प्राप्त ब्याज का लाभ सभी सदस्यों को।
- छोटे रोजगार संबंधी जानकारी एवं मार्गदर्शन।
- विशेषज्ञों/सरकारी विभागों से साक्षरता, परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी समूह के रूप में प्राप्त करना।
- समूह से सहयोग की भावना, आपसी विश्वास, क्षमता तथा आत्मनिर्भरता का विकास।
- स्वंय के सर्वागीण विकास के साथ–साथ सहभागिता द्वारा समाज का भी विकास।

स्व मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1. स्वयं सहायता समूह की क्या अवधारणा है?
2. स्वयं सहायता समूह के विभिन्न प्रारूपों का विवरण दीजिए?

समूह का गठन एवं विकास

सहभागी आंकलन एवं लक्ष्य समूह में जागरूकता पैदा करने के पश्चात समूह गठन की प्रक्रिया का आरम्भ होता है। समूह के रूप में संगठित होने के पश्चात आवश्यक होता है कि गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को नियोजित किया जाय। समूह की गतिविधियों में सफलता मिलने पर इकटठे होकर कार्य करने की प्रवृत्ति को बल मिलता है और समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास जाग्रत होता है। लक्ष्य समूह गठित होने के पश्चात आवश्यक है कि समूह की नियमित बैठकें हों और इन बैठकों में समूह के उद्देश्यों, नियमों आदि को सदस्यों को स्पष्ट किया जाये। यह भी आवश्यक है कि समूह की जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं, कानून, स्वास्थ्य आदि की जानकारी भी लपलब्ध कराई जाये।

समूह की आवश्यकता

किसी भी समुदाय में निरन्तर विकास की आवश्यकता बनी रहती है अतः यह आवश्यक है कि समुदाय के विकास एवं सामुदाय की समस्याओं के समाधान हेतु सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर सामूहिक होकर सहभागिता निभायें। समूह एक ऐसा आधार है, जो व्यक्ति के प्रयासों, रूचियों एवं आवश्यकताओं को सामूहिक प्रक्रिया के रूप में संगठित एवं संचालित करता है। समूह की आवश्यकताओं पर निम्न बिन्दु प्रकाश डालते हैं।

(1) समूह के माध्यम स प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता एवं ज्ञान और अनुभव का समुचित उपयोग होता है।
(2) समूह संगठन एक छोटे प्रकार की कार्यशाला है, जिसमें सीखने और समझने की प्रक्रिया से आत्मनिर्भरता एवं क्षमताऐं विकसित होती हैं।
(3) समूह में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान करता है। जिस प्रकार एक एक ईट मिलकर एक भवन का निर्माण करता है उसी प्रकार समूह में व्यक्ति अपने विकास हेतु जुड़कर समुदाय को विकास के मार्ग पर अग्रसर करता है।
(4) समूह में कार्य करने से समय, धन और शक्ति तीनों की बचत होती है ।
(5) समूह में कार्य करने से व्यक्तियों में आत्मविश्वास एवं जोश की भावना विकसित होती है।

स्वंय सहायता समूह में बचत का महत्व

स्वंय सहायता समूह में बचत एक महत्वपूर्ण पक्ष है। समुदाय में सदस्यों के बचत करने से समुदाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, साथ ही सदस्यों में सामूहिक भावना का विकास भी होता है। बचत समूह के सदस्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य भी

करती है। समूह के सदस्यों की छोटी–छोटी बचत जुड़कर एक बड़ी धनराशि के कोष का निर्माण होता है, जिससे समूह में आर्थिक सुरक्षा का अनुभव किया जाता है और सदस्यों में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार होता है। जब समूह के सदस्यों की नियमित बचतों से उनकी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति होती है तो सदस्यों को विश्वास सामूहिक प्रक्रियाओं की ओर अधिक हो जाता है और समूह को स्थायित्व प्राप्त होता है। जिस समूह में बचत की प्रक्रिया जितनी अधिक होती है वह समूह उतना अधिक आत्मनिर्भर और स्थायी होगा क्योंकि वह समूह अपने सदस्यों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं।

सदस्यों की निर्धारित दर से की गई सामूहिक बचत द्वारा विकास कार्यो हेतु जो आवश्यक पूँजी विकसित होती है वह निजी बचत से संभव नही है। उदाहरण के लिए किसी समूह में 10 सदस्य रू0 100/– प्रतिमाह की बचत करते हैं तो एक वर्ष में रू0 12,000/– की धनराशि की बचत कर ली जायेगी। जबकि कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से वर्ष भर में इतनी बचत नहीं कर पायेगा। इसके साथ एकत्र हुई पूँजी को आवश्यकतानुसार ब्याज निर्धारित कर ऋण देकर ब्याज लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है जो सदस्यों का किये गये बचत पर लाभांश होगा।

समूह गठन की प्रक्रिया

किसी भी समूह का गठन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विभिन्न विचारधारा एवं क्षमता वाले व्यक्तियों को जोड़ने की प्रक्रिया ही समूह गठन की प्रक्रिया होती है। अतः यह आवश्यक है कि समूह के गठन से पूर्व समूह के सदस्यों के मध्य विस्तार से सभी मुद्दों पर विचार विमर्श होना चाहिए, जिससे समूह के गठन एवं संचालन हेतु एकमत से निर्णय लिया जा सके। यहाँ यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि जल्दबाजी में अथवा स्वार्थो से प्रेरित होकर किये गये समूह का गठन सफल नही होते है और जल्द ही ऐसे समूह टूट कर बिखर जाते हैं।

समूह गठन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में योजनाबद्ध तरीके से विस्तृत विचार विमर्श के बाद किया जाना चाहिए। समूह गठन की प्रक्रिया के समय कुछ निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक हैः–

समूह गठन हेतु व्यक्तियों अथवा वर्गों का चिन्हांकन

समुदाय में सभी प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं। कुछ अधिक सम्पन्न होते हैं, कुछ आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, कुछ शिक्षित होते हैं तो कुछ आशिक्षित भी होते हैं, कुछ अनुभवी एवं प्रौढ़ होते हैं तो कुछ नवयुवक होते हैं। अतः समूह गठन की प्रक्रिया के आरम्भ से ही यह प्रयास किया जाना चाहिए कि समूह गठन की प्रक्रिया में समान क्षमता, समान विचारधारा एवं आर्थिक एवं मानसिक रूप से समान व्यक्तियों को समूह के सदस्य के लिए चिन्हांकित किया जाये क्योंकि समान समस्याओं एवं मुद्दों वाले व्यक्ति आसानी से संगठित हो जाते हैं एवं उनका संगठन सफल एवं स्थायी होता है। इसलिए उचित होगा कि समान विचारधारा, सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों वाले व्यक्तियों को ही समूह में सम्मिलित किया जाये।

समूह गठन एवं सदस्यता प्राप्ति

(1) सदस्यों की संख्या
(2) सदस्यता हेतु मापदंड
(3) सदस्यता शुल्क का निर्धारण
(4) सदस्यता समाप्ति की परिस्थितियाँ
(5) सदस्यों के कर्तव्य एवं अधिकार
(6) समूह के पदाधिकारियों का चयन
(7) पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य
(8) पदाधिकारियों का कार्यकाल
(9) पदाधिकारियों को पदच्युत करने की परिस्थितियाँ
(10) समूह की बैठक हेतु स्थान एवं समय का निर्धारण

समूह गठन का प्रस्ताव

समुदाय में जन जागरण अभियान के पश्चात चिन्हांकित किये गये सदस्यों को एक बैठक का आयोजन कर समूह गठन के आशय का एक प्रस्ताव बनाया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव में समूह में सम्मिलित किये जाने वाले सदस्य, समूह के उद्देश्य, क्रियाकलाप एवं नियमावली पर चर्चा होनी चाहिए। यह प्रस्ताव इस बात का प्रतीक होगा कि सभी व्यक्ति स्वेच्छा से सामूहिक होकर, समुदाय की उन्नति के लिए कार्य करने को तैयार हैं। इस प्रस्ताव मे खाता खोलने हेतु बैंक का चयन भी किया जाना चाहिए।

समूह प्रबन्धन

स्वंय सहायता समूह के गठन का उद्देश्य समूह के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है जिसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि समूह के कार्य–कलाप एवं गतिविधियों का संचालन सामूहिक रूप से नियमित किया जाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी समूह का क्रिया–कलाप एवं गतिविधियों का नियमित संचालन ही समूह प्रबन्धन कहलाता है। समूह प्रबन्धन के अन्तर्गत समूह के सदस्य अपने क्षमता एवं संसाधनों से समूह क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के लिए प्रबन्ध करते हैं, जिससे समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है।

समूह प्रबन्धन के आधारभूत तत्व

किसी भी समूह की सफलता समूह के प्रबन्धन पर निर्भर करती है समूह के प्रबन्धन के लिए कुछ आधारभूत तत्व होते है जो समूह की क्रियाकलापों में गतिशील लाने में सहायक ही नहीं होते हैं वरन् समूह को स्थायित्व भी प्रदान करते हैं।

पारदर्शिता

किसी भी समूह के सफल प्रबन्धन के लिए यह बहुत आवश्यक होता है कि समूह के क्रियाकलापों में पारदर्शिता अपनाई जाये। जैसे समूह की आर्थिक स्थिति, समूह की व्यवस्था, साझाकोष का संचालन आदि कई महत्वपूर्ण कार्य होते है जिनमें पारदर्शिता रहती है तो समूह के सदस्यों के मध्य किसी अनावश्यक संदेह या शंका की संभावना नहीं रहती है।

समानता

यद्यपि किसी भी समूह में अलग–अलग सोच, क्षमता, अनुभव, वर्ग, के व्यक्ति समूह के सदस्य होते है परन्तु उनके मध्य आपस में समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस प्रकार समानता का व्यवहार रखे जाने से समूह के सदस्य समूह के हित में समान योगदान देने के तत्पर हो सकते है। इसके साथ इस बात की भी संभावना नही रहती है कि सूह का अमुक सदस्य अधिक प्रभावशाली है और उसे अधिक क्रियाशील होना चाहिए या कोई सदस्य अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है। समूह के संचालन के अन्तर्गत कार्यों के वितरण एवं दायित्वों का निर्वहन लगभग समान रहना चाहिए।

अपनत्व की भावना

किसी भी समूह के प्रबन्धन में समूह सभी सदस्य अपनी–अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि समूह के सदस्यों के मध्य आपस में अपनत्व की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार अपनत्व की भावना होने से समूह के सदस्य आपस में एक दूसरे से अधिक से अधिक सहयोग ले सकते हैं अथवा दे सकते हैं।

एकता

मात्र किसी भी समूह का गठन करना ही महत्वपूर्ण नही होता है बल्कि समूह का सफल प्रबन्धन महत्वपूर्ण होता है जिस पर समूह का अस्तित्व निर्भर होता है। अतः समूह के सफल प्रबन्धन के लिए समूह की सदस्यों की बीच एकता होनी चाहिए। यदि समूह के सदस्यों के मध्य आपस में एकता नही होगी तो वे एकजुट होकर समूह के संचालन/क्रियान्वयन में हिस्सा नही ले सकते है और समूह को प्राप्त होने वाले फलदायी परिणामों को प्रभावित कर सकते है।

समूह प्रबन्धन की आवश्यकता

समूह का गठन समुदाय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। समुदाय का उद्देश्य, समूह के सदस्यों का भी उद्देश्य होता है यद्यपि समूह के सदस्यों की सोच, विचारधारा, अनुभव, अपेक्षायें प्रायः आपस में मिलते नही हैं। परन्तु समूह में सम्मिलित होने के पश्चात यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि सभी सदस्य एकजुट होकर समूह के संचालन एवं समूह के क्रियान्वयन हेतु अपने उत्तरदायित्व को निभायें। समूह के कार्यों का प्रबन्धन सुचारू रूप से न होने पर सदस्यों में अपने कार्य एवं उत्तरदायित्व को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे समूह कमजोर हो सकता है।

लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया एवं नेतृत्व विकास

समूह की बैठक के दौरान समूह के क्रियान्वयन हेत निर्णय हेतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ध्यान रख जाना चाहिए अर्थात् समूह के निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। यह भी हो सकता है कि कुछ लोगो में वैचारिक मतभेद हो परन्तु उन मतभेदों को आपसी विमर्श द्वारा दूर किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार समूह मे नेतृत्व का विकास की संभावना बलवती होती है। यदि समूह के निर्णय पदाधिकारियों द्वारा अथवा प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं तो अन्य सदस्यों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो सकता है जो समूह के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अतः समूह के समस्त कार्य सदस्यों को विश्वास में लेकर सर्वसम्मति से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना कर सम्पादित किया जाना चाहिए।

सार संक्षेप

समुदाय के विकास कार्य हेतु अथवा किसी समस्या के समाधान हेतु अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर संगठित होकर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेक व्यक्तियों के संगठन को समूह कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के समुदाय में प्रायः जन सहभागिता दो स्वरूपों में परिलक्षित होती है। प्रथम स्वरूप वह है जो समुदाय में किसी समस्या के समाधान हेतु अथवा सांस्कृतिक उत्सव हेतु तात्कालिक आवश्यकतानुसार समूह का गठन किया जाता है। इस प्रकार के समूह अल्पकालिक होते हैं।

दूसरा स्वरूप समुदाय के विकास कार्यों को करने के लिए समूह का गठन किया जाता है। इस तरह के समूह भविष्य में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु जिम्मेदारियों एवं नियमों को ध्यान में रखकार गठित किये जाते हैं। इस प्रकार के समूह तात्कालिक एवं दीर्घकालिक समस्याओं को हल करने वाले होते है।

अभ्यास प्रश्न

1. स्वयं सहायता समह के गठन की क्या प्रक्रिया है?
2. समूह गठन की अवधारणा एवं आवश्यकता का विवरण दीजिए?
3. समाज में आर्थिक सम्पन्नता लाने में स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका है?
4. स्वयं सहायता समूहों से आप क्या समझते हैं इसके विभिन्न प्रारूपों का संक्षेप पूर्वक वर्णन कीजिए?
5. ग्रामीण ऋण व्यवस्था तथा महिलाओं की स्थिति को सुधारने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए?
6. स्वयं सहायता समूह के गठन की प्राक्रिया तथा गठन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए?

पारिभाषिक शब्दावली

Introduction	- परिचय	Flaxible	- लोचदार
Democratic	- जनतन्तंत्रीय	Utilization	- उपयोग

Evaluation	- मूल्यांकन	Progressive	- प्रगतिशील
Individualizatioin	- वैयक्तीकरण	Relation	- सम्बन्ध
Planing	- नियोजन	Clorification	- स्पस्टता

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Pepell, G.P. & Rathman, B.- Social Work with Groups
2.Trecker, H.B.- Social Group Work. Principles and Practice Newyork Association Press.
3.Toselane, R.W.- An Introduction to Group Work Practice.
4. Wilson, G. & Ryland, G.- Social Group Work Practice.
5. Samuel T. Gladding - Group Work, A Community Speciality.
6. Ronald W. Toseland & Robert F. Rivar: An Introduction to Group Work Practice, Manachuseths: Allyn & Baion.
7. Balgopal, P. and Vanil T. - Groups in Social Work: An Ecological Perspective, Newyork: Macmillan.
8. Harford, M.- Groups in Social Work.
9. Konopka, G.- Social Group Work: A Helping Process (3rd) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
10. सिंह, ए.एन. एवं सिंह, ए.पी.– समाज कार्य
11. Mishra, P.D. & Mishra Bina- Social Group Work Theory and Practice.
12. मिश्रा, प्रयागदीन– सामाजिक सामूहिक कार्य

अध्याय – 11

सामाजिक समूह कार्य में टीम बिल्डिंग
Team Building in Social Group Work

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य
11.1 परिचय
11.2 सामूहिक समाज कार्य में टीम बिल्डिंग
11.3 सामूहिक विकास के स्तर
11.4 कार्यकर्ता द्वारा परिस्थितजन्य नेतृत्व
11.5 सार संक्षेप
11.6 अभ्यास प्रश्न
11.7 पारिभाषिक शब्दावली
11.8 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

11.0 उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपः–

- सामूहिक समाज कार्य में टीम बिल्डिंग की अवधारणा को समझ सकेगें।
- सामूहिक विकास के स्तरों की व्याख्या कर सकेगें।
- कार्यकर्ता द्वारा परिस्थितजन्य नेतृत्व की कुशलताओं को सीख सकेगें।

11.1 परिचय

सामूहिक समाज कार्य–प्रणाली समूह के माध्यम से सेवार्थियों को सेवा प्रदान करती है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता तथा संस्था दोनों के लिए समूह एक आवश्यक साधन तथा यंत्र होता है जिसको उपयोग में लाकर वे अपने–अपने उदेद्श्यों को प्राप्त करते हैं। सामाजिक संस्था के अन्तर्गत अनेक समूह होते हैं जो सामूहिक समाज कार्य–प्रणाली का उपयोग अपनी कार्य–पद्धति में करते है। कार्यकर्ता के लिए इन समूहों का ज्ञान आवश्यक होता है। कुछ समूह तो स्थायी रूप से संस्था के अंग होते

हैं तथा कुछ अस्थायी रूप से संगठित किये जाते हैं। कुछ समूह आकार में काफी छोटे होते हैं, उनकी सदस्य संस्था सात–आठ या बारह होती है, तथा दूसरे आकार में बड़े होते हैं, उनके सदस्यों की संख्या पचास तक भी होती है। कुछ समूह बहुत संगठित होते है, उनके तौर तरीके तथा नियम निश्चित होते हैं तथा दूसरे इतने संगठित नहीं होते तथा उनका संगठन औपचारिकता पर ज्यादा निर्भर करता है। कुछ समूहों के कार्यक्रम बिल्कुल निश्चित होते है तथा कुछ समूहों में अधिकांश कार्यक्रम सामान्य होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या ये सभी प्रकार के समूह सामूहिक समाज कार्य के समूह है?

11.2 सामूहिक समाज कार्य में टीम बिल्डिंग

सामूहिक समाज कार्य–प्रणाली का विकास करने वालों ने सामूहिक समाज कार्य को एक विशेष प्रकार के समूह के साथ, जिसका आकार छोटा, घनिष्ठ संबंध तथा जिसमें एक उम्र व योग्यता के सदस्य होते हैं, कार्य करना बताया है। उनका यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि लघु, घनिष्ठ, परिचयपूर्ण तथा मित्रभाव पर आधारित समूह व्यक्तित्व'–विकास में अधिक प्रभावकारी होते हैं। यह कथन सत्य है, परन्तु केवल लघु समूह ही ऐसा समूह नहीं है जिसके साथ सामूहिक समाज कार्य–प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है।

सामाजिक संस्थाओं में उन समूहों के साथ सामूहिक समाज कार्य के तरीके का उपयोग किया जा सकता है जो व्यक्तियों की मान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित किये जाते है और वे इस प्रकार से संगठित होते है जिससे उनके सदस्य अपने उत्तरदायित्व को अधिकाधिक स्वीकार करते हैं तथा उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए मानसिक, सांवेगिक तथा शारीरिक रूप से तत्पर होते है। सामूहिक समाज कार्य केवल समूह की विशेषताओं पर ही निर्भर नहीं होता है, कार्यकर्ता तथा संस्था भी आवश्यक कारक है।

प्रारंभिक अवस्था में समूह के लिए संगठन बहुत ही सरल तथा औपचारिक होना चाहिए। समूह की संरचना सदस्यों की आवश्यकताओं तथा रूचियों पर आधारित होनी चाहिए तभी वे समूह के साथ अपनापन महसूस करेंगे तथा कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझेंगे। धीरे–धीरे संगठन जटिल होता जायेगा तथा सामूहिक समाज कार्य–प्रणाली का उपयोग बढ़ता जायेगा।

कार्यकर्ता प्रारंभिक अवस्था में समूह–सदस्यों को केवल मनोवैज्ञानिक आधार पर समूह को समझने में सहायता करता है। मुख्य रूप से यदि संस्था तथा कार्यकर्ताओं का उद्देश्य समूह को आत्म–कार्यात्मक बनने में सहायता करना है तो सामूहिक समाज कार्य–प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

11.3 सामूहिक विकास के स्तर

समूह एक गतिशील इकाई है। इसमें निरन्तर होते रहते हैं। कार्यकर्ता समूह–सदस्यों की इच्छाओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिससे वे उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हैं। अतः समूह कई

स्तरों से गुजरता है। कार्यकर्ता समूह के साथ वर्तमान विकास के स्तर से कार्य प्रारम्भ करता है तथा समूह की इच्छाओं व योग्यताओं के मधुर संबंधों के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ता है। इस सिद्धान्त के आधार पर अब यह प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार समझें कि समूह विकास के किस स्तर पर कार्य कर रहा है? हम किस प्रकार जानें कि वर्तमान समय में समूह क्या कार्य करने के लिए उपयुक्त है? हम किस प्रकार समझे कि समूह आगे बढ़ने के लिए तैयार है? कार्यकर्ता के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है?

अनुभवी सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूह–विकास के उन कई स्तरों को नामांकित कर सकता है जिससे सामूहिक कार्य–समूह गुजरता है। प्रारंभिक अवस्था में समूह अधिकांशतः व्यक्तियों को एकत्रित होने के गुणों का प्रदर्शन करता है, न कि समूह जैसे गुण का प्रदर्शन। अतः इस स्तर को 'पूर्व समूह' स्थिति या स्तर कह सकते हैं। यद्यपि इसका यह प्रमाण है कि ये व्यक्ति कुछ समय में समूह की विशेषताओं को ग्रहण कर लेंगे लेकिन इस स्तर पर सामूहिक चेतना (Group Consiciousness) बहुत ही निम्न होती है। ८

यक्ति अपनी–अपनी बातों में रूचि लेते हैं। परन्तु कार्यकर्ता उन सदस्यों या व्यक्तियों में एक इच्छा (Wish) को उत्पन्न करता है और यही समूह होने की प्रथम विशेषता है। जैसे–जैसे एक उद्देश्य, एक इच्छा या एक आवश्यकता की उत्पत्ति होती है वैसे–वैसे सामूहिक भावना बढ़ती जाती है। बाद के स्तरों में समूह घनिष्ठ सामूहिक भावना उत्पन्न करता है। यह सामूहिक भावना समूह की दशाओं पर निर्भर होती है। जिन स्थितियों तथा परिस्थितियों में समूह कार्य करता है उसी में सामूहिक भावनाएँ फूलती–फलती है।

एक निश्चित अवधि के पश्चात् अधिकांश समूह धीरे–धीरे विघटित हो जाते हैं। कार्यकर्ता यदि समूह के साथ स्वस्थ तरीके से कार्य करना चाहता है तो उसको इन स्तरों का अध्ययन निरन्तर करते रहना चाहिए। समूह के जीवन में कार्यकर्ता एक आवश्यक अंग है। वह चेतन या अचेतन स्तर पर समूह–विकास के स्तरों का निर्णय करता रहता है, अतः उसको आवश्यक रूप से इन स्तरों का ज्ञान होना आवश्यक होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि कार्यकर्ता के पास कौन से ऐसे यंत्र या साधन है जिनके द्वारा वह समूह–विकास के स्तरों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है या किन विधियों से समूह–विकास के स्तरों का सही निर्णय कर सकता है। इसका केवल एक ही तरीका है समूह–सदस्यों के व्यावहारिक प्रत्युत्तर। सदस्यों के सामूहिक तथा वैयक्तिक रूप से व्यावहारिक प्रत्युत्तरों को जानकर कार्यकर्ता इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि समूह किस स्तर से गुजर रहा है अथवा उसका वर्तमान स्तर क्या है? समूह–विकास के स्तर की विभिन्नता के अनुसार सामूहिक समाज कार्यकर्ता की भूमिका भी भिन्न–भिन्न होती है। कार्यक्रम भी स्तर के अनुसार आयोजित किए जाते हैं तथा अनुभवों में वृद्धि होती है।

कार्यकर्ता को समूह की प्रारंभिक अवस्था में या पूर्व–स्थिति में व्यक्तियों के व्यावहारिक प्रत्युत्तर (Behaviour response) किस प्रकार के होते हैं, यह जानना

चाहिए। यद्यपि समूहों में विभिन्नता होती है फिर भी सभी समूहों में कुछ व्यक्ति तो अपना पूर्व–व्यवहार करते ही हैं। प्रारंभिक अवस्था में भाग लेने–वाले की प्रवृत्ति में कमी होती है। सदस्यों में अधिक उत्साह नहीं होता है।

कार्यक्रमों तथा उद्देश्यों में अनिश्चितता होती है। हो सकता है कि सदस्य एक दूसरे का नाम भी न जानते हों। वास्तव में समूह को पता नहीं होता है उससे कौन–कौन लोग संबंधित हैं। नये समूह निरन्तर अपनी रूचि को पाने का प्रयास संस्था के माध्यम से या कार्यकर्ता के माध्यम से करते रहते हैं। वे उद्देश्य को बहुत ही जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं।

अतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न करते रहते हैं। वे आशा कर सकते है कि कार्यकर्ता समूह के समस्त कार्य का उत्तरदायित्व ग्रहण करें, या दूसरी तरफ समूह–सदस्य कार्यकर्ता को समूह के साथ कार्य करने की कम से कम अनुमति दें। प्रारंभिक अवस्था में यह भी संभव है कि समूह–सदस्य असुरक्षा तथा नैराश्य भावना का प्रदर्शन करें क्योंकि उनका इस प्रकार का प्रथम अनुभव होता है।

वे उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कार्यक्रम के संचालन मे संदेह कर सकते हैं। इस स्तर पर सम्पूर्ण समूह पर एक या दो सदस्य अपना आधिपत्य रखते हैं तथा अन्य सदस्य निष्क्रिय रूप से कार्य करते हैं। कभी–कभी समूह में छोटे समूह बन जाते है और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। व्यक्ति के रूप में सदस्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते हैं।

इस स्तर पर कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है तथा उसका संबंध इस स्तर से क्या है, कार्यकर्ता को इसे समझना चाहिए। कार्यकर्ता सबसे पहले इस बात का प्रयत्न करता है कि सदस्य उत्तर देने में कोई हिचकिचाहट न महसूस करें। वे स्वतंत्रतापूर्वक उत्तर देने में अवश्य समर्थ हों। जिस कार्य के लिए समूह एकत्रित हुआ है उसमें सभी सदस्य अपनापन महसूस करें। हो सकता है कि समूह सदस्य एक दूसरे का ज्ञान प्राप्त करने क लिए कार्यकर्ता की सहायता चाहते हों। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता उनकी सहायता परस्पर घनिष्ठ होने में करता है।

कार्यकर्ता अपने से पूछता है कि समूह–सदस्य क्यों एकत्रित होते हैं तथा उनका उद्देश्य क्या हैं और वे समूह के निर्माण की कितनी योग्यता एवं क्षमता रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं। उनमें समूह–निर्माण की कितनी रूचि है तथा वे क्या करना चाहते हैं, इत्यादि बातें कार्यकर्ता को जाननी चाहिए। कार्यकर्ता समूह–क्षमताओं को बताना है तथा सीमाओं से अवगत कराता है। उन कार्यक्रमों से भी अवगत कराता है जो समूह–उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे चलकर आवश्यक होते हैं।

प्रश्न है, समूह की उपरिलिखित स्थिति में कार्यक्रम किस प्रकार के हो जिससे सदस्यों में रूचि बढ़े तथा सामूहिक भावना का विकास हो। संगीत, खेल, ड्रामा तथा इसी प्रकार के कार्यक्रम लाभदायक होते हैं तथा सामूहिक भावना के विकास में सहायता करते हैं। इस स्तर पर कार्यक्रम–निर्धारण का उत्तरदायित्व मुख्यतः कार्यकर्ता का होता है, क्योंकि समूह का कोई निश्चित स्वरूप नहीं रहता। वह केवल लघु

क्रियाओं को सम्पन्न करता है जिसमें अधिक से अधिक सदस्य भाग लेते हैं तथा भाग लेने की दर में भी अधिकता होती है।

कार्यकर्ता समूह की सहायता संस्था से अवगत होने में करता है। वह समूह को साधनों एवं स्रोतों से अवगत कराता है। समूह संस्था के उद्देश्यों तथा स्वयं के उद्देश्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। सदस्य एक दूसरे से अपने–अपने अनुभव के विषय में बातचीत करते हैं तथा सम्पर्क बढ़ाते हैं। इस प्रकार कार्यकर्ता समूह की एक रूचि का पता लगाता है और भविष्य के लिए निर्देशन का पथ निर्धारित करता है जिसे समूह स्वीकार करता है।

जब व्यक्ति कई बार एक साथ एकत्रित हो लेते हैं, साधारण कार्यक्रमों में भाग ले लेते हैं तो सामूहिक विकास के लक्षण स्पष्ट दिखायी देने लगते हैं। विकास के स्तर, जिनसे समूह गुजरता है, सदैव परिवर्तनकारी होते हैं। प्रत्येक विकास–स्तर दूसरे स्तरों से विभिन्न तरीकों से अन्तः सम्बन्धित होता है। अतः जब मनोवैज्ञानिक रूप से समूह के सदस्य बनते हैं तब उसका निर्धारण करना कठिन होता है। यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती। साधारणतया सामूहिक विकास के लक्षण निम्नलिखित होते हैं :–

(1) सदस्य अधिकाधिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं।
(2) रूचि प्रदर्शित करते हैं।
(3) एक निश्चित स्थान पर तथा निश्चित समय पर मिलते हैं तथा निर्णय लेते हैं।
(4) औपचारिक संगठन का विकास करते हैं तथा समूह के कार्य का उत्तर–दायित्व ग्रहण करते हैं।

इसके पश्चात् वे समूह को अपना समूह कहने लगते हैं। बातचीत में अपने समूह का उदाहरण देते तथा अपनत्व महसूस करते हैं। चिंता कम हो जाती है तथा सदस्य एक दूसरे के सम्पर्क में आने में अधिक अच्छाई महसूस करते हैं। उन्हें सम्बन्ध–स्थापन में सुख मिलता है तथा अहं की संतुष्टि होती है। कार्यकर्त्ता से भी वे आसानी से सम्बन्ध बना लेते हैं। वे समूह का विशेष नाम रखने का प्रयास करते हैं जिससे परिचय आसानी से दिया जा सकता है। सम्पूर्ण समूह में सदस्यों के प्रत्युत्तर अधिक उत्साही होते हैं तथा वे अधिक भाग लेने लगते हैं। उनके भाग लेने का क्षेत्र बढ़ जाता है। कुछ व्यक्ति नेतृत्व का उत्तरदायित्व ग्रहण करने लगते हैं तथा अन्य ऐसे गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिनका उपयोग समूह–विकास के लिए किया जा सकता है। समूह अधिक जटिल कार्यक्रम चाहने लगता है तथा अपने सम्बन्धों का विस्तार संस्था के अन्य समूहों तक भी करता है। समूह के विकास के इस स्तर पर कार्यकर्त्ता की भूमिका भिन्न हो जाती है।

कार्यकर्त्ता यह जानने के लिए सजग रहता है कि समूह में क्या घटित हो रहा है और वह सदस्यों को उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिक गति से विकास पर वह रोक लगाता है क्योंकि उसका विश्वास होता है कि समूह जिस कार्य को करने के लिए सबल है वह उससे अधिक कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है।

अधिक तीव्र गति में समूह नियंत्रित नहीं कर सकता है। इस अवस्था में अधिक लम्बी अवधि के कार्यक्रम कार्यकर्त्ता आयोजित करता है तथा संगठन में जटिलता के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्थात् कार्यक्रम में जटिलता आनी प्रारंभ हो जाती है। इस समय समूह की प्रारंभिक सफलता देखी जा सकती है। यह सफलता भविष्य की सफलता के लिए आवश्यक होती है।

कार्यकर्त्ता मुख्य रूप से समूह से उत्पन्न होने वाले नेतृत्व का अध्ययन करता है तथा उचित नेतृत्व के विकास में सहायता करता है। वह उस समय बाहर से व्यक्तियों का निरीक्षण भी करता रहता है तथा उनकी सामूहित कार्यों में रूचि बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है। यहां पर एक बात विशेष महत्व की है कि समूह बहुत कम निरन्तर विकास करता रहता है या कार्यकर्त्ताओं को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाता है। उसका एक समय असफलता या बाधा का अवश्य होता है जिसमें उसकी क्रियाएं अवरूद्ध हो जाती हैं।

कार्यकर्त्ता ऐसे समय का मुख्य रूप से अध्ययन करता है तथा लम्बी अवधि के कार्यक्रम में विशेष रूप से ध्यान रखता है। कभी–कभी समूह सदस्य उद्देश्य प्राप्त करने की स्थिति में पहुँच जाते हैं तथा वे आराम चाहने लगते हैं। बिना आराम के आगे कार्य करना नहीं चाहते हैं। इस बात का ज्ञान कार्यकर्त्ता के लिए आवश्यक होता है।

विकास का तीसरा स्तर वह है जब समूह स्थायित्व तथा परिपक्वता के गुण प्रदर्शित करता है। अधिक से अधिक संख्या में सदस्य क्रियाओं में उपस्थित रहते हैं। वे उद्देश्य प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करते हैं तथा कार्य का आकार अधिक से अधिक विस्तृत होता है। सदस्यों की योग्यताओं एवं क्षमताओं के अनुसार अधिक से अधिक भागीकरण होता है अर्थात् सदस्य अपनी इच्छा से पूरी क्षमता से समूह–क्रियाओं में भाग लेते हैं। समूह दूसरे समूहों से परिचय प्राप्त करना चाहता है तथा अन्य समूहों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इस अवस्था में फिर कार्यकर्त्ता की भूमिका परिवर्तित हो जाती है। अधिकांश उत्तरदायित्व समूह स्वयं ग्रहण करता है। समूह अपने उद्देश्यों का निर्धारण तथा कार्यक्रर्मों का विकास करता है जिसके परिणामस्वरूप उद्देश्य प्राप्ति के लक्षण आते जाते हैं।

कार्यकर्ता सदैव सहायता के लिए तैयार रहता है। जब समूह आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है तो कार्यकर्त्ता उनको अपने अनुभव एवं ज्ञान द्वारा विभिन्न स्थितियों से अवगत कराता है तथा अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करने की सलाह देता है। जब सदस्य अपनी अक्षमताओं को दूर करने तथा कार्य में सुधार लाने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं तब वे विकास के उच्च स्तर पर पहुँच जाते हैं। जो कार्यक्रम अब तक समूह केन्द्रित होते थे वे संस्था तथा समुदाय केन्द्रित होने लगते हैं तथा समूह में विशेषीकरण उत्पन्न हो जाता है।

यहाँ पर कार्यकर्ता संस्था तथा समुदाय के स्रोतों से सम्बन्धित ज्ञान का उपयोग करता है वह समूह में व्याख्याकार का कार्य करता है। वह समूह का मूल्यांकन भी करता है क्योंकि समूह में कार्यक्षमता उत्पन्न हो जाती है।

संतोषजनक अनुभव के पश्चात् एक स्थिति ऐसी आती है जब समूह में विघटन उत्पन्न हो जाता है जिसको कार्यकर्त्ता भी देख सकता है। समूह अपना कार्य समाप्त

करना चाहता है, उपस्थिति कम होती जाती है, सदस्य सदस्यता छोड़ने लगते हैं तथा दूसरे समूहों से सम्बन्ध स्थापित करने लगते हैं। यह समय कार्यकर्ता के लिए बहुत सोचने विचारने का होता है। यदि वह स्वाभाविक विघटन को गलत ढंग से समझा गया या कार्यकर्ता इसको अपनी असफलता समझ बैठा या उसने समूह की असफलता को समझा तो विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकता है।

ऐसा हुआ तो समूह तथा कार्यकर्ता दोनों अपने को अपराधी महसूस करेंगे तथा एक दूसरे के प्रति अथवा संस्था के प्रति उग्र हो जायेंगे। अतः कार्यकर्ता को सही रूप में देखना चाहिए कि परिवर्तन के समय समूहों में क्या घटित हो रहा है तथा सामूहिक जीवन में क्या अनुभव हो पाया है।

सारांश में हम कह सकते हैं कि समूह विकास के 6 स्तर होते हैं :

(1) प्रारंभिक स्थिति में प्रथम बार व्यक्ति एक साथ एकत्रित होते हैं।
(2) दूसरी अवस्था में सदस्यों में कुछ सामूहिक भावना का विकास होता है, संगठन का रूप निश्चित होता है तथा कार्यक्रम निश्चित होकर प्रारंभ किये जाते हैं।
(3) शर्तों एवं नियमों का विकास होता है, उद्देश्य विकसित होते हैं तथा घनिष्ठता बढ़ती है।
(4) घनिष्ठ सामूहिक भावना का विकास होता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।
(5) रुचियों में कमी आ जाती है तथा सामूहिक भावना में भी कमी आती है।
(6) अन्त में समाप्त का स्तर आता है और समूह को विघटित कर दिया जाता है।

11.4.1 मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना

प्रारम्भ में सामूहिक समाज कार्य मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं से संबंधित था। वे ही क्रियाएँ न्यायोचित समझी जाती थीं जिनसे समूह की आर्थिक समस्या का समाधान होता था परन्तु धीरे–धीरे अनुभव किया जाने लगा कि अन्य आवश्यकताएँ भी महत्वपूर्ण हैं और उनकी पूर्ति भी उतनी ही आवश्यक है, जैसे प्रेम की आवश्यकता (Need of Love), सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता (Need of feeling security) तथा प्रसन्नता प्राप्त करने की आवश्यकता (To have enjoyment) आदि।

सामूहिक कार्य का विकास उन्नीसवीं शताब्दी में उस समय हुआ जब सामाजिक सुधार (Social reform) पर जोर दिया गया तथा श्रमिकों में जागृति उत्पन्न हुई। यह स्वीकार किया गया कि लोगों के लिए आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सेवाएँ भी आवश्यक हैं। अतः यंग मेन क्रिश्चियन ऐसोसिएशन, यंग वीमेन क्रिश्चियन ऐसोसिएशन, गर्ल्स स्काउट (Y.M.C.A., Y.W.C.A., Girls Scout) इत्यादि की स्थापना हुई।

11.4.2 एकान्तता की समस्या का समाधान करना

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य एकान्त में रहना पसंद नहीं करता। परन्तु वह इस प्रकार रहना तभी पसंद करता है जब उसमें यह विश्वास हो कि वह सभी के द्वारा स्वीकृत है। परन्तु अधिकांश व्यक्ति एकान्त पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी समूह में रहते हैं। आज की परिस्थिति में जहाँ नगरीकरण इतना बढ़ रहा है,

एकाकी जीवन एक समस्या बन गया है। कभी–कभी मनुष्य की बुरी आदतें भी बन जाती हैं। सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूह के माध्यम से इस समस्या का समाधान करता है।

11.4.3 व्यक्ति को महत्व देना

प्रत्येक मनुष्य की यह आन्तरिक इच्छा रहती है कि उसका कुछ महत्व हो और वह भी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। इच्छा की पूर्ति समूह में रहकर तथा संबंधों के स्थापित होने पर ही संभव है। यह समस्या वृद्धावस्था में और भी जटिल हो जाती है। बच्चों के साथ भी यह समस्या रहती है। परिवार में उचित स्थान न पाने से बच्चे असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। सामूहिक समाज कार्य द्वारा बच्चों की विरोधी शक्तियों, शंका और डर आदि की भावनाओं को स्पष्ट किया जाता है और इसके माध्यम से रचनात्मक भावनाओं का विकास किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का कार्य अलग–अलग होता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना जाग्रत होती है।

11.4.4 स्वीकृति प्रदान करना

प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसे समूह में समाज में स्वीकृत किया जाये, उसे उचित स्थान मिले और कार्य करने के लिए उचित अवसर देकर समाज उसे स्वीकार करे। जब समाज और समूह किसी व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान नहीं करते तो वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है जिससे वह समाज–विरोधी गतिविधियों का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह समाज की मान–मर्यादा, कानून इत्यादि की परवाह किए बिना अपनी इच्छा–पूर्ति के लिए अवैध और अनुचित ढंग अपनाता है। वह अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है।

डा0 नाथन ऐकर्मेन तथा मेरी जोहोडा (Dr. Nathan Ackerman and Maree Johoda) ने मनोविश्लेषण तथा अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि रोगियों में आत्मसम्मान की कमी होती है और वे एकान्तता से पीड़ित होते हैं। वे स्वयं अपने को अस्वीकृत करते और दूसरों से रूष्ट होते हैं।

सामूहिक समाज कार्य में व्यक्ति को उचित स्थान प्रदान किया जाता है। समूह में संबंध स्थापित होते हैं और समूह के सदस्य परस्पर एक दूसरे को इसका आवश्यक अंग समझते हैं। इसीलिए उन रोगियों को समूह से अधिक लाभ होता है जो मानसिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं।

11.4.5 आत्मविश्वास का विकास करना

व्यक्ति में आत्मविश्वास का होना परम आवश्यक है। इसके बिना न तो स्वयं कोई कार्य कर सकता और न जोखिम उठाने के लिए तैयार हो सकता है। सामूहिक समाज कार्य द्वारा व्यक्तियों में इस गुण का विकास किया जाता है। जब समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग–अलग कार्य प्रदान किया जाता है तो उसे पूर्ण करने की क्षमता उसमें स्वतः विकसित होने लगती है और आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। यह केवल अनुभव के द्वारा होता है।

11.4.6 आत्म–निर्भरता विकसित करना

आत्म–निर्भरता भी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। जब तक वह स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकेगा या उसके सम्पन्न होने के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकेगा तब तक वह अपना विकास नहीं कर सकता। सामूहिक कार्य में व्यक्ति को इस शक्ति के विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त होता है। उसे अपना कार्य पाने से लेकर इसकी पूर्ति का निर्णय होने तक पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। समूह के लिए वह अपनी शक्तियों का खुलकर प्रयोग कर सकता और उनका विकास कर सकता है।

11.4.7 सामंजस्य स्थापित करना

व्यक्ति समूह में रहता है तथा उसी की इच्छानुसार कार्य करता है। अतः समाज के साथ सामंजस्य का होना नितान्त आवश्यक होता है। सामूहिक अनुभव के द्वारा व्यक्ति को सामंजस्य स्थापित करने की कुशलता प्राप्त होती है। सामूहिक कार्य द्वारा कार्यकर्ता व्यक्ति की उन कमियों का पता लगाता है, जिसके कारण वह सामंजस्य स्थापित करने में विफल होता है। ये कारण निम्न हो सकते हैं :–

1. व्यक्ति में बहुत अधिक शासन करने की इच्छा होती है।
2. व्यक्ति का निष्क्रिय होना तथा अपनी स्थिति को अस्वीकार करना।
3. दूसरे पर निर्भर होने की प्रवृत्ति।
4. अपने उत्तरदायित्व को पूरा न कर पाना।
5. प्रत्युत्तर का नकारात्मक होना।
6. दूसरों की सत्ता को स्वीकार न करना।
7. केवल अपने लिए ही साधनों का प्रयोग करना।
8. काल्पनिक लोक में विचरण करना।

सामूहिक समाज कार्य द्वारा व्यक्ति की इन कमियों को दूर कर सामान्य गुणों का विकास किया जाता है। सामूहिक समाज कार्यकर्ता समूह के अनुभव एवं कार्यक्रमों द्वारा व्यक्ति का समूह के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और इस प्रकार व्यक्ति समाज में सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है।

11.4.8 निर्भरता को स्वीकार करना

व्यक्ति में कभी–कभी विशेष परिस्थितियों के कारण स्थायी निर्भरता आ जाती है। वह समाज पर निर्भर रहकर ही अपना जीवन–यापन करता है। अपंग हो जाना, अंधा हो जाना इत्यादि ऐसी परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों में व्यक्ति बहुत अधिक परेशान हो जाता है जिससे वह अपनी जिन्दगी को अभिशाप समझने लगता है।

सामूहिक समाज कार्य के माध्यम से कार्यकर्ता उसमें ऐसी शक्तियों को उत्पन्न करता है जिससे वह कमी को स्वीकार करने में सफल होता है। वह समूह में व्यक्तियों को स्थान देकर उनमें ऐसी भावनाओं का विकास करता है जिससे वे शेष जिन्दगी को सुखमय बना सकें। सामूहिक अनुभव द्वारा व्यक्ति में नवीन चेतना का विकास होता है और जिन्दगी में नई आशाएँ बँधती हैं।

11.4.9 समग्र का भाग होने की इच्छा की पूर्ति करना

व्यक्ति की सदैव यह इच्छा रहती है कि वह समाज का एक आवश्यक अंग बन सके और उसकी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सके। सामूहिक समाज कार्य–अनुभव द्वारा वह इस समग्र का भाग पहले बनता है जिसका कि वह यह रूप है और धीरे–धीरे उसकी महत्ता प्राप्त करने की इच्छा की पूर्ति होती है।

11.4.10 सामाजिक संबंधों को दृढ़ एवं मधुर बनाना

समाज संबंधों का जाल है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बँधा हुआ है। इसी संबंध के आधार पर समाज के कार्यों का संचालन होता है। परन्तु कभी–कभी सम्बन्ध इतने बिगड़ जाते हैं कि बहुत अप्रिय घटनाएँ तक घटित हो जाती हैं, आन्दोलन होते हैं और क्रान्ति तक हो जाती है। सामूहिक समाज कार्य के द्वारा व्यक्तियों के असंतोष के कारण का पता लगाकर उनके बीच उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को दूर कर संबंध दृढ़ एवं मधुर बनाए जाते हैं।

11.4.11 मनोसामाजिक समस्याओं को दूर करना

सामूहिक समाज कार्य का प्रयोग मानसिक रोगियों के साथ भी किया जाता है। समूह में केवल वे ही सदस्य भाग लेते हैं जो मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं, लोगो में मिल नही सकते तथा विमुख रहते हैं। सामूहिक समाज कार्यकर्ता उनमें मैत्रीपूर्ण सद्भावना का विकास करता है। परस्पर निर्भर क्रियाओं में रोगी अपने को सुरक्षित महसूस करता है। जब वह यह देखता है कि उससे भी अधिक लोग पीड़ित है तो उसे कुछ संतोष मिलता है। वह यह अनुभव करता है कि उसकी कठिनाइयाँ उसकी असफलताओं के कारण ही नहीं है। रोगी में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाने पर उसमें समूह से संबंध स्थापित करने की इच्छा जागृत होती है तथा चिन्ताएँ कम होती हैं। उसमें तत्परता का विकास होता है और समस्याओं का बोझ हल्का हो जाता है।

11.4.12 प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना

प्रजातंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जन–जीवन इससे कितना प्रभावित है। समानता, समान अवसर, स्वतंत्रता तथा उन्नति के समान अवसर प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांत है। सामूहिक समाज कार्य में इन सभी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। समूह में सदस्यों को भाग लेने के समान अवसर मिलते है। स्वयं को निर्णय लेने का अधिकार भी होता है। कार्यक्रम को सम्पन्न करने की विधि की भी स्वतंत्रता होती है। विकास का मार्ग केवल समूह–कार्यकर्ता द्वारा निर्देशित होता है।

11.4.13 मनोरंजन प्रदान करना

सामूहिक समाज कार्य का शुभारम्भ मनोरंजक कार्यों से ही हुआ। लोग एक समूह के रूप में क्लब में एकत्र हुए और मनोरंजन के लिए उन्होंने विभिन्न कार्यों का आयोजन किया। सामूहिक समाज कार्य द्वारा आज बच्चों, युवकों एवं वृद्धों को मनोरंजन भी प्रदान किया जाता है जो स्वस्थ विकास एवं उन्नति के लिए परमावश्यक है ।

11.4.14 व्यक्तित्व का विकास करना

व्यक्तित्व पर पर्यावरण एवं वंशानुक्रमण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जीवन के प्रारंभिक समय में वंशानुक्रमण का प्रभाव अधिक पड़ता है परन्तु बाद में पर्यावरण ही व्यक्तित्व के विकास में अपना प्रभाव डालता है। सामूहिक समाज कार्य का मूल उद्देश्य व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना होता है जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम (सम्भव) विकास हो सके।

11.5 सार संक्षेप

आज बड़े–बड़े शहरों में लोग एक दूसरे को बिलकुल नहीं जानते और न कोई संबंध रखते हैं। सामूहिक समाज कार्यकर्ता लोगों को समूह के रूप में एकत्रित करता है और उनमें किसी विशेष रूचि के कारण संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार उस एकाकीपन की समस्या का समाधान हो जाता है जो मनुष्य के लिए बहुत ही दुखदायी है। समूह में लोग पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं जिससे सुरक्षा की भावना का विकास होता है तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है।

11.6 अभ्यास प्रश्न

1. सामंजस्य स्थापन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा कीजिये ?
2. सामूहिक समाज कार्य में टीम बिल्डिंग की क्या भूमिका है ?
3. सामूहिक विकास के विभिन्न स्तरों की विवेचना कीजिए ?
4. सामूहिक समाज कार्यकर्ता द्वारा परिस्थितजन्य नेतृत्व की विवेचना कीजिए ?
5. मनोसामाजिक समस्याओं को दूर करने के उपायों पर चर्च कीजिये ?

11.7 पारिभाषिक शब्दावली

पर्यावरण	: पास परोस, प्राथमिक तथा द्वितीयक संस्थायें
पारिस्थितिकी	: परिवार, समूह, समुदाय तथा संस्थाओं से व्यक्ति की अन्तःक्रियात्मक स्थिति।
सिस्टम्स	: सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक ढाचॉ, सामाजिक तंत्र।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Pepell, G.P. & Rathman, B.- Social Work with Groups
2.Trecker, H.B.- Social Group Work. Principles and Practice Newyork Association Press.
3.Toselane, R.W.- An Introduction to Group Work Practice.
4. Wilson, G. & Ryland, G.- Social Group Work Practice.
5. Samuel T. Gladding - Group Work, A Community Speciality.
6. Ronald W. Toseland & Robert F. Rivar: An Introduction to Group Work Practice, Manachuseths: Allyn & Baion.
7. Balgopal, P. and Vanil T. - Groups in Social Work: An Ecological Perspective, Newyork: Macmillan.

8. Harford, M.- Groups in Social Work.
9. Konopka, G.- Social Group Work: A Helping Process (3rd) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
10. सिंह, ए.एन. एवं सिंह, ए.पी.– समाज कार्य
11. Mishra, P.D. & Mishra Bina- Social Group Work Theory and Practice.
12. मिश्रा, प्रयागदीन– सामाजिक सामूहिक कार्य

इकाई–12

सामाजिक सामूहिक कार्य में संस्था की भूमिका
Role of Agency in Social Group Work

इकाई की रूपरेखा
12.1 उद्देश्य
12.2 परिचय
12.3 सामाजिक सामूहिक कार्य में संस्था की भूमिका
12.4 सामूहिक कार्य प्रणाली
12.5 सामाजिक संस्थाओं के प्रकार
12.6 सामाजिक सामूहिक कार्य संस्था की मुख्य विशेषताएं
12.7 संस्था के अंग
12.8 संस्था के कार्य
12.9 संस्था के अधिशासीय कार्य
12.10 कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवाएं
12.11 सार संक्षेप
12.12 अभ्यास प्रश्न
संदर्भ ग्रन्थ सूची

12.1 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :–

- सामाजिक सामूहिक कार्य में संस्था की भूमिका को समझ सकेगें।
- सामूहिक कार्य प्रणाली को समझ सकेगें।
- सामाजिक संस्थाओं के प्रकारों की व्याख्या कर सकेगें।
- सामाजिक सामूहिक कार्य संस्था की मुख्य विशेषताओं को लिख सकेगें।
- संस्था के अंगों की जानकारी प्राप्त कर सकेगें।
- संस्था के कार्यों की व्याख्या कर सकेगें।
- संस्था के अधिशासीय कार्यों को समझ सकेगें।
- कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेगें।

12.2 परिचय

व्यक्तियों के लिए सामाजिक संस्थाएं यन्त्र का कार्य करती है। इनके द्वारा वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करते है। तथा विकास की ओर बढ़ते है। ये संस्थायें व्यक्तियों व समूहों की कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है तथा उनका प्रतिनिधित्व करती है। वे आवश्यकताएं सामाजिक दशाओं के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। साधारणतया सामाजिक संस्था एक अलाभकारी संस्था होती है जो लोगों की सेवा के लिए उनकी सहायता एवं मान्यता से कार्य करती है। इसका उददेश्य कुछ मुख्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। संस्था की आवश्यकता समाज के अधिकांश व्यक्ति महसूस करते है। यह संस्था समाज कार्य व्यवसाय की निपुणताओं का उपयोग करती है। जो आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है।

12.3 सामाजिक सामूहिक कार्य में संस्था की भूमिका

सामाजिक सामूहिक कार्य के तीन प्रमुख अंग है – **1.** कार्यकर्ता **2.** समूह एवं **3.** सामाजिक संस्था। इन तीनों अंगो का मुख्य उददेश्य लगभग समान है क्योंकि वे एक दूसरे पर आश्रित है। सामाजिक संस्था द्वारा ही कार्यकर्ता समूह को सेवा प्रदान करता है। अतः उसके उददेश्य एवं समूह के उददेश्य संस्था की प्रकृति पर निर्भर होते है। कार्यकर्ता को जिस सीमा तक संस्था के विषय में ज्ञान होता है। वह अपनी सेवाओं को समूह के साथ उसी सीमा तक सम्पन्न करता है। समाज कार्य दर्शन– संस्था, कार्यकर्ता एवं समूह को प्रभावित करता है। चूंकि कार्यकर्ता संस्था का कर्मचारी होता है। अतः वह सामाजिक साामूहिक कार्य की निपुणताओं का उपयोग संस्था प्रतिनिधि के रूप में करता है। समुदाय में उसकी सेवाओं को आवश्यक माना जाता है तथा संस्था उन सेवाओं को प्रदान करने का साधन मानी जाती है।

सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास सामाजिक संस्थाओं द्वारा ही हुआ है अतः सामाजिक सामूहिक कार्य सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं में उपयोग में लाया जाता है। इन संस्थाओं के स्वरूप अलग–अलग हो सकते है, परन्तु उददेश्य लगभग समान होते है; उदाहरण के लिए चरित्र निर्माण कार्य, सामूहिक कार्य, खाली समय का कार्य, मनोरंजनात्मक तथा शिक्षणात्मक कार्य एवं युवकों सम्बन्धी सेवाएं। इन क्षेत्रों से सम्बन्धित संस्थाएं सामाजिक सामूहिक कार्य प्रणाली का उपयोग करती है। इन संस्थाओं के अतिरिक्त अब नयी–नयी संस्थाएं सामाजिक सामूहिक कार्य का उपयोग अपने व्यवहार में करने लगी है, जिनमें चिकित्सालय ,दवाखाना, बालरक्षा संस्था, राज्य सुरक्षा गृह, सुधारात्मक भवन, विकास योजना, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, पारिवारिक जीवन शिक्षा संस्थाएं कुछ प्रमुख है। सामाजिक व्यवस्थापन गृह सामुदायिक केन्द्र बालक –बालिकाओं के क्लब ब्वाय स्काउट्स, गर्ल स्काउट्स वाई0एम0सी0ए0 तथा वाई0डब्लू0सी0ए0 आदि ऐसी संस्थाएं है जो सामाजिक सामूहिक कार्य प्रक्रिया का उपयोग करती है। श्रम कल्याण केन्द्र बाल संस्थाएं विद्यालय इत्यादि भी सामूहिक कार्य प्रणाली का उपयोग करने लगे है।

समाज कार्य प्रणालियों के विकास के लिए यह सत्य है कि पहले सेवाओं की आवश्यकता महसूस हुई इसके पश्चात इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थाओं का निर्माण हुआ। जब वे कार्य करने लगी तो इनकी कार्य पद्धति का अध्ययन किया

गया तथा जो पद्धति उददेश्यों की पूर्ति के लिए अनुकूल एवं वांछनीय हुई उसके उपयोग पर बल दिया गया। सामूहिक कार्य पद्धति सबसे अधिक अनुकूल सिद्ध हुई। इस प्रकार सामाजिक सामूहिक कार्य का विकास हुआ। सामाजिक सामूहिक कार्य की उत्पत्ति चूंकि ऐच्छिक सामाजिक संस्थाओं में हुई अतः लोग सोचते है कि उसकी उपयोगिता केवल संस्थाओं तक ही सीमित है। इसकी उत्पत्ति वाली संस्थाएं प्रारम्भ में बच्चों तथा किशोंरो के विकास के लिए प्रयत्नशील थी अतः यह भी समझा जाता है कि सामाजिक सामूहिक कार्य बच्चों तथा किशोरों के लिए ही उपयुक्त है, युवकों के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त चूंकि सामाजिक संस्थाओं का मुख्य उददेश्य मनोरंजन प्रदान करना है। अतः कुछ लोग सामूहिक कार्य को मनोरंजन का साधन समझते है वास्तव में सामाजिक कार्य एक मूल्यवान तरीका है जो ऐच्छिक तथा अनैच्छिक संस्थाओं के लिए, सभी आयु के सदस्यों के समूहों के लिए तथा न केवल मनोरंजन के लिए वरन् सभी कार्यों के लिए उपयुक्त है।

12.4 सामूहिक कार्य प्रणाली

सामूहिक कार्य प्रणाली व्यक्तियों समूहों के साथ कार्य करने का एक तरीका है। इसको समूहों तथा व्यक्तियों के सम्बन्धों के साथ कार्य करने की एक प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह मौलिक रूप से सामूहिक प्रक्रिया के सिद्धान्तों पर आधारित है, अर्थात् इसका आधार व्यक्तियों की अन्तःक्रिया है जों सामूहिक स्थिति में उत्पन्न होती है। सामूहिक कार्यकर्ता वास्तव में सामूहिक अन्तःक्रिया से सम्बन्धित होता है तथा इसके अतिरिक्त उस प्रभाव से भी जो सदस्यों व समूहों पर पड़ता है। वह न केवल उन सम्बन्धों को देखता है वरन् उनको निर्देशित करने का भी प्रयत्न करता है। वह समूह के सदस्यों की अन्तःक्रिया का निर्देशन चेतन रूप से करता है जो सामूहिक प्रक्रिया को सामूहिक कार्य प्रक्रिया में बदलती है। सामूहिक कार्य प्रक्रिया के लिए तीन बातें आवश्यक है :–

1. व्यक्तियों का समूह मित्रता के बन्धन से बंधा होता है, वे नियमित रूप से एक समय में एक साथ मिलते है तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रखते है जिससे प्रत्येक समूह का सदस्य एक दूसरे को प्रभावित करता एवं प्रभावित होता है। इस प्रकार का समूह तुलनात्मक रूप से छोटा होता है।
2. ऐसा कार्यकर्ता, जो समूह का सदस्य नहीं है परन्तु इसकी क्रियाओं में भाग लेता है तथा निकट का सम्बन्ध रखता है अपने प्रभाव समूह पर डालने में दक्ष एवं निपुण होता है।
3. कार्यकर्ता का अन्तःक्रिया पर प्रभाव तथा निर्देशन प्रजातांत्रिक लक्ष्यों पर आधारित होता है।

क्लब, कक्षाएं, वर्कशाप, वार्तालाप समूह, बोर्ड तथा समितियां ऐसे संगठन है, जहां पर सामूहिक कार्य प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से होता है। क्लब मीटिंग, वार्तालाप, खेलकूद, ड्रामा, संगीत, नृत्य आदि इसके साधन है।

संस्था के कार्य की विशेषता कार्यकर्ता के मानव व्यवहार के ज्ञान तथा समूह सदस्यों की अन्तःक्रिया को प्रभावित करनेवाली शक्ति पर निर्भर करती है। उसकी निपुणता भी

महत्वपूर्ण होती है। वह जिस प्रकार से सदस्यों को स्वतन्त्र रूप से सामूहिक क्रिया में भाग लेने का अवसर देता है, सामूहिक प्रक्रिया का निर्देशन करता है एवं उन पर अपने अधिकार का उपयोग करता है, इत्यादि बातों पर संस्था के कार्य तथा गुण निर्भर होते है। कार्यकर्ता समुदाय के मूल्यों के अनुसार समूह कार्य के स्तर को निर्धारित करता है। यदि मूल्य स्तर निम्न होते हैं तो वह भागीकरण के निपुण निर्देशन द्वारा सामूहिक चेतना का विकास करता है तथा निम्न स्तर के मूल्यों के स्थान पर उच्च मूल्यों का धीरे–धीरे स्थापना करता है। इस प्रकार सम्पूर्ण समुदाय लाभान्वित होता रहता है। वह इन क्रियाओं का समूह चयन के माध्यम से करता है। वह सुझावों तथा निर्देशनों द्वारा रूचिकर क्रियाओं से समुदाय को अनुभव कराता है जिससे नये मूल्य विकसित होते है।

12.5 सामाजिक संस्थाओं के प्रकार

सामाजिक संस्थाओं को चार प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :–

1. वे संस्थाएं जिनका उददेश्य सेवार्थियों को वैयक्तिक तरीके से अथवा समूहों द्वारा सेवा प्रदान करना होता है। इस प्रकार के अर्न्तगत समाज कल्याण विभाग, परिवार एवं बाल कल्याण, दत्तक संस्थाएं वाई0डब्लू0सी0ए0 ,वाई0एम0सी0ए0, गर्ल स्काउट्स तथा बाल स्काउट्स आते है।
2. वे संस्थाएं जो सामाजिक सामूहिक कार्य सेवाओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार के सेवाएं भी प्रदान करते है। इनमें रेड क्रास सोसायटी, व्यवस्था गृह , उत्तर रक्षा केन्द्र, मनोरंजन गृह तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाएं आती है।
3. इसके अर्न्तगत वे संस्थाएं आती है जो उपचारात्मक कार्य करती है, जैसे अस्पताल, क्लीनिक, स्कूल, न्यायालय, बाल न्यायालय, प्रोबेशन एण्ड पैरोल आफिस, व्यावसायिक पुर्नवास सेवाएं इत्यादि।
4. इस प्रकार के अन्तर्गत उन संस्थाओं का वर्णन किया जा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को सेवाएं नहीं प्रदान करतीं परन्तु अन्य सामाजिक संस्थाओं की सहायता करती हैं, जैसे सामुदायिक कल्याण परिषद्, समाज कल्याण, सामुदायिक ट्रस्ट इत्यादि।

सामाजिक संस्थाओं के प्रकार के आधार पर उनके अलग–अलग कार्य एवं उददेश्य होते है। कुछ संस्थाएं कुछ विशेष आयु वाले सेवार्थियों को सेवा प्रदान करती है, जैसी बच्चों की संस्थाएं तथा कुछ लिंग के आधार पर सेवायें करती है। जो संस्थाएं खाली समय की सेवाएं प्रदान करती है उनकी क्रियाएं लगभग समान होती हैं परन्तु उन क्रियाओं का प्रयोग एक जैसे तरीके से नहीं करतीं। कुछ संस्थाएं एक विशेष क्रिया पर जोर देती है। उनका उददेश्य क्रियाओं का इस प्रकार से संगठन करना होता है जिससे भाग लेने वालों को आनन्द मिल सके तथा हतोत्साह, तनाव और मनोवैज्ञानिक असन्तोष को दूर किया जा सके एवं शारीरिक विकास सम्भव हो। ऐसा करने का उददेश्य यह होता है कि इनमें भाग लेने वाले सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करते है तथा सामूहिकता व सहकारिता की शक्ति एवं भावना का विकास होता है।

कुछ संस्थाएं आत्मनिर्भरता, नागरिकता, सहकारिता आदि गुणों पर विशेष बल देती है। बालक बालिकाओं में इन गुणों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों का नियोजन

करती है। वे उनके उददेश्यों के पीछे यह सिद्धान्त होता है कि ये गुण शक्ति के लिए आवश्यक होते है। तथा उनका विकास संस्था का कार्यक्रमों में भाग लेकर होता है। बच्चों को सामूहिक क्रियाओं के संचाालन तथा नियोजन में साथ–साथ अवसर प्रदान किया जाता है। उनका निर्देशन, व्यक्तिगत,सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। सामूहिक कार्य इन संस्थाओं में सामूहिक नियोजन तथा क्रियाओं के संचालन में सहयोग पर अधिक महत्व देता है। सामूहिक क्रिया पर ध्यान रखा जाता है। अन्य प्रकार की संस्थाएं सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित होती है। वे अपने सदस्यों को सामाजिक जीवन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये संस्थाएं अधिकतर युवकों से सम्बन्धित होती है।

सामजिक सामूहिक कार्यप्रणाली को उपयोग में लाने के लिए संस्था को यह देखना होता है कि वह किस प्रकार के कार्य करने को जा रही है तथा यह विश्वास करती है कि सामाजिक सामूहिक कार्य पद्धति उन कार्यो को पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है। वे संस्थाएं, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है, सामाजिक सामूहिक कार्य प्रणाली का उपयोग अपनी कार्य पद्धति में कर सकती है।

अधिनायक तंत्रवादी संस्थाएं, चाहें वे ऐच्छिक हों या सरकारी, कभी भी सामाजिक सामूहिक कार्य प्रणाली का उपयोग करने में समर्थ नहीं हो सकतीं क्योंकि उनमें कार्य करने के समान अवसरों तथा व्यक्तिगत व सामूहिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। सामाजिक सामूहिक कार्य संस्थाओं की कुछ मुख्य विशेषताएं होती है जिनका वर्णन हम यहां कर रहे है।

12.6 सामाजिक सामूहिक कार्य संस्था की मुख्य विशेषताएं

यद्यपि यह सही है कि सामाजिक सामूहिक कार्य संस्थाएं अलग अलग उददेश्यों के लिए संगठित की जाती है अतः उनकी विशेषताएं भी भिन्न भिन्न होती है, परन्तु सभी संस्थाओं में कुछ समानताएं भी होती हैं जो निम्न है :–

1. सामाजिक संस्थाओं का उददेश्य समाज के निर्माण में व्यक्तियों तथा सामाजिक विकास को साधन के रूप में प्रयुक्त करना होता है जिससे प्रजातांत्रिक समाज का निर्माण सम्भव हो सके। यद्यपि इन संस्थाओं की मनोवृत्ति व्यक्तियों की विकासात्मक सहायता में भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे कुछ संस्थाएं नागरिक भागीकरण पर बल देती है तथा कुछ सामाजीकरण व सहकारिता पर, कुछ संस्थाओं का स्वरूप धार्मिक होता है तथा कुछ का विकासात्मक, परन्तु इन सभी संस्थाओं का केन्द्र बिन्दु सामुदायिक जीवन के लिए व्यक्ति और उसका विकास होता है।
2. सामाजिक संस्थाएं उन व्यक्तियों के साथ कार्य करती है जो स्वतः अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छा के कारण ऐच्छिक रूप से भाग लेते है। उनका संस्था से सम्बन्ध स्थापित करने का उद्देश्य उनकी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होता है। परन्तु यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि सामाजिक सामूहिक कार्य संस्थाएं किसी व्यक्ति को अपने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करती। उनको केवल उददेश्यों, कार्यक्रमों अथवा लाभों से अवगत करा देती है। व्यक्ति यदि उचित समझता है और उसके अहम की सन्तुष्टि होती है। तो वह

भाग लेता है अन्यथा नहीं। भाग लेने की दर तथा स्थिति में अन्तर होता है कुछ लोग अस्थायी रूप से संस्था के सदस्य बनते है तथा कुछ स्थायी रूप से भाग लेते है, लेकिन संस्था की सेवा बिना दबाव या बाध्यता के प्रदान की जाती है।

3. सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों के लिए समूहों द्वारा कार्य करती है अर्थात् समूह द्वारा ही व्यक्ति सेवा प्राप्त करते है। समूह ही वह साधन है जिसके माध्यम से संस्था अपने कार्यों को व्यक्तियों तक पहुंचती है। सेवा की मुख्य इकाई समूह होता है वह व्यक्तियों के लिए संस्था से सम्पर्क करने का प्राथमिक साधन है। समूहों में भी अन्तर होता है। उनके उददेश्य, संगठन, तरीके तथा केन्द्र बिन्दु भिन्न भिन्न हो सकते है परन्तु प्रत्येक संस्था सामूहिक भागीकरण पर विशेष जोर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संस्थाओं का दर्शन व्यक्ति विकास को सामूहिक अनुभव द्वारा प्राप्त करता है अर्थात् संस्था का विश्वास है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सामाजिक एवं सामूहिक अनुभवों पर निर्भर होता है।
4. सामाजिक संस्थाएं समूह के साथ अनौपचारिक तरीके से काम करती है। समूह सदस्यों तथा सामूहिक कार्यकर्ता के मध्य सम्बन्ध धीरे–धीरे स्थापित होते है। चूंकि ऐच्छिकता की प्रधानता होती है अतः ये सम्बन्ध उददेश्यपूर्ण होते हैं और धीरे–धीरे इनमें प्रगाढ़ता आती है तथा उददेश्य पूर्ति के लिए आवश्यक कारण बन जाते है। आपसी सम्बन्ध के द्वारा ही समूह अपनी क्रियाओं को सदस्यों तक पहुंचाते है तथा उन्हें लाभान्वित करते है। यह सदस्य की इच्छा पर निर्भर होता है कि समूह के साथ किस सीमा तक सम्बन्ध स्थापित करे। चूंकि इससे स्वयं उनकी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होती है अतः वे इन सम्बन्धों में घनिष्ठता लाते रहते है।
5. सामाजिक दशाएं समूहों की सेवाएं समयान्तर पर प्रदान करती है अर्थाय ये सेवायें खाली समय की सेवायें होती है। व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के कार्य से निवृत्त होकर इनमें भाग लेता है। सामाजिक सामूहिक कार्य अधिकांशतः उस समय किया जाता है जब व्यक्ति आर्थिक तथा अन्य क्रियाओं से निवृत्त होता है। अतः इस प्रकार की सेवाएं मनोरंजनात्मक सेवाएं समझी जाती है, यद्यपि इनका अर्थ व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है।
6. सामाजिक संस्थाओं में दो प्रकार के अधिकारी होते है– एक तो वे जो संस्था के वेतन भोगी होते है तथा दूसरे वे ऐच्छिक कार्यकर्ता होते है। यद्यपि प्रत्येक संस्था कुछ सीमा तक ऐच्छिक प्रयत्नों पर निर्भर होती है परन्तु सामाजिक सामूहिक कार्य की संस्थाएं मुख्य रूप से ऐच्छिक प्रयत्नों पर बल देती है।
7. इन संस्थाओं में व्यक्तिगत सहयोगिक तथा संयुक्त प्रयत्न पर बल दिया जाता है।
8. सामाजिक संस्थाएं वैसे तो वर्तमान उपयोग के लिए सेवाएं प्रदान करती तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करती है लेकिन दीर्घकालीन उददेश्य, भविष्य निर्माण करना होता है।

सामाजिक सामूहिक कार्य संस्था की मुख्य विशेषताओं को, संचरना के उद्यम के लिए ढ़ांचे के रूप में परिभाषित कर सकते है परन्तु यह परिभाषा सीमित है। क्योंकि संरचना स्वयं सम्बन्धों तथा कार्यों का साधन है, अर्थात् इसके माध्यम से क्रियाएं सम्पन्न होती है। अतः संस्था की संरचना एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह प्रभावात्मक रूप से एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किये जाते है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह एक दूसरे से संचालित होते है तथा सम्पूर्ण कार्यात्मक अवयव बनते है।

12.7 उपयोगी संरचना की विशेषताएं

1. संस्था की संरचना आवश्यकता से अधिक विस्तृत न हो तथा उसमें जटिलता भी न हो।
2. संरचना इस प्रकार से की जाये जिससे समय, व्यय, आदि में कमी हो।
3. संस्था के कार्य का प्रभाव उचित हो, तरीकों में समरूपता हो तथा सेवाओं में नियमन हो।
4. व्यक्तियों तथा समूहों के उत्तरदायित्व स्पष्ट हो जिससे वे निर्बाध रूप से जान सके कि वे क्या करने के लिए वहां पर है तथा उनका अपना कार्य दूसरे के कार्यों से किस प्रकार सम्बन्धित है।
5. जिस क्षेत्र में संस्था कार्य कर रही है उससे सम्बन्धित समूह एवं समुदायों में उददेशयपूर्ण सम्बन्ध हो।
6. कार्य के अनुसार संस्था के विभागों का बंटवारा हो।
7. संचार क्रिया ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर हो तथा संस्था अन्तःक्रिया को उत्तेजित करें।
8. संस्था के नीति निर्धारण में समूह भाग लें।
9. सदस्यों में सहयोग तथा एकीकरण का विकास अवश्य हो।
10. संरचना में आवश्यकता पड़ने पर हेर फेर किया जा सके अर्थात् वह लचीली हो।
11. संरचना सदस्यों के मनोबल को ऊॅचा करें तथा इनको संतोष प्रदान करें।

12.8 संस्था के अंग

संस्था के चार मुख्य अंग है :– 1. बोर्ड समूह 2. कर्मचारी समूह 3. सेवार्थी समूह और 4. सामूदायिक समूह।

मोटे तौर पर इनका संगठन निम्नांकित है :–

1. **बोर्ड समूह**
   - अधिकारी समिति।
   - वित्त समिति।
   - कार्यक्रम समिति।

- जनसम्पर्क समिति।
- भवन समिति।
- व्यावसायिक सलाहकार समिति।
- वैयक्तिक कार्य समिति।
- सामूहिक कार्यसमिति।
- स्वास्थ्य समिति।

2. कर्मचारी समूह

- पूरे समूह के व्यावसायिक कर्मचारीगण –
  - वैयक्तिक सेवा कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी।
  - सामूहिक कार्य से सम्बन्धित कर्मचारी।
- ऐच्छिक कार्यकर्ता –
  - सामूहिक कार्य के ऐच्छिक कार्यकर्ता।
  - ऐच्छिक चिकित्सक।
- लिपिक कर्मचारी।
- मेन्टीनेन्स कर्मचारी।

3. सेवार्थी समूह

- वैयक्तिक सेवा चाहने वाले सेवार्थी।
- सामूहिक कार्य सेवा चाहने वाले सेवार्थी।

4. सामूदायिक समूह – यह वह समूह है जिसके लिए संस्था का संगठन किया जाता है, जैसे अस्पताल में रोगी समूह, जेल में अपराधी समूह इत्यादि।

12.8 संस्था के कार्य

इससे पहले कि कार्यकर्ता अपने कार्य को समझे कि वह समूह के साथ क्या करने जा रहा है, उसको यह अवश्य समझना चाहिए कि सम्बन्धित संस्था क्या करने का प्रयत्न कर रही है। समूह, कार्यकर्ता तथा संस्था सम्पूर्ण कार्य के अंग होते है। अतः तीनों में अन्तःसम्बन्ध होना आवश्यक होता है। 'कार्य' की शब्दकोषीय परिभाषा 'किसी खोज की वास्तविक तथा उचित क्रिया' के रूप में की जा सकती है। जब संस्थाएं अपना कार्य निर्धारित करती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वे अपनी सेवाओं का स्पष्टीकरण कर रही हैं तथा वर्णित उददेश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है।

कार्य के निम्नलिखित तत्व है :–

1. उददेश्य, 2. कार्यक्रम, 3. नीति, 4. तरीका, 5. क्षेत्र।

सामूहिक कार्यकर्ता के लिए संस्था के कार्य वे सकारात्मक क्षेत्र है जिनका उपयोग वह समूहों के साथ अपने कार्य में करता है। इससे उसको कार्य का स्पष्ट ज्ञान होता है। तथा अन्य अवयवों और इकाइयों की जानकारी होती है। समूह

सदस्यों तथा कार्यकर्ता में भग्नाशा की स्थिति उत्पन्न नहीं होती हैं। परिणामों का मूल्यांकन ठीक प्रकार से होता है। लेकिन संस्था के कार्य गतिशील अवश्य होने चाहिए; जैसे जैसे सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन हो, उसी प्रकार संस्था के कार्यों में भी परिवर्तन हो। अन्यथा संस्था समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकेगी और फलतः उसकी ख्याति में कमी होगी। ऐच्छिक कार्यकर्ता अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगें तथा शनैः शनैः संस्था का स्वारूप विघटित हो जायेगा। अतः संस्था को नियमानुसार परिवर्तन करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए।

संस्था के अर्न्तगत समूह फलते फूलते एवं बढ़ते है। उन पर संस्था का पूरा प्रभाव रहता है। वह समूहों को इस प्रकार से प्रभावित एवं निर्देशित करती है जिसे वे अपने ऊपर किसी प्रकार का बोझ एवं दबाव नहीं मानते है। संस्था समूह को निम्न सेवाएं प्रदान करती है :–

1. समूहों को उददेश्य के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान प्रदान करती है। संस्था का मुख्य कार्य समूहों को इस तथ्य से अवगत कराना होता है कि वे क्यों संगठित किये गये है तथा किस दिशा में कार्य के लिए प्रयत्नशील होंगे। स्पष्ट उददेश्यों का ज्ञान होना न केवल समूहों के लिए लाभप्रद होता है बल्कि इससे संस्था को भी सहायता मिलती है।
2. संस्था समूहों को प्रदान करती है। समूह अपने उददेश्यों की प्राप्ति अनेक माध्यमों से करते है। ड्रामा,खेलकूद,वार्तालाप कक्षाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि अनेक माध्यम होते है। कार्यप्रणाली की उपलब्धि के लिए अनेक यन्त्रों की आवश्यकता होती है। संस्था कार्यक्रम से सम्बन्धित सामग्री का प्रबन्ध करती है जिससे समूहों की सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त संस्था कार्यक्रमों का भी निर्धारण करती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि संस्था समूहों को इस बात से अवगत कराती है कि कार्यक्रम का स्वरूप किस प्रकार का हो सकता है। तथा सेवार्थियों के लिए वह कैसे लाभप्रद होगा। वह उच्च स्तर के कार्यक्रमों के निर्धारण की सलाह देती है जो समूह, समुदाय तथा समाज के लिए मूल्यवान होते है।
3. संस्था के लिए समुदाय का सर्मथन तथा स्वीकृति प्रदान करती है। समूह की मान्यता के लिए समुदाय की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब तक किसी सेवा के लिए समुदाय तैयार नहीं होगा उसका प्रारम्भ ही नहीं किया जा सकता। इसमें अतिरिक्त स्तर को मूल्यवान बनाने के लिए भी समर्थन आवश्यक होता है।
4. संस्था उन कार्यक्रमों की सेवा प्रदान करती है जो समूहों की सहायता करने के लिए तैयार होते है क्योंकि उनके बिना व्यावसायिक सेवा असम्भव है। सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता संस्था का कर्मचारी होता है। वह व्यावसायिक ज्ञान, निपुणता सिद्धान्त प्रविधि आदि का उपयोग समूह के साथ करता है। समूह के लिए कार्यकर्ता का होना अत्यन्त आवश्यक होता है क्योंकि समूह जिन उददेश्यों को

प्राप्त करना चाहता है उनको प्राप्त करने में केवल व्यावसायिक कार्यकर्ता ही सहायता कर सकता है।

5. संस्था समूह को जीवन के मूल्य , विश्वास तथा दर्शन समझाती है जिसका ज्ञान दीर्घ अनुभव के पश्चात् होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सामूहिक कार्य को सम्पन्न करने में किन किन मूल्यों को ध्यान में रखना होगा, उसका दर्शन क्या होगा तथा किन विश्वासों पर कार्य होगा। ये सभी आवश्यक तत्व मानवतावादी विचारों पर आधारित होते है।
6. संस्था नियंत्रित पर्यावरण सम्बन्धी स्थिति प्रदान करती है जिसमें समूहों को कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होता है।
7. यह वह तरीका प्रदान करती है जिसका पूर्व परीक्षण हो चुका होता है इस प्रकार समूह संगठनात्मक गलतियों से बचा रहता है।

12.9 संस्था के अधिशासीय कार्य

1. संस्था के परिभाषा ज्ञान, अनुभव तथा संस्था के महत्व को समझने में सहायता प्रदान करती है तथा समूहों के उददेश्यों से अपने उददेश्यों की पारस्परिकता बनाये रखती है।
2. विभिन्न समूहों के कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करती है।
3. दीर्घकालीन तथा वर्तमान उददेश्यों में सन्तुलन बनाये रखती है।
4. समूहों की आवश्यक दशाओं को समझने तथा स्थापन में सहायता करती है।
5. साधनों सुविधाओं, अधिकारियों कर्मचारियों तथा कार्यात्मक दशाओं का निर्देशन करती है।
6. स्रोतों का पता लगाती है।
7. कार्य करने के तरीके निश्चित करती है।
8. सहयोगिक, सहसम्बन्धित तथा व्यावहारिक प्रयत्नों को प्रोत्साहन देती है।
9. उत्तरदायित्व के सम्बन्ध स्थापित करती है।

12.10 कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवाएं

1. संस्था का कार्य कर्मचारियों में सहसम्बन्ध उत्पन्न करना होता है।
2. प्रत्येक संस्था में उच्च–निम्न कर्मचारियों में वर्गीकरण होता है। उसके महत्व, स्थान तथा उत्तरदायित्व में अन्तर होता है। अतः सभी कर्मचारियों का समान स्तर नहीं होता। इसलिए उनमें प्रायः मतभेद हो जाता है। संस्था का कार्य है कि वह इन भावनाओं में कमी लाये तथा कार्य को समान महत्व दे।
3. संस्था,कर्मचारियों ने सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है क्योंकि अक्सर सामान्य कर्मचारियों तथा विशेषज्ञ कर्मचारियों में असामंजस्य उपस्थित होने का खतरा रहता है।
4. ऐच्छिक रूप से उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए अपनत्व की भावना उत्पन्न करती है।

5. अधिकारियों तथा कर्मचारियों में काफी अन्तर होता है। वे एक दूसरे से बहुत कम परिचित होते है। अतः संस्था का उददेश्य इस अन्तर को कम करना होता है।
6. संस्था सामूहिक प्रयत्नों पर जोर देती है।

कार्यकर्ता को संस्था के विषय में निम्न जानकारी आवश्यक होती है :–

कार्यकर्ता जिस संस्था में कार्य करता है उसकी स्थिति के विषय में उसे पूर्ण अवगत होना चाहिए। समूह के साथ अपना कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यकर्ता को संस्था की वे आवश्यक बातें जाननी एवं समझनी चाहिए जो उसके कार्य के लिए आवश्यक है। यह संस्था का उत्तरदायित्व है कि प्रशासकीय व्यवस्था एवं अधीक्षण द्वारा कार्यकर्ता को आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराती रहें :–

1. कार्यकर्ता को संस्था के उददेश्यों एवं कार्यों के विषय में अवगत होना चाहिए। वह संस्था के साथ कार्य करने के लिए अवश्य तत्पर हो, उसकी परिवर्तनशील प्रकृति से अवगत हो तथा अपने को उसी प्रकार परिवर्तित करने के लिए समर्थ हो।
2. संस्था जिस क्षेत्र में कार्य कर रही है, कार्यकर्ता उससे भंली भांति अवगत हो। वह क्षेत्र की विशेषताओं का ज्ञान रखता हो। रूचियों, आवश्यकताओं, भौगोलिक स्थिति तथा मनोसामाजिक व आर्थिक कारकों का ज्ञान वह अवश्य रखता हो।
3. संस्था समूहों की जिस तरीके से सहायता करती है, कार्यकर्ता को उसका ज्ञान होना चाहिए। उसको संस्था के उददेश्यपूर्ण सम्बन्धों का ज्ञान हो। समूह से जिस प्रकार संस्था सम्पर्क स्थापित करती है, उसका ज्ञान होना चाहिए। संस्था की शर्तों से कार्यकर्ता को अवगत होना चाहिए।
4. कार्यकर्ता को आन्तरिक कार्यवाही सम्बन्धी नीतियों से अवगत होना चाहिए। उसको शुल्क, कार्य के घंटे, नियम, भाग लेने की सुविधाएं तथा अन्य समूहों से सम्बन्ध की दशाएं अभिलेखों को प्रकृति, कार्य सम्बन्धी अधिनियम इत्यादि बातें जानना आवश्यक होता है।
5. संस्था के अन्य कार्यकर्ताओं से अपने सम्बन्धों को समझने में पूर्ण समर्थ हो। जिस प्रकार के अधीक्षण की आवश्यकता हो उनको वह जानता हो।
6. कार्यकर्ता में समूह सदस्यों को सहायता करने की निपुणता हो जिससे वह समूह के साथ उददेश्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हो।
7. जिस प्रकार तथा जिन दशाओं में समूह का मूल्यांकन होता है उसको वह प्रारम्भ से ही जानता हो तथा संस्था से सम्बन्धित अपने कार्यों का उसे बोध हो।

12.11 सार संक्षेप

जब हम सामाजिक संस्था को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते है तो उसका पूर्ण स्वरूप देखना अनिवार्य होता है क्योंकि इस प्रत्येक भाग एक दूसरे से सम्बन्धित होता है तथा वे अन्तर आश्रित होते है। संस्थाओं में ऐसे अनेक व्यक्ति तथा समूह होते है। जिनका सामान्य उद्देश्य होता है और वे उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते है। प्रत्येक की पृष्ठभूमि तथा योगदान भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक सदस्य एक कार्य के

लिए उत्तरदायी होता है। उनमें संचार की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है तथा अन्तःक्रिया का संचार होता है। इस निरन्तर संचार तथा अन्तःक्रिया सम्पूर्ण की विशेषताएं उसके योग से भिन्न होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि समूह की विशेषताएं अलग अलग व्यक्तियों की विशेषतओं के योग से भिन्न होती है। नई नई भावनाएं, धारणाएं, तथा प्रभाव उत्पन्न होते है। संस्था के उददेश्य सामाजिक समूहों के द्वारा पूरे किये जाते है, अतः समूह निर्माण में संस्था एक अनिवार्य भूमिका अदा करती है। उसके कार्य संस्था की संरचना व उददेश्यों पर पूर्णरूपण निर्भर होते है।

अभ्यास प्रश्न

1.सामाजिक सामूहिक कार्य में संस्था की भूमिका को समझाइये ?
2.सामूहिक कार्य प्रणाली को संस्था के संदर्भ में समझाइये ?
3.सामाजिक संस्थाओं के प्रकारों की व्याख्या कीजिये ?
4.सामाजिक सामूहिक कार्य संस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिये ?
5.संस्था के अंगों की व्याख्या कीजिये ?
6.संस्था के कार्यों की व्याख्या कीजिये ?
7.संस्था के अधिशासीय कार्यों पर टिप्पणी कीजिये ?
8.कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवाओं के विषय में जानकारी दीजिये ?

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Pepell, G.P. & Rathman, B.- Social Work with Groups
2.Trecker, H.B.- Social Group Work. Principles and Practice Newyork Association Press.
3.Toselane, R.W.- An Introduction to Group Work Practice.
4. Wilson, G. & Ryland, G.- Social Group Work Practice.
5. Samuel T. Gladding - Group Work, A Community Speciality.
6. Ronald W. Toseland & Robert F. Rivar: An Introduction to Group Work Practice, Manachuseths: Allyn & Baion.
7. Balgopal, P. and Vanil T. - Groups in Social Work: An Ecological Perspective, Newyork: Macmillan.
8. Harford, M.- Groups in Social Work.
9. Konopka, G.- Social Group Work: A Helping Process (3rd) Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
10. सिंह, ए.एन. एवं सिंह, ए.पी.– समाज कार्य
11. Mishra, P.D. & Mishra Bina- Social Group Work Theory and Practice.
12. मिश्रा, प्रयागदीन– सामाजिक सामूहिक कार्य